
इकाई-1 राज्यपाल, मुख्यमंत्री

इकाई की संरचना

- 1.0 प्रस्तावना
- 1.1 उद्देश्य
- 1.2 राज्यपाल
 - 1.2.1 राज्यपाल का कार्यकाल
 - 1.2.2 राज्यपाल की शक्तियां और कार्य
 - 1.2.3 राज्यपाल और मुख्यमंत्री के सम्बन्ध
 - 1.2.4 राज्यपाल की वास्तविक स्थिति
 - 1.2.5 राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति
- 1.3 मंत्रीपरिषद और मुख्यमंत्री
 - 1.3.1 मुख्यमंत्री की शक्तियां
 - 1.3.2 मुख्यमंत्री के कार्य
 - 1.3.3 मंत्रीपरिषद और व्यवस्थापिका
 - 1.3.4 मुख्यमंत्री का अपना व्यक्तित्व
- 1.4 राज्यपाल और मुख्यमंत्री
- 1.5 सारांश
- 1.6 शब्दावली
- 1.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 1.8 संदर्भ ग्रन्थ सूची
- 1.9 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री
- 1.10 निबंधात्मक प्रश्न

1.0 प्रस्तावना

भारत में जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर सभी राज्यों में शासन की वही पद्धति है जो केन्द्रीय स्तर पर मान्य है। दूसरे शब्दों में सभी राज्यों में संसदीय व्यवस्था है। प्रत्येक राज्य में कार्यपालिका का एक प्रमुख है जिसे राज्यपाल कहा जाता है। साथ में एक मन्त्रिपरिषद है, जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री है जो राज्यपाल की सहायता करता है तथा परामर्श देता है। मन्त्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है।

राज्य का प्रशासन राज्यपाल के नाम से चलता है। राज्य की कार्यकारिणी शक्तियाँ राज्यपाल में निहित हैं। आमतौर पर एक राज्य का एक राज्यपाल होता है लेकिन कभी-कभी दो राज्यों का भी एक राज्यपाल होता है। यह व्यवस्था 1956 में की गयी थी।

1.1 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के बाद आप-

1. राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति को समझ पायेंगे।
2. राज्यपाल की शक्तियों और कार्यों की जानकारी ले सकेंगे।
3. राज्यपाल और मुख्यमंत्री के सम्बन्धों को जान सकेंगे।
4. राज्यपाल की आपातकालीन शक्तियों को समझ सकेंगे।
5. राज्य की राजनीति में राज्यपाल की भूमिका को समझ सकेंगे।
6. तुलनात्मक दृष्टि से राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियों की जानकारी लेंगे।
7. मुख्यमंत्री और विधानसभा के रिश्तों की जानकारी लेंगे।

1.2 राज्यपाल

संविधान के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। केवल भारत का ऐसा नागरिक जो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यपाल के पद पर नियुक्त हो सकता है। संविधान राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कोई निश्चित योग्यता तय नहीं करता है। लेकिन साधारणतया विशिष्ट लोग इस पर नियुक्त किये जाते हैं। इसमें अवकाश प्राप्त राजनीतिक, सेना के पदाधिकारी, सेवी वर्ग के अधिकारी, प्रसिद्ध शिक्षाविद् इत्यादि होते हैं।

1.2.1 राज्यपाल का कार्यकाल

साधारणतया एक राज्यपाल पांच वर्ष के लिए नियुक्त होता है। वह राष्ट्रपति की मर्जी तक बना रहता है। अतः एक राज्यपाल पांच वर्ष से पूर्व राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। राज्यपाल यदि स्वयं चाहे तो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है।

महाभियोग के द्वारा राज्यपाल को हटाने का कोई प्रावधान नहीं है और न ही उसको हटाने में व्यवस्थापिका या न्यायपालिका की कोई भूमिका है।

राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल को उसके पद से हटाने की कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं है लेकिन पद के दुरुपयोग, भ्रष्टाचार, पक्षपात पूर्ण व्यवहार, संविधान के उल्लंघन, नैतिक पतन आदि के आधार पर राज्यपाल को हटाया जा सकता है। व्यवहार में यह देखा गया है कि केन्द्र में सत्ता परिवर्तन के साथ राज्यों के राज्यपाल भी बदल दिये जाते हैं।

एक राज्यपाल अनेक बार राज्यपाल हो सकता है।

1.2.2 राज्यपाल की शक्तियाँ और कार्य

संवैधानिक रूप से राज्यपाल की अनेक शक्तियाँ हैं जिनमें कार्यकारिणी विधायनी तथा न्यायिक प्रमुख हैं। परन्तु यहाँ याद रखना होगा कि व्यवहार में राज्यपाल की यह शक्तियाँ नाम मात्र की हैं। संक्षेप में इनका वर्णन इस प्रकार है:-

कार्यकारिणी शक्तियाँ

1. राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और उसके परामर्श से मन्त्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है।
2. महाधिवक्ता तथा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है।
3. राज्यपाल की मर्जी तक महाधिवक्ता (एडवोकेट जनरल) अपने पद पर बना रह सकता है। वह राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को बर्खास्त कर सकता है लेकिन पदच्युत नहीं कर सकता।
4. यद्यपि राज्यपाल को उच्चतम न्यायालय के न्यायधीशों को नियुक्त करने का अधिकार नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति इन न्यायधीशों को राज्यपाल के परामर्श से नियुक्त करता है।

5.यदि राज्यपाल सन्तुष्ट हो कि एंग्लो इण्डियन सम्प्रदाय का कोई सदस्य यथावत् निर्वाचित नहीं हो सकता तो विधान सभा के लिए एक एंग्लो इण्डियन को मनोनीत कर सकता है।

6.यदि राज्य में विधान परिषद है तो राज्य पाल को विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को नामित करने का अधिकार है परन्तु ऐसे सदस्य साहित्य, कला, विज्ञान, समाजसेवा और सहकारिता आन्दोलन के क्षेत्र में ख्यातिप्राप्त व्यक्ति हो।

विधायनी शक्तियाँ--राज्यपाल राज्य व्यवस्थापिका का एक अंग है। वह सदन का सत्र बुलाता है अथवा व्यवस्थापिका के किसी भी सदन के सत्र को स्थगित कर सकता है। वह सम्पूर्ण विधान सभा को भी भंग कर सकता है।

राज्यपाल को विधान सभा और विधान परिषद के सत्रों को अलहदा अथवा संयुक्तरूप से सम्बोधित करने का अधिकार है। वह दोनों सदनों को संदेश भी भेज सकता है।

राज्यपाल राज्य व्यवस्था के सामने वार्षिक वित्त लेखा जोखा (बजट) प्रस्तुत करने की संस्तुति देता है। राज्यपाल की संस्तुति के बिना वित्त विधेयक विधान सभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।

राज्य व्यवस्थापिका द्वारा स्वीकृत विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकते जब तक कि राज्यपाल की अनुमति न मिले। जब एक विधेयक राज्यपाल के सम्मुख उसकी स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो वह-

- 1.विधेयक को अपनी संस्तुति प्रदान कर सकता है और विधेयक कानून बन जाता है।
- 2.या वह विधेयक पर अपनी संस्तुति रोक सकता है और विधेयक कानून नहीं बनता।
- 3.या वित्त विधेयक को छोड़कर साधारण विधेयक को राज्य व्यवस्थापिका के पास पुर्नविचार के लिए वापस भेज देता है। यदि पुर्नविचार के बाद व्यवस्थापिका विधेयक को राज्यपाल के पास भेजती है तो वे विधेयक पर संस्तुति देने के लिए बाध्य हैं।
- 4.वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेता है। ऐसा विधेयक तब ही कानून होगा जब राष्ट्रपति अपनी संस्तुति प्रदान करेंगे।

अध्यादेश जारी करने की शक्तियाँ

यदि व्यवस्थापिका के सदन सत्र में नहीं है, और किसी विषय पर कानून बनाने की तुरन्त आवश्यकता है, इस संदर्भ में राज्यपाल एक अध्यादेश जारी कर सकता है। इस अध्यादेश का वही प्रभाव और दर्जा होगा जो व्यवस्थापिका द्वारा स्वीकृत कानून का होता है। राज्यपाल उन्हीं विषयों पर अध्यादेश जारी करता है जो राज्य सूची या समवर्ती सूची में निहित हैं।

अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्यपाल के औचित्य या स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति नहीं है। वह मन्त्रिपरिषद की सलाह पर ही अध्यादेश जारी करता है।

निम्न मामलो पर राज्यपाल तब तक अध्यादेश जारी नहीं कर सकता जब तक पहले से उस पर राष्ट्रपति की अनुमति न हो-

1. ऐसा विषय जिस से सम्बन्धित विधेयक को राज्य व्यवस्थापिका में प्रस्तुतिकरण से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता हो: या
2. राज्यपाल ऐसे विषय से संबन्धित विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता महसूस करता हो।

राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश राज्य व्यवस्थापिका के सम्मुख तब रखना अनिवार्य होता है जब उसका सत्र आरम्भ होता है और यदि 6 सप्ताह के भीतर वह अध्यादेश व्यवस्थापिका द्वारा स्वीकृत नहीं किया जाता है, तो वह समाप्त हो जाता है। यदि ऐसा अध्यादेश व्यवस्थापिका द्वारा स्वीकृत हो जाता है तो कानून बन जाता है।

राज्यपाल की न्यायिक शक्तियाँ

राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों का सम्बन्ध ऐसे कानून से है जिनका उल्लंघन कार्यपालिका अर्थात् मंत्रीमंडल करता है। वह कानूनों का रखवाला है।

राज्यपाल कठोर दण्ड को हल्के दण्ड में (कम्यूटेशन) बदल सकता है, सजा को माफ (रेमीशन) कर सकता है, वह सजा या फता को राहत (रेस्पाइट) दे सकता है। लेकिन राज्यपाल का क्षमादान का अधिकार मृत्युदण्ड से सम्बन्धित नहीं है।

आपातकालीन शक्तियाँ

यदि राज्यपाल सन्तुष्ट हैं कि राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रहा है तो संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कर सकता है। जैसे ही राष्ट्रपति शासन राज्य में लागू होता है, राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल राज्य का प्रशासन संभाल लेता है। परन्तु राज्यपाल की यह शक्ति बड़ी विवादास्पद रही है। उस पर आरोप लगता रहता है कि वह अक्सर अपने औचित्य का गलत प्रयोग करता है।

विवेकाधीन शक्तियाँ

राज्यपाल को विवेकाधीन शक्तियाँ प्रयोग करने का अधिकार है। ऐसी शक्तियाँ-न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से बाहर है। इस सम्बन्ध में राज्यपाल को यह भी स्वतन्त्रता है कि वह तय करें कि उसे किस मामले पर विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करना है और इस बारे में उसका निर्णय अंतिम है।

कुछ ऐसी शक्तियाँ जिनके प्रयोग के लिए राज्यपाल मन्त्रिपरिषद से परामर्श के लिए बाध्य नहीं है। संभव है उसका ऐसा कदम मन्त्रिपरिषद की इच्छा के विरुद्ध हो। उदाहरण के लिए -

1. जब राज्यपाल अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति को राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सलाह दे।

2.राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल को अपनी विवेकाधीन शक्तियों के प्रयोग का अवसर मिलता है।

3.राज्यपाल अपने विवेक का प्रयोग करके यह तय करता है कि राज्य व्यवस्थापिका द्वारा स्वीकृत किस विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित रखा जाये।

कुछ राज्यपालों के पास अपने राज्यों से सम्बन्धित विशिष्ट उत्तरदायित्व भी है। इन राज्यों में नागालैण्ड, मणिपुर, आसाम, गुजरात और सिक्किम के राज्यपाल आते हैं।

1.2.3 राज्यपाल और मुख्यमंत्री के सम्बन्ध -

विधानसभा में बहुसंख्यक दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है। यदि मन्त्रि परिषद विधान का विश्वास खो देती है तो राज्यपाल मन्त्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है।

राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त करने की तथा मन्त्रिपरिषद को बर्खास्त की शक्ति समय-समय पर विवादास्पत रही है। ऐसी स्थिति तब आती है जब विधान सभा में चुनाव के बाद बहुमत स्पष्ट न हो अथवा किसी समय विधान सभा में शासक दल में टूट फूट हो और बहुमत स्पष्ट न हो। तब राज्यपाल अपने विवेक से काम लेता है। परन्तु उसका यह विवेक परिस्थितियों के अनुसार होता है। क्योंकि वह केन्द्र के प्रति वफादार होता है। इसलिए ऐसी स्थिति में जब राज्य और केन्द्र में दो विपरीत दलों की सरकारें हो, तब वह केन्द्र के हितों को ध्यान में रखकर विवेक का प्रयोग करता है जो किसी भी स्थिति में विवेकपूर्ण नहीं होता। ऐसी स्थिति में पीडित दल न्यायालय की शरण लेता है। राज्यपाल के पक्षपातपूर्ण रवैये की कड़ी आलोचना हुई है।

राज्यपाल और मुख्यमंत्री के मध्य टकराव का एक बड़ा कारण संविधान का अनुच्छेद 356 है। केन्द्र में सत्ताधारी दल सदा ही राज्यों की ऐसी सरकारों को गिराने का प्रयास करता है जहाँ राज्य सरकारें केन्द्रीय सरकार के विपरीत होती हैं। यह काम केन्द्रीय सरकार अपने प्रतिनिधि राज्यपाल से लेता है। वह केन्द्र के इशारे पर दुविधापूर्ण स्थिति का लाभ उठाकर अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर देता है, इससे राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच टकराव बढ़ता है और संघात्मक संरचना पर आंच आती है। यद्यपि इस व्यक्तिगत पसन्द को अक्सर न्यायपालिका ने नापसन्द किया है।

1.2.4 राज्यपाल की वास्तविक स्थिति

भारत में एक ओर संघात्मक व्यवस्था है तो दूसरी ओर संसदात्मक जो केन्द्र में भी है और राज्यों में भी। केन्द्र के समान राज्यपाल राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान (हैड) है। कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियों का प्रयोग मन्त्रिपरिषद करती है जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होता है। मन्त्रिपरिषद अपने सभी कृत्यों के लिये व्यवस्थापिका के निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी है। यह स्थिति बिल्कुल केन्द्र के समान है।

इन समानताओं के बावजूद, जो केन्द्र और राज्यों में पाई जाती है, राज्यपाल की स्थिति और भूमिका राष्ट्रपति की स्थिति के समान नहीं है। कारण है राज्यपाल की दोहरी भूमिका। एक ओर राज्यपाल राज्य शासन का मुखिया है तो दूसरी ओर वह राज्य में केन्द्र का प्रतिनिधि है। यह एक विषम स्थिति है क्योंकि संविधान में राज्यपाल की शक्तियाँ स्पष्ट नहीं हैं। वास्तविकता यह है कि राज्यपाल को हटाने या उसको नियन्त्रित करने की शक्ति राज्य में निहित नहीं है। इस स्थिति ने राज्यपाल की कुर्सी को मजबूत किया है और वह केन्द्र में सत्ताधारी दल से सरलता से प्रभावित होता है। परिणामस्वरूप राज्य के सत्ताधारी दलों से उसका टकराव बढ़ जाता है। सक्रिय अथवा अवकाश प्राप्त राजनीतिज्ञों ने इस पद पर पहुँचकर स्थिति को और गंभीर बनाया है।

वास्तव में अनुच्छेद 356 का अक्सर दुरुपयोग करके राज्यपाल ने स्वयं को राज्य का एक संवैधानिक मुखिया कम एक कुशल राजनीति अधिक सिद्ध किया है। इससे राज्य में अस्थिरता, दल- बदल और जोड़-तोड़ की राजनीति को बढ़ावा मिलता है। उदाहरण के लिये 1960 से 1967 तक राज्यों में विरोधी दलों की ग्यारह बार सरकारें बर्खास्त की गईं जबकि 1967 से 1977 तक 8 बार ऐसी सरकारें बर्खास्त की गईं। 1977 के आम चुनावों के बाद केन्द्र में जनता दल की सरकार ने राज्यों में कांग्रेस की नौ राज्यों की सरकारों को बर्खास्त किया। 1980 में कांग्रेस ने बदले में विरोधी दलों की ग्यारह राज्य सरकारों को अपदस्थ किया, और यह सब कुछ केन्द्र ने राज्यपालों के माध्यम से कराया।

1.2.5 राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति

राज्य के शासनतंत्र में राज्यपाल की एक महत्वपूर्ण हैसियत है। यथार्थ उस से राज्य में शासन के मुखिया की हैसियत से कार्य करने की अपेक्षा की जाती है, और इसलिये वह मन्त्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है, परन्तु उसे मात्र रबर की मोहर नहीं कहा जा सकता। राज्यपाल की स्थिति के बारे में संविधान में दो प्रावधान हैं। अनुच्छेद 159 के तहत राज्यपाल को जो शपथ लेनी होती है उसके अनुसार यह स्पष्ट है कि वह पूरी निष्ठा से अपने पद का निर्वाह करेगा, अपनी पूरी योग्यता से संविधान और कानून की रक्षा करेगा, और राज्य के लोगों की सेवा में स्वयं को समर्पित करेगा। इस शपथ से यह स्पष्ट होता है कि लोगों की सेवा से संबन्धित उसकी सोच और मन्त्रिपरिषद की सोच में अन्तर हो सकता है, जो टकराव का कारण बन सकता है।

उधर अनुच्छेद 163(1) स्पष्ट करता है कि अपने कार्यों के निष्पादन के लिये राज्यपाल को परामर्श और सहायता प्रदान करने के लिये एक मन्त्रिपरिषद होगी, लेकिन वहीं तक जहाँ राज्यपाल की स्वतन्त्र शक्तियों के निष्पादन का प्रश्न न हो। स्वतंत्र शक्तियों के प्रयोग में राज्यपाल का निर्णय अन्तिम होगा।

अनुच्छेद 163(2) पुनः व्यवस्था करता है कि राज्यपाल का कौन सा कार्य उसके क्षेत्राधिकार में आता है और कौन सा नहीं, यह राज्यपाल ही तय करेगा और वह जो भी करेगा उस पर जबाब तलब नहीं किया जायेगा।

प्रत्येक राज्यपाल परिस्थितियों के अनुसार अपने औचित्य की शक्ति का प्रयोग करता है, समान परम्पराएँ नहीं हैं। यद्यपि इस व्यवहार की आलोचना की गई है, लेकिन संवैधानिक दृष्टि से यह उचित है। राज्यपाल की हैसियत राजनीतिक है इसलिये पूरी निष्पक्षता के साथ उसका व्यवहार करना असंभव है। वास्तव में अक्सर विधायक स्वयं ऐसी परिस्थितियाँ पैदा करते हैं जहाँ राज्यपाल को बड़े कदम उठाने पड़ते हैं।

1.3 मन्त्रिपरिषद और मुख्यमंत्री

प्रत्येक राज्य में एक मन्त्रिपरिषद होती है जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होता है। मन्त्रिपरिषद का कार्य राज्यपाल को उसके कार्यों के निष्पादन के लिये सहायता करना और परामर्श देना है लेकिन राज्यपाल के स्वविवेकी कार्य मन्त्रिपरिषद के क्षेत्राधिकार से बाहर है।

मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है और उसके परामर्श से राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। आम या मध्यावधि चुनावों के बाद यदि विधान सभा में दल के नेता को बहुमत प्राप्त होता है तो राज्यपाल का कार्य सरल हो जाता है। वह बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त कर देता है। अगर किसी भी दल का बहुमत नहीं होता तो स्थिति जटिल हो जाती है और राज्यपाल को अपने विवेक का प्रयोग करना होता है। यही वह स्थिति है जो अक्सर विवादास्पद बन जाती है।

1.3.1 मुख्यमंत्री की शक्तियाँ

मुख्यमंत्री की हैसियत मन्त्रिपरिषद में महत्वपूर्ण और विशिष्ट है। वास्तव में मन्त्रियों की नियुक्ति वही करता है और उन्हें बर्खास्त करने का अधिकार भी उसी के पास है। वह अपने मंत्रियों में विभाग आवंटित करता है। वह कैबिनेट की मीटिंगों की अध्यक्षता करता है। आमतौर पर मुख्यमंत्री स्वयं अनेक विभाग अपने पास रखता है। इसके अतिरिक्त शासन के सभी विभागों का निरीक्षण करना भी मुख्यमंत्री का उत्तरदायित्व है।

भारतीय संविधान में मुख्यमंत्री की शक्तियों का कोई उल्लेख नहीं है परन्तु व्यवहार में राज्य में उसकी वही स्थिति है जो केन्द्र में प्रधानमंत्री की है। दूसरी ओर राज्यपाल के संदर्भ में संविधान की यह व्यवस्था है कि मुख्य मंत्री के कुछ उत्तरदायित्व हैं:

(अ) मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राज्य से संबन्धित प्रशासन तथा विधि प्रस्तावों से राज्यपाल को अपने निर्णयों के बारे में अवगत कराये।

(आ) मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि राज्य के मामलों से सम्बन्धित प्रशासन के बारे में तथा विधि प्रस्तावों के बारे में यदि राज्यपाल कोई सूचना मांगे तो वह उसे मुहैया कराये तथा

(इ) राज्यपाल मुख्यमंत्री से ऐसे मामलों पर सूचना मांग सकता है जिसका निर्णय मंत्री ने तो लिया है पर जिसे मन्त्रिपरिषद के सम्मुख न रखा गया हो।

मुख्यमंत्री की एक महत्वपूर्ण शक्ति यह है कि वह विधान सभा को भंग करने की सिफारिश ,राज्यपाल से कर सकता है।

1.3.2 मुख्यमंत्री के कार्य

शक्तियों और कार्यों की दृष्टि से मुख्यमंत्री की अपनी हैसियत उसके व्यक्तित्व में निहित है। यदि उसका व्यक्तित्व मजबूत है तो वह प्रभावशाली मुख्य मंत्री होता है। परन्तु सच यह है कि मुख्य मंत्री की सारी शक्तियाँ और कार्य मंत्री परिषद में निहित है जिसका व्यक्तित्व सामूहिक है।

मन्त्रिपरिषद वास्तव में राज्य की मुख्य कार्यपालिका है। यह प्रशासन की नीतियों का निर्माण करती है। विधि निर्माण के कार्य को तैयार और प्रक्रिया आगे बढ़ाती है और कानून पास हो जाते हैं तो उनके कार्यान्वयन का निरीक्षण करती है। कैबिनेट द्वारा वार्षिक बजट तैयार किया जाता है और विधान सभा में प्रस्तुत किया जाता है। लगभग सभी वित्तीय शक्तियाँ परिषद में निहित हैं यद्यपि यह राज्यपाल के नाम से पहिचानी जाती है।

संविधान ने राज्यपाल को व्यवस्थापिका के सत्र की अनुपस्थिति में अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया है परन्तु यथार्थ में यह शक्ति भी कैबिनेट के पास है। राज्यपाल व्यवस्थापिका के सम्बोधित करता है तथा संदेश भेजता है परन्तु उसका अभिभाषण कैबिनेट द्वारा तैयार किया जाता है। राज्यपाल को विधान सभा को बर्खास्त करने का अधिकार है लेकिन इस अधिकार का प्रयोग भी मन्त्रिपरिषद करती है। ऐसा राज्य जिसमें विधान परिषद होती है उसमें कुछ सदस्य नामित करने का अधिकार राज्यपाल को है परन्तु व्यवहार में यह कार्य भी राज्यपाल कैबिनेट की सिफारिश पर करता

है। इसी तरह राज्य की क्षमादान या क्षमा को कम करने की शक्ति भी मन्त्रि परिषद की सिफारिश पर आधारित है।

1.3.3 मन्त्रिपरिषद और व्यवस्थापिका

मन्त्रिपरिषद के मंत्री व्यवस्थापिका के सदस्यों से लिये जाते हैं और वे सामूहिक रूप से व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यदि एक मंत्री विधान सभा में पराजित हो जाता है तो सब को त्यागपत्र देना चाहिए। यह सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त के अनुसार है। इसलिए सभी मंत्री व्यवस्थापिका के सदन पर एक दूसरे का बचाव करते हैं।

व्यवस्थापिका सदस्य प्रश्नों और पूरक प्रश्नों के माध्यम से मंत्रियों को नियंत्रित करते हैं। इस तरह वे सरकार की कमियों और गलतियों को उजागर करते हैं। वे मंत्रालय के विरुद्ध स्थगन और निन्दा प्रस्ताव लाते हैं। अन्त में विधान सभा के सदस्य सरकार के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाते हैं। यदि यह प्रस्ताव पारित हो गया, तो सरकार को त्यागपत्र देना होता है। इसी तरह यदि सरकार द्वारा पारित और समर्थित विधेयक विधान सभा में पराजित हो गया तो इसको अविश्वास का मत समझा जायेगा और सरकार को त्यागपत्र देना होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि मन्त्रिपरिषद का अस्तित्व पूरी तरह सदन के विश्वास पर टिका होता है।

मन्त्रिपरिषद भी व्यवस्थापिका पर नियंत्रण रखती है। वास्तव में व्यवस्थापिका में पूरी कार्यवाही को नियंत्रित करते हैं। अधिकांश विधेयक मंत्रालयों द्वारा लाये जाते हैं और क्योंकि उनको बहुमत दल का विश्वास प्राप्त होता है, यह विधेयक सफलता से पास हो जाते हैं। कोई भी ऐसा विधेयक जिसे सरकार का समर्थन प्राप्त नहीं होता, पास नहीं हो सकता। संविधान के 52वें संशोधन ने जिस दल-बदल विरोध कानून कहा जाता है, मन्त्रिपरिषद की स्थिति को मजबूत किया है।

जब दल-बदल आम बात थी, राज्य के मंत्रियों के सिर पर तलवार लटकी रहती थी। यह अस्थायित्व का काल था लेकिन अब यदि कोई सदस्य दल बदलता है तो वह अपने सदन की सीट खो देता है। इससे दल-बदल की परम्परा समाप्त हुई है।

मन्त्रिपरिषद के हाथों में एक और ऐसा शक्तिशाली हथियार है जो व्यवस्थापिका को उसके नियंत्रण में रखता है। विधान सभा को भंग कराने का अधिकार मुख्यमंत्री के पास है। यदि उसके दल के सदस्य अनुशासनहीन होते हैं और सरकार के विरुद्ध मतदान करते हैं, तो मुख्यमंत्री विधान सभा को भंग करने की सिफारिश कर सकता है। सीट खोने का भय सदस्यों को अनुशासित रखता है। फिर भी मिला-जुला मन्त्रि मण्डल सदा अस्थिर होता है और ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री की स्थिति कमजोर होती है। यहाँ तक कि दल-बदल विरोधी कानून भी मिली जुली सरकार को स्थिरता की गारण्टी नहीं दे सकता।

1.3.4 मुख्यमन्त्री का अपना व्यक्तित्व

मुख्यमंत्री की स्थिति बहुत कुछ हद तक उसके अपने व्यक्तित्व पर निर्भर करती है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया (सी0पी0एम0) के पश्चिमी बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु एक लम्बे समय तक अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण अपने बहुमत दल का विश्वास प्राप्त करके अपने पद पर बने रहे। उनका अपना दल, सी0पी0एम0 कभी केन्द्र में सत्ताधारी दल नहीं रहा।

कोई भी मुख्यमंत्री जिसका प्रभावशाली व्यक्तित्व है, शक्तिशाली समझा जाता है। उसके सहयोगी उसके लिए वफादार होते हैं। ऐसी सरकार जनहित के कार्य करती है। वह केन्द्र के दबावों से मुक्त रहता और खुलकर काम करता है।

1.4 राज्यपाल और मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री और राज्यपाल के रिस्तों में अक्सर कड़वाहट रहती है। इस कड़वाहट का कारण हैं दलीय द्वन्द। राज्यपाल केन्द्र का प्रतिनिधित्व करता है। जब केन्द्र में और राज्य में एक ही दल की सरकारें होती हैं, तब राज्यपाल और मुख्यमंत्री में सामंजस्य बना रहता है। लेकिन जब केन्द्र और राज्य में विरोधी दलों की सरकारें होती हैं तो टकराव की स्थिति आ जाती है। विशेष रूप से जहाँ राज्य में मिली जुली सरकारें हैं वहाँ राज्यपाल स्थिति का लाभ उठाकर राज्य सरकार को बर्खास्त करने का प्रयास करता है। ताजा उदाहरण उड़ीसा का जहाँ, भारतीय जनता पार्टी की येदुरप्पा की सरकार को राज्यपाल ने बर्खास्त करने का प्रयास किया।

1992 में भारतीय जनता पार्टी की तीन सरकारों को केन्द्र के इशारे पर राज्यपाल ने बर्खास्त कर दिया। कारण था 06 दिसम्बर 1992 को अयोध्या के विवादित ढाँचे को कारसेवकों द्वारा ध्वस्त किया जाना। सरकारों को बर्खास्त करना एक राजनीतिक फैसला था। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण था कि मध्य प्रदेश में बी0जे0पी0 सरकार की बर्खास्तगी गैर कानूनी थी क्योंकि राज्यपाल ने केन्द्र को जो रिपोर्ट भेजी थी, वह पर्याप्त रूप में यह सिद्ध नहीं करती थी कि राज्य में सरकार संविधान के अनुसार चलने में असफल हो गयी है। लेकिन जब यह विवाद सर्वोच्च न्यायालय पहुँचा तो उसने यह फैसला दिया कि राज्यपालों का फैसला, जो वास्तव में ग्रेस सरकार का फैसला था औचित्यपूर्ण था क्योंकि बर्खास्तगी का आधार “धर्म निरपेक्षता” था। जो भारतीय संविधान की मूल आत्मा है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि तीनों राज्यों की बी0जे0पी0 सरकारें अपना धर्म निरपेक्ष आचार खो चुकी थी। इसलिए उनका बना रहना संविधान की आत्मा के विपरीत था।

सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले से राज्यपाल को अपने औचित्य की शक्ति को सशक्त करने का और अवसर मिला और इसका एक नतीजा यह निकला कि मुख्यमंत्री, राज्यपालों की नियुक्ति से पूर्व अपनी पसंद और नापसंद की बात करने लगे।

मुख्यमन्त्रियों ने भी सरकारी आयोग का हवाला दिया। सरकारी अयोग ने अपनी सिफारिशों में कहा कि राज्यपाल अपने पद से सेवानिवृत्त होने के बाद किसी प्रकार की राजनीति में भाग नहीं लेगा। इस

सिफारिश को अंतर्राज्यपरिषद ने दिसम्बर 1991 में स्वीकार कर लिया। दूसरी सिफारिश यह थी कि राज्यपाल की नियुक्ति से पहले उस राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह ली जाये।

अक्सर यह देखा गया है कि राज्यपाल के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद राज्यपाल सक्रिय राजनीति में दाखिल हो गये, मुख्यमंत्री बनाये गये, चुनाव लडा और संसद सदस्य बने तथा अन्य लाभ के पदों पर नियुक्त किये गये। इसका नतीजा यह निकलता है कि राज्यपाल एक निष्पक्ष भूमिका अदा नहीं करते और परिणाम स्वरूप राज्यपाल और मुख्यमंत्री के मध्य खटास उत्पन्न होती है।

अभ्यास प्रश्न :

1. राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है ?
2. राज्यपाल की नियुक्त हेतु न्यूनतम आयु क्या हो?
3. राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता किस अनुच्छेद के तहत होती है?
4. भारत में एकात्मक शासन है या संघात्मक?
5. राज्य में मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है ?
6. राज्य में संवैधानिक प्रधान कौन होता है?
7. दलबदल विरोधी कानून सर्वप्रथम किस संवैधानिक संशोधन द्वारा बनाया गया?
8. अयोध्या का विवादित ढांचा 1992 में किस तिथि को गिराया गया ?

1.5 सारांश

भारत में संसदीय व्यवस्था है, केन्द्र में भी, राज्य में भी। राज्यों में कार्यपालिका दो भागों में विभक्त है- राज्यपाल जो नियुक्त है और मुख्यमंत्री जो निर्वाचित है। राज्यपाल केन्द्र का प्रतिनिधि है और राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है। लेकिन मुख्यमंत्री जनता का प्रतिनिधि है और विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। इसलिए मुख्यमंत्री राज्यपाल से अधिक महत्वपूर्ण है।

राज्यपाल की जो शक्तियाँ हैं वह संवैधानिक हैं लेकिन इन शक्तियों का प्रयोग राज्यपाल के नाम से मन्त्रिपरिषद करती है। इसलिए मुख्यमंत्री, मन्त्रिपरिषद का मुखिया होता है, इसलिए वह अधिक सशक्त है।

मन्त्रिपरिषद जो एक सामूहिक उत्तरदायित्व वाली संस्था है। मुख्यमंत्री इस संस्था को नेतृत्व करता है। राज्यपाल अपने विवेकाधीन शक्तियों के कारण शक्तिशाली भी है और विवादास्पद भी। अनुच्छेद-356 का प्रयोग करके अक्सर राज्यपाल को बदनामी मिली है।

सशक्त मुख्यमंत्री वह है जिसका व्यक्तित्व प्रभावशाली है। 30प्र0 के प्रथम मुख्यमंत्री पं० गोविंद वल्लभ पंत अदम्य साहस और अद्वितीय प्रतिभा से सम्पन्न व्यक्ति थे। वह एक कुशल वक्ता और कुशाग्र बुद्धि के धनी थे।

राज्यपाल बडी गरिमा का पद है। उदाहरण 30प्र0 की पहली राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू ने इस पद को गौरवान्वित किया है।

राज्य में मुख्यमंत्री के कार्य वही है जो केन्द्र में प्रधानमंत्री के। यद्यपि राज्य सरकार की वास्तविक शक्ति मंत्री परिषद में निहित है, लेकिन मुख्यमंत्री कार्यपालिका की केन्द्रीय धुरी है। वह समानों में प्रथम ही नहीं है, वरन राज्य शासन का मुख्य संचालक है।

1.6 शब्दावली

कन्वेंशन	परम्परा
रेमीशन	सजा को कम करना या उसका स्वरूप बदलना
रेपरीव	सजा माफ करना या टालना
डिसक्रीशन	छूट की स्वतंत्रता
रेस्पाइट	सजा में राहत देना

1.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

१. राष्ट्रपति २. ३५ वर्ष ३. अनुच्छेद ३५६ ४. संघात्मक ५. मुख्यमंत्री ६. राज्यपाल
७. ५२वे संवैधानिक संशोधन ८. ६ दिसम्बर

1.8 संदर्भ ग्रन्थ सूची

दुबे, एस0एन0	भारतीय संविधान और राजनीति
माहेश्वरी, श्रीराम	स्टेट गवर्नमेंट्स इन इण्डिया
पाण्डे, लल्लन बिहारी	दि स्टेट एक्जीक्यूटिव
पायली, एम0वी0	इण्डियाज कान्स्टीट्यूशन

1.9 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

भारतीय शासन एवं राजनीति	-	डॉ रूपा मंगलानी
भारतीय सरकार एवं राजनीति	-	त्रिवेदी एवं राय
भारतीय शासन एवं राजनीति	-	महेन्द्रप्रतापसिंह
भारतीय संविधान	-	ब्रज किशोर शर्मा
भारतीय लोक प्रशासन	-	बी.एल. फड़िया

1.10 निबंधात्मक प्रश्न

1. राज्यपाल और मुख्यमंत्री के सम्बन्धों की समीक्षा कीजिए।
2. राज्य में वास्तविक कार्यपालिका कौन है और उसका स्वरूप क्या है?
3. मंत्री परिषद क्या है? मुख्यमंत्री से उसके सम्बन्ध क्या है?
4. मुख्यमंत्री और व्यवस्थापिका के सम्बन्धों की विवेचना कीजिए।

इकाई-2 राज्य सचिवालय, मंत्रीमण्डलीय सचिवालय, मुख्य सचिव

इकाई की संरचना

2.0 प्रस्तावना

2.1 उद्देश्य

2.2 सचिवालय का अर्थ

2.2.1 सचिवालय की स्थिति और भूमिका

2.2.2 सचिवालय की संरचना

2.2.3 राज्य सचिवालय में संगठनात्मकता की प्रतिकृति

2.2.4 सचिवालय विभाग तथा कार्यकारिणी विभाग में अंतर

2.2.5 नीति और प्रशासन

2.2.6 नीति निर्माण और विधायन में प्रशासकों की भूमिका

2.2.7 सचिवालय समालोचना

2.3 मंत्रीमण्डलीय सचिवालय

2.4 मुख्य सचिव

2.5 सारांश

2.6 शब्दावली

2.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

2.8 संदर्भ ग्रन्थ सूची

2.9 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

2.10 निबंधात्मक प्रश्न

2.0 प्रस्तावना

सरकार के दो घटक होते हैं। राजनीति और प्रशासकीय दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। वह राजनीतिक घटक नीतियां बनाता है। नीतियों से सम्बन्धित कानून बनाता है निर्णय लेता है। प्रशासकीय घटक इन नीतियों निर्णयों और कानूनों को क्रियान्वित करता है। राजनीतिक घटक प्रशासकीय घटक की सहायता के बिना नीतियों और कानूनों का निर्माण नहीं कर सकता। जहाँ प्रशासकीय प्रक्रिया चलती है उसे सचिवालय कहा जाता है। इस इकाई में इसी राज्य सचिवालय की संरचना और कार्यों पर बहस की गयी है। यह समझाया गया है कि सचिवालय विभागीय पद्धति क्या है? तथा सचिवालय विभाग तथा कार्यकारिणी विभाग में अंतर क्या है? इसके अतिरिक्त राज्य प्रशासन में मुख्य सचिव की भूमिका स्थिति और कार्यों को भी समझाया गया है।

2.1 उद्देश्य

1. इस इकाई का अध्ययन करने के बाद राज्य सचिवालय का अर्थ महत्व और उसकी भूमिका समझ सकेंगे।
2. सचिवालय की सीधी संरचना को और राज्य सचिवालय में विभागीयकरण की पद्धति समझ पायेंगे।
3. सचिवालय विभाग मन्त्रिमण्डलीय सचिवालय तथा कार्यकारिणी विभाग के प्रमुख का अंतर समझ सकेंगे।
4. आपको शब्द नीति और प्रशासन के अर्थ समझ में आयेंगे और यह जान सकेंगे कि नीति और प्रशासन एक विवेकशील प्रक्रिया है या सत्त प्रक्रिया है।
5. राज्य सचिवालय व्यवस्था में मुख्य सचिव के महत्व को और उसकी भूमिका को समझ पायेंगे।

2.2 सचिवालय का अर्थ

राज्य स्तर पर शासन के तीन घटक होते हैं- मंत्री, सचिव तथा कार्यपालिका प्रमुख अंतिम को अक्सर निर्देशक कहा जाता है। मंत्री और सचिव मिलकर सचिवालय का निर्माण करते हैं। जबकि कार्यपालिका प्रमुख के कार्यालय को निदेशालय कहा जाता है।

शाब्दिक तौर पर सचिवालय का अर्थ है सचिव का कार्यालय। यह तब अस्तित्व में आया जब भारत में शासन सचिवों द्वारा चलाया जाता था। स्वतंत्रता के बाद शासन करने की शक्ति जनप्रतिनिधि मंत्रियों के हाथ में चली गयी और इस तरह मंत्रालय सत्ता का केन्द्र बन गया। नई परिस्थितियों में शब्द सचिवालय मंत्री के कार्यालय का पर्यायवाची बन गया है। क्योंकि मंत्री को सलाह देने का कार्य सचिव करता है इसलिए मंत्रालय में मंत्री के बाद सचिव प्रमुख होता है और अपने स्थाई चरित्र के कारण वह अधिक महत्वपूर्ण होता है। सरल शब्दों में सचिवालय वह भवन है जिसमें मंत्री और सचिव के कार्यालय होते हैं। मंत्री राजनीतिक प्रमुख होता है और सचिव प्रशासकीय प्रमुख।

2.2.1 सचिवालय की स्थिति और भूमिका

राज्य प्रशासन की सर्वोच्च सतह की हैसियत से सचिवालय का कार्य नीति निर्माण में राज्य सरकार की सहायता करना तथा विधायनी कार्यों में उसे सहयोग करना है। प्रशासकीय सुधार आयोग ने राज्य प्रशासन पर अपनी जो रिपोर्ट दी है वह इस प्रकार है -

- (क) नीति निर्माण समय-समय पर नीतियों के संशोधन तथा विधायनी उत्तरदायित्वों के निर्वाह में सचिवालय सहायता प्रदान करे।
- (ख) विधायन, नियमों और अधिनियमों का प्रारूप तैयार करे।
- (ग) नीतियों और योजनाओं में समन्वय स्थापित करे, उनके क्रियान्वन पर नजर रखें, तथा परिणामों की समीक्षा करे।
- (घ) बजट तैयार करे और व्यय को नियन्त्रित करे।
- (ङ) भारत सरकार तथा अन्य राज्य सरकारों से सम्पर्क बनाये रखे।
- (च) प्रशासकीय तंत्र के संचालन पर पैनी नजर रखे तथा कार्यकर्ता वर्ग की योग्यता तथा दक्षता को विकसित करे।

नीति निर्माण तथा नीति क्रियान्वन दो अलग पहलू हैं। इनको एक दूसरे से पृथक रहना चाहिए। यह प्रशासकीय दर्शन का मूल मंत्र है। यदि ऐसा होता है तो उसके अनेक लाभ हैं:-

1. यदि नीति निर्माण उपकरण, नीति क्रियान्वयन से पृथक रहता है तो नीति निर्माण की प्रक्रिया शासन के वृहत लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर अग्रसर होती है न कि संकुचित, वर्गीय हितों की ओर।

2. नीति निर्माण के लिए समय चाहिए। यदि नीति निर्माण और उसका क्रियान्वयन एक ही हाथ में होगा तो नीति निर्माण प्रक्रिया में विलम्ब होगा। नीति निर्माण का सम्बन्ध भावी योजनाओं से है लेकिन इस पर ध्यान न देकर दिन-प्रतिदिन के कामों पर ध्यान अधिक लगाना राज्य के लिए हानिकारक होता है।

3. सचिवालय, मंत्री का एक निष्पक्ष परामर्शदाता है। सचिव शासन का सचिव है न कि मंत्री का। वह मंत्री के हितों को ध्यान में न रखकर, राज्य के हितों को ध्यान में रखता है। सचिवालय से जो प्रस्ताव आये वे दूरगामी परिणामों के होते हैं। इसलिए प्रस्तावों को संतुलित होना चाहिए।

4. नीति निर्माण तत्कालीन प्रशासन से पृथक होना चाहिए तथा दिन प्रतिदिन का कार्य अन्य निकायों पर छोड़ना चाहिए। इस से सत्ता हस्तान्तरण निश्चित होता है।

यहाँ सचिवालय की वृहत भूमिका को समझना अनिवार्य है:-

(अ) सचिवालय की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका नीति-निर्माण में है। यह मन्त्रियों को सरकारी नीतियों के निर्माण में सहायता प्रदान करता है। ऐसा वह दो तरीके से करता है: प्रथम, सचिव नीति निर्माण के लिए अनिवार्य आंकड़ों और सूचना उपलब्ध कराता है। दूसरे, सचिव मन्त्रियों के सामने उन योजनाओं को रखता है जिनके वायदे मन्त्रियों ने जनता से किये थे। वह इन योजनाओं का पूरा प्रारूप तैयार करता है।

(आ) सचिवालय मन्त्रियों को उनके विधायनी कार्यों में सहायता प्रदान करता है। विधायन के प्रारूप जो मंत्री व्यवस्थापिका के पटल पर रखते हैं, सचिवों के द्वारा तैयार किये जाते हैं।

(इ) व्यवस्थापिका में प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मन्त्रियों को जो सूचना चाहिए, सचिव ऐसी तार्किक सूचनाओं से मन्त्रियों को अवगत कराता है। सचिव उन सूचनाओं को भी उपलब्ध कराता है जो व्यवस्थापिका की समितियाँ चाहती हैं।

(ई) सचिवालय एक संस्थागत स्मरण शक्ति (मेमोरी) के रूप में काम करता है। इसका अर्थ है कि पैदा होने वाली समस्याओं का परीक्षण साक्ष्यों की रौशनी में करना। सचिवालय में जो दस्तावेज और फाइलें सुरक्षित होती हैं, वे संस्थागत स्मरण शक्ति का काम करती हैं और किसी मामले के निबटारे में सहायता प्रदान करती हैं।

(उ) सचिवालय एक सरकार तथा दूसरी सरकार के मध्य सूचना एवं संचार माध्यम है। यह एक सरकार तथा योजना आयोग और वित्त आयोग के मध्य भी ऐसा ही माध्यम है।

(ऊ) अंत में सचिवालय नीति निर्माण के क्रियान्वयन का मूल्यांकन करता है और क्रियान्वयन को क्षेत्रीय निकायों के माध्यम से संचालित करता है।

15.2.2 सचिवालय की संरचना

सीधे रूप में (लम्बात्मक) किसी सचिवालय विभाग की दो प्रकार की पद सोपानीय बनावट होती है। एक पदाधिकारी तथा कार्यालय।

पदाधिकारी:-

पारम्परिक रूप में अधिकारियों की पदसोपानीय व्यवस्था के तीन स्तर होते हैं। इसके अन्तर्गत, विशिष्ट रूप से एक प्रशासकीय प्रमुख के अन्तर्गत होता है। जिसे सचिव कहते हैं। सचिव की सहायता के लिए उप-सचिव तथा सहायक सचिव होते हैं। क्योंकि विभिन्न सचिवालय विभागों का काम बढ गया है, इसलिए सचिव और उपसचिव के मध्य, कुछ राज्यों में, अतिरिक्त सचिव और संयुक्त सचिव भी होते हैं।

कार्यालय:-

भारत में सचिवालय पद्धति की एक विशेषता यह है कि कार्यालय के दो भाग होते हैं। पहले उच्चतर अधिकारियों का एक संक्रमण (आने जाने वाला) संवर्ग (पदाधिकारियों का समूह) तथा स्थायी कार्यालय। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक विभाग में उच्च प्रशिक्षित पदाधिकारी आते जाते रहते हैं, लेकिन कार्यालय स्थायी कर्मचारियों से सम्पन्न होता है। यह कार्यालय सचिवालय विभाग की निरन्तरता को बनाये रखता है। कार्यालय में अधीक्षक या अनुभाग अधिकारी, सहायक, उच्चतर और निम्नतर खण्ड लिपिक, स्टेनों टाइपिस्ट (और सम्पूर्ण कम्प्यूटर नेटवर्क में प्रशिक्षित सेवी वर्ग) इत्यादि आते हैं। कार्यालय अधिकारियों को वह सामग्री जुटाता है जो नीति निर्माण के लिए आवश्यक होती हैं। वह क्रियान्वयन का कार्य दिन - प्रतिदिन के हिसाब से निबटाता है।

सचिवालय के एक विभाग की संगठनात्मक संरचना निम्न प्रकार की होती है:-

विभाग	-	सचिव
खण्ड	-	अतिरिक्त /संयुक्त सचिव
मुख्य विभाग	-	उप सचिव/निदेशक
कार्यालय	-	सह सचिव
अनुभाग	-	अनुभाग अधिकारी

(अंग्रेजी में डिपार्टमेंट, विंग, डिवीजन, ब्रांच सेक्शन)

अनुभाग सब से निचली संगठनात्मक इकाई है जो अनुभाग अधिकारी के अन्तर्गत रहती है। अनुभाग में सहायक, लिपिक, टाइपिस्ट, कम्प्यूटर संचालक आते हैं। वास्तव में अनुभाग ही कार्यालय है। दो अनुभागों से ब्रांच बनती है यह एक सह सचिव के अंतर्गत होती है। दो ब्रांचो से एक डिवीजन या मुख्य विभाग बनता है जो उप सचिव के अंतर्गत आता है। जब एक विभाग का काम बढ जाता है तब कई खण्ड या विंग बनाये जाते हैं जो अतिरिक्त सचिव या संयुक्त सचिव के अन्तर्गत होते हैं। संगठनात्मक पदसोपान पर सचिव होता है जो विभाग का कार्यभार संभालता है।

15.2.3 राज्य सचिवालय में संगठनात्मकता की प्रतिकृति

1. सामान्य प्रशासन विभाग
2. गृह विभाग
3. राजस्व विभाग
4. खाद्य एवं कृषि विभाग
5. वित्त और योजना विभाग (योजना खण्ड)
6. वित्त और योजना विभाग (वित्त खण्ड)
7. विधि विभाग
8. सिंचाई और विद्युत विभाग
9. चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग
10. शिक्षा विभाग
11. उद्योग विभाग
12. व्यवस्थापिका विभाग
13. पंचायत राज्य विभाग
14. नियंत्रक क्षेत्र विकास विभाग
15. परिवहन, सडक और भवन विभाग
16. आवास और नगरपालिका प्रशासन तथा शहरी विकास विभाग
17. श्रम, रोजगार और तकनीकी शिक्षा विभाग
18. सामाजिक कल्याण विभाग
19. वन एवं ग्रामीण विकास विभाग

2.2.4 सचिवालय विभाग तथा कार्यकारिणी विभाग में अंतर

सचिवालय विभागों को कार्यकारिणी विभागों से अलग करके देखा जाना चाहिए। सचिवालय का कार्य राजनीतिक कार्यकारिणी को उसके कार्यों में सहायता करना तथा परामर्श देना है। कार्यकारिणी विभागों के अध्यक्ष जिनको निदेशक कहा जाता है, राजनीतिक कार्यकारिणी द्वारा निर्मित नीतियों को क्रियान्वित करते हैं। दूसरे शब्दों में सचिव नीति निर्माण में सहायता करता है और निदेशक नीति क्रियान्वयन में।

प्रत्येक सचिवालय विभाग के अन्तर्गत अनेक कार्यकारिणी विभाग आते हैं। लेकिन यहाँ यह याद रखना होगा कि सभी सचिवालय विभागों में कार्यकारिणी विभाग नहीं आते हैं। कुछ सचिवालय विभागों का सम्बन्ध केवल परामर्शदाता तथा नियन्त्रक के रूप में होता है। उदाहरण के लिए कानून और वित्त विभाग ऐसे ही हैं।

सचिवालय विभाग तथा कार्यकारिणी विभाग जिनका उद्देश्य नीति निर्माण तथा नीति क्रियान्वयन से होता है, वास्तव में मन्त्रिपरिषद के व्यक्तित्व का विस्तार है। दूसरे अर्थों में यह दोनों मन्त्रियों का

मस्तिष्क और हाथ है। मन्त्रिपरिषद इनके माध्यम से सोचता है और निर्णय लेता है तथा इनके माध्यम से अपनी नीतियों को क्रियान्वित कराता है।

सचिवालय विभाग के मुखिया सेवी वर्ग (आई०ए०एस०) के होते हैं जबकि कार्यकारिणी विभाग के प्रमुख विशिष्ट होते हैं। अर्थात् विशिष्ट प्रमुख सामान्य प्रमुखों के निरीक्षण में काम करते हैं। दूसरे शब्दों में निदेशक सचिव के निरीक्षण में कार्य करता है। उदाहरण के लिए उत्तराखण्ड में शिक्षा निदेशक जो शिक्षा में विशिष्ट होता है सचिव के निरीक्षण में काम करता है जो आई०ए०एस० होता है।

2.2.5 नीति और प्रशासन

हम सचिवालय तथा निदेशालय की स्पष्ट भूमिका के बारे में लिख चुके हैं। दोनों एक दूसरे से पृथक हैं। अब सवाल यह उठता है कि वास्तव में क्या दोनों एक दूसरे से पृथक हैं। उत्तर यह कि अवधारणात्मक स्तर पर वे एक दूसरे से पृथक हैं। दोनों को स्पष्ट घटनाक्रम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। लेकिन व्यावहारिक स्तर पर नीति और प्रशासन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वास्तव में यह कहना कठिन है कि कहाँ नीति का अन्त होता है और कहाँ से प्रशासन का आरम्भ।

नीति का सम्बन्ध राजनीतिक चुनावों से होता है और वह वृहत् मूल्यों के इर्द-गिर्द घूमती है, जबकि प्रशासन का सम्बन्ध कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से है। अतः प्रशासन क्रियान्वयन की समीक्षा, संगठनात्मक संरचनाओं के निर्माण, संगठन में भर्ती, क्रियाओं में समन्वय, निदेशन, नियन्त्रण और प्रोत्साहन से सम्बन्धित है।

प्रशासन प्रशासकों का दायरा है जो उन नीतियों को क्रियान्वित करते हैं जो कानून में निहित हैं। एक अवधारणा यह है कि राजनीति प्रशासन से परे होनी चाहिए। मेक्स बेबर ने नीति और प्रशासन के पृथकता के औचित्य को स्वीकार किया है। उसका तर्क है कि राजनीतिज्ञों के उत्तरदायित्व सेवी वर्ग के उत्तरदायित्वों से पृथक होते हैं। राजनीति का सार है एक बात पर जमे रहना, नीतियों की वैयक्तिक जिम्मेदारी लेना और राजनीतिक भूमिका अदा करना। प्रशासन का सार है राजनीतिक सत्ता के आदेश का विवेकपूर्ण क्रियान्वयन, भले ही वह प्रशासक को गलत लगे। प्रशासक राजनीतिक तौर पर तटस्थ रहता है। वह, उन कार्यों को करता है जो उससे करने को कहा जाता है।

फिर भी शासकीय विषमताओं के कारण प्रशासकों को नीति निर्माण या राजनीतिक निर्णयों में सम्मिलित होना पड़ता है। इसलिए व्यावहारिक रूप से नीति और प्रशासन में स्पष्ट विभाजन रेखा खींचना कठिन है। इसके मुख्य कारण हैं: 1. प्रशासक अपने कार्य में दक्ष होते हैं जिसका प्रयोग नीति निर्माण में राजनीतिज्ञ करते हैं क्योंकि प्रशासक स्थायी होते हैं, इसलिए वह समस्याओं को अच्छी

तरह समझते हैं। राजनीतिज्ञ आते जाते रहते हैं, इसलिए प्रशासकों पर निर्भर करते हैं। अतः प्रशासकों का अपना महत्व है।

2. इसके अतिरिक्त प्रशासक तथ्यों, आंकड़ों और सूचनाओं से सम्पन्न होते हैं। एक विशेष क्षेत्र में उनकी बुद्धि कुशाग्र और पैनी होती है। राजनीतिज्ञों को नीति निर्माण के लिए आंकड़े और तथ्य चाहिए होते हैं।

3. सरकारें, डाक्टरों, इंजीनियरों, वैज्ञानिकों तथा अर्थशास्त्रियों को भी प्रशासक नियुक्त करती हैं जो सरकारों को अपना ज्ञान और दक्षता प्रदान करते हैं। वे तकनीकी ज्ञान प्रदान करते हैं।

4. प्रशासक योग्यता के आधार पर चुनकर आते हैं। इसलिए उनका महत्व राजनीतिज्ञों से अधिक होता है और वे नीति निर्माण का एक अभिन्न अंग बन जाते हैं।

2.2.6 नीति निर्माण और विधायन में प्रशासकों की भूमिका -

सेवी वर्ग की दक्षता में वृद्धि, सरकारी कार्यों में बढोत्तरी तथा प्रशासकीय जटिलता ने राजनीतिज्ञों को पूरी तरह प्रशासकों पर निर्भर कर दिया है। वे नीति निर्माण में बिना प्रशासकों की सहायता के एक कदम भी आगे नहीं चल सकते। इसके अनेक कारण हैं -

1. नीति निर्माण तथ्यों, आंकड़ों, सूचनाओं इत्यादि के आधार पर होता है। यह नौकरशाही द्वारा उपलब्ध कराये जाते हैं। इसके लिए राजनीतिज्ञ प्रशासकों पर निर्भर रहते हैं।

2. सेवी वर्ग अपने प्रशासकीय अनुभव के आधार पर अनुभवहीन राजनीतिज्ञों को प्रशासकीय, तकनीकी और वित्तीय सम्बन्धी परामर्श देता है जो नीति निर्माण के व्यावहारिक पहलू हैं।

3. सेवी वर्ग विधायन (विधेयक) का प्रारूप तैयार करते हैं। मन्त्रालय की स्वीकृति के बाद यह विधेयक व्यवस्थापिका के पटल पर उसकी स्वीकृति के लिए रखे जाते हैं। अर्थात् नीति निर्माण या विधायन की पहल प्रशासक ही करते हैं।

4. प्रशासकों के पास विवेक के प्रयोग की स्वतंत्रता होती है। कहाँ किस रूप में और किसे किसी बात को चुनने का अधिकार प्रशासक को है। इस तरह प्रशासक अतिरिक्त विधि निर्माता होते हैं। राजनीतिज्ञों को तथा व्यवस्थापिका को प्रशासकों के फैसले को मानना पड़ता है। विधायन का कार्य बड़ा तकनीकी होता है और यह तकनीकी ज्ञान केवल दक्ष प्रशासकों को ही होता है। अतः राजनीतिज्ञों का प्रशासकों पर निर्भर रहना एक मजबूरी है। दूसरे कब, कहाँ और किस स्थिति में कानूनों को लागू करना होता है, यह भी प्रशासक की विवेक की शक्ति पर निर्भर है। अतः यहाँ यह कहना उचित होगा कि राजनीतिज्ञ तो नीतियों की मात्र रूप - रेखा तैयार करते हैं, वास्तविक नीति निर्माता और विधि निर्माता प्रशासक ही हैं।

2.2.7 सचिवालय: समालोचना-

वर्तमान समय में सचिवालय की अनेक बिंदुओं पर आलोचना हुई है। विचारात्मक दृष्टि से सचिवालय का औचित्य है। यह श्रम विभाजन को प्रोत्साहित करता है। श्रम का विशिष्टीकरण होता

हायह निति निर्माण और निति क्रियान्वयन को पृथक करता है, जिससे केन्द्रीयकरण हतोत्साहित होता है।

लेकिन व्यवहार में कहानी कुछ और है। सिद्धान्त और व्यवहार में अन्तर है। सचिवालय के आचरण से सचिवालय और निदेशालय में तनाव पैदा होता है। तनाव के कारण अनेक हैं -

1. सचिवालय का रूख विस्तारवादी है। अर्थात् यह उन कार्यों को करता है जो इसके नहीं है। यह मात्र नीति निर्माण तक सीमित नहीं रहता है। यह क्रियान्वयन में भी हस्तक्षेप करता है। इससे क्रियान्वयन अभिकरणों की सत्ता कमजोर होती है।

2. सचिवालय सत्ता का हस्तान्तरण करने से हिचकिचाता है। परिणाम स्वरूप नीति क्रियान्वयन में विलम्ब होता है। सारा समय सचिवालय से परामर्श करने और स्वीकृति प्राप्त करने में लग जाता है।

3. कार्यकारिणी विभागों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों की जाँच सचिवालय में लिपिक स्तर पर होती है, जो विलम्ब का कारण होता है। यह अनावश्यक है क्योंकि जाँच निदेशालय स्तर पर अच्छी तरह होती है।

4. सामान्यज्ञों (जेनरलिस्ट) द्वारा, विशेषज्ञों (स्पेशलिस्ट) पर नजर रखना, उनके प्रस्तावों का निरीक्षण करना इस दौर में अतार्किक है।

इस स्थिति ने सचिवालय को शासकीय सत्ता का केन्द्र बना दिया है। जिसकी वजह से सचिवालय तथा निदेशालय में तनाव बना रहता है। लेकिन सचिवालय को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। उसके पक्ष में भी अनेक तर्क दिये जा सकते हैं -

1. लोक प्रशासकीय व्यवस्था में सचिवालय एक अनिवार्य संस्था है। अपनी दुर्बलताओं के बावजूद सचिवालय ने प्रशासन को संतुलन, स्थायित्व और निरन्तरता प्रदान की है। वह मन्त्रालय तन्त्र का केन्द्रीय बिन्दु है। उसके माध्यम से अन्तःमन्त्रालय समन्वय पैदा होता है, जो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायित्व के लिए अनिवार्य है।

2. सचिवालय व्यवस्था नीति निर्माण को, नीति क्रियान्वयन से पृथक करने में सहायता करती है। इसने श्रम विभाजन, विशिष्टीकरण और सत्ता के हस्तान्तरण को सुलभ किया है।

3. सचिवालय ने स्वयं को नीति क्रियान्वयन से मुक्त रखा है, उसके पास राज्य के बृहत हितों की पूर्ति के लिए दूरदर्शी कार्यक्रम तैयार करने का पर्याप्त समय होता है।

4. मन्त्री नीति निर्माण के तकनीकी पहलुओं से अनभिज्ञ होता है। पूरी तरह सचिवों पर निर्भर रहता है जो उसको तार्किक वस्तुगत परामर्श देते हैं। इस तरह मन्त्री विशेषज्ञ के चंगुल से बच जाता है।

5. सचिवालय उन कार्यक्रमों का वस्तुगत मूल्यांकन करता है, जो क्षेत्रों में क्रियान्वित होते हैं। यह कार्यकारिणी संस्थाओं पर नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि जो कार्य वे करती है, उनका समीक्षक उन्हें नहीं बनाया जा सकता।

6. कुल मिलाकर सचिवालय एक उपयोगी संस्था है। इसने समय की मांग को पूरा किया है। सचिवालय का स्थान कोई संस्था नहीं ले सकती। सचिवों की सेवा अवधि के स्थायित्व ने इस संस्था को शक्ति, तेजस्विता और गतिशीलता प्रदान की है।

2.3 मन्त्रिमण्डलीय सचिवालय

सचिवालय और मन्त्रिमण्डल के मध्य के कार्यालय को मन्त्रिमण्डलीय सचिवालय कहा जाता है। यह एक कर्मचारी (स्टाफ) समूह है जिसकी नीति निर्माण की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण समन्वयक की भूमिका होती है। यह मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में कार्य करता है। मुख्यमंत्री तथा अन्य मन्त्रियों के निजी सचिव और उनके कार्यालय इसका निर्माण करते हैं। मन्त्रिमण्डलीय सचिवालय की परम्परा सर्वप्रथम 1948 में पड़ी जब केन्द्रीय कैबिनेट ने आर्थिक और सांख्यिकी समन्वय इकाई को केन्द्रीय कैबिनेट का एक अंग बना दिया है। इसका उद्देश्य विभिन्न मन्त्रालयों, विभागों से तत्कालीन सांख्यिकी इकाइयों से संबन्धित सूचना एकत्रित करके समय-समय पर कैबिनेट के सामने रखना था। इसका कार्य विभिन्न मन्त्रालयों के कार्यालयों को समन्वित करके परामर्श देना भी था।

मन्त्रिमण्डल की सक्षमता बहुत कुछ हद तक मन्त्रिमण्डलीय सचिवालय की कार्यकुशलता पर निर्भर करती है। इसका मुख्य कार्य कैबिनेट की नीतियों के लिए एक अर्थपूर्ण कार्यक्रम (एजेन्डा) तैयार करना होता है तथा तार्किक कार्यवाही के लिए अनिवार्य सूचना तथा सामग्री प्रदान करना होता है। इसके साथ ही इसका कार्य कैबिनेट और समितियों की बहसों और निर्णयों का लेखा जोखा रखना भी होता है।

मन्त्रिमण्डलीय सचिवालय, मन्त्रिमण्डल और राज्यपाल के मध्य एक संवाद माध्यम है। वह सभी मन्त्रालयों से संबन्धित कार्यक्रम तय करता है तथा उन्हें मन्त्रालयों को आवंटित करता है। इसके अतिरिक्त मन्त्रिमण्डलीय सचिवालय कैबिनेट समितियों को कार्यालयी सहायता प्रदान करता है।

संसदीय व्यवस्था में समितियों (कमेटीज़) का बड़ा महत्व है। यह समितियाँ अन्तः मन्त्रालयों के मामलों की समीक्षा करती हैं और उसके नतीजों से शासन को अवगत कराती हैं। मन्त्रिमण्डलीय सचिव इन समितियों की अध्यक्षता करता है तथा लिये गये निर्णयों की सिफारिश सरकार से करता है।

2.4 मुख्य सचिव

प्रत्येक राज्य में एक मुख्य सचिव होता है। यह अधिकारी राज्य सचिवालय का केन्द्रीय बिन्दु होता है। यह सचिवालय के सभी विभागों को नियन्त्रित करता है। यह मात्र समानों में प्रथम ही नहीं है, यह सचिवों के प्रमुख है। राज्य प्रशासन में उसकी विभिन्न भूमिकाएं हैं और यही उसकी सर्वोच्च स्थिति निश्चित करती है।

मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री और राज्य कैबिनेट सचिव का परामर्शदाता होता है। वह सामान्य प्रशासन विभाग का मुखिया होता है। जिसका राजनैतिक मुखिया मुख्यमंत्री होता है। राज्य प्रशासन में इसकी

स्थिति अद्वितीय है। राज्य में जो कार्य वह करता है, केन्द्र में वही काम समान स्तर के तीन प्रमुख करते हैं अर्थात् कैबिनेट सचिव, गृह सचिव तथा वित्त सचिव, मुख्य सचिव राज्य में सेवी वर्ग का भी प्रमुख है। वह राज्य सरकार, केन्द्र तथा अन्य राज्य सरकारों के मध्य संचार माध्यम है। वह सरकार का प्रमुख प्रवक्ता है। वह राज्य प्रशासकीय व्यवस्था को नेतृत्व प्रदान करता है। पूरी प्रशासकीय व्यवस्था में उसके स्तर का कोई अधिकारी नहीं होता है।

यहाँ एक विशेष बात यह है कि मुख्य सचिव, कार्यकाल की अवधि से मुक्त है। वह या तो मुख्य सचिव की हैसियत से सेवा निवृत्त होगा या फिर यहाँ से केन्द्रीय शासन में अधिक महत्वपूर्ण पद पर जायेगा।

एक और बात को भी याद रखना होगा। यह आवश्यक नहीं है कि इस पद पर सर्वाधिक वरिष्ठ सेवी वर्ग का अधिकारी ही तैनात किया जाये। 1973 तक यही स्थिति थी। राजनीतिक पसंद इस पद का मापदण्ड था। अब स्थिति यह है कि केन्द्रीय स्तर का अधिकारी ही इस पर पहुंचता है और उसको वेतन भी भारत सरकार के सचिव के बराबर मिलता है।

यहाँ यह सवाल भी उठता है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाने के बाद मुख्य सचिव की हैसियत क्या होती है? जहाँ राष्ट्रपति शासन के दौरान केन्द्र सलाहकार नियुक्त नहीं करता है वहाँ मुख्य सचिव के पास वे सारी शक्तियाँ होती है जो मुख्य मंत्री की होती हैं। लेकिन सलाहकार नियुक्त हो जाते हैं तो मुख्य सचिव अपनी प्रशासकीय हैसियत में काम करता है, क्योंकि सलाहकार वरिष्ठ सेवी वर्ग के अधिकारी होते हैं।

2.4.1 मुख्य सचिव के कार्य

मुख्य सचिव के प्रमुख कार्य निम्न है:-

1. मुख्य सचिव मुख्यमन्त्री का मुख्य सलाहकार है। इस स्थिति में वह मंत्रियों द्वारा तय किये गये प्रस्तावों को संयोजित करके उनके प्रशासकीय नतीजों पर काम करता है।
2. मुख्य सचिव, कैबिनेट का सचिव है और इस हैसियत से वह कैबिनेट की मीटिंग का एजेन्डा तैयार करता है, उनकी व्यवस्था करता है, इन मीटिंगों के रिकार्ड सुरक्षित रखता है, यह निश्चित करता है कि मीटिंग के फैसलों पर अमल हो और वह कैबिनेट समितियों की सहायता करता है।
3. मुख्य सचिव सिविल सेवा का राज्य में मुखिया है। इस हैसियत से वह सिविल सेवा के अधिकारी को तैनाती तथा स्थानान्तरण सुनिश्चित करता है।
4. मुख्य सचिव अपनी शक्तिशाली स्थिति के कारण सचिवालय विभागों का मुख्य समन्वयक बन जाता है। वह अंतर - विभागों में सहयोग और समन्वय स्थापित करता है। इस उद्देश्य के लिए वह सचिवालय तथा अन्य स्तरों पर बैठकें बुलाता है और उनकी अध्यक्षता करता है। बैठकों के माध्यम से वह विभिन्न अभिकरण के मध्य सहयोग और समन्वय स्थापित करता है।

5. सचिवों के प्रमुख की हैसियत से मुख्य सचिव अधिकांश समितियों की अध्यक्षता करता है और उनकी सदस्यता ग्रहण करता है। इसके अतिरिक्त वह उन सभी मामलों पर जो अन्य सचिवों के क्षेत्राधिकार में नहीं आते हैं, उनकी देख-रेख भी करता है। इस अर्थ में मुख्य सचिव अवशेष वारिस है।

6. मुख्य सचिव, बारी बारी से, जोनल परिषद का सदस्य होता है यदि राज्य उस परिषद का सदस्य हो।

7. वह सचिवालय भवनों पर पूरा नियन्त्रण रखता है और कौन सा स्थान किसको आवंटित करना है, यह तय करता है। वह केन्द्रीय अभिलेख खण्ड, सचिवालय, पुस्तकालय तथा आरक्षित स्थानों पर नजर रखता है। मन्त्रियों से सम्बन्धित सेवी वर्ग पर भी नियन्त्रण रखता है।

8. संकट के समय मुख्य सचिव राज्य के स्नायू केन्द्र का काम करता है। वह संकट से सम्बन्धित अभिकरणों को नेतृत्व और मार्ग दर्शन देता है ताकि वह संकटों का सामना करके समाधान खोज सके। यह स्वीकार करना होगा सूखा, बाढ़ या साम्प्रदायिक दंगों के समय वह वास्तव में सरकार का प्रतिनिधित्व करता है और सम्बन्धित अभिकरणों के माध्यम से राहत पहुँचाता है।

9. संक्षेप में मुख्य सचिव राज्य का व्यस्ततम अधिकारी है। प्रशासकीय सुधार आयोग ने मुख्य सचिव की इस प्रकार की व्यस्त शैली को आनावश्यक बताया है। उसने लिखा “यह दुर्भाग्य की बात है कि राज्य का सर्वोच्च अधिकारी नियुक्तियों के गजेट नोटिफिकेशन पर हस्ताक्षर करता है, पदोन्नतियों, स्थानान्तरणों अवकाश पर गौर करता है।” अतः मुख्य सचिव को इन कार्यों से मुक्ति मिलनी चाहिए।

- अभ्यास प्रश्न-1. मन्त्रिमण्डलीय सचिवालय की परंपरा सर्वप्रथम 1948 में पड़ी. सत्य/असत्य
2. मैक्स बेबर ने नीति और प्रशासनके पृथकता के औचित्य को स्वीकार किया है. सत्य/असत्य
3. सचिवालय वह भवन है जिसमे मंत्री और सचिव के कार्यालय होते हैं. सत्य/असत्य
4. मंत्री राजनीतिक प्रमुख होता है और सचिव प्रशासनिक प्रमुख. सत्य/असत्य
5. सचिव शासन का सचिव है न की मंत्री का . सत्य/असत्य
6. अनुभाग सबसे निचली संगठनात्मक इकाई है जो अनुभाग अधिकारी के अंतर्गत रहती है. सत्य/असत्य

2.5 सारांश

शब्द सचिवालय का अर्थ है ऐसे विभागों का भवन, जो राजनीतिक स्तर पर मंत्रियों और प्रशासन के स्तर पर मंत्रियों और प्रशासन के स्तर पर सचिवों के अधीनस्थ होते हैं। सचिव मंत्रियों को उनकी नीति निर्माण तथा विधायनी कार्यों में सहायता करते हैं।

संगठनात्मक तौर पर कार्यकारिणी विभागों के अध्यक्ष या प्रभारी पृथक एवं विशिष्ट प्रशासकीय इकाईयों का निर्माण करते हैं, जो पदसोपानीय दृष्टि से सचिवालय विभागों के अधीन होते हैं।

अधिकांशतः कार्यकारिणी विभागों को निदेशालय कहा जाता है और उनके प्रमुखों को निदेशक कहा जाता है। निदेशालय नीति को क्रयान्वित करते हैं। प्रत्येक सचिवालय अनेक निदेशालय के प्रभारी होते हैं।

मुख्य सचिव राज्य के प्रशासकीय ढांचे के प्रमुख की हैसियत से प्रशासन को नेतृत्व प्रदान करता है तथा कार्यों में समन्वय लाता है। यह अधिकारी राज्य सचिवालय का स्नायू केन्द्र है।

2.6 शब्दावली

डिपार्टमेंट	विभाग
इण्टर आलिय	अन्य बातों के अतिरिक्त
स्पेडवर्क	दिन-प्रतिदिन का काम
रेसीहुअल लेगाटी	वे मामले जो अन्य सचिवों के क्षेत्राधिकार में नहीं आते और मुख्य सचिव उनका निष्पादन करता है।

2.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. सत्य 2. सत्य 3. सत्य 4. सत्य 5. सत्य 6. सत्य

15.8 संदर्भ ग्रन्थ सूची

अवस्थी ए	केन्द्रीय प्रशासन
महेशवरी, एस.आर.	भारतीय प्रशासन
महेशवरी, एस.आर.	स्टेट गवर्नमेन्ट इन इण्डिया

2.9 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

भारतीय शासन एवं राजनीति	-	डॉ रूपा मंगलानी
भारतीय सरकार एवं राजनीति	-	त्रिवेदी एवं राय
भारतीय शासन एवं राजनीति	-	महेन्द्रप्रतापसिंह
भारतीय संविधान	-	ब्रज किशोर शर्मा
भारतीय लोक प्रशासन	-	बी.एल. फड़िया

2.10 निबंधात्मक प्रश्न

- 1-सचिवालय का अर्थ 500 शब्दों में समझाइये।
- 2-सचिवालय की स्थिति और भूमिका 500 शब्द लिखिये
- 3-सचिवालय को संरचना पर 500 शब्द लिखे।
- 4-सचिवालय विभाग तथा कार्यकारिणी विभाग का अन्तर 500शब्दों में लिखे।
- 5-नीति और प्रशासन में सम्बन्ध क्या है? 500 शब्द लिखे।

इकाई-3 राज्य योजना आयोग

इकाई की संरचना

- 3.0 प्रस्तावना
- 3.1 उद्देश्य
- 3.2 राज्य योजन आयोग की संरचना
 - 3.2.1 राज्य योजना आयोग का उद्देश्य/कार्य
 - 3.2.2 राज्य योजना आयोग द्वारा किये गये कार्य
- 3.3 उत्तराखण्ड की वर्तमान आर्थिक-सामाजिक स्थिति
- 3.4 उत्तराखण्ड की 2010-11 की वार्षिक योजना पर एक नज़र
- 3.5 योजना आयोग की उपलब्धियां और लक्ष्य
- 3.6 योजना और आर्थिक विकास: सुझाव
- 3.7 सारांश
- 3.8 शब्दावली
- 3.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 3.10 संदर्भ ग्रन्थ सूची
- 3.11 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री
- 3.11 निबंधात्मक प्रश्न

3.0 प्रस्तावना

भारत में नियोजित आर्थिक विकास 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना से आरंभ होता है। नियोजित आर्थिक विकास का दृष्टिकोण एम0 विश्वेश्वरय्या ने अपनी पुस्तक 'प्लान्ड एकोनामी फार इण्डिया' में 1934 में रखा था। बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1938 में 'नेशनल प्लानिंग कमेटी' की स्थापना की। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च, 1950 में की गयी। यहाँ यह याद रखना होगा कि योजना आयोग का कोई उपबन्ध संविधान में नहीं है। अर्थात् योजना आयोग एक परा संवैधानिक संस्था है। यह एक सलाहकारी संगठन है। इसके प्रारम्भिक कार्य देश के आर्थिक विकास से सम्बन्धित तार्किक परामर्श देना तथा आर्थिक तत्वों का निष्पक्ष विश्लेषण करना है। यह सब कुछ देश के संसाधनों को ध्यान में रखकर किया जाता है।


राज्यों में भी केन्द्र के आधार पर राज्य योजना आयोग बनाये गये हैं। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय योजना आयोग की सिफारिश पर उत्तर प्रदेश राज्य में 1972 में राज्य आयोग की, मुख्यमन्त्री की अध्यक्षता में स्थापना की गयी। पृथक राज्य का दर्जा पाने के बाद उत्तराखण्ड में भी राज्य योजना आयोग अस्तित्व में आया है। इस आयोग का एक उपाध्यक्ष भी होता है। इसके सदस्य विभिन्न विषयों के सरकारी और गैर सरकारी नामचीन व्यक्ति होते हैं।

3.1 उद्देश्य

इस इकाई के अन्तर्गत आप -

1. राज्य योजना आयोग की संरचना को समझ पायेंगे।
2. राज्य योजना आयोग के उद्देश्यों को जान सकेंगे।
3. राज्य योजना आयोग ने जो कार्य किये हैं वह समझ पायेंगे।
4. योजना के अर्थ को आप समझ सकेंगे।
5. विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की जायेगी जिसे आप जान सकेंगे।

3.2 राज्य योजना आयोग की संरचना -



3.2.1 राज्य योजना आयोग का उद्देश्य/कार्य

- 1.राज्य के भौतिक, वित्तीय और मानवीय संसाधनों का अनुमान लगाना तथा उन से सम्बन्धित उचित निर्णय लेना।
 - 2.राष्ट्रीय योजना के उद्देश्यों और वरीयताओं के अनुसार राज्य योजनाएं तैयार करना।
 - 3.दोनों अल्प अवधि और दीर्घ अवधि के क्षेत्रीय और अचलीय योजनाओं को स्वीकृति देना और राज्य के संसाधनों का संतुलित और प्रभावशाली उपयोग सुनिश्चित करना।
 - 4.उन तत्वों की पहचान करना जो आर्थिक और सामाजिक विकास को रोकते हैं और उन उपायों पर विचार करना जो योजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा कर सके ।
 - 5.राज्य के भीतर क्षेत्रीय असंतुलन के निराकरण के लिये नीतियाँ तैयार करना।
 - 6.वार्षिक योजना की रूप रेखा तैयार करने के लिये आवश्यक निर्देश देना।
 - 7.पंचवर्षीय योजनाओं की तैयारी के लिये आवश्यक रूप रेखा प्रदान करना।
 - 8.अन्य कार्य जो राज्य सरकार सौंपें।
 - 9.संसाधनों के प्रभावकारी और संतुलित उपयोग के लिये योजनाएं तैयार करना।
 - 10.योजनाओं के प्रभावकारी और सफल क्रियान्वयन के लिये उचित कार्यतन्त्र को प्रस्तावित करना।
 - 11.प्रत्येक चरण पर योजनाओं की सफलता को आंकना और उनको अधिक सफलता के लिये सुधारात्मक उपाय सुझाना।
 - 12.आयोग को सौंपे गये मामलों पर परामर्श देना तथा/अथवा उन समस्याओं से सरकार को अवगत कराना जिनका सामना आयोग करता है।
- 3.2.2 राज्य योजना आयोग द्वारा किये गये कार्य

1. पंचवर्षीय और वार्षिक योजनाएं बनाना।
2. राष्ट्रीय विकास योजना के अनुरूप राज्य की पंचवर्षीय योजना का खाका तैयार करना और यह ध्यान रखना कि यह राज्य सरकार के दृष्टिकोण के अनुसार हो।
3. राज्य सरकार के दृष्टिकोण राष्ट्रीय विकास परिषद (एन.डी.सी.) के सामने रखना।
4. राज्य की पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य और रणनीति को निश्चित करना।
5. योजना आयोग के अध्यक्ष (मुख्यमन्त्री) तथा उपाध्यक्ष से परामर्श करके राज्य की पंचवर्षीय योजनाओं तथा वार्षिक योजना की लागत (व्यय) को अन्तिम रूप देना।
6. राज्य की पंचवर्षीय योजना तथा वार्षिक योजना का प्रारूप तैयार करना।
7. विकास विभागों को आरंभिक लागत आवंटित करना।
8. विभागीय प्रस्तावों की जांच पड़ताल करना।
9. विभागीय प्रस्तावों को अन्तिम रूप देकर योजना आयोग की स्वीकृति प्राप्त करना।
10. प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में लागत के संशोधन के लिये समायोजन प्रस्ताव प्रस्तुत करना।
11. वार्षिक योजना की वित्तीय भौतिक प्रगति के मूल्यांकन के लिये विकास विभागों की मासिक बैठकें बुलाना।
12. केन्द्रीय प्रतिभूत (स्पान्सर्स) योजनाओं का लेखा जोखा विकास विभागों/केन्द्रीय योजना आयोग/केन्द्रीय मंत्रियों को देना और समन्वयन लाना।
13. वे कार्य करना जिसका सम्बन्ध वित्त आयोग से है।
14. जिला योजनाओं के लिये रूप रेखा तैयार करना और जिलों को लागत आवंटित करना।
15. जिला योजनाओं की जाँच पड़ताल करना और उन्हें अन्तिम रूप देना।

3.3 उत्तराखण्ड की वर्तमान आर्थिक-सामाजिक स्थिति

उत्तराखण्ड एक नया राज्य है जो 2000 में अस्तित्व में आया है। जनगणना 2011 के अनुसार इसकी कुल आबादी 1,01,16,752 है। साक्षरता में इसने 9.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। विकास के अन्य मुद्दों पर यद्यपि अभी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गयी है, लेकिन संक्षेप में 2002 में प्राप्त विभिन्न आंकड़ों के आधार पर उत्तराखण्ड के आर्थिक और सामाजिक विकास पर एक नजर डाली जा सकती है। यहाँ यह भी याद रखना होगा कि केन्द्र ने उत्तराखण्ड को विशेष राज्य का दर्जा दिया है, जिस कारण अपनी योजनाओं के लिये 90 प्रतिशत से अधिक राशि सहायता के रूप में केन्द्र से प्राप्त होती है। विभिन्न मुद्दों की संक्षिप्त विवेचना इस प्रकार है-

3.3.1 निर्धनता और मानव विकास

उत्तराखण्ड राज्य आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 4,16,018 लोग राज्य में गरीबी की रेखा से नीचे रहते थे (2002) लेकिन 2001 की जन गणना के अनुसार 29-28 लाख लोग 2001 में गरीबी की रेखा से नीचे रहते थे। योजना आयोग ने इसकी पुष्टि की है। इस तरह राष्ट्रीय पैमाने पर यह आंकड़े

अधिक थे। यह स्थिति तब थी जब 320.00 करोड़ रूपया वार्षिक उत्तराखण्ड के प्रवासियों द्वारा भेजा जाता था। आज भी पहाड़ के लोगों के अस्तित्व का यही सब से बड़ा आधार है।

3.3.2 कैलोरी की दृष्टि से गरीबी रेखा

योजना आयोग ने निम्नतम प्रति व्यक्ति, प्रति दिन कैलोरी (भोजन द्वारा प्राप्त ऊर्जा की इकाई) लेने की सीमा भारत में 2400 आंकी है। पहाड़ में भौगोलिक दृष्टि से कैलोरी लेने की सीमा 2875 प्रति दिन होनी चाहिए, लेकिन वास्तविकता यह है कि लोगों को 2400 कलोरी भी नहीं मिल पाती जो गरीबी रेखा को अंकित करती है।

3.3.3 पेयजल की उपलब्धता -

उत्तराखण्ड में पेयजल का मुख्य स्रोत प्राकृतिक संसाधन है। गावों में पेयजल का सदियों से यही आधार है। योजना आयोग का इस ओर ध्यान भ्रामक है। जो योजनाएँ इस दिशा में बनी हैं वे त्रुटिपूर्ण हैं। पेयजल के मौजूद स्रोत प्रायः सूख रहे हैं। कारण जंगल कटान है। पहाड़ी नगरों में पेयजल की स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण है।

3.3.4 विद्युत उपलब्धता -

अनेक बार उत्तराखण्ड को विद्युत प्रदेश कहा गया है लेकिन विद्युत प्रणाली इतनी त्रुटिपूर्ण है कि राज्य में विद्युत का संकट सदा बना रहता है। मुख्य विद्युत लाइन प्रत्येक क्षेत्र तक जाती है परन्तु अपर्याप्त विद्युत होने के कारण उसका कोई लाभ नहीं हो पाता। स्थिति यह है कि जो वर्ष 1985-88 में खम्बे लगाये गये थे उनको विद्युत सप्लाई 2000 में दी गयी। दूसरे पहाड़ के गावों में विद्युत एक अनिवार्यता नहीं है क्योंकि उसका व्यय वहन करने की लोगो में क्षमता नहीं है। स्थिति यह है कि, यद्यपि प्रत्येक गाँव तक विद्युत लाइनें पहुँची हैं लेकिन 2010 तक 50 प्रतिशत लोगों ने कनेक्शन नहीं लिये थे।

3.3.5 उत्तराखण्ड स्वास्थ्य की स्थिति

स्वास्थ्य से संबन्धित आंकड़ें पूरी तरह उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन जो आंकड़े उपलब्ध हैं उनके आधार पर कहा जा सकता है कि स्थिति अन्य राज्यों से बेहतर है। कारण है साक्षरता में वृद्धि, ठण्डी जलवायु तथा रहने के परम्परागत तरीके। लेकिन कुपोषण की समस्या बनी हुई है। पुरुषों की अपेक्षा, स्त्रियाँ और बच्चे अधिक बीमार हैं।

3.3.6 विकलांग लोगों की समस्या-

सरकारी आंकड़ों के अनुसार उत्तराखण्ड में कुल आबादी का 10 प्रतिशत, लगभग 9 लाख से अधिक लोग विकलांग हैं परन्तु गैरसरकारी संगठनों के अनुसार यह संख्या 15,000 है। सरकारी पहुँच विकलांगों तक नहीं है परन्तु विकलांगों को स्वयं जिला मुख्यालय आकर पंजीकृत कराना होता है। इस दिशा में सरकार का कोई नियोजित कार्यक्रम नहीं है।

3.3.7 बच्चों के श्रम की स्थिति

उत्तराखण्ड में न तो ऐसी फैक्ट्रीयां हैं और न ही ऐसे कुटीर उद्योग धन्धे जहाँ बच्चों से काम लिया जाता हो। अधिकांश लोग छोटे पैमाने पर कृषि पेशे से जुड़े हैं। वे ही भू-स्वामी हैं और वे ही मजदूर। ऐसी स्थिति में बच्चों से काम लेने का न तो अवसर है और न औचित्य। इसलिए इस दिशा में सरकार की न तो कोई सोच है और न कोई योजना।

यह एक कटु सत्य है कि पहाड़ के बच्चे जिनके मां बाप बहुत निर्धन हैं, वे काम करने के लिए नगरों में जाते हैं और वहाँ अक्सर होटलों में काम करते हैं। सरकार को इस ओर कोई ध्यान देना होगा। एक रिपोर्ट के अनुसार ऐसे बच्चों की संख्या लगभग 3.5 लाख है।

3.3.8 भौतिक पर्यावरण का मुद्दा

भौतिक पर्यावरण का सम्बन्ध वैसे तो पूरे देश से है लेकिन पहाड़ों से विशेष रूप से है। बाहरी लोग जो छोटे व्यापारियों या मजदूरों के रूप में पहाड़ों में आते हैं, पर्यावरण के प्रति गम्भीर नहीं होते। तराई तथा भाबर के क्षेत्र जो जंगलों से भरे थे बाहरी लोगों के आने के बाद कृषि भूमि में बदल गये। इससे पर्यावरण को गहरा आघात लगा। पहाड़ के जंगलों में आग लगना एक गंभीर समस्या है। पहाड़ी क्षेत्रों में खनन ने भी पर्यावरण को चुनौती दी है। झरनें, तालाब और नदियां सूखने लगी हैं। बड़े पैमाने पर भवन निर्माण ने इस स्थिति को और गंभीर किया है। सरकार की इस दिशा में योजनाएं हैं परन्तु वे प्रभावी नहीं हैं। जंगलों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। लोगों के आचरण को बदलना और पर्यावरण संरक्षण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना अनिवार्य है।

3.3.9 कानून और व्यवस्था

उत्तराखण्ड राज्य बनने के बाद अचानक राज्य में अपराधों में वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश की सीमाओं से सटे नगरों में छोटे अपराधियों का इतिहास पहले से रहा है। नये विकास कार्यों ने भू-जंगल, बजरी, शराब माफिया की पकड़ को मजबूत किया है। वे प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार जमा कर राजनीति पर कब्जा करना चाहते हैं। यह स्थिति भावी उत्तराखण्ड के लिये चुनौतियों से भरी है। इस स्थिति से निपटने के लिये एक प्रभावकारी राजनीति की आवश्यकता है।

3.3.10 बेरोजगारी और निर्धनता

उत्तराखण्ड राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार 2002 तक 348675 युवा रोजगार दफ्तर में पंजीकृत थे इनमें से सरकार ने 194 लोगों को रोजगार दिया जबकि 2002 तक अन्य निजी निकायों के माध्यम से 2865 लोगों को रोजगार दिया गया। बेरोजगारी दर पूरे भारत में 2.2 से लेकर 7 प्रतिशत तक बढ़ रही है। उत्तराखण्ड में भी स्थिति लगभग यही है। सरकार की योजना मानव संसाधनों का विकास करके रोजगार के अवसर बढ़ाना है। लोगों को प्राकृतिक संसाधनों से जोड़कर जिनमें भूमि, खनिज पदार्थ और पानी भी सम्मिलित हैं, निर्धनता का समाधान ढूँढा जा सकता है। बेरोजगारों को प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में लगाकर समस्या का हल निकल सकता है।

3.4 उत्तराखण्ड की 2010-11 की वार्षिक योजना पर एक नज़र

उत्तराखण्ड को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है। इसलिये इसका अधिकार विकास केन्द्रीय अनुदान पर टिका हुआ है। वित्त आयोग तथा योजना आयोग मिलकर उत्तराखण्ड की योजनाओं को स्वीकृत करते हैं। उत्तराखण्ड की 2010-11 स्वीकृत वार्षिक योजना के अनुसार राज्य के अपने संसाधन 190.25 करोड़ हैं। जबकि राज्य सरकार द्वारा लिये यजाने वाले ऋण 1734 करोड़ होंगे। इन ऋणों की अदायगी पर राज्य पर 407.53 करोड़ का बोझ पड़ेगा। राज्य को कुल केन्द्रीय सहायता 3388.30 करोड़ की मंजूर की है। कुल संसाधनों को मिलाकर 6800.0 की वार्षिक योजना को स्वीकृति मिली है।

यदि उत्तराखण्ड वार्षिक योजना 2010-11 पर प्रति खण्ड लागत (सेक्टर वाइज आउटले) पर नज़र डाली जाये तो पता चलेगा कि कृषि और उससे सम्बन्धित अन्य गतिविधियों पर (गन्ना विकास, बागवानी) 17777.35 लाख की लागत आयेगी। भूमि संरक्षण जल संरक्षण तथा जलापूर्ति प्रबन्धन पर 12482.00 लाख की लागत आयेगी। कुल कृषि से सम्बन्धित सेवाओं (पशु पालन, दुग्ध विकास, मत्स्य, वन और वनजीव, कृषि अनुसंधान और शिक्षा, सहकारिता इत्यादि) पर 53291.00 लाख की लागत आयेगी।

ग्रामीण विकास और पंचायत मद पर कुल 47032.04 लाख की लागत आंकी गई है। जबकि सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण पर 61416.36 की लागत का अनुमान है। जहाँ तक ऊर्जा का सम्बन्ध है (जिसमें हाइड्रो पावर की पैदावार, विद्युत वितरण विद्युत सामान्य इत्यादि है) इस पर कुल लागत 42712.51 लाख आंकी गई है।

उद्योग धन्धों और खनिज पदार्थों पर 2461.54 लाख तथा यातायात पर (घरेलू उडान, सड़के और पुल तथा अन्य) 79551.54 लाख खर्च होंगे।

विज्ञान और तकनीकी ज्ञान पर (जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी, उत्तराखण्ड स्पेस ऐप्लीकेशन, विज्ञान शिक्षा-शोध, बायोटेक, उत्तराखण्ड कौंसिल आफ साइंस एण्ड टेक्नालिजी है) 2797.00 लाख की लागत का अनुमान है।

सामान्य आर्थिक सेवाओं पर अनुमानित लागत 298635.33 आंकी गई है। इनमें योजना आयोग की सेवाएँ, पर्यटन, जनगणना, सर्वेक्षण, सांख्यिकी, खाद्य एवं आपूर्ति इत्यादि सम्मिलित है।

जहाँ सामाजिक सेवाओं का सम्बन्ध है इसमें सामान्य शिक्षा पर 40470.20 लाख की लागत दिखाई गयी है। उच्च शिक्षा पर जिसमें विश्वविद्यालयों और शासकीय कालिजों, सस्थानों आदि की शिक्षा सम्मिलित हैं, 9048.41 लाख खर्च होगा।

तकनीकी शिक्षा पर 5001.07 लाख व्यय किया जाएगा जबकि खेलों, युवा कल्याण, कला और संस्कृति पर क्रमशः 1568.52, 1493.26 तथा 1359.87 लाख की लागत आयेगी।

मेडीकल तथा जनस्वास्थ्य पर (एलोपेथी, मेडिकल शिक्षा, आर्युवेदिक, यूनानी तथा होम्योपेथी) 30310.13 लाख खर्च किया जाएगा।

पेयजल आपूर्ति, सफाई, भवन निर्माण, नगरीय विकास तथा सूचना एवं प्रसार पर क्रमशः 4276.04, 0.03, 45844.58 तथा 1052.06 की लागत आयेगी।

जहाँ तक सामाजिक सुरक्षा और समाज कल्याण का सम्बन्ध है इस पर 28353.7 लाख व्यय किया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा और समाज कल्याण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक विकलांग, महिला, सैनिक तथा बच्चों के कल्याण की योजनाएँ सम्मिलित हैं। आहार पोषण। महिला और बच्चों से सम्बन्धित विकास पर कुल 12844.78 लाख व्यय होंगे।

योजना के अन्तर्गत श्रम, प्रशिक्षण तथा रोजगार पर लाख की लागत आयेगी। इस तरह पूरी सामाजिक सेवाओं पर 223405.35 लाख खर्च करने का अनुमान लगाया गया। जहाँ न्यायपालिका, जायदाद विभाग, गृह विभाग, विधान सभा, वित्त आयोग, आपदा प्रबन्धन इत्यादि पर कुल 157959.32 लाख खर्च होगा।

इस तरह सभी मदों 2010-11 की वार्षिक योजना पर 680000 लाख की स्वीकृति मिली। यह राशि पिछले वर्ष 2009-10 की तुलना में 1225.50 करोड़ अधिक है। इस परिव्यय का 33.18 प्रतिशत भाग समाज सेवाओं और समाज के लिये, 29.16 प्रतिशत भौतिक संरचना के लिये, 23.14 सामान्य सेवाओं, 7.5 कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों और 7.33 प्रतिशत ग्रामीण विकास के लिये रखा गया है।

इस से स्पष्ट होता है कि उत्तराखण्ड में सब से अधिक राशि समाज सेवाओं और कल्याण पर व्यय की जायेगी जबकि ग्रामीण विकास पर सबसे कम धन व्यय किया जायेगा।

3.5 योजना आयोग की उपलब्धियाँ और लक्ष्य

उत्तराखण्ड नये राज्यों में से एक है परन्तु दस वर्ष पुराना हो चुका है। दस वर्ष की उपलब्धियों को संक्षेप में बताया जा सकता है:

वृहत स्तर पर (मेकरो लेवल) विकास वृद्धि दो अंकों में हुई है जबकि लक्ष्य 6.8 प्रतिशत वृद्धि का था। आशा यह की जाती है कि 11वीं पंच वर्षीय योजना के दौरान यह वृद्धि 9.9 प्रतिशत होगी। जबकि राष्ट्रीय लक्ष्य 9 प्रतिशत है। इसका कारण है कि इसने तल से विकास कार्यक्रम आरंभ किया है।

भौगोलिक-भौतिक परिस्थितियों के कारण राज्य में विशेष रूप से कृषि, उद्योग तथा संरचना के संदर्भ में क्षेत्रीय असमानता को स्वीकार किया गया है। सरकार की ओर से असमानता और विभाजन को सब से बड़ी चुनौती माना गया है। यह असमानता न केवल क्षेत्रीय है, बल्कि जातीय, वर्गीय,

सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक है। योजना आयोग ने योजनाएँ बनाते समय इस असमानता को ध्यान में रखा है।

पर्यावरण संरक्षण एक दूसरी चुनौती है। यहाँ योजना आयोग ने जन भागीदारी को सुनिश्चित किया है इसलिये सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 को राज्य में कठोरता से लागू किया गया है।

योजना आयोग ने उत्तराखण्ड में 2004-05 तक निर्धनता अनुपात 38.8 प्रतिशत आंका था और लक्ष्य यह था कि इस अनुपात को 2011-12 तक 23.6 तक लाया जाये।

आवश्यकता इस बात की है कि कृषि वृद्धि की दर को बढ़ाया जाय। 2010 तक कृषि वृद्धि की दर 2.62 प्रतिशत आंकी गई। इसको 4 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य है। योजना आयोग ने उत्तराखण्ड में क्रान्तिकारी औद्योगिक कदम उठाये है। 2010 से 2013 तक लिये एक औद्योगिक प्रस्ताव (पैकेज) देने का वायदा किया जिसके तहत एक विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) बनाने की बात कही गई है। औद्योगिक गति को तेज करने के लिये 11वीं योजना के तहत रूडकी तक रेलवे लाइन बिछाने तथा देहली और देहरादून के बीच छः लेन सडक निर्माण की बात कही गई है। विकास के लिये एक मजबूत संरचना अनिवार्य है। यहाँ सब से बड़ी भूमिका विद्युत (पावर) की है। औद्योगीकरण की यह एक अनिवार्य शर्त है। इसके लिये सरकार ने 300 मी० डा० का ऋण ए०डी०बी० से लेने की बात की है।

2002 में सिडकुल (उत्तराखण्ड सरकार उद्यम) की एक लिमिटेड कम्पनी के रूप में स्थापना की गई। इसमें सरकार ने 50 करोड का एक बार 20 करोड दूसरी बार पूँजी निवेश किया। उद्देश्य था राज्य में उद्योगो का विकास। परिणाम स्वरूप देहरादून से लेकर सितारगंज तक उद्योगो का एक सिलसिला स्थापित हो गया।

अन्त में सरकार के प्रयासों से राज्य में साक्षरता दर 82 प्रतिशत हुई है। जंगलों का आकार 68 प्रतिशत से बढ़कर 70 प्रतिशत हुआ है। जी०डी०पी० 126593 मिलियन है। एन०डी०पी० (आई०एन०आर०) 113420 मिलियन हुआ है।

3.6 योजना और आर्थिक विकास: सुझाव

मेजर डी० एस० बिष्ट द्वारा किये गये एक अध्ययन के अनुसार उत्तराखण्ड सरकार को नियोजन और विकास की ओर बड़ा सर्तक होकर आगे बढ़ना होगा। उन्होने अपने अध्ययन पावरटी प्लानिंग एण्ड डेवलपमेन्ट में नियोजन से सम्बन्धित कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिये है।

उत्तराखण्ड जैसे पहाड़ी राज्यों के लिये योजना आयोग द्वारा बनाये गये मापदण्ड पहाड़ के लोगों के लिये सामयिक नहीं हैं। वन और कृषि यहाँ के जीवन का अस्तित्व है। सदियों से यहाँ के निवासी वन और कृषि से जीवन यापन करते आये है। आधुनिकीकरण ने आत्म निर्भरता को चोट पहुँचायी है। राज्य योजना आयोग को यर्थात को ध्यान में रखकर पहाड़ के लिये योजनाएँ बनानी चाहिए।

राज्य के हितों को दृष्टि में रखकर यह स्वीकार करना होगा कि केन्द्र द्वारा बनाई गयी अनेक विकास योजनाएं आवश्यक नहीं है उत्तराखण्ड के लिए लाभकारी हों। नतीजा यह होता कि जब सरकार उन योजनाओं के कार्यान्वयन में असफल होती है तो केन्द्रीय सहायता स्वतः समाप्त हो जाती है। अतः राज्य को केन्द्रीय योजनाओं को परिस्थितियों के अनुसार संशोधित करने का अधिकार होना चाहिए। पंजाब और हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है। कारण है हरित क्रान्ति जो केन्द्र के उदार अनुदान से सम्भव हुई है। उत्तराखण्ड को भी ऐसी सहायता मिलनी चाहिए।

विद्युत और जल संसाधनों पर, जिनका बटवारा अन्य राज्यों को होता है, उत्तराखण्ड को स्वतन्त्र शक्त (रायल्टी) मिलनी चाहिए।

उत्तराखण्ड का 60 प्रतिशत भू-भाग जंगलों से ढका हुआ है। केन्द्र द्वारा इसके हरजाना दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त राज्य के युवकों को कृषि और जंगलों से जोड़ने के लिए विशेष योजनाएं होनी चाहिए।

उत्तराखण्ड तथा हिमाचल की परिस्थितियां लगभग एक जैसी हैं मात्र इसके की हिमाचल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था उत्तराखण्ड से बेहतर है। उत्तराखण्ड में 1.50 लाख सरकारी कर्मचारी है। जबकि हिमाचल में यह संख्या 2.50 लाख है। हिमाचल ने 2002 से लेकर 2010 तक 12 लाख लोगों को रोजगार देने का वायदा किया है। जबकि उत्तराखण्ड में 2 लाख लोगों को रोजगार देने की योजना है। यदि नियोजन सही हो तो अधिक लोगो को रोजगार मिल सकता है।

केन्द्र नियोजन का आधार बड़ा तार्किक है और समनवित होता है। ऐसा उत्तराखण्ड में नहीं है। राज्य योजना आयोग को चाहिए कि वो वरीयताओं को निश्चित करें जिसे तरह राज्य की वार्षिक और पंचवर्षीय योजनाएं योजना आयोग द्वारा स्वीकृत होती है। उसी तरह जिला योजना को योजना आयोग की स्वीकृति मिलना चाहिए ऐसा इसलिए जरूरी है कि यहां जिलो में प्राकृतिक संसाधनों और मानव संसाधन की दृष्टि से गहरा अंतर है।

सरकार या गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा बनाई योजनाओं में जीव विवधता (बायो डायवर्सिटी) के सिद्धान्त की अनदेखी की गयी है। इसका नतीजा यह निकला है कि भूमि उत्पादिकता घटी, जल स्रोत सूख गये तथा वन सम्पदा का हास हुआ। पहाड़ का जीवन और संस्कृति जीव विवधता पर टिकी हुई है। योजनाएं स्थानीय लोगो को प्राकृतिक संसाधनों से जोड़ने के लिए बननी चाहिए।

अध्ययन से यह भी पता चलता है कि शासन की ओर से विभिन्न अभिकारगों, विभागों तथा शोध संस्थाओं पहाड़ की योजनाएं बनाने के लिए बिना योजना आयोग से तालमेल की पूर्ण स्वतंत्रता मिली हुई है। इन संस्थाओं को विभिन्न आंतरिक और बाहरी स्रोतो से भरपूर पैसा मिल रहा है। जो प्रबन्धकों की जेबों में अधिक और योजनाओं में कम लग रहा है। न तो इससे युवको को नौकरी मिलती है और न गरीबों की आय बढ़ती है। सरकार को इन संस्थाओं की जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए।

उत्तराखण्ड में गैर सरकारी संगठनों (एन0जी0ओ0) की बाढ़ सी आयी हुई है। एक अनुमान के अनुसार ऐसे लगभग 450 संगठन यहां कार्यरत हैं। उनका दावा है कि उन्होंने कम पैसे में उत्तराखण्ड का बड़ा विकास किया है। ऐसे दावों सरकार को भ्रमांक करते हैं। अक्सर यह संगठन जाली और उनके दावे झूठे। सरकार को चाहिए कि या तो वे इनसे विकास कार्यों में सम्पर्क बनायें या इनकी गतिविधियों को सीमित रखे।

उत्तराखण्ड अथवा अन्य पहाड़ी राज्यों पर समाजशास्त्र के द्वारा किये जाने वाले शोधों का योजना आयोग को सदुपयोग करना चाहिए।

पहाड़ों में ईट, लोहा, बजरी के भवन नहीं बनाना चाहिए। आर0सी0सी0 के छतों के निर्माण को हतोत्साहित करना चाहिए। भवन भूकम्प निराधी होने चाहिए जिसके लिए स्थानीय परम्परागत तकनीक का प्रयोग हो।

उत्तराखण्ड में 15793 गांव तथा 86 छोटे नगर हैं। प्रत्येक स्थान को पर्यटन स्थल में बदला जा सकता है। इन स्थलों में आधुनिक सुविधाएं होनी चाहिए इससे देहरादून, हरिद्वारा, नैनीताल, उधमसिंह नगर, हल्द्वानी इत्यादि पर दबाव कम होगा। स्थानीय बाजारों का विकास किया ताकि यहां का माल पड़ोस ग्रामीण इलाकों के लोग खरीद सकें या अपने द्वारा उत्पादित माल का विक्रय कर सकें।

पहाड़ों में आद्योगिक विकास योजना पूरी तरह असफल हुई है। अनेक उद्योग जैसे एच0एम0टी0, हल्द्वानी, यू0पी0 टैक्सटाइल मील, फ्लोमोर पालिस्टर लि0, काशीपुर बहुत पहले बीमार घोषित हो चुकी है। दूसरे उद्योग जैसे ए0आर0सी0 सीमेंट फैक्ट्री देहरादून, यू0पी0 गर्वमेंट कैलशियम, कार्बोहाइड्रेट फैक्ट्री बंद हो चुकी है। इससे एक नतीजा यह निकलता है कि पहाड़ों में आद्योगिक विकास कृषि आधारित होना चाहिए। या वन सम्पदा आधारित लघु उद्योग स्थापित होने चाहिए।

यहां यह याद रखना होगा कि बावजूद इन असफलताओं के पृथक् राज्य बनने के बाद उत्तराखण्ड में नयी उद्योग नीति घोषित की गयी है। नई औद्योगिक नीति 2003 के अनुसार उत्तराखण्ड के औद्योगिकरण के लिए एक नियमित ढांचा तैयार किया गया है। इस नीति के तहत उत्तराखण्ड एकीकृत औद्योगिक जागीर की स्थापना निजी संसाधनों का दोहन करके की जायेगी। सरकार निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए तमाम सुविधाएं प्रदान करने को तैयार है। परिणाम स्वरूप, एच0एल0एल0 तथा डाबर जैसे बड़े उद्यमियों ने राज्य में अपनी इकाइयां स्थापित की है। यहां सवाल यह पैदा होता है कि क्या यह इकाइयां सफल होंगी? या क्या इनसे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा? यह समय बतायेगा।

उत्तराखण्ड पारम्परिक तांबे के बर्तनों का लघु उद्योग बहुत पुराना है। सुनहरी का काम भी अच्छा होता है। गरम वस्त्रों के उद्योग के लिए भी अवसर है। योजना आयोग को इन धन्धों के प्रोत्साहन के लिए काम करना होगा।

गरीबी दूर करने के लिए एक संयुक्त कार्यक्रम की आवश्यकता है। भूमि हीनों, विधवाओं, बूढ़ों बीमारों तथा विकलांगों के लिए योजनाएं बननी चाहिए चाहे उनका सम्बन्ध किसी वर्ग से हो। अन्त में अचलीय कार्यक्रम, जल प्रबंधन और विकास, वन पर्यावरण तथा वन जीवन, सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण इत्यादि पर भी ध्यान देना होगा।

अभ्यास प्रश्न

1. गैर सरकारी संगठनों का संक्षिप्त रूप एन.जी.ओ. है. सत्य /असत्य
2. उत्तराखण्ड को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है. सत्य /असत्य
3. भारत में नियोजित आर्थिक विकास १९५१ में प्रथम पंचवर्षीय योजना से आरम्भ होता है. सत्य /असत्य
4. नियोजित आर्थिक विकास का दृष्टिकोण एम.विश्वेसरीया ने अपनी पुस्तक प्लानेड इकॉनोमी फॉर इंडिया में १९३४ में रखा था . सत्य /असत्य
5. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने १९३८ में नेशनल प्लानिंग कमेटी की स्थापना की. सत्य /असत्य
6. योजना आयोग की स्थापना १५ मार्च १९५० में की गयी थी. सत्य /असत्य
7. उत्तराखण्ड का ६०% भूभाग जंगलों से ढका है . सत्य /असत्य

3.7 सारांश

राज्य योजना आयोग एक परा-संवैधानिक संस्था है। यह एक सलाहकार संगठन है। इसकी संरचना राष्ट्रीय योजना आयोग पर आधारित है। इसके मौलिक कार्य राज्य के आर्थिक विकास से सम्बन्धित तार्किक परामर्श देना तथा आर्थिक तत्वों का निष्पक्ष विश्लेषण करना है। यह सब कुछ राज्य के अपने संसाधनों तथा केन्द्र से मिलने वाले अनुदानों या अन्य वाहय त्रणों इत्यादि को ध्यान में रखकर किया जाता है।

उत्तराखण्ड राज्य बनने के बाद यहां पर यहां भी योजना आयोग की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य राज्य के भौतिक, वित्तीय और मानवीय संसाधनों का आंकलन करके राज्य में योजनाएं तैयार करना है। इसको यह भी देखना कि योजनाएं ऐसी हो जो राष्ट्रीय वरीयताओं के अनुरूप हो। यह वार्षिक योजना और पंचवर्षीय योजनाओं को ध्यान में रखकर राज्य की योजनाओं को बनाता है।

उत्तराखण्ड को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है। राज्य योजना आयोग ने राज्य के विकास के लिए कुछ अच्छे काम किये हैं। विशेषरूप से राज्य में औद्योगिक गतिविधियां तेज हुई हैं। सिडकुल कारपोरेशन ने बाहरी उद्यमियों की सहायता से देहरादून से लेकर सितारगंज तक उद्योगों का जाल बिछाया है। राज्य सरकार योजना आयोग की सहायता से राज्य में भौतिक संरचना तैयार करने में सफल हुई है। योजनाओं से सम्बन्धित विभिन्न अध्ययनों से पता चला है कि राज्य के सामने

बहुमुखी विकास के अनेक चुनौतियां हैं जिनका सामना कुशल नेतृत्व तथा योग्य प्रबन्धन कर सकता है।

3.8 शब्दावली

पावरटी लाइन : वह रेखा जिसका आंकलन योजना आयोग समय-समय पर करता है तथा जिसके नीचे रहने वाले अति निर्धन लोग होते हैं।

स्पेशल एकोनामिक जोन : औद्योगिकरण के लिए बनाया गया एक विशेष आर्थिक क्षेत्र जैसे उत्तराखण्ड में सिडकुल

बायो डाइवर्सिटी : जीव विभिन्न जिसके अन्तर्गत पूरे जीवन का ताना बाना, संस्कृति परम्पराएं इत्यादि आती है।

3.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. सत्य
2. सत्य
3. सत्य
4. सत्य
5. सत्य
6. सत्य
7. सत्य

3.10 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- संजय कुमार : उत्तर प्रदेश
 नवीन चद्रढोडियाल : पृथक पर्वतीय राज्य
 खड्ग सिंह वल्दिया : उत्तराखण्ड टूडे

3.11 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

- एन0डी0 तिवारी : ऐड्रेस आफ एन0डी0 तिवारी इन दि 52 मीटिंग
 आफ नैशनल डेवलपमेंट कौंसिल, 9 दिसम्बर, 2006
 मेजर डी0एस0 बिष्ट : स्टडी रिपोर्ट आन दि प्लानिंग आफ उत्तराखण (वेबसाइट)

3.12 निबंधात्मक प्रश्न

- 1-राज्य योजना आयोग के संगठन और कार्यों की विवेचना कीजिए।

इकाई-4 राज्य में प्रशासनिक सुधार

इकाई की संरचना

- 4.0 प्रस्तावना
- 4.1 उद्देश्य
- 4.2 प्रशासनिक सुधार आयोग 1960
 - 4.2.1 ए0आर0सी0 के उद्देश्य
 - 4.2.2 ए0आर0सी0 की मुख्य सिफारिशें
- 4.3 आरगानाईजेशन एण्ड मेथड्स विभाग (ओ0 एण्ड एम0)
- 4.4 प्रशासकीय सुधारों का दर्शन
- 4.5 उत्तराखण्ड में प्रशासनिक सुधार
- 4.6 प्रशासनिक सुधार आयोग हेतु विचारार्थ विषय
- 4.7 सारांश
- 4.8 शब्दावली
- 4.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 4.10 संदर्भ ग्रन्थ सूची
- 4.11 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री
- 4.12 निबंधात्मक प्रश्न

4.0 प्रस्तावना

प्रशासकीय सुधार आज लोक प्रशासन का एक चर्चित विषय है लेकिन यह भारत में बहुत देर से पहुंचा है। प्रशासन को गतिशीलता प्रदान करने का प्रयास, सामयिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, भारत में एक लम्बे समय से जारी है। अनेक ऐसी संस्थाएं अस्तित्व में आयी, जिन्होंने प्रशासकीय कार्यों की कार्य पद्धति और तरीकों या क्रमबद्धता, संगठनों, हस्तान्तरण, कर्मचारी जरूरतों, योजना क्रियान्वयन इत्यादि के बारे में गहन छान बीन की। ऐसा पचास की दशक में काफी कुछ किया गया। इसके पंचवर्षीय योजना अभिलेखों में समय-समय पर प्रशासनिक कमजोरियों और उनको दूर करने के उपायों की समीक्षा की गयी। क्योंकि योजनओं की असफलता का कारण प्रशासनिक अक्षमता और असफलता थी। इसका अर्थ है कि भारत में प्रशासनिक सुधारों की दिशा में काफी प्रयास किये गये।

लेकिन एक लम्बे समय तक प्रशासनिक सुधारों की दिशा में एक तार्किक, वैज्ञानिक और क्रमबद्ध प्रयास नहीं किया गया और जो कुछ किया गया वह एक आसम्बद्ध, बिखरा हुआ और अत्यधिक निराश परिवर्तनीय प्रयास था। नेता कभी कमियों की गहनता से न तो विश्लेषण किये और न ही उनके निदान का ऐसा प्रयास किया गया जिससे प्रशासन को अर्थपूर्ण गतिशीलता मिल सकती हो। कारण यह था कि स्वतंत्रता के बाद भारत ऐसी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक उलझनों में फँसा रहा कि उसने प्रशासनिक सुधारों की ओर अधिक ध्यान ही नहीं दिया।

किसी भी विकासशील देश में सरकार का ध्यान प्रशासनिक आधुनिकता की ओर कम और आर्थिक तथा सामाजिक सुधारों की ओर अधिक होता है। अधिक महत्वाकांक्षी होने के कारण वे राजनीतिक सुधारों की ओर भी अधिक ध्यान नहीं देते। होता यह है कि जब आर्थिक और सामाजिक ढांचा टूटने लगता है और संकट का समय आता है प्रशासनिक सुधारों की ओर ध्यान जाता है। उत्तराखण्ड एक नया विकासशील राज्य है। सन 2000 में अस्तित्व में आया है। इसे बहुत कुछ उत्तर प्रदेश से विरासत में मिला। इसके सारे उच्च अधिकारी पूर्व में उत्तर प्रदेश में कार्यरत थे। सब अनुभवी है। भारत भी प्रशासनिक सुधार के अनेक चरणों से गुजरा। उसके अनुभव का लाभ भी उत्तराखण्ड को मिल सकता है। वैसे भी छोटे राज्य प्रशासन को अधिक गतिशीलता और सुगमता दी जा सकती है। पृथक उत्तराखण्ड राज्य की मांग का एक बड़ा कारण प्रशासनिक औचित्य ही था। 30प्र0 एक बड़ा प्रदेश है। प्रशासनिक अक्षमता या विषमता क्षेत्रीय असंतुलन को बढ़ावा देती है। अस्तित्व में आने के बाद राज्य में प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया जिसने भारत के प्रशासनिक सुधार आयोग 1960 के आधार पर राज्य के लिए विस्तार से संस्तुतिया की है।

4.1 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के बाद आप-

1. प्रशासनिक सुधारों का अर्थ और महत्व समझ पायेंगे।
2. प्रशासनिक सुधार आयोग की मुख्य सिफारिशों से परिचित होंगे (ए0आर0सी0)
3. प्रशासन के अंदर लाये जाने वाले सुधारों में संस्थाओं/खण्डों/विभागों की भूमिका को समझ पायेंगे।
4. उत्तराखण्ड में राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन तथा नीतिगत एवं सामान्य संस्तुतियों से अवगत होंगे।

4.2 प्रशासनिक सुधार आयोग 1960

उत्तराखण्ड के सुधार आयोग की संस्तुतियों को जानने से पूर्व भारत के प्रशासनिक सुधार आयोग (ए0आर0सी0) को जानना जरूरी है। स्वतंत्रता की प्रथम दहाई में यह महसूस किया गया कि भारत को एक नई आर्थिक और सामाजिक दिशा देने के लिए अतीत की प्रशासनिक लीक से हटकर एक नई सोच के साथ और बढ़ना होगा तभी राजनीतिक विकास भी संभव था और एक कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य पूरा हो सकता था। अतः प्रशासकीय संरचना और कार्यपद्धति से सम्बन्धित अनेक अध्ययन किये गये, लेकिन वे इतने विस्तृत और वैज्ञानिक नहीं थे जो प्रशासन में क्रमिक सुधारों को सुनिश्चित करते। प्रशासन एक लम्बे समय तक राष्ट्रीय दृष्टि और योजनाओं एवं कार्यक्रमों को साकार करने में अपर्याप्त रहा।

4.2.1 ए0आर0सी0 के उद्देश्य

इस तरह 5 जनवरी, 1966 को प्रशासकीय सुधार अस्तित्व में आया। आयोग का काम निम्न क्षेत्रों पर विचार करना था:-

1. भारत सरकार के कार्यतंत्र और उसकी कार्यपद्धति।
2. प्रत्येक स्तर पर नियोजन के कार्यतंत्र।
3. केन्द्र-राज्य सम्बन्ध।
4. वित्तीय प्रशासन
5. कर्मचारी प्रशासन
6. आर्थिक प्रशासन

7. राज्य स्तर पर प्रशासन
8. जिला प्रशासन
9. नागरिकों की शिकायतों के निवारण की समस्याएं

4.2.2 ए0आर0सी0 की मुख्य सिफारिशें

यहां राष्ट्रीय प्रशासनिक सुधार आयोग (1966) का उल्लेख कर रहे हैं। यह एक अत्यधिक प्रतिष्ठित लोगों की टीम थी जिसमें जन प्रतिनिधि, संसद सदस्य, सेवी वर्ग के लोग तथा विशिष्ट क्षेत्रों के लोग थे। इस आयोग का उद्देश्य लोक प्रशासन के क्षेत्र में एक संतुलित, यथार्थवादी और एकीकृत दृष्टिकोण अपना कर खोज करना या विस्तृत सिफारिशें करना था।

प्रशासकीय सुधार आयोग ने 20 प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जिनके आधार पर 1581 विस्तृत सिफारिशें की गयीं। यह सिफारिशें कृषि को छोड़कर अन्य सभी विषयों से सम्बन्धित थीं। मुख्य सिफारिशें इस प्रकार थी -

1. प्रशासकीय सुधारों का एक विभाग बनाया जाये जो स्वयं सेवा को आधारभूत चरित्र के प्रशासकीय सुधारों के अध्ययन तक सीमित रखे।
2. ओ0एण्ड0एम0 (आर्गेनाइजेशन एण्ड मैथड्स) विभागों में खडा किया जाये तथा ओ0एण्ड0एम0 इकाइयों के कर्मचारियों को आधुनिक तकनीकों से सम्बन्धित प्रशिक्षण दिया जाये। इन ओ0एण्ड0एम0 की इकाइयों को प्रशासकीय सुधारों से सम्बन्धित परामर्श और निर्देश दिये जायें।
3. केन्द्रीय सुधार अभिकरण में एक विशिष्ट सेल (घटक) बनाया जाये ताकि वह भावी सुधारों के बारे में सोच सके।
4. कार्यपद्धति, भर्ती व्यवस्था तथा संगठनात्मक संरचना के सम्बन्ध में केन्द्रीय सुधार अभिकरण शोध परक होना चाहिए।
5. प्रशासकीय सुधारों का विभाग प्रत्यक्ष रूप से उपप्रधानमंत्री के अन्तर्गत रहना चाहिए।
6. शक्तिशाली, स्वायत्त और पेशेवर संस्थाएं अनिवार्य हैं जो प्रशासकीय सुधारों और नवीनीकरण को मौलिक सोच दे सके।
7. किसी मंत्रालय में निति-निर्माण प्रक्रिया में दो से अधिक मंत्री नहीं लगने चाहिए।
8. केबिनेट सचिव की भूमिका एक समन्वयक तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। प्रधानमन्त्री या राज्यों में मुख्य मन्त्री का मुख्य सेवी सलाहकार होना चाहिए। वह मन्त्रिमण्डल और समितियों को भी सलाह दे सकता है।
9. सभी मुख्य निर्णय लिखित में हो, विशेष रूप से जहां सरकार की नीति स्पष्ट न हो या जहां सचिव और मन्त्री किसी महत्वपूर्ण मामले पर एकमत न हों।

10.कर्मचारी वर्ग एक पृथक विभाग के अन्तर्गत रखा जाये जिसका एक पृथक सचिव हो जो कैबिनेट सचिव के निर्देशन में कार्य करें।

11.आई0ए0एस0 के लिए एक कार्यात्मक क्षेत्र बनाया जाये (अर्थात् भूमि राजस्व प्रशासन, दण्डाधिकारिक (मेजिस्टेरियल) कार्य और राज्य में नियमितिक (रेग्युलेटरी) कार्यों के लिए।

12.सरकार को एक स्पष्ट और दूरगामी राष्ट्रीय नीति का निर्माण सेवी वर्ग के प्रशिक्षण के लिए करना चाहिए।

13.मंत्रियों या शासन के सचिवों के विरुद्ध शिकायतों के निबटारे के लिए केन्द्र और राज्य स्तर पर एक सत्ता होनी चाहिए। इस सत्ता को “लोक पाल” कहा जाये। दूसरे अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें सुनने के लिए केन्द्र और राज्यों में “लोक आयुक्त” होने चाहिए। लोकपाल का पद भारत के मुख्य न्यायाधीश के स्तर का होगा और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधान मंत्री की सलाह से पांच वर्ष के लिए करेगा।

14.राष्ट्रीय प्रशासनिक आयोग की सभी सिफारिशों के आधार पर राज्य प्रशासनिक आयोग परिस्थितियों के अनुसार राज्य प्रशासन के लिए सिफारिशें करेंगे।

4.3 आरगानाईज़ेशन एण्ड मेथड्स विभाग (ओ0 एण्ड एम0)

यहां हमें प्रशासकीय सुधारों के सम्बन्ध में ओ0एण्ड0एम0 पर भी प्रकाश डालना होगा।

स्वतंत्रता के बाद प्रशासनिक सुधारों से सम्बन्धित अनेक समितियां गठित की गयीं। इनमें 1947 में ए0डी0 गोरवाला ने मेथड्स आर्गनाइज़ेशन और ट्रेनिंग से सम्बन्धित निदेशालय की स्थापना का सुझाव के लिए, एक अभिकरण का काम कर सके। 1952 में प्रथम पंचवर्षीय योजना ने यह सिफारिश की, कि केन्द्रीय सरकार का एक ओ0एण्ड0एम0 होना चाहिए। जो विभिन्न मंत्रालयों के कर्मचारी खण्डों के साथ पूर्ण सहयोग से काम करें। 1953 में प्रसिद्ध लोक प्रशासक पाल0एच0 ऐपलबी ने भी अपनी प्रसिद्ध रिपोर्ट “सर्वे ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इण्डिया” में भी ऐसे ही एक संगठन की ओर इशारा किया जो प्रशासकीय संरचनाओं, प्रबन्धन और कार्य पद्धति को नई दिशा दे सके। परिणाम स्वरूप मार्च 1954 में ओ0एण्ड0एम0 डिवीजन अस्तित्व में आ गया और कैबिनेट सचिवालय से सम्बद्ध कर दिया गया।

ओ0एण्ड0एम0 ने ऐसे अध्ययन कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक चलाया है जिसका उद्देश्य अभिलेखों के वैज्ञानिक प्रबन्धन के तौर तरीकों, विभागीय नियमों के सरलीकरण, प्रतिवेदनों, आधिकारिक

विवरणों और तथ्य एवं समस्याओं के औपचारिक ब्योरो को शासकीय समस्याओं और संकटों के लिए अनिवार्य है।

ओ०एण्ड०एम० डिवीजन सामान्य हित की समस्याओं का विशिष्ट अध्ययन करके विभिन्न विभागों को सलाह देता है। यह स्वीकार किया गया है कि प्रत्येक विभाग के भीतर अपना ओ०एण्ड०एम० होना चाहिए और उसे प्रशासकीय समस्याओं के लिए पर्याप्त उत्तरदायित्व और अधिकार मिलने चाहिए। साथ में यह भी महसूस किया गया है कि यदि ओ०एण्ड०एम० को प्रशासन के क्षेत्र में एक अहम भूमिका अदा करनी है, तो उसके कार्य को सरकारी कार्यपद्धति तक सीमित न रखा जाये। ओ०एण्ड०एम० का कार्य वास्तव में विभागों और मंत्रालयों के संगठनों और संरचनाओं का विश्लेषण करना है और शासन को उसके सर्वोच्च स्तर तक परामर्श देना है।

4.3.1 ओ० एण्ड एम० का प्रशासकीय सुधार विभाग में विलय

सन 1964 में गृह मंत्रालय के अन्तर्गत प्रशासकीय सुधार विभाग अस्तित्व में आया। इसका उद्देश्य भी प्रशासकीय व्यवस्थाओं और शासन तंत्र के तौर तरीकों और नीतियों का अध्ययन करना था। अतः इसे इसी वर्ष ओ०एण्ड०एम० डिवीजन के साथ जोड़ दिया गया। इस तरह ओ०एण्ड०एम० संरचनात्मक और संगठनात्मक अध्ययनों का केन्द्रीय भाग बन गया। बाद में ओ०एण्ड०एम० ने अपना कार्य क्षेत्र बढ़ा दिया। उसने कर्मचारी वर्ग (परसोनेल) विभाग से मिलकर कर्मचारी वर्ग पर अनेक अध्ययन किये।

अन्ततः प्रशासकीय सुधार विभाग तथा ओ०एण्ड०एम० के सहयोग से प्रशासनिक सुधार आयोग (भारत) ने कर्मचारी वर्ग पर अनेक सिफारिशें प्रस्तुत की -

कर्मचारी वर्ग का एक पृथक विभाग बनाया जाये जो एक स्थायी सचिव के अधीन हो लेकिन जो कैबिनेट सचिव के निर्देशन में काम करें। इस विभाग के निम्न कार्य एवं उत्तरदायित्व होने चाहिए:-

1. केन्द्रीय और अखिल भारतीय सेवाओं से संबन्धित प्रत्येक मुद्दे पर कर्मचारी वर्ग के लिए नीतियों का निर्माण करना तथा इनके क्रियान्वयन का निरीक्षण एवं मूल्यांकन करना।
2. प्रतिभा की खोज करना, उच्चतर प्रबन्धन के लिए कर्मचारी वर्ग का विकास करना तथा उच्चतर पदों पर नियुक्तियों की समय-समय पर परीक्षा करना।
3. मानव शक्ति की योजना तैयार करना, प्रशिक्षण देना और पेशा सम्बन्धी विकास तथा कर्मचारी वर्ग के विकास के लिए विदेशी सहायता कार्यक्रम तैयार करना।

4.व्यक्तिक तौर पर कर्मचारी प्रशासन में शोध ।

5.कर्मचारी तंत्र की शिकायतों को दूर करने के लिए अनुशासन और कल्याणकारी काम करना।

4.4 प्रशासकीय सुधारों का दर्शन

प्रशासकीय सुधार एक प्रक्रिया है जिसे अनेक चरणों में विभाजित किया जा सकता है। समस्याओं के आंकलन से लेकर, नीतियों के क्रियान्वयन तक। उद्देश्य है सुधार। जेराल्ड ई0 कैडेन के अनुसार प्रशासनिक सुधारों में निम्न बातें सम्मिलित है:-

क- प्रशासकीय परिवर्तन की आवश्यकता के प्रति जागरूकता।

ख- लक्ष्य, रणनीति और कार्यविधि का निर्माण

ग- सुधारों का क्रियान्वयन

घ- सुधारों का मूल्यांकन वस्तुगत दृष्टि से।

उस समय प्रशासनिक सुधार अनिवार्य हो जाते हैं जब प्रशासन अपने कर्मचारी वर्ग को संतुष्ट नहीं कर सकता है, आश्वस्त नहीं हो पाता कि समस्याएँ क्या हैं और कहाँ हैं? नागरिकों की शिकायतें दूर नहीं कर सकता तथा संगठन में चलने वाली गतिविधियों के बारे में उचित ढंग से सोच नहीं पाता।

प्रभावकारी सुधार लाने के लिए अनिवार्य है कि उन पर नजर रखी जाये और उनका मूल्यांकन किया जाये।

4.5 उत्तराखण्ड में प्रशासनिक सुधार

उत्तराखण्ड एक नवोदित राज्य है जो उत्तर प्रदेश से पृथक होकर 2000 में अस्तित्व में आया है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखण्ड की कुल आबादी 1,01,16,752 है। 1815 से लेकर 1947 तक उत्तराखण्ड एक पृथक प्रशासनिक इकाई बना रहा। इस दौरान उत्तराखण्ड के शासक मूल रूप से प्रशासक थे अर्थात् अंग्रेजी शासनकाल में उत्तराखण्ड को एक प्रशासनिक इकाई माना गया। अंग्रेजी प्रशासक बैटिन से लेकर रेम्जे तक उत्तराखण्ड से सम्बन्धित अनेक प्रशासनिक सुधार किये गये लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जहां स्वतंत्रता से पूर्व अंग्रेज प्रशासक उत्तराखण्ड के विकास के प्रति जागरूक रहे। वहीं स्वतंत्रता के बाद भारतीय प्रशासकों (उ0प्र0) ने इस क्षेत्र को अनदेखा कर दिया। उनकी उदासीनता से उत्तराखण्ड पूरी तरह पिछड़ गया। प्रशासनिक अधिकारी यहां आने से घबराते थे और यहां स्थानान्तरित होकर आते तो तैनाती को सजा समझते थे। जहाँ एटकिन्सन जैसे

प्रशासक ने उत्तराखण्ड का चप्पा-चप्पा खंगालकर महान शोध ग्रन्थ लिखे, वहां हम भारतीय प्रशासकों को देखने के लिए तरसते थे।

इस मानसिकता की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्तराखण्ड में पृथक राज्य आंदोलन आरंभ हुआ। मांग की गयी कि उत्तर प्रदेश से अलग एक राज्य के रूप में या केन्द्र शासित स्वायत्त प्रदेश के रूप में विकास का प्रयोजन होने चाहिए।

विकास के आयोजन स्थानीय जनता के हित के लिए, अचल-विशेष के उद्धार-सुधार-उन्नयन के लिए हो।

योजनाओं का दायित्व पुराने अधिकारियों-कर्मचारियों की अदला बदली से बने प्रशासनिक तंत्र पर न होकर नये लोगों से नवगठित नये 'काडर' पर हो। परिणाम स्वरूप, उत्तराखण्ड के गठन के बाद एक नई परिकल्पना के साथ राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना की गयी।

4.6 प्रशासनिक सुधार आयोग हेतु विचारार्थ विषय

उत्तराखण्ड शासन के संकल्प 223 दि0 - 10 मार्च, 2006 के अनुक्रम में प्रशासनिक सुधार आयोग हेतु निर्धारित विचारार्थ विषय के अन्तर्गत जिन विषयों एवं बिन्दुओं पर विचार किया जाना था, उनका विवरण निम्नवत् है

उत्तराखण्ड शासन का संगठनात्मक ढांचा -

1. राज्य स्तर से ग्राम स्तर तक विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों का दक्ष एवं संवेदनशील बनाना।
2. विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों का पुनर्गठन एवं सुदृढ़िकरण ताकि वे कार्यकुशल, मितव्ययी, संवेदनशील स्वस्थ, निष्पक्ष और सार्थक व्यवस्था दे सके।
3. मानव संसाधन का इस प्रकार से नियोजन कि कम से कम मानव संसाधन में अधिकतम एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य किया जा सके।
4. ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित किया जाना जिनमें शासकीय हस्तक्षेप को समाप्त किये जाने की आवश्यकता हो।
5. प्रत्येक प्रशासनिक इकाई को आधुनिक तकनीक एवं सूचना प्रौद्योगिकी के परिप्रेक्ष्य में पुनर्गठित करना।
6. विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों में परस्पर समन्वय हेतु उपाय।

शासन/प्रशासन में नैतिकता -

1. शासकीय व्यवस्था में भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं पारदर्शिता लाने हेतु उपाय।
2. मेहनतों एवं ईमानदार अधिकारी/कर्मचारियों के उत्पीड़न का समाप्त करना एवं जहां आवश्यक हो कार्यकारी विवेकाधिकार को सीमित करना।
3. शासकीय प्रक्रिया को सरलीकृत करते हुए अधिक जनप्रिय बनाना एवं मनमानी से निर्णय लेने पर प्रतिबंध की व्यवस्था।

4. राज नेताओं एवं अधिकारियों के बीच के सम्बन्धों में सद्भाव और परामर्श की प्रक्रिया में सरलता।
5. राज नेताओं एवं अधिकारियों के लिए आचरण संहिता।

कार्मिक प्रशासन को चुस्त दुरूस्त बनाया जाना -

1. भर्ती प्रशिक्षण एवं उपयुक्त स्थान पर उपयुक्त अधिकारियों, कर्मचारियों की तैनाती की व्यवस्था।
2. अधिकारियों/कर्मचारियों में कार्य उत्पादकता बढ़ाए जाने एवं उनके मूल्यांकन की व्यवस्था।
3. अधिकारियों की क्षमता विकास हेतु प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था।
4. अधिकारियों/कर्मचारियों के द्वारा किये गये कार्यों के वास्तविक मूल्यांकन को आर्थिक एवं सामाजिक लक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में देखना।

वित्तीय प्रबंधन व्यवस्था का सुदृढीकरण -

1. परियोजनाओं और कार्यक्रमों के लिए समय से बजट अवमुक्त करने की प्रक्रिया का सरलीकरण।
2. राजकीय धन का समय से सदुपयोग किये जाने को सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था।
3. विभिन्न स्तरों पर होने वाले व्ययों का लेखा-जोखा रखने की व्यवस्था।
4. प्रमाणीकरण के लिए आन्तरिक आडिट की व्यवस्था, वाहन आडिट पद्धति का विकास जिससे कार्यक्रमों के प्रभाव का सही मूल्यांकन हो सके।

राज्य से ग्राम स्तर तक प्रभावी प्रशासन सुनिश्चित करने हेतु उपाय -

1. प्रत्येक स्तर पर वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों का आवश्यकतानुसार प्रतिनिधापन।
2. प्रशासनिक इकाइयों में समुचित सामन्जस्य एवं समन्वय स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में उपाय एवं उनकी प्रभावकारिता के मूल्यांकन की व्यवस्था।

जिला प्रशासन को प्रभावी बनाये जाने हेतु उपाय -

1. जिला स्तर पर अधिकारियों की कार्य प्रणाली को अधिक उत्तरदायी एवं संवेदनशील बनाना एवं जनता की शिकायतों पर ध्यान देने के लिए उसे सक्षम बनाना।
2. जनसमस्याओं एवं उत्पीडन के मामलों के समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता देना।
3. जिला प्रशासन को वर्तमान परिवेश में आधुनिक एवं अधिक प्रभावी बनाये जाने और उसी क्षेत्र स्तर तक सर्वसाधारण को सुविधाएं मुहैया कराने की व्यवस्था बनाने के लिए सक्षम होना।
4. विकास कार्यों में जनसहभागिता को सम्भव बनाना।

स्थानीय निकाय/पंचायतीराज संस्थाएं -

1. प्रत्येक स्थानीय निकाय एवं पंचायतीराज संस्था को सक्षम/उत्तरदायी बनाये जाने के सम्बन्ध में वर्तमान व्यवस्था में संशोधन करना।
2. जन सुविधाओं की व्यवस्था को सुदृढ करने में जनसहभागिता की व्यवस्था।
3. संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन के अनुरूप कार्यविधि अपनाये जाने के सम्बन्ध में कठिनाइयों का निवारण।

सामाजिक पूँजी न्यास एवं सहभागी लोक सेवा वितरण पद्धति -

1. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं समाज के अन्य पिछड़े वर्गों तथा विषम भौगोलिक क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों के सामाजिक आर्थिक विकास की व्यवस्था की लिए रणनीति का निर्धारण।

2. जन सहभागिता के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर राजकीय कार्यक्रमों की प्रभावकारिता बढ़ाना।

3. विकास कार्यक्रमों के निर्धारण एवं क्रियान्वन में जन सहभागिता।

जन केन्द्रित प्रशासन -

1. व्यक्ति निरपेक्ष, जवाबदेह एवं पादरशी प्रशासन की व्यवस्था।

2. सरकारी कार्यों में विलम्ब को दूर करने हेतु उपाय तथा लोक सेवा वितरण पद्धति को चुस्त करना।

3. प्रशासन में जन सहयोग प्राप्त करने के सम्बन्ध में उपाय।

4. सिटिजन चार्टर तैयार किये जाने हेतु विभागों का चिन्हीकरण।

5. समय-समय पर जनता के सुझाव प्राप्त किये जाने हेतु कार्य पद्धति।

6. सूचना का अधिकार सभी को सरलता से उपलब्ध कराना।

ई-गवर्नेन्स को प्रोत्साहन -

1. शासकीय कार्यालयों में विज्ञान एवं तकनीक का अधिकतम उपयोग किये जाने की व्यवस्था।

2. शासन प्रशासन में गुणवत्ता सुधार किये जाने हेतु आधुनिक पद्धति से जवाबदेही की व्यवस्था।

आपदा प्रबन्धन -

1. भूकम्प के दृष्टिकोणों से उत्तराखण्ड अति संवेदनशील ज़ोन में अवस्थित होने के कारण भूकम्प के समय सुरक्षात्मक उपाय एवं बचाव के सम्बन्ध में विशेष योजनाएं बनाना।

2. उत्तराखण्ड के पर्वतीय अंचलों में अत्यधिक संख्या में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की संख्या को कम करने के सम्बन्ध में उपाय।

4.6.1 प्रशासनिक सुधार आयोग: प्रतिवेदन

26 जनवरी, 2007 को प्रशासनिक सुधार आयोग, उत्तराखण्ड ने अपना प्रतिवेदन शासन के समक्ष रखा जिसमें नीतिगत एवं सामान्य संस्तुतियां की गयी थी। संक्षेप में मुख्य संस्तुतियाँ निम्नवत् हैं, जो उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी संकल्प के तहत विषयों और बिन्दुओं की रोशनी में हैं:

4.6.2 उत्तराखण्ड शासन का संगठनात्मक ढांचा

1. सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन प्रशासनिक सुधार कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए प्रशासनिक सुधार अनुभाग का गठन होना चाहिए।

2. कार्मिकों की संख्यात्मक वृद्धि के स्थान पर नई तकनीकी गुणात्मक वृद्धि की जाये।

3. सूचना के अधिकार को प्रभावी बनाने हेतु विभागीय मैनुअल, हस्त प्रतिकाओं एवं मार्गनिर्देशिकाओं का अद्यावधिक एवं सरल रूप, सुदृढ़ अभिलेखागार प्रणाली, विभागीय मैनुअल वेबसाइट पर हो।
 4. निर्माण कार्य/भण्डार क्रय के लिए ऑन लाइन डिजिटलाइजेशन प्रक्रिया अपनाई जायें।
 5. जनपद एवं विभागाध्यक्ष स्तरीय कार्य सचिवालय स्तर पर न हो व क्षेत्रीय अधिकारियों को पर्याप्त अधिकार दिये जायें।
 6. राजस्व अधिकारियों को विकास योजनाओं के पर्यवेक्षण एवं समन्वय का दायित्व सौपा जाये।
 7. योजना निर्माण के लिए ग्राम पंचायत से लेकर जिला नियोजन समिति तक बैठकों की समय सारिणी हो।
 8. न्याय पंचायतों को विकास कार्यों से सम्बन्धित शिकायत सुनने तथा निराकरण कटने हेतु अधिकार दिये जायें।
 9. नियोजन विभाग द्वारा विभागीय योजनाओं की मासिक समीक्षा हो।
 10. सचिव/अपर सचिव केवल सचिवालय के कार्य देखे, विभागाध्यक्ष के नहीं।
 11. एक ही प्रकार के कार्य तद्विषयक दक्षता वाले विभाग द्वारा ही किये जायें।
 12. पटवारी तथा कानूनगो को एक सहायक उपलब्ध कराया जाये।
 13. मुख्य विकास अधिकारी द्वारा समस्त विकास योजनाओं की मासिक समीक्षा की जाये।
 14. मंत्रीगण तथा अधिकारियों के बीच अविलम्ब कार्य विभाजन किया जाये।
 15. विभागीय कार्य वितरण में वक्तव्यों का अधिकाधिक विकेन्द्रीकरण हो।
 16. विचलनों के माध्यम से दिये गये आदेशों की मुख्यमंत्री स्तर पर सामयिक समीक्षा हो।
 17. विभागों के बीच समन्वय प्रक्रिया हो।
 18. जिलाधिकारी संस्था का सुदृढ़ीकरण हो।
- 4.6.3 शासन/प्रशासन में नैतिकता**
1. लोकायुक्त के कार्य क्षेत्र व शक्तियों में वृद्धि हो।
 2. भ्रष्टाचार प्रकरणों में दण्ड की त्वरित तथा प्रभावी व्यवस्था हो।
 3. सेवा संघों में भ्रष्टाचार उन्मूलन व नैतिक आचार संहिता व्यवस्था हो।
 4. योजनाओं में पारदर्शिता के लिए सार्वजनिक सूचना प्रारूप तैयार किया जाये।
 5. कार्मिक उत्पीड़न निराकरण हेतु राज्य तथा मण्डल स्तर पर व्यवस्था हो।
 6. नियमों और प्रक्रियाओं का सरलीकरण हो।
 7. प्रभावपूर्ण पर्यवेक्षण प्रक्रिया हो।
 8. राजनेताओं, राज्य कर्मचारियों तथा समस्त संस्थाओं हेतु नैतिक आचार संहितायें हो।
- 4.6.4 कार्मिक प्रशासन को चुस्त दुरूस्त बनाया जाना**

1. मण्डल स्तर पर आयुक्त तथा शासन स्तर पर सचिव कार्मिक की अध्यक्षता में श्रेणी-3 तथा 4 की भर्ती पर निगरानी हेतु टास्क फॉर्स की स्थापना की जाये।
2. भर्ती साक्षात्कार में मनोवैज्ञानिक जांच की व्यवस्था हो।
3. अनावश्यक पद समाप्त हो।
4. कार्मिक प्रशिक्षण नीति का प्रशासनिक अकादमी की सहायता से निर्धारण हो।
5. कार्मिकों के कार्य मूल्यांकन हेतु सामाजिक, आर्थिक तथा नैतिक बिन्दु निर्धारण हो।
6. प्रत्येक अधिकारी के लिए प्रशिक्षण-कलैण्डर की व्यवस्था हो।

4.6.5 आपदा प्रबंधन

1. तत्काल प्रतिक्रिया के साथ-साथ कुशल प्रबन्धन को प्राथमिकता देना।
2. नागरिक सुरक्षा संगठन का उपयोग बचाव एवं राहत कार्यों हेतु किया जाना।
3. भूकम्प अवरोधी निर्माण के प्रशिक्षण एवं कार्यन्वयन का दायित्व ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा तथा नगरीय क्षेत्र में लो0नि0वि0 को देना। भवन निर्माण में भारतीय मानक ब्योरो का पालन करना।
4. प्रत्येक कार्यालय/संस्था स्तर पर भूकम्प बचाव योजना तैयार करना।
5. नियंत्रण कक्षों का आधुनिक संसाधन प्रदान करना।
6. अभियन्ताओं, ठेकेदारों तथा राज मिस्त्रियों को प्रशिक्षित करना।
7. पुराने भवनो का रेट्रोफिटिंग करना।
8. प्रशासन का सैनिक/अर्द्धसैनिक बलों से निरन्तर सम्पर्क बनाये रखना।

4.6.6 राज्य से ग्राम स्तर तक प्रभावी प्रशासन सुनिश्चित करना

1. वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों का प्रति निधायन।
2. लेखा परीक्षा का सुदृढीकरण करना।
3. जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी तथा खण्ड विकास अधिकारी के अधिकारों/दायित्वों में वृद्धि करना।
4. विकास कार्यों का परिषदों/अर्द्ध-सरकारी/गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से अधिकाधिक कार्यान्वयन करना।
5. अर्न्तविभागीय समन्वय सुदृढीकरण करना।
6. सूचना संसार प्रौद्योगिकी का अधिकाधिक उपयोग करना।

4.6.7 जिला प्रशासन को प्रभावी बनाये जाने हेतु उपाय

1. सचिवों के स्थान पर विभागाध्यक्षों तथा पर्यवेक्षणीय अधिकारियों के निरीक्षण दायित्व सौंपा जाये।
2. जन सेवा सम्बन्धित प्रार्थना पत्रों तथा पत्राचार पत्रों के लिए सरलतम आधार पत्र हो।

3. जिलाधिकारी एवं विभागाध्यक्षों के मध्य संवादशीलता में वृद्धि हो।
4. जिलाधिकारी द्वारा दूरस्थ केन्द्रों पर तथा मुख्य विकास अधिकारी द्वारा विकास खण्डों पर शिविरों का आयोजन करना।
5. विकास कार्यक्रमों में लाभार्थी समूहों की अधिकाधिक सहभागिता हो।
6. न्याय पंचायत तथा नगरीय वार्ड समितियों को स्थानीय समस्याओं के निदान उत्तरदायित्व सौंपा जाये।
7. कार्यालयों में प्राप्त शिकायतों के वर्गीकरण, अनुश्रवण व निस्तारण की व्यवस्था हो।

4.6.8 स्थानीय निकाय/पंचायती राज्य संस्थाएं

1. ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत के मध्य कार्यों एवं दायित्वों का विभाजन करना।
2. न्याय पंचायतों का पुनर्गठन करना। न्याय पंचायत केन्द्रों का न्याय पंचायत कार्यालय, किसान सेवा केन्द्र का, जन मिलन के रूप में विकास करना। न्याय पंचायतों को न्यायिक तथा विकास कार्यों सम्बन्धी शिकायतों/वादों के निस्तारण हेतु शुल्क प्राप्त करने का अधिकार हो।
3. नगरीय तथा ग्राम पंचायतों में वार्ड मेम्बर एवं वार्ड कमेटी बने।
4. प्रभावी नागरिक अधिकार पत्र व्यवस्था हो।
5. प्रत्येक स्तर पर विकास एवं नियामन सम्बन्धी कार्यों में अधिकाधिक जन सहभागिता हो।

4.6.9 जन केन्द्रित प्रशासन

1. व्यक्ति निरपेक्ष, पारदर्शी व जवाबदेह सेवाएं हो।
2. स्वकार्यशीलता व सु-सेवा की अवधारणा का विकास हो।
3. पत्रावलियों में निर्णय के स्तर तीन एक सीमित हो। अपूर्ण टिप्पणियों एवं आख्याओं की प्रवृत्ति कदाशयता की श्रेणी में हो।

4.6.10 ई-गवर्नेन्स को प्रोत्साहन

1. प्रदेश में सूचना संचार प्रौद्योगिकी का चरणबद्ध कर्यान्वयन हो। व्यापक योजना बने, छोटे-छोटे राज्यों को हाथ में लेकर तेजी से बढ़ाया जाये।
2. सूचना संचार प्रौद्योगिकी को लागू करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति में सचिव, सामान्य प्रशासन व एन0आई0सी0 के प्रतिनिधि सम्मिलित हो। सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी की अध्यक्षता में समन्वय समिति बने।
3. भारत सरकार एन0आई0सी0 की योजनाओं को प्राथमिकता दी जाये।
4. सभी विभागों तथा संस्थाओं द्वारा एक ही प्रकार के साफ्टवेयर का उपयोग हो। विभागों में पूर्ण सामान्य हो।
5. जन-सामान्य के लिए सरल सूचना संचार प्रौद्योगिकी भाषा व शब्दावली का प्रयोग हो।

कुल मिलाकर राज्य प्रशासकीय सुधार आयोग ने लगभग 300 संस्तुतियां की है जो सिद्धान्त एक आदर्श प्रशासकीय व्यवस्था की ओर इशारा करती है। उत्तराखण्ड अभी एक विकासशील राज्य है जो अनुभव की प्रक्रिया से गुजर रहा है। इस प्रक्रिया में प्रशासकीय सुधार आयोग की अहम भूमिका हो सकती है।

अभ्यास प्रश्न

निम्न में से सत्य और असत्य का चयन कीजिये --

1. ५ जनवरी १९६६ को प्रशासनिक सुधार आयोग अस्तित्व में आया.
2. उत्तराखण्ड नए राज्य के रूप किस सन में अस्तित्व में आया .
3. प्रशासनिक सुधार आयोग ने २० प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जिनके आधार पर १५८१ विस्तृत सिफारिस प्रस्तुत की गयी .
4. यह सिफारिस कृषि को छोड़कर अन्य सभी विषयों से सम्बंधित थी .
5. सन १९६४ में गृह मंत्रालय के अंतर्गत प्रशासनिक सुधार विभाग अस्तित्व में आया .
6. राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग ने लगभग ३०० संस्तुतियां की .
7. पाल एपलाबी की रिपोर्ट सर्वे ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया.

4.7 सारांश

विकासशील देश में सरकार का ध्यान प्रशासनिक सुधारों की ओर तभी जाता है जब आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था चरमराने लगती है। तब एहसास होता है कि प्रशासनिक आधुनिकीकरण कितना महत्वपूर्ण है।

छोटे या नये राज्य देश के अनुभव से सीखते हैं, उत्तराखण्ड ऐसा ही राज्य है। यह 2000 में गठित हुआ। इसके लगभग सभी उच्च अधिकारी अनुभवी हैं जो पहले उत्तर प्रदेश 'काडर' में कार्यरत थे।

प्रशासन को अत्याधिक आधुनिक बनाने का उत्तरदायित्व प्रशासनिक सुधार आयोग (भारत सरकार) पर है। उसने 1960 से लेकर अब तक अनेक प्रशासनिक सुधारों के लिए सुझाव दिये हैं। इन सुझावों में एक सुझाव ओ0एण्ड0एम0 का है जो विभागों, संगठनों के भीतर काम करता है। यह एक अध्ययन एवं शोध का काम करता है और अपने निष्कर्षों से विभागों और मंत्रालयों को लाभ पहुंचाता है।

उत्तराखण्ड का अपना प्रशासनिक सुधार आयोग है। शासन ने इस आयोग हेतु निर्धारित अधिकारादेश/विचारार्थ विषय के अन्तर्गत अनेक बिन्दुओं पर विचार करने एवं संस्तुतियां प्रदान करने का आग्रह किया। आयोग ने 26 जनवरी, 2007 दो भागों में अपना प्रतिवेदन नीतिगत एवं सामान्य सुस्तुतियों के अन्तर्गत सरकार को प्रस्तुत किया।

4.8 शब्दावली

ओ0एण्ड0एम0 : आर्गेनाइजेशन एण्ड मैथड्स (डिवीजन) जिसका काम प्रशासकीय अध्ययन और खोज करके विभागों या मंत्रालयों को दिशा निर्देश देना है।

ई-गर्वनेन्स : यह परिकल्पना कि शासन करना एक इंजीनियरिंग है। सूचना संचार प्रौद्योगिकी इसका आधार है।

मुख्य ग्रन्थ : ए0डी0 गोरवाला रिपोर्ट ऑन पब्लिक

एडमिनिस्ट्रेशन (1951) पाल एपेलेबी रिपोर्ट ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इण्डिया (1953) उत्तराखण्ड प्रशासनिक सुधार आयोग का प्रतिवेदन (2007)

4.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. सत्य 2.सत्य 3.सत्य 4.सत्य 5. सत्य 6. सत्य 7. सत्य

4.10 संदर्भ ग्रन्थ सूची

अवस्थी-अवस्थी -- भारतीय प्रशासन

ए.अवस्थी -केन्द्रीय प्रशासन

एस.आर. माहेश्वरी -स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया

4.11 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

सुभाष कश्यप -हमारा संविधान

डी.डी.बसु -भारत का संविधान

उत्तराखण्ड शासन की रिपोर्ट -संतुलित समयबद्ध विकास ,५ वीं वर्षगाँठ

4.12 निबंधात्मक प्रश्न

- 1.प्रशासनिक सुधार आयोग के सुधारों की विवेचना कीजिये ?
- 2.उत्तराखण्ड में प्रशासनिक सुधार पर निबंध लिखिए ?
- 3.आपदा प्रबन्धन के बारे में मुख्य संस्तुतियां क्या है

इकाई-5 गृह विभाग, वित्त विभाग, आपदा विभाग

इकाई की संरचना

5.0 प्रस्तावना

5.1 उद्देश्य

5.2 विभाग

5.2.1 विभाग के विभिन्न प्रकार

5.2.2 विभागीय संगठन का आधार, क्षेत्र अथवा प्रदेश

5.2.3 विभागाध्यक्ष

5.2.4 विभागों की संरचना

5.2.5 राजनीतिक अध्यक्ष

5.2.6 विभाग के गठन का सिद्धान्त

5.3 गृह विभाग

5.3.1 पुलिस बल- पुनर्गठन व आधुनिकीकरण

5.4 वित्त विभाग

5.4.1 एकीकृत भुगतान व लेखा प्रणाली

5.4.2 वित्त निदेशालय के कार्य

5.5 आपदा विभाग

5.5.1 जी.आई.एस. डाटाबेस

5.6 सारांश

5.7 शब्दावली

5.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

5.9 संदर्भ ग्रन्थ सूची

5.10 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

5.11 निबंधात्मक प्रश्न

5.0 प्रस्तावना

उत्तराखण्ड में राज्य प्रशासन के खण्ड-3 इकाई-९ में हम शासन के महत्वपूर्ण विभागों का अध्ययन करने जा रहे हैं। इससे पूर्व अध्यायों व उनकी इकाईयों में हमने प्रशासन के सभी तत्वों का विस्तृत अध्ययन किया है। इस इकाई में शासन की कार्यप्रणाली को संचालित करने वाले विभागों के बारे में अध्ययन किया जायेगा।

विभाग शब्द का शाब्दिक अर्थ सम्पूर्ण वस्तु का एक हिस्सा या अंग होता है। प्रशासन में सरकार का सारा काम अलग-अलग हिस्सों में बंटता होता है और प्रशासन की बड़ी-बड़ी इकाईयाँ इसे पूरा करने का काम करती हैं। इन इकाईयों को विभाग कहते हैं। सरकार का अधिकांश काम यही विभाग करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि विभाग देश की प्रशासनिक व्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण व बुनियादी इकाई हैं।

दुनियाँ के सभी देशों में सरकार का मुख्य कामकाज विभागों के माध्यम से ही होता है। सरकार के काम काज चलाने का यह सबसे पुराना व अनूठा तरीका है। प्राचीन और मध्य काल में भी राजा अपना काम अलग-अलग विभागों में बाँट कर कराया करते थे। जिनके लिये उससे सम्बन्धित अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी और कार्य का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व इन्हीं अधिकारियों का होता था। आज भी यही प्रणाली चली आ रही है। विभागों के अलग-अलग होने का सबसे बड़ा फायदा है, प्रशासन के कार्यों का तीव्रता के साथ सम्पन्न होना।

किसी भी राज्य के शासन को सफल बनाने का महत्वपूर्ण उसके विभाग करते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि विभाग शासन के आदेशों को क्रियान्वित कराने में अपना योगदान देते हैं। शासन की कार्य प्रणालियों को लागू कराने का काम विभाग करते हैं। हालांकि शासन को चलाने के लिये सभी विभाग महत्वपूर्ण होते हैं लेकिन कुछ विभाग अत्यधिक महत्वपूर्ण दर्जे में रखे जाते हैं जिनमें हम वित्त विभाग, गृह विभाग व उत्तराखण्ड जैसे पर्वतीय व भौगोलिक आधार पर संवेदनशील राज्य के लिये आपदा विभाग को इस दर्जे में रख सकते हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि खण्ड तीन की इकाई हमें इन विभागों के बारे में विस्तृत जानकारी देगी। जो विभाग और उसकी कार्य प्रणाली को समझने से सहायक होगी।

5.1 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन से हम समझेगे कि-

1. विभाग किसे कहते हैं।
2. विभाग की पहचान क्या है।
3. विभाग के प्रकार क्या है।

4. विभाग संगठन के रूप में कैसे कार्य करता है।
5. महत्वपूर्ण विभाग कौन-कौन से होते हैं।
6. गृह, वित्त, आपदा विभाग कैसे कार्य करते हैं।

5.2 विभाग

शाब्दिक अर्थ में विभाग का अर्थ किसी बड़े संगठन अथवा इकाई का अंग है। प्रशासन की तकनीकी शब्दावली में 'विभाग', शब्द का एक विशेष अर्थ होता है। प्रमुख कार्यकारी के अधीन रहने वाले समस्त कामकाज को अनेक खंडों में विभाजित कर लिया जाता है और इनमें प्रत्येक खण्ड को विभाग कहा जाता है। इस प्रकार विभाग प्रशासनिक पदसोपान में सबसे बड़ी तथा उच्चतम इकाई है। आधुनिक काल में विभाग के लिए 'प्रशासन', 'कार्यालय', 'अभिकरण', 'सत्ता', 'समिति', 'परिषद' आदि अनेक नाम से प्रचलित हुए हैं। विभाग की दो प्रमुख पहचानें हैं:-

1. इकाई का नाम चाहे कुछ भी हो, यदि वह प्रशासनिक सोपान के शीर्ष के समीप हो तथा उसके एवं प्रमुख कार्यकारी के बीच कोई अन्य इकाई न हो तो उसे विभाग कहेंगे
2. यदि वह इकाई प्रमुख कार्यकारी के अधीन तथा पूर्णतया उसके प्रति उत्तरदायी हो तो उस इकाई को विभाग कहा जायेगा।

5.2.1 विभाग के विभिन्न प्रकार

अपने आकार, संरचना, कार्य की प्रकृति, आंतरिक संबंधों आदि के आधार पर विभागों में परस्पर भिन्नता होती है। आकार के आधार पर विभागों को छोटे-बड़े दो वर्गों में बाँटा जा सकता है। भारत सरकार के रेलवे, डाक और तार-विभाग तथा प्रतिरक्षा विभाग बड़े विभाग हैं। इनमें लाखों कर्मचारी कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त पंजीकरण, स्थानीय स्वशासन आदि अनेक छोटे विभाग हैं जो राज्य सरकारों में होते हैं। संरचना की दृष्टि से विभागों को एकात्मक एवं संघात्मक भी कहा जाता है।

- (1) एकात्मक विभाग, वे विभाग हैं जो किसी निश्चित प्रयोजन की पूर्ति के लिए संगठित किये जाते हैं जैसे शिक्षा, पुलिस।
- (2) संघात्मक विभागों को अनेक कार्य करने होते हैं। वे वास्तव में अनेक उपविभाग के संघ होते हैं और इनमें से प्रत्येक उपविभाग का अपना पृथक कार्य होता है। जैसे भारत में गृह विभाग में लोक सेवाओं की नियुक्ति, अनुशासन तथा निवृत्ति, शान्ति और व्यवस्था, आदि विषयों का प्रबन्ध आता है।

5.2.2 विभागीय संगठन का आधार, क्षेत्र अथवा प्रदेश

प्रत्येक देश में विभागीय संगठन का एक आधार प्रदेश अथवा भौगोलिक क्षेत्र होता है। कुछ विभाग ऐसे होते हैं जिनका संगठन इस आधार पर किया जाता है। प्रत्येक देश का विदेश संबंध विभाग भौगोलिक आधार पर संगठित किया जाता है ताकि उन देशों के साथ संबंध रख सके जो उसकी सीमाओं से बाहर हैं। इस विभाग के प्रादेशिक उप विभाग भी होते हैं। 1947 में पहले भारत

कार्यालय भी इसी आधार पर बनाया गया था। भारत में विदेश मंत्रालय का संगठन भी इसी आधार पर किया गया है।

5.2.3 विभागाध्यक्ष

विभागीय संगठन में अध्यक्ष अथवा सर्वोच्च अधिकारी का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वही समूचे विभाग के निर्देशन और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होता है। अतः विभाग का अध्यक्ष पद एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक समस्या उत्पन्न करता है। इस समस्या के दो अंग हैं -

1. अध्यक्ष एक अकेला व्यक्ति अर्थात् एकल होना चाहिये, अथवा बहुल निकाय, जैसे कि मंडल अथवा आयोग।
2. विभागाध्यक्ष में प्रशासनिक योग्यता कैसी होनी चाहिये जैसे प्रबन्ध, तकनीकी योग्यता, विभाग की क्रियाओं के विषय में तकनीकी ज्ञान।

भारत में आमतौर पर विभागाध्यक्ष एकल व्यक्ति होता है। विभाग का राजनीतिक अध्यक्ष एक मंत्री तथा प्रशासनिक अध्यक्ष एक सचिव होता है। हमारे यहाँ कुछ विभागों का अध्यक्ष मंडल अथवा आयोग के रूप में होता है जैसे आयात-निर्यात कर, आयकर, केन्द्रीय आबकारी आदि विभागों की अध्यक्षता तथा नियंत्रण बोर्ड आफ डायरेक्ट टैक्सिज करता है। राज्यों में भी राजस्व, शिक्षा बिजली आदि विभागों के लिए मंडल बनाये जाते हैं। इस संबंध में विभाग के भीतर कार्य करने वाले दो प्रकार के मंडल हैं-

1. प्रशासनिक मंडल।
2. परामर्शकारी मंडल।

5.2.4 विभागों की संरचना

एक ही देश के भीतर विभिन्न विभागों की संरचना अलग-अलग प्रकार की हो सकती है। परन्तु, यह भेद अथवा अन्तर या विविधता केवल बारीक बातों में ही होती है। मोटे तौर पर विभागीय संगठन का एक सामान्य ढाँचा होता है तथा सब जगह प्रायः उसी का अनुसरण किया जाता है। भारत में संघ तथा राज्य सरकारों का कार्य अनेक मंत्रालयों में विभाजित कर सकते हैं। भारत सरकार अथवा राज्य सरकारों में मंत्रिमंडलों की रचना आमतौर पर तिमंजले मकान की तरह होती है। जिसे हम निम्न प्रकार से देख सकते हैं-

1. विभाग का राजनीतिक अध्यक्ष अर्थात् मंत्री सबसे ऊपर होता है और उसके नीचे एक या अनेक राज्यमंत्री अथवा संसदीय सचिव होते हैं जो काम में उसकी सहायता करते हैं।
2. सचिवालय संगठन अथवा संबंधित कार्यालय होते हैं जिनका अध्यक्ष एक स्थायी प्रशासनिक अधिकारी होता है जिसे आमतौर पर सचिव कहा जाता है।
3. मंत्रालय के भीतर विभाग अथवा विभागों का कार्यकारी संगठन होता है। इस कार्यकारी संगठन का अध्यक्ष आमतौर पर निर्देशक, महानिदेशक आदि नामों से पुकारा जाता है।

5.2.5 राजनीतिक अध्यक्ष

मंत्री, उसके उपमंत्री तथा संसदीय सचिव ये सब राजनीतिक अधिकारी होते हैं, जो मंत्रिमंडल के साथ बदलते रहते हैं। ये पद अपने दल के भीतर अपनी शक्ति और स्थिति के कारण प्राप्त करते हैं, किसी विशेष योग्यता के आधार पर नहीं। विभागीय मंत्री तीन प्रकार के कार्य करता है-

1. उन व्यापक नीतियों का निर्माण करता है जिसके अनुसार विभाग को कार्य करना होता है और विभाग के भीतर उठने वाले नीति संबंधी अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में निर्णय करता है।
2. वह विभाग द्वारा नीतियों के क्रियान्वयन पर सामान्य अधीक्षण करता है।
3. वह अपने विभाग की नीति तथा उसके प्रशासन के बारे में संसद के सामने स्पष्टीकरण देता है और उत्तरदायी होता है। वह इस बारे में प्रश्नों के उत्तर देता है, आवश्यक विधेयक प्रस्तुत करता है तथा दूसरे विभागों के संदर्भ में एवं जनता के सामने अपने विभाग का प्रतिनिधित्व करता है। उसके उपमंत्री तथा संसदीय सचिव आदि उसके द्वारा सौंपे कार्य को पूरा करते हैं तथा जब वह संसद में स्वयं उपस्थित नहीं होता है तो वहाँ उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। लोकतंत्र में प्रशासन का संचालन मूलतः राजनीतिक अध्यक्षों के द्वारा किया जाता है।

5.2.6 विभाग के गठन का सिद्धान्त

सुचारु रूप से प्रशासन चलाने के लिए सरकार के काम को बाँटना जरूरी है। यूनानी दार्शनिक अरस्तू ने काम के बाँटवारे के लिए दो आधार सुझाए थे। एक व्यक्तियों या वर्गों के अनुसार, दूसरा सेवाओं के अनुसार।

लूथर गुलिक के अनुसार आधुनिक युग में विभागों के गठन के लिए चार सिद्धान्तों के आधार अपनाए जाते हैं। ये आधार हैं: उद्देश्य, प्रक्रिया, व्यक्ति और स्थान। लूथर गुलिक ने इसे 4-पी का फार्मूला कहा। इन प्रत्येक का विवरण निम्न है-

1. उद्देश्य-

अधिकांश देशों में सत्ता के किसी खास काम या उद्देश्य के लिए एक विभाग बनाया जाता है। उदाहरण के लिए- देश की रक्षा के लिए रक्षा विभाग बनाया गया, लोगों की स्वास्थ्य की देखभाल के लिए स्वास्थ्य विभाग और उन्हें शिक्षित करने के लिए शिक्षा विभाग का गठन किया गया। ज्यादातर देशों में अधिकतर विभाग उद्देश्य पर ही आधारित होते हैं। विभागों के गठन का यह बहुत आसान, बहुत आम और बहुत कारगर सिद्धान्त है। इससे काम में दुहरापन नहीं आता और इसे समझना भी आसान है। यदि विभागों का गठन विशेष उद्देश्य या विशेष काम को पूरा करने के लिए किया जाए तो आम आदमी आसानी से बता सकता है कि कौन सा काम किस विभाग के जिम्मे है।

2. प्रक्रिया -

प्रक्रिया का अर्थ किसी तकनीक, किसी दक्षता या विशेष प्रकार के पेशे से है। उदाहरण के लिए: लेखांकन, टंकण, आशुलिपि, इंजीनियरी, और कानूनी सलाह आदि ऐसी प्रक्रियाएँ हैं जिनकी

आमतौर पर सभी सरकारी संगठनों में जरूरत पड़ती है। सभी संगठनों को लेखांकन, टंकण, आशुलेखन, भवन, कानूनी सलाह, लेखांकन की आवश्यकता होती है। अतः कुछ देशों में अलग-अलग प्रक्रियाओं के आधार पर अलग-अलग विभाग बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए विधि विभाग, लोक निर्माण विभाग या लेखा विभाग बनाए जाते हैं जो अन्य सभी विभागों की मदद करते हैं और उनकी विशेष जरूरतों को पूरा करते हैं। लेकिन प्रक्रिया पर आधारित विभागों की संख्या गिनी-चुनी होती है। यदि विभागों का गठन प्रक्रिया के आधार पर किया जाए तो विशेषज्ञता और नवीनतम तकनीकी दक्षता सबको उपलब्ध करायी जा सकेगी। प्रशासन में अधिकतम किफ़ायत, बेहतर, तालमेल और एकरूपता आयेगी। इसके साथ ही साथ प्रक्रिया पर आधारित विभागों के कर्मचारियों में घमंड, संकीर्णता और श्रेष्ठता की भावना पैदा हो जायेगी। फिर भी सभी देशों में कुछ विभाग प्रक्रिया के आधार पर बनाए जाते हैं।

3.व्यक्ति-

प्रत्येक समाज में कुछ व्यक्ति या समूह होते हैं। जिनकी समस्याएँ, विशेष और सबसे अलग होते हैं और जिन्हें विशेष सेवाओं की जरूरत पड़ती है। उदाहरण के लिए शरणार्थी, आदिवासी, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के लोग, बिकलांग और पेंशनभोगी आदि। कुछ देशों में कुछ सरकारी विभाग विशेष तौर पर कुछ विशेष समूहों या व्यक्तियों की सभी समस्याओं से निपटने के लिए बनाए जाते हैं। पुर्नवास विभाग, आदिवासी कल्याण विभाग, पेंशनर विभाग, समाज कल्याण विभाग या श्रम विभाग आदि उन विभागों के उदाहरण हैं जिनका गठन व्यक्तियों के आधार पर किया जाता है। संबद्ध समूह या व्यक्ति इन विभागों से आसानी से संपर्क कर सकते हैं, और यह विभाग भी व्यवस्थित और समन्वित रूप से सभी प्रकार की सेवाएँ, उन्हें कारगर ढंग से उपलब्ध करा सकते हैं, लेकिन विशेष समूहों के लिए विशेष विभागों की स्थापना से उन विभागों में इन समूहों के निहित स्वार्थ विकसित हो जाते हैं और वे प्रशासन पर दबाव डालने की कोशिश करते हैं। फिर भी अनेक देशों में समूहों या व्यक्तियों के आधार पर कुछ विभागों का गठन किया ही जाता है।

4.स्थान -

प्रत्येक देश में कुछ इलाका, प्रदेश या क्षेत्र ऐसा होता है, जिसकी अपनी विशेष समस्याएँ होती हैं, जिनके कारण उसे विशेष ध्यान और विशेष सेवाओं की जरूरत होती है। अतः उस क्षेत्र विशेष के लिए अलग विभाग का गठन किया जाता है। इस तरह के विभाग का सबसे बढ़िया उदाहरण आज़ादी से पहले अंग्रेज सरकार द्वारा भारतीय मामलों के विभाग का गठन था। आज भी ब्रिटेन में स्काटलैंड और आयरलैंड के मामलों के लिये अलग-अलग विभाग हैं। भारत सरकार का विदेश मंत्रालय भी ऐसे विभागों का एक उदाहरण है। कई विभागों को अलग-अलग प्रभागों में बाँट दिया जाता है जो अलग-अलग भौगोलिक क्षेत्रों की देखभाल करते हैं। उदाहरण के लिए रेल विभाग के कई क्षेत्रीय मंडल हैं, जैसे पश्चिम रेलवे, मध्य रेलवे, दक्षिण रेलवे या दक्षिण मध्य रेलवे इत्यादि।

भारत में क्षेत्र या स्थान विशेष के लिए गठित विभागों की संख्या बहुत कम है। इस प्रकार हमने देखा कि विभागों के गठन के लिए चार मुख्य सिद्धान्त या आधार हैं - उद्देश्य, प्रक्रिया, व्यक्ति और स्थान। प्रत्येक सिद्धान्त के अपने-अपने फायदे और नुकसान हैं। ऐसे में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि विभागों के गठन के लिए कौन से सिद्धान्त या आधार को सर्वोत्तम माना जाये। यह प्रश्न जितना सहज है उसका उत्तर उतना ही कठिन है। वास्तव में विभागों का गठन किसी एक सिद्धान्त के आधार पर नहीं किया जाता। प्रशासनिक सुविधा तथा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार विभागों के गठन के लिए विभागीकरण के चारों सिद्धान्तों का उपयोग किया जाता है। कोई एक सिद्धान्त सर्वोत्तम नहीं है। चारों सिद्धान्त एक दूसरे के पूरक हैं और विभागों के गठन के लिए सभी देशों में इन सबका प्रयोग किया जाता है।

यह बात हम जान चुके हैं कि किसी भी शासन व्यवस्था में विभाग कितने महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शासन को चलाने के लिये सभी विभाग महत्वपूर्ण होते हैं लेकिन कुछ विभाग अति महत्वपूर्ण होते हैं जैसे- गृह, वित्त, कार्मिक व आपदा विभाग व अन्या। यहाँ हम गृह, वित्त व आपदा विभाग के बारे में उत्तराखण्ड के संदर्भ में चर्चा करेंगे।

5.3 गृह विभाग

कानून- व्यवस्था की स्थिति दीर्घकालीन समग्र विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है। उत्कृष्ट कानून व्यवस्था प्रगति तथा सुखमय जन जीवन की बुनियादी जरूरत है और यह उपलब्धि आज के संदर्भ में उत्तराखण्ड राज्य की प्रमुख विशेषता है। लेकिन बदलते परिवेश में कानून व्यवस्था की चुनौतियाँ सभी जगह विद्यमान हैं। राज्य गठन के बाद सरकार ने उत्तराखण्ड में अपराधों की रोकथाम तथा अमन चैन कायम रखने के लिये कारगर प्रयास कर परंपरागत छवि हटकर मित्र पुलिस बल की स्थापना पर जोर दिया। राज्य में पुलिस बल के आधुनिकीकरण के साथ महिला हैल्पलाइन की भी स्थापना राज्य में की गयी। कारागार विभाग, होमगार्ड्स के कल्याण हेतु नई नीतियों के साथ ही इनका समुचित प्रयोग किया गया।

हम जानते हैं कि गृह, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग मुख्य रूप से कानून व्यवस्था को चुस्त एवं दुरुस्त बनाय रखने हेतु उत्तरदायी हैं। इन विभागों में नीति विषयक निर्णय कराने, बजट तैयार कर विधायिका से अनुमोदन के पश्चात धनराशि अवमुक्त करने, सी.आई.डी. को प्रकरण संदर्भित करने, दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोजन का निर्णय लेने, शस्त्र लाईसेंसों की सीमा विस्तार, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से प्राप्त मामलों का अनुश्रवण करने, राज्य मानवाधिकार आयोग से संबंधित कार्यों को संपादित करने, विधानसभा/विधान परिषद में प्रश्नों के उत्तर देने, भारत सरकार से पुलिस संबंधी मामलों में समन्वय तथा राज्य में कानून व्यवस्था से संबंधित कार्यों का निष्पादन करते हैं।

विभाग द्वारा नागरिकों, अति विशिष्ट व्यक्तियों एवं महत्वपूर्ण अधिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है (महानुभावों, राज्य अतिथिगण)। पुलिस एवं कारागार प्रशासन विभाग में

पुलिस आधुनिकीकरण योजना एवं कारागार आधुनिकीकरण योजना के अर्न्तगत नीतिनिर्धारण बजट व्यवस्था एवं व्यय का अनुश्रवण मुख्य कार्य है।

उपरोक्त कार्यों को सम्पादित करने हेतु प्रमुख सचिव के सहायतार्थ सचिव, विशेष सचिव, ओ.एस.डी. एवं उप/अनुसचिव कार्यरत है। विभागाध्यक्ष स्तर पर पुलिस महानिदेशक के अतिरिक्त, महानिदेशक (अभियोजन), महानिदेशक (सी.बी.सी.आई.डी.), महानिदेशक (अग्निशमन सेवाएं), महानिदेशक(तकनीकी सेवाएं), महानिदेशक(प्रशिक्षण सेवाएं), महानिदेशक(विशेष जॉंच), एवं महानिदेशक(कारागार एवं सुधार विभाग) नियुक्त हैं। अपर पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारी के अधीन भ्रष्टाचार निवारण संगठन कार्यरत हैं, जिन्हें इस कार्यालय में प्राप्त शिकायतें संदर्भित की जाती हैं।

5.3.1 पुलिस बल- पुनर्गठन व आधुनिकीकरण

उत्तराखण्ड राज्य गठन के बाद राज्य के पुलिस बल के ढाँचे में उत्तर-प्रदेश से हट कर नये तरीके से तैयार किया गया। राज्य की संवेदनशील सीमाओं पर पुलिस की विशेष टुकड़िया तैनात की गयी है। राज्य के गठन के बाद से 4000 आरक्षी, 253 पुलिस उप निरीक्षक, 450 भूतपूर्व सैनिक, एक इण्डिया रिजर्व बटालियन, दो कम्पनी महिला सशस्त्र बल व 334 महिला आरक्षी की भर्ती कर पुलिस बल का पुनर्गठन किया गया। यह विभाग का आरंभ था। देश की भौगोलिक स्थितियों को देखते हुए गृह विभाग पर सरकार का विशेष ध्यान रहा। राज्य की स्थापना के बाद 17 नये थाने तथा 17 नई चौकियां की स्थापना की गयी। साथ ही केन्द्र सरकार की पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अधीन नई संचारण क्षमता उपलब्ध कराई गयी। आधुनिक अस्त्र-शस्त्र, उपकरणों, अपराध विवेचना के नवीन संसाधनों, आधुनिक संचार साधनों से विभाग का व समस्त कर्मचारियों का सुदृढीकरण किया गया है। इसके साथ ही प्रत्येक जिले में महिला हैल्प लाईन व प्रत्येक जिले में महिला डैक्स की स्थापना की गयी है। जो महिलाओं से सम्बन्धित समस्याओं के त्वरित निवारण पर अपना सहयोग प्रदान करते हैं। विभाग को सूचना संचार के साधनों से आधुनिक बनाया गया है, जिसके लिये राज्य में उपलब्ध सभी संचार प्रणालियों को एकीकृत कर सहतरंग नामक एकल संचार योजना क्रियान्वित की गयी है। इस कार्य में केन्द्रीय सुरक्षा बलों व भारतीय संचार निगम लिमिटेड को भी शामिल किया गया है। भारत -नेपाल की सीमा, जो राज्य से मिलती है उसकी संवेदनशीलता को देखते हुए भारत सरकार द्वारा इस सीमा का प्राथमिक प्रबंधन सशस्त्र सीमा बल को सौंपा गया है। बल को इस कार्य में सहयोग की दृष्टि से सीमा से 15 किलोमीटर क्षेत्र में तलाशी एवं जब्ती के अधिकार भी दिये गये हैं।

5.4 वित्त विभाग

किसी भी राज्य का वित्त विभाग केन्द्र की भाँति उस राज्य के वित्त मंत्रालय के अधीन होता है। मंत्रालय का काम बजट बनाना और इसे लागू करवाना होता है। वित्त विभाग राज्य के सभी विभागों के लेखा-जोखा व आहरण - वितरण का संचालन करता है। विभिन्न विभागों के अधिकारी अपने

विभागों के विभिन्न प्रस्तावों व योजनाओं के लिये अनुमानित धनराशि का ब्यौरा प्रस्तुत करते हैं। विभागों का यह लेखा या हिसाब किताब निश्चित अवधि में महालेखाकार के लेखों से मिलाया जाता है। यह काम विभिन्न राजकोषों से हर पखवाड़े मिले लेखों के आधार पर किया जाता है। इन सभी कार्यों को वित्त विभाग के सहयोग से ही पूरा किया जाता है। वित्त विभाग किसी भी राज्य का सबसे महत्वपूर्ण विभाग होता है।

उत्तराखण्ड राज्य गठन के साथ ही राज्य की वित्त व कोषागार सेवाओं को स्थापित किया गया। वित्त विभाग का नियंत्रक वरिष्ठतम् अधिकारी होता है, जो वित्त सेवा से चयनित होता है। राज्य के राजकीय आहरण वितरण का निरीक्षक व नियंत्रक राज्य का वित्त निदेशालय होगा। निदेशालय राज्य के सभी सरकारी विभागों के आहरण व वितरण की जिम्मेदारी कोषागार व उप कोषागारों को देता है। राज्य का वित्तीय निदेशालय देहरादून में है। उत्तराखण्ड राज्य कुशल वित्तीय प्रबन्ध के प्रयास में सफल हो रहा है। सरकार करों के बिना विकास योजनाओं के लिये नये स्रोतों से संसाधन जुटाने का प्रयास किया है जिससे राज्य के आम जन पर अतिरिक्त भार नहीं पड़ा है। वित्त विभाग द्वारा प्रयास किये गये कि कार्मिकों व पेंशन भोगियों को नियत समय पर भुगतान किया जा सके। सरकार द्वारा शासकीय लेन देन की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिये भारतीय रिजर्व बैंक से समझौता कर स्टेट बैंक को एजेंट के रूप नियुक्त किया गया और वित्तीय संस्थाओं को कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है। सरकार आम जन को सुविधा देने के लिये वित्त विभाग के कर्मचारियों को आधुनिक प्रशिक्षण समय-समय पर दे रही है। जिससे वित्त विभाग की दक्षता बढ़ी है। सरकार ने ऐसे प्रयास किये हैं कि राज्य के सभी कोषागार व उपकोषागार पूर्णतया कम्प्यूटरीकृत है और एक दूसरे से सम्बन्धित हैं। वर्तमान में वित्त विभाग की संरचना को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है-

राज्य का डाटा केन्द्र (देहरादून में)

13 जिला कोषागार

14 उच्चकृत कोषागार

02 आहरण और लेखा विभाग

60 उपकोषागार

02 नोडल केन्द्र नॉन पोस्टल स्टाम्प

5.4.1 एकीकृत भुगतान व लेखा प्रणाली

कोषागार व्यवस्था तथा केन्द्र सरकार की विभागीय वेतन एवं लेखा कार्यालय की व्यवस्था पर किये गये अध्ययनों से यह निष्कर्ष है कि राज्य सरकार ग्रामीण स्तर पर नियुक्त होने के कारण प्रत्येक विभाग के वेतन और लेखा कार्यालय का बड़ा नेटवर्क रहता है जिससे अनावश्यक व्यय होने के साथ-साथ भुगतान में भी विलम्ब होता है। इन कमियों को दूर करने के लिये सरकार ने राज्य में एकीकृत भुगतान एवं लेखा प्रणाली लागू की। जिससे सरकारी कार्यालयों के कर्मचारियों के लिये ई-

पेट्रोल व्यवस्था शुरू की गयी। जिसका फायदा राज्य कर्मचारियों को मिल रहा है। इस व्यवस्था से निम्न लाभ प्राप्त हुए हैं -

1. उत्तराखण्ड ऐसा पहला राज्य है, जहाँ कम्प्यूटर पर आधारित एकीकृत भुगतान एवं लेखा प्रणाली लागू की गयी है।
2. बैंकों के नेटवर्किंग के फलस्वरूप उपलब्ध कोर बैंकिंग की सेवाओं का एकीकृत भुगतान व लेखा प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है। जिससे दूर दराज के कर्मचारियों को लाभ प्राप्त हो रहा है और वो त्वरित भुगतान की सुविधा ले रहे हैं।
3. प्रत्येक कोषागार में सरकारी कार्यालयों के कर्मचारियों की सेवा तथा वेतन संबंधी विवरण का डाटा बेस बैंक निर्मित किया गया है। जिससे कर्मचारी अपनी वेतन सम्बन्धी मामलों को इन्टरनेट के माध्यम से देख व समझ सकता है।
4. भुगतान की समस्त सूचना इन्टरनेट में सरकारी साईट पर उपलब्ध है।

5.4.2 वित्त निदेशालय के कार्य

राज्य में वित्तीय कार्यों के लिये वित्त विभाग द्वारा एक निदेशालय का गठन किया गया है, जिसका कार्य राज्य में समस्त सरकारी विभागों का वित्त संबंधी लेखाओं का संचालन करना होता है। इसके कार्यों को हम निम्न रूप से देख सकते हैं-

1. निदेशालय के द्वारा राज्य सरकार के समस्त भुगतान आहरण- वितरण अधिकारी के माध्यम से किये जाते हैं।
2. राज्य सरकार की समस्त प्राप्तियां बैंको के माध्यम से निदेशालय के निर्देशन से की जाती हैं।
3. निदेशालय राज्य सरकार की तरफ से मूल्यवान वस्तुओं का रख-रखाव करता है।
4. इसके साथ ही निदेशालय राज्य में गैर पोस्टल स्टाम्प का भण्डारण व विक्रय का कार्य करता है।
5. निदेशालय समस्त श्रेणी के पेंशनरो के पेंशन वितरण का कार्य करता है।
6. एकीकृत लेखा एवं भुगतान कार्यालय के माध्यम से राज्य कर्मचारियों को वेतन एवं भत्तों का भुगतान करना।
7. सोसाइटी एक्ट 1860, साझेदारी अधिनियम 1932 में अन्तर्गत संस्थाओं का पंजीकरण एवं अन्य सम्बन्धित कार्य करना।
8. स्वायत्तशासी संस्थाओं/स्थानीय निकायों के वैयक्तिक लेखों का रख रखाव करना।
9. निर्माण विभागों की भुगतान धनराशि व डेविड-क्रेडिट सम्बन्धी लेखा का ब्यौरा रखना।
10. विभागों की प्राप्तियों की वापसी का विवरण रखना।
11. आहरण-वितरण अधिकारियों का बजट नियंत्रण।
12. कर्मचारियों की सेवानिवृति पर सामूहिक बीमा निधि का भुगतान करना।
13. चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की सामान्य भविष्य निधि के रख-रखाव का ब्यौरा रखना।

5.5 आपदा विभाग

क्षेत्र की भौगोलिक, भूगर्भाय एवं पारिस्थितिकीय संरचना उत्तराखण्ड राज्य को प्राकृतिक एवं मानवीय परिवर्तनों के प्रति अत्यन्त संवेदनशील बनाती है। यही इस क्षेत्र की आपदाओं का मुख्य कारण भी है। भूकंप की दृष्टि से राज्य के चार जिले अति संवेदनशील जोन-5 व पांच जिले संवेदनशील जोन-4 में आते हैं। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए उत्तराखण्ड गठन के बाद सरकार द्वारा आपदा प्रबन्ध विभाग की स्थापना की गयी। आपदा विभाग द्वारा आपदा प्रबन्ध को व्यावहारिक बनाने के लिये प्रदेश के आपदा प्रबन्ध तंत्र को इस प्रकार विकसित किया गया है कि आपदा प्रबन्ध में राज्य एवं जनपद स्तरीय अधिकारियों/कर्मचारियों के अतिरिक्त स्वयंसेवी संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों, जनप्रतिनिधियों एवं जनसामान्य की स्पष्ट भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।

राज्य स्तर पर देहरादून में विभाग ने आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्ध केन्द्र की स्थापना सचिवालय परिसर में की गयी है। इस केन्द्र का ध्येय जागरूकता, सूचना, प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता एवं क्षमता विकास के माध्यम से राज्य में आपदाओं के जीवन एवं पर्यावरण सुरक्षा हेतु एक ऐसे तंत्र की स्थापना करना जो कि राज्य की आपदाओं के प्रति संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए आपदा से पूर्व, आपदा के समय एवं आपदा के पश्चात की गतिविधियों का संसाधनों के अधिकतम संभव उपयोग के साथ सुचारू व समयबद्ध तरीके से क्रियान्वयन सुनिश्चित कर सके। आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्ध केन्द्र विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। केन्द्र नई तकनीकी के प्रयोग से आपदा सम्बन्धी जानकारी को पहले ही देने में सक्षम है। केन्द्र ऐसे लोगों के साथ सम्पर्क में रहता है जो आपदा प्रबन्धन के कार्यों में लगे रहते हैं तथा अनुभवी होते हैं। आपदा विभाग की संरचना को निम्न प्रकार से देख सकते हैं-

आपदा विभाग की संरचना

1. मुख्य सचिव (ई.सी) अध्यक्ष
2. प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड सरकार सदस्य
3. प्रमुख सचिव, गृह, उत्तराखण्ड सरकार सदस्य
4. प्रमुख सचिव, राजस्व, उत्तराखण्ड सरकार सदस्य
5. प्रमुख सचिव, आपदा प्रबन्धन, उत्तराखण्ड सरकार सदस्य
6. प्रमुख सचिव, सिंचाई, उत्तराखण्ड सरकार सदस्य
7. निदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल सदस्य
8. आयुक्त रिलिफ, उत्तराखण्ड सरकार सदस्य
9. कार्यकारी निदेशक, आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्ध केन्द्र सचिव/ सदस्य

कार्यकारी समिति के सदस्य

1. प्रमुख सचिव/सचिव आपदा प्रबन्धन, उत्तराखण्ड सरकार अध्यक्ष

2. निदेशक उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल सदस्य
3. कार्यकारी निदेशक, आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्ध केन्द्र सचिव/ सदस्य
4. अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड सरकार सदस्य

18.5.1 जी.आई.एस. डाटाबेस

विभिन्न प्रकार के आधारित संरचना के डाटाबेस एक महत्वपूर्ण साधन हैं जिसके द्वारा आपदा से बेहतर तरीके से निपटा जा सकता है। इसके लिये आपदा विभाग ने जी.आई.एस.(ज्योग्रैफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम) के द्वारा सम्पूर्ण उत्तराखण्ड की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर ली है। आपदा न्यूनीकरण व प्रबन्ध केन्द्र द्वारा सेटेलाईट से प्राप्त डाटा(सूचनाएं) का प्रयोग आपदा से निपटने में कर रहा है। आपदा न्यूनीकरण व प्रबन्ध केन्द्र के द्वारा निम्न विषयों पर आधारीक संरचना एकत्रित की जा चुकी है।

1. निकासी व्यवस्था(नालियों)
2. आवास
3. सड़कें
4. सिंचाई
5. स्वास्थ्य संगठन
6. पुलिस एवं राजस्व पुलिस संरचना
7. बेहतर संचार व्यवस्था
8. एफ.सी.आई. गोदाम

राज्य में आपदा न्यूनीकरण व प्रबन्ध केन्द्र की इकाईयां निम्न स्थानों पर हैं-

- 1.अल्मोड़ा, 2.बागेश्वर, 3.चमोली, 4.चम्पावत, 5.देहरादून, 6.हरिद्वार, 7.नैनीताल, 8.पौड़ी,
- 9.पिथौरागढ़ 10.रूद्रप्रयाग 11. टिहरी, 12. उत्तरकाशी, 13. उधम सिंह नगर

राज्य के सभी जिलों में आपदा विभाग द्वारा केन्द्र स्थापित किये हैं, जो आपदा के समय अपनी सेवा प्रदान करते हैं। ये केन्द्र जनपद में विभिन्न विभागों के प्रशिक्षित कार्मिकों का क्षेत्रवार विवरण तथा कार्य क्षेत्र निर्धारण खोज व बचाव दल जिन्हें आपदा प्रबन्ध द्वारा प्रशिक्षित किया गया है एवं चिन्हित किया गया है, उनकी सूची आपदा प्रबन्ध विभाग के पास उपलब्ध कराता है। साथ ही केन्द्र जिला इकाईयों के साथ मिल कर जागरूकता कार्यक्रम प्रशासन के निर्देशानुसार तैयार करता है तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था भी करता है। आज हम देख रहे हैं कि निरन्तर पर्यावरण असंतुलित हो रहा है और जिस तरह पर्यावरण असंतुलित हो रहा है उसी तरह प्राकृतिक आपदाओं का स्वरूप भी बदल रहा है। ये सब ध्यान में रखते हुए आम लोगों को खतरों के प्रति जागरूक किया जा सकता है। जिसके लिये आपदा विभाग का गठन किया गया है। आपदा विभाग के गठन के बाद से राज्य आज

आपदा से बचाव के लिये तरह-तरह के कार्यक्रम चला रहा है। जिससे राज्य सरकारों को आपदा से निपटने के लिये सहायता मिल रही है।

अभ्यास प्रश्न

1. संरचना की दृष्टि से विभागों को दो भागों में बाँटा जाता है, उनके नाम बताएँ।
2. विभाग के भीतर कार्य करने वाले दो प्रकार के मंडलों के नाम बताएँ।
3. लूथर गूलिक ने विभागों के गठन के लिए कौन सा फार्मूला दिया?
4. उत्तराखण्ड राज्य का वित्तीय डाटा केन्द्र कहाँ है?
5. राज्य का आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्ध केन्द्र कहाँ स्थित है?
6. जी.आई.एस. का पूरा नाम क्या है

5.6 सारांश

किसी भी शासन व्यवस्था का पहला गुण वहाँ की कार्यप्रणाली का आवंटन होता है। कार्य को क्रियान्वित करना विभागों के जिम्मे होता है। शासन के समस्त कार्यों को अलग-अलग विभागों द्वारा किया जाता है। इस इकाई में हमने शासन के सबसे महत्वपूर्ण विभागों गृह, वित्त व उत्तराखण्ड राज्य के लिये सबसे अधिक महत्व रखने वाला आपदा विभाग का अध्ययन किया। इस अध्याय में राज्य के गृह विभाग की विस्तृत चर्चा की गयी तथा राज्य के पुलिस व्यवस्था का अध्ययन किया गया। इसी के साथ राज्य के वित्त विभाग के प्रत्येक पहलू का अध्ययन किया गया। आपदा प्रबन्ध विभाग राज्य में कैसे काम कर रहा है इसकी भी चर्चा इस अध्याय में की गयी।

5.7 शब्दावली

जी.आई.एस. -- ज्योग्राफिकल इन्फोर्मेशन सिस्टम

४पी -- १. उद्देश्य २. प्रक्रिया ३. व्यक्ति ४. स्थान

राजनीतिक अध्यक्ष—किसी विभाग का मंत्री उस विभाग का राजनीतिक अध्यक्षरा होता है

5.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. एकात्मक और संघात्मक 2. प्रशासनिक मंडल, परमशर्कारी मंडल 3. ४ पी 4. देहरादून 5. देहरादून 6. ज्योग्राफिकल इन्फोर्मेशन सिस्टम

5.9 संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. अवस्थी व माहेश्वरी - लोक प्रशासन
2. वी.डी. बलूनी - उत्तराखण्ड एक सम्पूर्ण अध्ययन
3. उत्तराखण्ड शासन - वार्षिक रिपोर्ट, सन्तुलित, समयबद्ध व समग्र विकास
4. शेखर पाठक - संपादक पहाड़, नैनीताल

5.10 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

1. सविता मोहन व हरीश यादव - उत्तरांचल समग्र अध्ययन

5.11 निबंधात्मक प्रश्न

1. विभाग से आप क्या समझते हैं? विभागीय संगठन का आधार, क्षेत्र व गठन के सिद्धान्त को समझाए।
2. उत्तराखण्ड राज्य के गृह विभाग की विस्तृत रूप से व्याख्या कीजिए।
3. वित्त विभाग के क्या क्या कार्य हैं, विस्तार से बताएं।
4. उत्तराखण्ड राज्य के आपदा प्रबन्धन पर निबन्ध लिखिए।

इकाई 6 उत्तराखण्ड की जनजातियां एवं जनजाति विकास हेतु प्रशासनिक तंत्र

इकाई की संरचना

6.0 प्रस्तावना

6.1 उद्देश्य

6.2 उत्तराखण्ड की जनजातियां

6.3 जनजातीय विकास हेतु योजनाएं

5.3.1 जनजातीय विकास में पंचवर्षीय योजनायें

6.3.2 अनुसूचित जनजातियों के लिये चलाये जा रहे कल्याणकारी योजनाएं

6.3.3 उत्तराखण्ड में चल रही कल्याणकारी व विकासमुख योजनायें

6.4 जनजातीय विकास हेतु प्रशासनिक तंत्र

6.4.1 औपनिवेशिक काल में प्रशासनिक तंत्र

6.4.2 स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात का प्रशासनिक तंत्र

6.5 सारांश

6.6 पारिभाषिक शब्दावली

6.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

6..8 संदर्भ ग्रन्थ

6.9 सहायक पुस्तकें

6.10 निबन्धात्मक प्रश्न

6.0 प्रस्तावना

भारत वर्ष में फैले लगभग 450 जनजातीय समूहों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद-342 के तहत अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया है। वर्तमान में अनुसूचित जनजातियों की संख्या लगभग 6 करोड़ 70 लाख है, जो भारत की पूरी आबादी का 8.08% है। यानि प्रत्येक 100 भारतीय नागरिकों में से 08, जनजाति समूहों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अनुसूचित जनजातियाँ देश के विभिन्न भागों में वितरित हैं और इनकी प्रमुख विशेषता है इनकी विविधता। भौगोलिक वितरण के आधार पर सम्पूर्ण जनजाति समूहों को पाँच मुख्य क्षेत्रों में बाँटा जा सकता है- 1. उत्तर पूर्व भारत, 2. उप हिमालयी क्षेत्र, 3. मध्य एवं पूर्व भारत, 4. दक्षिण भारत, 5. पश्चिमी भारत।

इस विभाजन के अन्तर्गत उत्तराखण्ड क्षेत्र, उप हिमालयी क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। वर्ष 1967 से पूर्व संयुक्त उत्तर प्रदेश में किसी भी समूह को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता नहीं मिली थी। जून 1967 में भारत सरकार द्वारा थारू, बुक्सा, जौनसारी, भोटिया तथा राजि जनजातियों समूहों (वर्तमान में उत्तराखण्ड में निवास) को अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया।

6.1 उद्देश्य

इस इकाई को पठने के उपरान्त आप-

1. जनजातीय समाज के विषय में जान पायेंगे।
2. उत्तराखण्ड की जनजातियों के विषय में विस्तार से अध्ययन कर पायेंगे।
3. जनजातियों के विकास से संबंधित योजनाओं के बारे में जान पायेंगे।
4. जनजातियों के लिए गठित प्रशासनिक तंत्र के विषय में जान पायेंगे।

6.2 उत्तराखण्ड की जनजातियां

6.2.1 थारू

थारू जनजाति उधम सिंह नगर जिले के खटीमा व सितारगंज क्षेत्रों में निवास करती है। उनके 142 गांव हैं, किन्तु 88 ही गांव ऐसे हैं जहाँ जहाँ पूर्ण अबादी थारूओं की है या थारू बहुल हैं। थारू जनजाति की संख्या में उतार-चढ़ाव देखने की मिलता रहता है। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इनकी संख्या में वृद्धि तथा इनका क्षेत्र विकास भी हुआ थारू अपने आपको चित्तौड़ के महाराणा प्रताप के वंशज मानते हैं तथा “राणा” उपजाति का प्रयोग भी करते है। आज स्वयं थारू समाज के वृद्ध पुरुष और स्त्रियाँ इस कथन को स्वीकार करते है कि थारू स्त्रियाँ वास्तव में राजघराने से सम्बन्धि थीं। थारू जनजाति में अनेक उपजातियाँ पायी जाती है।

रिति-रिवाज

थारू जनजाति के रिति-रिवाज भी अपने आपमें अनूठे है। इनकी वेश-भूषा गहरे रंगों से बने कपड़ों की होती है। कुछ महिलायें कोटी भी पहनती है जिनका अग्र भाग सिक्कों से सजा रहता है। इनकी पोशाकों में कलात्मकता होती है। थारू पुरुष अपनी पारम्परिक धोती-कुर्ता, पैजामा व कमीज पहनते है। सिर पर सफेद टोपी भी ये लोग पहनते है। युवा थारू शहरी प्रभाव के कारण पैंट-सर्ट भी पहनने लगे हैं।

थारू अपने भोजन में मुख्यतः चावल, मक्का, गेहूँ, मसूर व अन्य स्थानीय खाद्य सामग्री का प्रयोग करते है। थारूओं को मांस का भी शौक है। भोज्य सामग्री के अलावा इनकी दिनचर्या कच्ची शराब पिये बगैर पूरी नहीं होती है।

धार्मिक भावना

थारू जनजाति के लोग भगवान पर विश्वास करते है तथा एक सर्वमान्य शक्ति को पूजते है। थारूओं के ग्रामों में देवता अलग-अलग भी होते हैं। देवताओं की पूजा अधिकतर पुरुष करते है। थारू जादू द्वारा आत्माओं को प्रसन्न करने पर भी विश्वास रखते है। ये एक-दूसरे के जादू को काटने का प्रयास करते या करवाते है। यह कार्य करने वाला भर्ता कहलाता है। पूरे ग्राम में एक ही “भर्ता” होता है जो देवी-देवताओं की पूजा में बलि भी चढ़ाता है। इनके यहाँ फसल, कृषि-यंत्रों एवं जानवरों की भी पूजा होती है।

थारूओं के प्रमुख पर्वों में “चरई” सबसे महत्वपूर्ण है जो वर्ष में दो बार चैत्र तथा वैशाख में मनाया जाता है, जिसमें “भूर्इयाँ” देवी की पूजा होती है। ये होली को अत्यन्त उत्साहपूर्वक मानते है। इसके अलावा ये दीपावली, दशहरा तथा नागपंचमी भी हिन्दुओं की तरह मनाते है।

सामाजिक स्थिति

थारू जनजाति पितृ सत्तात्मक, पितृ वंशीय होते हैं। अधिकांश विस्तारित परिवार की प्रथा पायी जाती है। परिवार से बड़ा “कुर्म” होता है जो वहिर्विवाही होता है। इसमें बड़ा ‘कुरि’ या ‘कूरा’ होता है जो कई कुर्म से मिलकर बनता है। यह अन्तर्विवाही होता है। परिवार का मुखिया घर का वृद्ध पुरुष होता है।

थारू में स्त्रियों की स्थिति सर्वोच्च होती है इसलिये उनमें ‘वधूमूल्य’ का प्रचलन है। इनके यहाँ विवाह मध्यस्थ व्यक्ति जिसे मंझपतिया कहते हैं, तय करता है। इनमें विवाह मुख्य रूप से फागुन, वैशाख, माघ, पूस के महिनों में होता है। विवाह से 3-4 वर्ष पूर्व मंगनी हो जाती है परन्तु विवाह वयस्क होने पर ही होता है। थारू विवाह के सारे संस्कार स्वयं ही पूरा करते हैं तथा थारू एक विवाही होते हैं। देवर-विवाह, साली-विवाह के साथ-साथ बहुपत्नी विवाह भी कहीं-कहीं देखने को मिलता है। वधूमूल्य के अभाव में अपहरण विवाह तथा पलायन विवाह से वधु प्राप्ति की जाती है।

थारू जनजाति में पति-पत्नी एक-दूसरे को तलाक दे सकते हैं। तलाक देने को ये लोग “उरारी” कहते हैं। स्त्रियों का पुरुषों की अपेक्षा उच्च स्थान होने के कारण अधिक आसानी से तलाक दे देती हैं, जबकि पुरुष को तलाक देने में हर्जाना पड़ता है। इसके अलावा थारूओं में नातेदारी व्यवस्था हिन्दुओं से प्रभावित

व्यवसाय व आर्थिक स्थिति

थारूओं का प्रमुख व्यवसाय व आय का श्रोत कृषि है। इसके अतिरिक्त मछली शिकार व अन्य कार्य हैं, जिसे व्यवसाय तो नहीं कहा जा सकता परन्तु पारिवारिक व्यय को कम करने में सहायक है। वन प्रदेश से लगे थारूओं में शिकार का शौक भी है। जितनी उर्वर भूमि इनके पास खेती के लिए है उतना उत्पादन नहीं हो पाता है। परिणामस्वरूप थारूओं की कृषि से प्राप्त आय उनको जीवित रखने भर के लिये प्राप्त है। मछली मारने का कार्य पारिवारिक कार्य व आवश्यकता के रूप में किया जाता है। ये लोग पशुपालन के रूप में मुख्यतः सुअर, मुर्गियाँ, गाय व बकरी आदि पालते हैं। ये लोग जाल, डलिया, पाश आदि भी बनाते हैं।

6.2.2 बुक्सा

बुक्सा जनजाति उत्तर भारत उप-हिमालय की तलहटी से लेकर हिमालय तराई तक पूरब से उत्तर-पश्चिम की तरफ एक पट्टी में बसे हुए हैं। पूरब में नैनीताल जनपद (वर्तमान में उधमसिंह नगर जनपद) के बाजपुर विकास खण्ड तथा देहरादून जिले के विकासपुर विकास खण्ड तक इनकी जनसंख्या बिखरी है। “बुक्सा” नाम की उत्पत्ति के विषय में अलग-अलग धारणायें हैं। कुछ बुक्सा लोग स्वयं

को इस तथ्य से सम्बन्धित करते हैं कि उनके पूर्वज बकरे से समान दाढ़ी रखते थे जिसे स्थानीय भाषा में “बोक” या “बोकी” कहा जाता है, जिसे बाद में बुक्सा कह दिया गया।

रीति-रिवाज

बुक्सा लोग धोती, बंडी व हाफ कमीज तथा सिर पर पगड़ी धारण करते हैं। महिलाएँ परम्परागत वस्त्र लहंगा एवं चोली अधिक पसंद करती हैं। इसके अतिरिक्त नई पीढ़ी के लोग पैंट, शर्ट कोट व पायजामा आदि का प्रयोग करते हैं। विवाह जैसे अनुष्ठानों में दुल्हा व दुल्हन के परम्परागत वस्त्र होते हैं। आभूषण में महिलाएँ हंसली, हमेल कानों में फूल तथा चाँदी की चूड़ियाँ पहनती हैं। मुख्य रूप से इनके सार आभूषण चाँदी के होते हैं।

इनके गाँव व आवास व्यवस्था मूलतः मिलकर रहने के रूप में देखी जा सकती है। इनके अधिकांश गाँव नदी या जंगल के किनारे होते हैं। आरम्भिक काल में ये लोग झूम कृषि करते थे। साक्ष्य रूप में कुछ गाँवों में एक ही परिवार पाया जाता है। किसी गाँव में छोटे-छोटे पुरवे हैं जिन्हें ये लोग “मझरा” कहते हैं। प्रत्येक मझरा या गाँव का एक प्रमुख व्यक्ति होता है जिसे प्रधान कहा जाता है जो मझरे का सर्वेसर्वा होता है।

धार्मिक भावना

बुक्सा हिन्दू धर्म जैसे ही धर्म को मानने वाले लोग हैं जिनमें धार्मिक क्रियाओं को तो पहाड़ी ब्राह्मण सम्पन्न करते हैं, लेकिन जादुई क्रियाओं को भरार (एक तरह का तांत्रिक) अथवा सयाने सम्पन्न करते हैं। ये लोग जादू-टोने पर विश्वास करते हैं। भरार देवियों, प्रेतों, शैतानों एवं चुड़ैलों के अपने वश में करते हैं। भरार हित की तथा अहित की दोनों देवताओं को पहचानता है तथा इनका प्रयोग सामाजिक व व्यक्तिगत कल्याण के लिये करता है। इनमें पाँच प्रकार के देवता मिलते हैं। पहले प्रकार के पूर्वज जो प्रेत हो गये हैं, दूसरे ग्रामीण देवता, तीसरे पहाड़ी के देवता, चौथे जंगलों में रहने वाले देवता और पाँचवे ऐसे देवता जो मैदानी भागों में आये पड़ोसियों के हैं। इसके अतिरिक्त ये लोग अब हिन्दू देवी-देवताओं की भी पूजा करने लगे हैं तथा लगभग हिन्दू धार्मिकता अपना रहे हैं।

सामाजिक स्थिति

बुक्सा समुदाय की भी सबसे छोटी इकाई परिवार ही है, जिसका प्रमुख घर का बड़ा होता है। कई परिवार मिल कर एक गाँव या मझरा बनाते हैं। ग्रामीण संगठन का केन्द्र बिन्दु प्रधान होता है वह किसी को भी गाँव से निकाल सकता है। वह धार्मिक दृष्टि से भी गाँव का नेता होता है। गाँव के आपसी झगड़ों का निपटारा वह स्वयं करता है। सामुहिक भोजों, पंचायतों का वह सम्पूर्ण गाँव का प्रतिनिधित्व करता है। समाज सुचारू रूप से चले, इसलिये सामाजिक कानून भी बनाये जाते हैं।

इनके विरुद्ध आचरण करने वालों को दण्ड दिया जाता है। विधान के लिए परम्परागत न्यायलय क्रियान्वित किया जाता है जिसके समस्त सदस्य प्रधान की तरह जन्मजात व परम्परागत होते हैं।

बुक्सा परिवार पितृ सत्तात्मक होता है। इनमें एक विवाह व बहुविवाह दोनों ही प्रचलित हैं। कभी-कभी एक दूसरे प्रकार की भी व्यवस्था पायी जाती है, वह है- पितृवंशीय-मातृस्थानी परिवार। इसमें स्त्री पति के घर न जाकर पिता के घर में ही रहती है। वंश परम्परा इनमें पति के नाम से चलती है तथा सम्पत्ति हस्तान्तरण पत्नी के नाम से होता है। मरणोपरान्त सम्पत्ति का मालिक पुत्र न होकर पुत्री होती है।

व्यवसाय और आर्थिक स्थिति

कृषि बुक्साओं की आजीविका का प्रमुख साधन रहा है। लगभग 90 प्रतिशत बुक्सा खेती करते हैं। बुक्साओं को बड़ईगिरी और लुहारगिरी की भी जानकारी है, किन्तु इसका उपयोग के रोजी-रोटी कमाने के लिए नहीं करते हैं। मछली पकड़ने का सामान थारुओं के घर-घर में पाया जाता है। वे अकेले ही नहीं सामुहिक तौर पर मछली पकड़ने का काम करते हैं।

बुक्सा महिलाएं अपने पुरुषों की सभी आर्थिक गतिविधियों में मदद करती हैं। विशेषतया खेती में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। खेती में हल पुरुष ही चलाते हैं, लेकिन बोआई और निराई महिलाओं द्वारा की जाती है। फसल की कटाई और मड़ाई लगभग महिलाओं का दायित्व है। थारु महिलाएं हस्तशिल्प में भी दक्ष होती हैं। वे हाथ के पंखे व टोकरियां बनाती हैं। वे जंगली घास की चटाइयां बनाती हैं और मिट्टी के बर्तन भी बनाती हैं।

6.2.3 जौनसारी

देहरादून जनपद के चकराता एवं कालसी विकासखण्डों के पर्वतीय भागों में रहने वाली जौनसारी जनजाति के लोग पांडवों को अपना पूर्वज मानते हैं। जौनसारी जनजाति स्तरीकृत है।

रीति-रिवाज

जौनसारी जनजाति अपने विवाह के प्रकार के कारण विशेष चर्चित रही है। जौनसारियों में भ्रात-बहुपति विवाह प्रचलित है। सामाजिक विधान के अनुसार 'किसी भी अनुज को अपने लिये पृथक या अतिरिक्त पत्नी से विवाह की आज्ञा नहीं है।' अतः केवल भाईयों में अग्रज ही विवाह करता है। उसकी पत्नी या समस्त पत्नियाँ अग्रज की, अनुज की वैधनिक पत्नियाँ होती हैं। यदि अग्रज के विवाह के समय सबसे छोटा अनुज बच्चा है या उसका जन्म अग्रज के विवाह के पश्चात हुआ है तो सबसे छोटे अनुज की युवावस्था आने पर अग्रज को, छोटे अनुज की हम उम्र की लड़की से विवाह करना होगा। यह लड़की अग्रज की पहली पत्नी की बहन भी हो सकती है, यद्यपि सबसे छोटा अनुज

सबसे बड़े अग्रज की पत्नी का भी पति होगा। इस प्रकार के विवाह को प्रो० डी०एन० मजूमदार ने 'बहुपत्नी, बहुपति विवाह' कहा है।

बहुपत्नी विवाह और बहुपति विवाह के कारण परिवार का सन्तुलन स्थायी एवं दृढ़ रहता है। यहां की भौगोलिक स्थिति तथा कृषि योग्य भूमि की कमी, परिवार की सीमित आय, कठोर जीवन यापन में एकांकी परिवार का पालन पोषण कठिन हो जाता है। इस तरह बहुपत्नी विवाह के कारण सभी भाई मिलकर सुविधा पूर्वक निर्वाह करते हैं।

जौनसारी समाज में विवाह विच्छेद की स्थिति कम पायी जाती है। ये लोग तलाक को 'छूट' कहते हैं। तलाक निम्न कारणों से हो सकता है- ससुराल में पर-पुरुष से समागम करना, बांझपन होना एवं गृहस्थ व कृषि कार्य में परिश्रम न करना। ऐसी अवस्था में पुरुष अपनी स्त्री को मायके भेज देता है और वापस नहीं बुलाता है।

धार्मिक भावना

ये लोग स्वयं को हिन्दू व पाण्डव का वंशज मानते हैं। इस समुदाय के लोग पांडव तथा कुन्ती की पूजा-अर्चना करते हैं। धार्मिक कृत्यों में परिवार की स्त्रियाँ व पुरुष दोनों ही मिलकर भाग लेते हैं। मेले व उत्सव में साथ मिलकर नाचते गाते हैं परन्तु मन्दिर के अन्दर कोल्टा, दस्तकारों की स्त्रियाँ प्रवेश नहीं कर सकती हैं। जौनसारी 'महाषु' को अपना देवता मानते हैं व पाण्डवों में भीम की पूजा करते हैं। इसके अतिरिक्त बोध, चालदा, बीजर, आवासी, सिलगुरू, काली माँ, दुर्गा माँ की पूजा करते हैं। कोल्टा लोग नरसिंह भगवान के नाम बकरे की बलि चढ़ाते हैं। जादू टोना में विश्वास करते हैं। जादू टोना करने वाले को 'बाकी' कहते हैं। मुख्य पर्व 'बिस्सु' जो वैशाख माह में, जागरा-श्रावण माह में दीपावली मनाते हैं। ये लोग दीपावली सामान्य दीपावली से एक माह बाद मनाते हैं। इसे 'हलियत' कहा जाता है। इसमें 5-6 स्त्री-पुरुष साथ-साथ नृत्य करते हैं।

सामाजिक स्थिति

जौनसारी प्रमुख रूप से तीन सामाजिक स्तरों में विभक्त हैं जो जन्म पर आधारित होने के कारण स्थिर हैं। जैसे- उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर।

उच्च स्तर- सर्वप्रथम ब्राह्मणों एवं राजपूतों का स्तर है जो कि परम्परागत भूमि का स्वामी के साथ-साथ कृषक भी है। सामाजिक स्तर में ब्राह्मणों एवं राजपूतों में कोई विशेष अन्तर नहीं है। सवर्ण वर्ग के प्रतिनिधित्व के कारण ये लोग आपस में विवाह सम्बन्ध भी स्थापित करते हैं। इनकी जनसंख्या अन्य दो स्तरों की अपेक्षाकृत अधिक है।

मध्य स्तर- सामाजिक स्तर के मध्य में दस्तकारों का प्रतिनिधित्व है। इसमें सुनार, स्वर्णकार, लोहार, काष्ठकार, नाथ एवं बाजगी का स्थान आता है। ये सभी आपस में ऊँच-नीच का भेदभाव रखते हैं। अधिकांशतया लोग भूमिहीन हैं। ये सवर्णों का दासत्व स्वीकार किये हुये हैं। चूंकि ये विवाह एवं उत्सव में बाजा बजाने का कार्य करते हैं। इस कारण इन्हें 'बाजगी' कहा गया है।

निम्न स्तर- सामाजिक स्तरीकरण में सबसे निम्न स्तर का प्रतिनिधित्व डोम, मोची या चमार करते हैं। इन्हें 'कोल्टा' कहा गया है। सबसे निम्न डोम हैं। कोल्टा अछूत, परम्परागत, भूमिहीन श्रमिक, सवर्ण वर्ग अर्थात् प्रथम सामाजिक श्रेणी की दासता स्वीकार वर्ग में आते हैं। कोल्टा जौनसारी के प्रत्येक ग्रामों में निवास करते हैं।

व्यवसाय एवं आर्थिक स्थिति

जौनसारी अर्थव्यवस्था मूलतः कृषि पर आधारित है। स्त्री, पुरुष दोनों ही लोग कृषि कार्य में बराबर का श्रम करते हैं। इनकी कृषि पशु शक्ति पर आधारित होती है। कृषि फसल में गेहूँ, धन, मक्का, अदरक, चौलाई एवं हल्दी का उत्पादन करते हैं।

6.2.4 भोटिया

कुमाऊँ में अत्यधिक ऊँचाई में रहने वाले इस समुदाय के लोगों को भोटिया या शौका नाम से जाना जाता है। भोटिया जितने व्यवसाय कुशल रहे हैं, उतने ही परिश्रमी तथा स्वस्थ भी। कुमाऊँ का यह हिमालयी क्षेत्र भोटियों की भूमि है और इसी कारण इसे भोटांचल भी कहा जाता है। इस इलाके को "भोटिया महाल" भी कहा जाता है। राहुल सांकृत्यायन ने इस प्रदेश को भोटान्त प्रदेश तथा स्वामी प्रणवानन्द ने इसे "भोटा-प्रान्त" कहा है। कुमाऊँ के अलावा भोटिया लोग गढ़वाल तथा पश्चिमी नेपाल में भी बसते हैं। तिब्बत व नेपाल से लगे तीन हजार से बाहर हजार फीट की ऊँचाई पर भोटिया जनजाति निवास करती है। कुमाऊँ के जनपद पिथौरागढ़ की धारचूला तहसील के दारमा, व्यांस, चौदास घाटियों में ये लोग सदियों से निवास करते आ रहे हैं। चौदास तथा व्यांस काली नदी घाटी में अवस्थित अनेक भोटिया ग्रामों की पट्टियाँ हैं, जबकि धारचूला के उत्तर में धौली नदी घाटी को दारमा घाटी भी कहा जाता है। इस घाटी में निवास करने वाले भोटिया समूह को "दारमी" कहा जाता है। चौदास, व्यांस व दारमा घाटी के भोटिया लोग अपने आपको "रड़" बताते हैं। यूरोपीय लेखक क्रूक (1897), एटकिन्सन (1882) तथा वॉल्टन (1928) ने सर्वप्रथम "शौका" नाम के लिये "भोटिया" शब्द का प्रयोग किया।

रीति-रिवाज

भोटिया जनजाति अपने विशेष रीति-रिवाज के लिये विशेष रूप से जाने जाते हैं, लेकिन वर्तमान में तेजी से विकास गति के कारण इनमें भी परिवर्तन आया है। पुरुष व स्त्रियाँ अपने रंग-बिरंगे परिधानों

को त्याग कर कमीज, पैंट और कोट पहनने लगे हैं। स्त्रियाँ साड़ी, ब्लाउज आदि पहनने लगी हैं। भोटियों के परम्परागत परिधान अत्यन्त गरम व ऊनी कपड़े होने के कारण नीचे आने वाले भोटिया समुदाय के लोग इन्हें त्याग रहे हैं।

भोटियों में हरण-विवाह की परम्परा भी अब कम देखने को मिलती है। भोटियों के केवल वे माता-पिता जो आर्थिक रूप से सम्पन्न नहीं हैं, अपनी पुत्रियों के होने वाले पति द्वारा अपहृत किये जाने के लिये अपनी सहमति दे देते हैं और खुद भी इस योजना में शामिल होते हैं। लेकिन इनके अब शहरों की ओर आ जाने तथा सरकारी पदों पर ऊँचे-ऊँचे अधिक होने, निरन्तर विकास की प्रक्रिया हर गाँव, हर क्षेत्र में होने के कारण ये अपनी पुरानी अनूठी परम्पराओं को छोड़ते जा रहे हैं। अब इनमें विवाह माता-पिता के समझौते के आधार पर होते हैं। विवाह से पूर्व कन्याओं से भी उनकी इच्छायें जानी जाती हैं, परन्तु यह मात्र औपचारिक होता है। पहले वैदिक विधि से विवाह कराने के लिये ब्राह्मणों का योगदान लेते हैं।

मृत्यु के समय के कृत्यों में भी परिवर्तन आ चुका है और परम्परागत क्रिया को आज भोटियों ने पूर्णतः त्याग दिया है। “पुराने दौर में किसी भोटिया की घर से बाहर मृत्यु हो जाने पर उसके रिस्ते-नातेदार दिवंगत की आत्मा को उसके मृत्यु स्थान से लेकर घर तक ले जाने के लिये रास्ते भर ऊन का तागा गिराते थे। यह प्रथा अब खत्म हो गयी है। इसी प्रकार डूडिंग या गोऊन जो कि एक खर्चीली प्रथा थी अब व्यवहार में नहीं है। इस विकसित दौर में अब ये प्रथा लगभग-लगभग समाप्त हो चुकी है।

धार्मिक भावना -समय के साथ-साथ भोटिया समुदाय में भी परिवर्तन आया है। अब ये लोग हिन्दू देवी, देवताओं की पूजा करने लगे हैं। लेकिन आज भी उन्होंने अपने परम्परागत देवी-देवताओं गविया, नामजु, न्यूरांग, नरसिंह, सचिरी, कतिपय अन्य देवाताओं की पूजा पारम्परिक तौर से यथावत बनाये रखी है। हालांकि ये हिन्दू त्योहारों को भी मानते हैं। भोटिया समुदाय का एक वर्ग अपने आपको हिन्दू भोटिया कहता है। यह वर्ग हिन्दू आस्था को अपना रहा है तथा कुछ विद्वानों का मत है कि यह अपने परम्परागत धर्म को त्याग रहा है।

सामाजिक स्थिति

भोटिया समुदाय में समाज में सदस्यों के लिये कुछ निश्चित नियम होते हैं। न्याय, उन नियमों को तोड़ने वालों को दण्ड देता है, इस समुदाय में कानून मुख्यतः अधिकारों एवं कर्तव्यों का योग है। जो परस्पर आदान प्रदान के द्वारा प्रचार के आधार पर क्रियाशील है। ये आर्थिक तथा सामाजिक बातों पर एक-दूसरे पर निर्भर रहते हैं। समस्याओं समान होने के कारण जनमत के विभिन्न रूप विकसित नहीं हो पाये हैं। इस समाज में सम्पत्ति का हस्तान्तरण एवं पारिवारिक झगड़े का निपटारा करने के

लिये ग्राम पंचायत होती है जिसका मुखिया ग्राम प्रधान होता है। जो छोटे झगड़े स्वयं ही निपटा देता है। अगर वह कोई मामला नहीं निपटा पाता तो पंचायत बुलायी जाता है। कुछ लोग अपनी बात को लेकर न्याय के लिए अदालत में भी जाते हैं।

विकास के इस दौड़ में भोटिया महिलाओं में भी भारी परिवर्तन आया है, एक बड़े समूह में आज भोटिया कन्यायें व युवतियाँ शिक्षा ग्रहण कर रही हैं तथा राजकीय व राष्ट्रीय स्तर की सेवाओं में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रही हैं, लेकिन आज भी भोटिया महिलाओं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं या ग्रामीण परिवेश से बाहर नहीं निकल पायी हैं शिक्षा से वंचित हैं, सामाजिक दृष्टिकोण से इसे परिवर्तन तो आया है परन्तु शैक्षिक स्तर पर जो क्रान्ति होनी चाहिए थी वह नहीं हो पायी है, भोटिया समुदाय के पुरुषों के शिक्षित होने के कारण कुछ भोटिया महिलायें अपने जीवन साथी को स्वयं चुनने की आजादी को भी खोते जा रही हैं।

व्यवसाय और आर्थिक स्थिति

तिब्बत तथा भारत पर चीनी आक्रमण, भोटियों में उनके आर्थिक विनाश के अतिरिक्त उनके सामाजिक, राजनैतिक व संस्कृतिक हलचल के लिये परोक्ष तथा अपरोक्ष रूप से उत्तरदायी हैं। तिब्बत से किसी प्रकार का व्यापार लेने-देने न रह जानेके कारण भोटिया समुदाय को अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिये नये श्रोतों की खोज करना पड़ी। सीमान्त जिलों में सड़कों तथा अन्य संचार साधनों के विकास ने न केवल नीचे आकर बसने की सुविधा दी बल्कि इनसे परम्परागत बाजारों में वृद्धि और विकास भी हुआ। साथ ही नये-नये प्रकार की हस्तकला के धन्धों की उपलब्धि हुयी तथा अधिकाधिक घनिष्ट सम्पर्क व मेल-जोल के अवसर भी प्राप्त हुए।

भोटिया जो अपने कठोर परिश्रम के लिये प्रसिद्ध हैं, अपने विचारों और तौर-तरीकों में गतिशील रहे हैं। वे आज भी आर्थिक स्थिति को बदलने और मजबूत करने के लिये नये व्यापार के श्रोत खोज रहे हैं।

भोटिया लोग अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये अत्याधिक कठिन परिश्रम एवं संघर्षमय जीवन व्यतीत करते हैं। जब तिब्बत से व्यापार था तब ये भोजन व आवश्यक वस्तुएँ वहीं से प्राप्त कर लेते थे। भारत के तिब्बत से व्यापारिक संबंध समाप्त होने पर इन्होंने जंगलों को साफ कर खेती का कार्य किया तथा पशुपालन भी शुरू किया। खेती के अलावा घर व गाँव में हथकरघा, चर्खी, शॉल, पंखी, कालीन, कम्बल, कोट का कपड़ा, मफलर इत्यादि भी बनाते हैं और इनको मैदानी क्षेत्रों में बेचकर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करते हैं। ये लोग इन वस्तुओं को बनाने में भेड़-बकरी का ऊन लेकर दोनों ही मिल कर करते हैं। लेकिन आज इनकी स्थिति, सामाजिक व राजनैतिक स्थिति में बड़े पैमाने पर परिवर्तन आ चुका है

6.2.5 राजी (वनरावत)

उत्तराखण्ड के सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ व चम्पावत के उपहिमालय क्षेत्र की एक अल्पज्ञात “बनरौत” जिन्हें प्रायः “राजी” नाम से जाना है आज भी विकास की इस दौड़ में बहुत पीछे है।

इन अनुसूचित जनजातियों में भी नितान्त आदिम स्थिति में रहने वाली राजि जनजाति को 1975 में आदिम जनजाति घोषित किया गया। भारत में ऐसे आदिम समूहों की संख्या 74 है। ‘राजि’ का अर्थ जंगलों में रहने वालों के सन्दर्भ में किया जाता है। आज भी यह शुद्ध आखेटजीवी, कन्दमूल बटोरनी वाली अल्पसंख्यक आदिवासी जनजाति है, जो कि पूर्वी उत्तराखण्ड तथा पश्चिमी नेपाल में निवास करती है। विद्वानों ने इनको अनुवांशिकी की दृष्टि से मंगोलाइट मुख-मुद्रा और शारीरिक गठन के आधार पर तिब्बती-वर्मा परिवार की आदिम शाखा किरातों से जोड़ा है। अनुमान है कि यह जनजाति हजारों वर्ष पूर्व पूर्वोत्तर में स्थित वर्मा की पहाड़ियों से होकर आखेट की तलाश में भटकते हुए यहाँ पहुँची। राजि मूलतः प्रकृति पूजक हैं। इनका निवास स्थान सदैव से प्रकृति निर्मित गुफायें (उड़यार) रहीं हैं, किन्तु आज सरकार द्वारा इनके भवन निर्माण एवं कृषि भूमि हेतु प्रयास किये जाने से ये निश्चित जगहों पर मकानों में रहने लगे हैं। वर्तमान में समस्त राजि ग्रामों की संख्या 10 है, जिनमें पिथौरागढ़ जनपद में 09 ग्राम एवं चम्पावत जनपद में 01 ग्राम है।

रीति-रिवाज--राजि जनजाति में विवाह तथा जीवन साथी चुनने के तरीके अपने आप में भिन्न हैं। वे सामुदायिक अन्तः विवाह, धड़ा व ग्राम बहिर्विवाह का नियम पालन कठोरता के साथ करते हैं। मुख्य रूप में यह पितृस्थानीय समुदाय है, लेकिन फिर भी लड़के को लड़की के घर में ही रहने का रिवाज भी इनमें है तथा लड़की का पति ही उसके पिता (लड़की के) की सम्पत्ति का मालिक बन जाता है। इनमें विवाह में कोई धार्मिक संस्कार नहीं होते हैं। यह दो परिवारों के बीच एक समझौता होता है। लेकिन अब राजि लोग भी पंडितों को बुलाकर विवाह को धार्मिक संस्कार के साथ करने लगे हैं। ये लोग जनेऊ संस्कार भी करते हैं।

राजि जनजाति में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर पहले यह प्रथा थी कि मृत्यु के उपरान्त परिवार के सदस्य उस झोपड़ी या घर की छत को खोल कर वहां से चले जाते थे। वर्तमान में ऐसा नहीं है। वर्तमान में “दाह संस्कार” सम्पन्न किया जाता है। यदि मृतक अविवाहित हो तो उसे जमीन में गाड़ देते हैं। मृतक के श्राद्ध आदि कर्म करने की प्रथा इसमें नहीं है।

धार्मिक भावना

बनरौतों या राजियों में गोत्र या गोत्र चिन्ह जैसी अवधारण का अस्तित्व नहीं है। तथापि धार्मिक आधार पर वे हिन्दू तथा जाति में अपने आपको “रजवार (चन्द्र)” अर्थात् राजपूत मानते हैं। जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो देवता या जंगल के प्रेत आत्माओं व भूत आदि की पूजा करते हैं,

लेकिन कभी भी उनके सम्मान में मन्दिर नहीं बनाते। इनके अपने विशिष्ट देवी-देवता होते हैं, लेकिन इसके साथ-साथ वे हिन्दुओं और कुमाऊँ वासियों तथा वास्तव में हिमालयी अंचल के निवासियों की भाँति स्थानीय देवी-देवताओं, प्रेतात्माओं तथा अदृश्य एवं प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते हैं। राजियों में आज भी मलैनाथ, गणैनाथ, सैम(समजी), मलिकार्जुन(मलकाजन), हुमल आदि देवताओं की पूजा होती है। इसके अतिरिक्त ये हिन्दू धर्म के देवी-देवताओं की पूजा करते हैं।

सामाजिक स्थिति

राजि समाज में पुरुष प्रधानता दिखती है। पारिवारिक निर्णयों व आर्थिक मामलों में पुरुषों और घर के प्रमुख के निर्णय ही स्वीकार्य होते हैं। ऐसा नहीं है कि पारिवारिक मामलों में महिलाओं की राय नहीं ली जाती है। समाज की मुख्य धारा से जुड़ने के कारण इस जनजाति की सामाजिक स्थिति में भी बदलाव आया है। महिलाओं की पारिवारिक मामलों में भागीदारी बढ़ी है। पारिवारिक निर्णयों के साथ-साथ अब महिलाएं घर के आर्थिक मामलों में भी अहम भूमिका निभा रही हैं। महिलाएं मुख्यतः मजदूरी करके ही घर के खर्चे को चलाती हैं, लेकिन राजि महिलाएं स्वयं सेवी संस्थाओं के साथ जुड़ कर स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से बचत कर रही हैं और परिवार की आर्थिक गतिविधियों में अहम भूमिका निभा रही हैं। राजि पुरुषों द्वारा मदिरा का अधिक मात्रा में सेवन व गिरते स्वास्थ्य के कारण परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी का बोझ महिलाओं पर आ गया है। ऐसा नहीं है कि महिलाएं रोगग्रस्त नहीं हैं, परन्तु वे कठिन शारीरिक श्रम करने के लिए मजबूर हैं। सांस्कृतिक व धार्मिक गतिविधियों में पुरुष व महिलाएं बराबर की भागीदारी करती हैं। प्राथमिक स्तर की शिक्षा लगभग सभी राजि ग्रहण कर रहे हैं। मुख्य धारा में जुड़ने के कारण इस जनजाति का बाहरी समाज के साथ एक संतुलित तालमेल बना है।

व्यवसाय व आर्थिक स्थिति

राजी आर्थिक रूप से आखेट एवं वन संग्राहक जनजाति है जो पहले “अदृश्य व्यापार” अर्थात् पारस्परिक विश्वास एवं भरोसे पर निकट के व्यापार करते थे। कृषि पर निर्भरता न होने के कारण ये पशु-पक्षी का शिकार करके भी भोजन समस्या का निराकरण करते थे। जलवायु सम्बन्धित दशाओं का नितान्त अभाव होने के कारण कृषि व्यवसाय का तरीका अब भी आदिम अवस्था के समरूप है। इसलिये भूमि होते हुये भी ये कृषि का कार्य सफलतम रूप में नहीं कर पाते और जमीन बंजर ही पड़ी रहती है। अब धीरे-धीरे ये लोग गाय, भैंस आदि जानवर भी पालने लगे हैं। ये गाय का पालन बैल (बडड़ा) प्राप्त करने के लिये अधिक करते हैं क्योंकि ये बैलों से खेत जोतते हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर उसे बचे कर अपनी आवश्यकता की पूर्ति भी करते हैं।

राजियों की अर्थव्यवस्था में प्रमुख दैनिक मजदूरी और लकड़ियों का कारोबार, जिसमें इमारती लकड़ी से लेकर दैनिक उपयोग में आने वाली लकड़ी है। कृषि कार्य के उपकरण भी ये लोग बड़ी कलात्मकता के साथ बनाते हैं।

अभ्यास प्रश्न-1

1. जनजातीय समूहों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद.....के तहत अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया है।
2. जौनसारी जनजाति उधम सिंह नगर जिले के खटीमा व सितारगंज क्षेत्रों में निवास करती है। सही/गलत
3. कौन सी जनजाति अपने को पांडव का वंशज मानती है?
 क. थारु ख. बुक्सा
 ग. जौनसारी घ. भोटिया
4. किस नदी घाटी क्षेत्र को दारमा घाटी कहा जाता है?
5. उत्तराखण्ड की किस जनजाति के प्राकृतिक आवास गुफाएं(उडियार) हैं?
 क. थारु ख. भोटिया
 ग. राजि घ. जौनसारी

6.3 जनजातीय विकास हेतु योजनाएं

भारत एक ग्राम प्रधान देश है। इसकी समृद्धि ग्रामीण क्षेत्रों की समृद्धि पर निर्भर है। सम्भवतः ग्रामीण क्षेत्रों का विकास तभी हो सकता है जब राष्ट्रीय स्तर पर गाँवों में समाज सुधार तथा कल्याणकारी कार्यक्रमों को प्रोत्साहन दिया जाय।

जनजातीय क्षेत्रों में समाज सुधार तथा कल्याण के कार्यक्रमों की सफलता राजकीय सहायता और प्रशासनिक योजनाओं पर ही निर्भर नहीं करती बल्कि इन क्षेत्रों में ऐसे लोग कल्याणकारी कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए आम व्यक्ति को उस ओर प्रेरित करना जरूरी होता है, इसके लिए आवश्यक है कि उन्हें ऐसे कार्यक्रमों के लाभ और दूरगामी परिणामों से अवगत कराया जाय। लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों के उचित क्रियान्वयन के लिए सरकारी मशीनरी पूरी तौर से सक्षम नहीं हो सकती। इसके लिए क्षेत्र के सक्षम व्यक्तियों में सेवाभावों को उत्पन्न कराना आवश्यक होता है। जनजाति समाज के लोक कल्याणकारी और समाज सुधार कार्यों की सफलता में अभिजन वर्ग की भूमिका निर्णायक होती है। जनजातीय क्षेत्र में चलाये जाने वाले समाज सुधार के कार्यक्रम, प्रायः वहाँ की परम्पराओं और रूढ़ियों के विपरीत होते हैं। अतः ऐसे किसी भी कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक हो जाता है कि जनजातीय अभिजन वर्ग को विश्वास में लिया जाय।

6.3.1 जनजातीय विकास में पंचवर्षीय योजनाएँ

जनजातियों की स्थिति को उभारने के लिये सरकार का ध्यान स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही इनके विकास की ओर केन्द्रित हो गया था। देश की समस्त जनजातियों के राष्ट्र की मुख्यधारा से न जुड़ पाने के कारण पंचवर्षीय योजनाओं में इनके कल्याण हेतु कार्यक्रम बनाये गये। पहली पंचवर्षीय योजना में अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पिछड़े वर्गों का एक क्षेत्र शामिल किया गया था, उस समय यह सोचा गया था कि सामान्य विकास कार्यक्रमों को इस प्रकार से बनाया जाय ताकि वे पिछड़े वर्गों की जरूरतों का ध्यान रख सकें और पिछड़े वर्गों के लिये विशेष प्रावधान संवर्धनकारी हो और इनका उपयोग जहाँ तक सम्भव हो, इन वर्गों के विकास की जरूरतों को पूरा करने के लिये किया जा सके। इस संदर्भ में अनुसूचित जातियों के लिये पांचवी योजना के दौरान आदिवासी उपयोजना और छठी योजना में विशेष घटक योजना शुरू की गयी ताकि अनुसूचित जनजातियों के लाभ के लिये विकास कार्यक्रमों को सरल बनाया जा सके और उसकी निगरानी की जा सके।

6.3.2 अनुसूचित जनजातियों के लिये चलाये जा रहे कल्याणकारी योजनाएँ

अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिये जनजातियों के मेट्रिकोत्तर(हाई स्कूल से आगे) शिक्षा के मौजूदा कार्यक्रम को भी जारी रखा गया। आवासीय स्कूलों, जिनमें आश्रम पद्धति स्कूल भी शामिल हैं, का विस्तार किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जनजातीय क्षेत्रों में प्राथमिक स्कूल खोलने को भी प्राथमिकता दी गयी। अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण को भी ध्यान में रखा गया और उसके अनुसार ही प्रारम्भिक अवस्था पाठ्यक्रमों का विकास किया गया तथा जनजातीय भाषाओं में प्रशिक्षण तैयार किया गया। प्राथमिकता के आधार पर जनजाति क्षेत्रों में आँगनवाड़ियों, औपचारिक तथा प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की गयी। इसके अतिरिक्त, शिक्षा के सभी चरणों पर पाठ्यक्रमों को इस तरह बनाया गया ताकि जनजाति लोगों की समृद्ध साँस्कृतिक पहचान और उनकी विशाल सृजनात्मक प्रतिभा के प्रति उनमें जागरूकता पैदा हो सके।

अनुसूचित जनजातियों के सम्बन्ध में लघु वन उत्पाद पर एक नई नीति बनायी गयी। इस उद्देश्य के लिये क्षेत्र में सहकारी ढाँचे को उपयुक्त रूप से पुनः निर्मित तथा पुनः संचारित किया गया तथा जनजातियों हेतु विभिन्न व्यवसायिक समूहों के लिये सहकारी समितियाँ बनायी गईं। उनमें प्रशिक्षण तथा उद्यमशीलता के विकास के माध्यम से अनिवार्य उत्पादक तथा प्रबंधकीय कौशल का विकास किया गया जिससे इनमें स्व-रोजगार की प्रवृत्ति बढ़ी है। उपभोग तथा उत्पादन के प्रयोजन हेतु ऋण प्राप्ति के लिये सीमित पहुँच का परिणाम यह हुआ कि जनजातियों को साहूकारों/व्यापारियों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिसके फलस्वरूप साहूकारों तथा व्यापारियों के ऋणों को चुकाने के लिये विकास के लाभों का सीमित हो जाना व भूमि तथा अन्य सम्पत्तियों के रूप में संसाधन आधार का नुकसान

होना है। आठवीं योजना में एक आवश्यक लक्ष्य यह रख गया था कि बैंकों तथा सहकारी संस्थानों द्वारा अधिक ऋण उपलब्ध कराने का मार्ग प्रशस्त करना। आदिम आदिवासी समूहों के लिये जहाँ सम्भव है, परिवार को एकक के रूप में लेते हुए उनके आर्थिक विकास के लिये विस्तृत योजनायें बनायी गयीं। आन्तरिक संरचना तथा विकासीय आवश्यकताओं की विशेष रूप से पहचान की गयी तथा एकीकृत योजना का विकास किया गया। इसके अतिरिक्त वे वन-गाँव, जिनकी संख्या लगभग 5000 है और जिनमें 2 लाख से भी अधिक आदिवासी/जनजाति लोग रहते हैं, और बड़ी संख्या में सामान्य लाभ से वंचित रहते हैं, कृषि मंत्रालय ने मार्च, 1984 से भी अधिक वर्षों से है। दीर्घ अवधि, जैसे 15 से 20 वर्षों तक वंशागत किन्तु हस्तान्तरण योग्य अधिकार देने का सुझाव दिया था।

6.3.3 उत्तराखण्ड में चल रही कल्याणकारी व विकासोन्मुख योजनायें

केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा जनजातीय विकास के लिये अनेकों योजनाएं चल रही हैं। सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं में जनजातियों के बहुमुखी विकास का लक्ष्य रखा गया है इनके आर्थिक विकास के लिये अनेकों ऐसी व्यवसायिक योजनायें चलायी गयीं जिससे इनका आर्थिक उत्थान हो सके। आर्थिक उत्थान के दृष्टिकोण से सरकार ने इनके पारम्परिक व्यवसाय में ही आधुनिकीकरण करके इनको आर्थिक रूप से समृद्ध करने का प्रयास किया है। कुमाऊँ की भौगोलिक स्थिति के आधार पर यहाँ की जनजातियों को उनके अनुरूप ही योजना बना कर उनके विकास का लक्ष्य रखा। कुमाऊँ की प्राकृतिक संपदा से निर्मित वस्तुओं के उचित खरीद के लिये सरकार ने बाजारों में जनजाति के द्वारा बनाये माल के लिए बाजार निर्मित किये गये हैं। इन बाजारों में इनके द्वारा निर्मित वस्तुओं को बेचा जाता है और उत्पन्न आय से पुनः इन जनजातियों हेतु कच्चा माल खरीदा जाता है। इस क्रम के चलते इनमें आर्थिक विकास तो निश्चित तौर पर होता ही है, साथ ही वर्तमान स्थितियों की समझ भी उत्पन्न होती है। कुमाऊँ के उत्तर में रह रही भोटिया जनजाति में इनके परम्परागत व्यवसाय को देखते हुए इनके लिये ऊन वृहत योजना, रामबाँस योजना, पश्मिना उत्पादन परियोजना, तिब्बतीयन ऊन वृहत उद्योग योजना का संचालन किया है, जिसके तहत इनको ऊन और अन्य कच्चा माल दिया जाता है तथा इस कच्चे माल से ये जनजाति अपने परम्परागत शैली में दक्ष बनाते हैं और फिर इन्हें बाजार में बेचने हेतु लाया जाता है।

कुमाऊँ के तराई में रह रही थारू तथा बोक्सा जनजाति के लिये उनके भिन्न भौगोलिक परिवेश को देखते हुए सरकार द्वारा योजनायें बनायी गयी हैं, जैसे -डवाकरा, डनलप कार्ड, लघु उद्योग हेतु ऋण, डेरी खोलना एवं क्षेत्रीय स्तर पर प्राप्त कच्चे माल से वस्तुएँ निर्मित करना इत्यादि। कई जनजाति परिवार इन सरकारी योजनाओं से लाभान्वित भी हुए हैं। कुमाऊँ की सर्वाधिक पिछड़ी जनजाति राजी आज भी विकास की धारा से बिल्कुल परे है तथा इन्हें योजनाओं की अधिक जानकारी भी नहीं है।

6.4 जनजातीय विकास हेतु प्रशासनिक तंत्र

19.4.1 औपनिवेशिक काल में प्रशासनिक तंत्र

अंग्रेज शासकों ने अपने हितों की पूर्ति के लिए जनजातियों को लेकर काल्पनिक बातों और अंधविश्वासों को फैलाना प्रारम्भ किया। अंग्रेजों ने पूर्ण प्रयास किया कि आदिवासी समुदाय शेष भारतीय जनसमूह के सम्पर्क में न रहे, इसका कारण जनजातियों की शक्ति व क्षमता थी, जो कि किसी भी राष्ट्रीय आन्दोलन के लिए अत्यन्त लाभकारी सिद्ध हो सकती थी। इस कारण प्रारम्भ में ब्रिटिश प्रशासक और ईसाई मिशनरियां ही जनजातीय क्षेत्रों का भ्रमण कर सकते थे।

भारत में साम्राज्य के सुदृढीकरण के अपने प्रयासों में अंग्रेजों का मुकाबला राजमहल की पहाड़ियों (बंगाल) में रहने वाले "पहाड़िया" जनजाति से भी हुआ। यह जनजाति आक्रामक प्रवृत्ति की थी और हिन्दू जमींदारों के विरुद्ध आक्रामक नीति का अनुसरण किया, किन्तु शीघ्र ही आक्रामक नीति का परित्याग करके कूटनीति का सहारा लिया गया जिसमें जनजाति के मुखियाओं को सभी प्रकार के उपद्रवों की सूचना देने का उत्तरदायित्व दिया गया।

शोषण की शिकार कुछ जनजातियों ने भी ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ विद्रोह किए, इनमें 1931 में सिंहभूमि का "हो" विद्रोह, तथा 1855 का प्रसिद्ध "संथाल विद्रोह" प्रमुख हैं। जनजातियों के इन विद्रोहों के पिछे कारण था उनका आर्थिक एवं सामाजिक शोषण। ऐसी स्थितियों में ब्रिटिश सरकार ने अलग-थलग पड़े जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष व्यवस्था का प्रावधान किया। अन्ततः अंग्रेजी सरकार ने जनजातियों के जीवन तथा रूचियों को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से इन्हें विशेष क्षेत्रों में विभाजित करने की नीति निर्धारित की। इस उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए सन 1874 में एक अधिनियम पारित किया गया जिसके द्वारा जनजातीय क्षेत्रों को अनुसूचित जिलों के रूप में विभाजित किया गया। भारत सरकार के अधिनियम 1919 की धारा 52 ए के अन्तर्गत यह क्षेत्र पुनः संघटित किए गए। इस अधिनियम के अन्तर्गत ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया जो दीवानी, फौजदारी मामलों में न्याय, सार्वजनिक राजस्व वसूली, कर निर्धारण तथा किराये से सम्बन्धित सभी विषयों की देख-रेख करें तथा अनुसूचित जिले का प्रशासन भी संभाले। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम में उचित प्रतिबन्धों तथा परिवर्तनों के साथ अधिकारियों के कार्य-क्षेत्र में वृद्धि करने का भी प्रावधान था। इस प्रकार सरल आदेशों द्वारा अधिशासियों को बड़े तथा विस्तृत अधिकार दिए गए। स्वतंत्रता आन्दोलन की गति के साथ-साथ अंग्रेज शासकों की चिन्ताएं भी बढ़ने लगीं। वे जनजातियों को राष्ट्र की मुख्यधारा से पृथक रखना चाहते थे। भारतीय वैधानिक कमीशन (साइमन कमीशन) ने सलाह दी थी कि वित्तीय तथा संवैधानिक आधारों पर जनजातीय क्षेत्रों का उत्तरदायित्व केन्द्र पर होना चाहिए। सन 1935 में जनजातियों पर विशेष ध्यान देने के उद्देश्य से बनाए

गए प्रावधान के अन्तर्गत जनजातीय क्षेत्रों को पूर्ण व आंशिक रूप से अलग क्षेत्रों में परिवर्तित किया गया।

उत्तराखण्ड के तराई-भाबर क्षेत्रों में वनों के भीतर रहने वाली थारू और बुक्सा जनजाति स्वभाव से ही सीधी-सादी और सरल स्वभाव की थी। उनमें न तो अन्य जनजातियों के समान आक्रामकता थी न ही वे अपने क्षेत्र में बाहरी हस्तक्षेप व शोषण के विरुद्ध संगठित होकर खड़े हुए। फलस्वरूप अंग्रेज प्रशासकों द्वारा उनकी घोर उपेक्षा प्रारम्भ हो गई। तराई-भाबर में उनकी भूमि पर बाहरी लोगों को बसाया गया और उनके द्वारा बड़े पैमाने पर यहां पर कृषि कार्य किया जाने लगा, जिस कारण जनजातियों की दशा दिन-प्रतिदिन खराब होती गई तथा उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई। अपनी आजीविका के लिए जनजातियों को बाहरी लोगों के यहां मजदूर के रूप में कार्य करने के लिए बाध्य होना पड़ा। एक समय जिस घर में उनकी भूमिका स्वामी की थी वहीं पर वे सेवक की भूमिका निभाने के लिए बाध्य कर दिए गए थे। तराई-भाबर की इन जनजातियों को यदि अपने मिटने का अहसास होता तो सम्भव है तराई-भाबर का इतिहास जिस रूप में आज हमारे सम्मुख है वह इस रूप में नहीं होता।

6.4.2 स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात का प्रशासनिक तंत्र

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जनकल्याण की भावना ने पूरे देश में व्यापक रूप से स्थान बनाया और 26 जनवरी 1950 की संविधान सभा में पारित विभिन्न प्रावधानों द्वारा इसकी पुष्टि हुई। इन प्रावधानों से भारतीय जनजातीय जनसंख्या को राष्ट्र की मुख्य धारा में मिलाने के कार्यों को बल मिला। जनजातियों को शेष जनसंख्या के स्तर तक लाने के उद्देश्य से संविधान में इन जनजातियों को 10 वर्षों तक के लिए विशेष सुविधाएं तथा सुरक्षा प्रदान की गई। इस अवधि में समय-समय पर अब तक वृद्धि की जाती रही है। जनजातियों की सुरक्षा तथा विकास के उद्देश्य से सन 1951 में, जनजातीय कल्याण विभाग की स्थापना की गई। अनुच्छेद 244 के अन्तर्गत आसाम के अतिरिक्त जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन पांचवी अनुसूची तथा आसाम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन संविधान की छठी अनुसूची के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया गया।

राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए राज्यपाल को अधिकार दिया गया कि-

अ-जनजातियों पर लागू होने वाले केन्द्र तथा राज्य के नियमों की विधि में परिवर्तन कर सके।

ब-उनकी शान्ति तथा अच्छे प्रशासन के लिए नियम बनाना, इनके अधिकारों की रक्षा करना, बेकार भूमि के आवंटन में सहायता करना तथा साहूकारों से बचने में उनकी सहायता करना।

इसके अतिरिक्त संविधान में जनजातियों के अधिकारों की सुरक्षा, उनकी सामाजिक व सांस्कृतिक धरोहरों को सुरक्षित बनाए रखने के उद्देश्य से भी पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं।

अनुसूचित क्षेत्रों की रचना दो स्पष्ट उद्देश्यों के आधार पर की गई थी पहला जनजातियों को उनके अधिकारों के प्रयोग में सहायता करना तथा दूसरा उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों के विकास व अनुसूचित जनजातियों की आर्थिक, शैक्षिक तथा सामाजिक प्रगति में सुधार लाना था।

जनजातीय क्षेत्रों के लिए अनुपयुक्त विधानों की जांच उनकी शान्ति तथा अच्छे प्रशासन के लिए विनियमों की संरचना का कार्य दिया गया। राज्य की सीमाओं में रहने वाली सभी अनुसूचित जनजातियों के कल्याण तथा विकास के लिए विशेष योजनाओं को लागू करने का उत्तरदायित्व भी राज्य सरकार का है और राज्य सरकारों के लिए अतिरिक्त धनराशि प्रदान करने का उत्तरदायित्व केन्द्र सरकार का है। किसी भी योजना को लागू करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार को निर्देश देने तथा जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से सम्बद्ध प्राथमिकताओं की सूची बनाने में राज्य सरकार का मार्गदर्शन करने का अधिकार केन्द्र सरकार को प्राप्त है।

अभ्यास प्रश्न-2

1. उत्तराखण्ड की सबसे पिछड़ी जनजाति.....जनजाति है।
2. ब्रिटिश शासन के विरुद्ध 1855 का प्रसिद्ध जनजाति विद्रोह कौन सा है?
3. जनजातीय कल्याण विभाग की स्थापना की गयी?

क. सन1951 ख. सन1955

ग. सन1960 घ. सन1965

6.5 सारांश

जनजातीय समाज अपनी अनुठी परम्परा और अपने प्राकृतिक आवासों अपनी अमूल्य संस्कृति, अपनी भाषा के लिए जानी जाती हैं। जनजातीय समाज की अपनी एक अलग पहचान है। किन्तु सभ्य समाज और विकास की धारा से जुड़ने के कारण आज जनजातियां आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाने के लिए प्रयासरत हैं। उत्तराखण्ड राज्य में पाँच प्रकार की जनजातियां हैं। इनमें से राजि(वनरावत) और बुक्सा जनजातियों की गिनती पिछड़ी जनजातियों के रूप में की जाती है। आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़ी ये जनजातियां आज विकास की मुख्य धारा में शामिल नहीं है। संविधान के अन्तर्गत किये गये प्रावधानों, विभिन्न सरकारी विकास योजनाओं, जनकल्याणकारी योजनाओं के चलने के उपरान्त भी ये जनजातियां कठिन भौगोलिक क्षेत्रों में निवास के कारण विकास की दौड़ में पिछे हैं। उत्तराखण्ड की अन्य जनजातियां जौनसारी, भोटिया और थारु समाज की मुख्य धारा से कुछ हद तक जुड़ पाये हैं।

6.6 शब्दावली

सर्वमान्य शक्ति- जो शक्ति सबको मान्य हो

झुम कृषि- इस प्रकार की कृषि में एक स्थान पर कृषि करने के उपरान्त उस स्थान पर आग लगाकर उसे छोड़ दिया जाता है और अन्य स्थान पर जाकर कृषि की जाती है।

पित्र सत्तात्मक- पुरुष प्रधान व्यवस्था

हस्तांतरण- सौंपना

अग्रज- बड़ा

बाजगी- बाजा बजाने वाला

संवर्धनकारी- बढ़ावा देना

सृजनात्मक- रचनात्मक

सामाजिक विधान- सामाजिक नियम-कानून

पुनः निर्मित तथा पुनः संचारित- दुबारा निर्माण तथा दुबारा शुरु करना

वन गांव- वनों के नजदीक व वनों से घिरे गांव

वहिर्विवाही- बाहरी समाज के साथ होने वाले विवाह संबंध

अन्तर्विवाही- अपने ही लोगों के बीच में होने वाले विवाह संबंध

अदृश्य व्यापार- यह व्यापार उत्तराखण्ड की आदिम जनजाति राजि(वनरावत) और समीप अन्य जाति के गांव के लोगों के बीच एक ऐसा व्यापार था जो विश्वास और भरोसे पर टिका हुआ था। जिसमें राजि जनजाति अपने द्वारा बनाये गये सामान को समीप अन्य जाति के घरों के आगे रख देते थे और उसके बदले में खाने-पीने के अन्य सामान को ले जाते थे। यह व्यापार रात को अंधेरे में ही होता था।

6.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

अभ्यास प्रश्न-1

1. अनुच्छेद 342 2. गलत 3. ग. जौनसारी 4. धौला नदी घाटी क्षेत्र 5. ग. राजि

अभ्यास प्रश्न-2

1. राजि जनजाति 2. संथाल विद्रोह 3. सन1951

6.8 संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. तराई के वन और वनवासी, डॉ अजय एस रावत
2. हिमालय में उपनिवेशवाद और पर्यावरण, सुरेन्द्र सिंह बिष्ट
3. प्रोजेक्ट कार्य- उत्तराखण्ड का संकटग्रस्त आदिम समाज वनराजि, डॉ पुष्पेश पाण्डे
4. जनजातीय विकास-मिथक एवं यथार्थ, नरेश वैद्यय

5. शोध कार्य- अनुसूचित जनजातियों की राजनीतिक सहभागिता (कुमाऊँ की जनजातियों के विशेष संदर्भ में), डॉ भुवन तिवारी

6. शोध पत्र- ए ट्राईब ऑफ उत्तराखण्ड एप्रोच टू ट्राईबल वेलफेयर, डॉ पुष्पेश पाण्डे

6.9 सहायक / उपयोगी पुस्तकें

1. भारतीय आदिवासी- उनकी संस्कृति और सामाजिक पृष्ठ भूमि एल.पी. विद्यार्थी
2. नैनीताल की बुक्सा जनजाति बालादत्त दानी
3. जनजातीय समाज हरीश चन्द्र उप्रेती
4. ट्राईब्स ऑफ उत्तरांचल डॉ0 बी0 एस0 बिष्ट
5. मध्य हिमालयी जौनसार भाभर ऑंचल (कल और आज) 'जौनसारी जनजाति का समग्र अध्ययन प्रो0 गिरधर सिंह नेगी एवं डॉ मुजुल जोशी।

6.10 निबन्धात्मक प्रश्न

1. जनजातीय समाज क्या है? उत्तराखण्ड की प्रमुख जनजातियों के विषय में विस्तार से चर्चा कीजिए।
2. जनजातीय विकास के लिए क्या-क्या योजनाएं हैं?
3. जनजातीय विकास हेतु प्रशासनिक तंत्र की विस्तार से चर्चा कीजिए।

इकाई- 7 आपदा प्रबन्धन

इकाई की संरचना

7.0 प्रस्तावना

7.1 उद्देश्य

7.2 आपदाओं के प्रकार

7.2.1 प्राकृतिक आपदाओं के प्रकार

7.2.2 मानवजनित आपदाओं के प्रकार

7.3 आपदा प्रबन्धन

7.3.1 आपदा आने से पूर्व का प्रबन्धन

7.3.2 आपदा आने के बाद का प्रबन्धन

7.4 आपदा प्रबन्धन से सम्बन्धित कार्यकलाप

7.5 विश्व स्तर पर आपदा प्रबन्धन के कार्यक्रम

7.6 भारत के सम्बन्ध में आपदा प्रबन्धन

7.7 सारांश

7.8 शब्दावली

7.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

7.10 संदर्भ ग्रन्थ सूची

7.11 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

7.12 निबंधात्मक प्रश्न

7.0 प्रस्तावना

सामान्य भाषा में आपदा (Disaster) का अर्थ है मुसीबत या संकट। पर्यावरण में हुए अचानक, अकल्पनीय बदलावों को जिससे अपार जन-धन की क्षति होती है को पर्यावरणीय प्रकोप कहा जाता है। यद्यपि इन चरम घटनाओं को व्यक्त करने के लिए तीन वैकल्पिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे- पर्यावरण प्रकोप (Environment Harzard), पर्यावरण आघात (Environmental Stresses) तथा पर्यावरण विनाश/आपदा (Environmental Disaters) परन्तु वर्तमान में पर्यावरणीय विनाश/आपदा को ही सामान्य बोलचाल की भाषा में प्रयोग किया जाता है।

पर्यावरण प्रकोपों की तीव्रता का आकलन उनके द्वारा की गयी जन-धन की क्षति की मात्रा के आधार पर किया जाता है। अतः सभी चरम घटनाएँ सदैव प्रकोप नहीं होती हैं। यह उसी समय प्रकोप या आपदा होती है जबकि इनके द्वारा मानव समाज को क्षति पहुँचायी जाती है। इस प्रकार प्राकृतिक या मानव जनित चरम घटनाओं को जिनके द्वारा प्रलय एवं विनाश की स्थिति हो जाती है तथा जन-धन की क्षति होती है, को पर्यावरणीय प्रकोप या विनाश कहते हैं।

न्धक्त्व (United Nations Disaster Relief Coredinator) की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में घटने वाले समस्त प्राकृतिक आपदाओं का 90 प्रतिशत विकासशील देशों या तीसरी दुनियाँ के देशों में घटित होता है, क्योंकि अधिकांश विकासशील देश उष्ण एवं उपोष्ण प्रदेशों में स्थित हैं जहाँ वायुमण्डलीय प्रक्रमों द्वारा आये दिन कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाएँ उत्पन्न होती रहती हैं, जैसे- बाढ़, सूखा, वनाग्नि आदि। यद्यपि यह रिपोर्ट पूर्ण रूपेण सत्य नहीं है क्योंकि आपदाओं को किसी भी राजनैतिक या आर्थिक सीमा के अन्तर्गत नहीं बाँधा जा सकता है।

M. Hashizume (1989) के अनुसार विकासशील देश प्रकोपों से प्रायः पीड़ित रहते हैं। वास्तव में वे प्रकोपों के साथ रहते हैं। क्योंकि विकासशील देश आर्थिक विकास की गति को तीव्रता से पाने की होड़ में प्राकृतिक/पर्यावरणीय शक्तियों का आकलन किये बिना ही परियोजनाओं का विस्तार करते जाते हैं।

यद्यपि इन प्राकृतिक व मानवजनित चरम विनाशकारी घटनाओं को पूर्णतया नहीं रोका जा सकता है परन्तु मजबूत सूचना तंत्रों, वैज्ञानिक उपकरणों तथा सुनियोजित योजनाओं के द्वारा इन आपदाओं से होने वाली क्षति को न्यूनतम करने के प्रयास को ही आपदा प्रबन्धन कहा जाता है।

किसी भी प्रबन्धन जिसके लिए प्रबन्धन किया जाता है की विषय वस्तु से अवगत होना आवश्यक होता है। इसी प्रकार आपदा प्रबन्धन हेतु आपदा के स्वरूपों, आपदा के कारणों को जानना तथा उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग अत्यन्त आवश्यक है ताकि उनका उचित प्रबन्धन किया जा सके।

TORIORDAN (1971) के अनुसार “प्रबंधन का तात्पर्य होता है विभिन्न वैकल्पिक प्रस्ताव में से उपयुक्त प्रस्तावों का विवेकपूर्ण चयन करना ताकि वह निर्धारित एवं इच्छित उद्देश्यों की पूर्ति कर सके, जहां तक सम्भव होता है प्रबंधन के अन्तर्गत अल्पकालिक (Shortterm) उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक या कई रणनीतियां अपनायी जाती है किन्तु दीर्घकालीक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी भरपूर व्यवस्था रहती है।”

7.1 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप-

1. आपदा किसे कहते हैं तथा आपदा प्रबन्धन के बारे में समझ सकेंगे।
2. आपदा के स्वरूपों के बारे में, उनसे घटित होने वाली धन-जन की हानि के बारे में समझ सकेंगे।
3. प्राकृतिक व मानवीय आपदाओं के अन्तर को स्पष्ट कर पायेंगे।
4. अन्त में आप आपदा-प्रबन्धन के सम्बन्ध में सुस्पष्ट जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

7.2 आपदाओं के प्रकार

उत्पत्ति के कारकों के आधार पर आपदा को दो वर्गों में बाँटा जाता है।

1. प्राकृतिक आपदा।
2. मानव जनित आपदा।

7.2.1 प्राकृतिक आपदाओं के प्रकार

निम्न चार्ट द्वारा आपदा के कारकों को ज्यादा अच्छी तरह समझा जा सकता है-

1. ग्रहीय प्राकृतिक प्रकोप/आपदाएँ
2. पृथ्व्येत्तर प्राकृतिक प्रकोप।

1. ग्रहीय प्राकृतिक आपदाएँ ग्रहीय प्राकृतिक आपदाएँ वे आपदाएँ हैं जो पृथ्वी के अन्तरतम से तापीय दशाओं के कारण उत्पन्न होती हैं। मुख्यतः ज्वालामुखी, भूकम्प, बड़े पैमाने पर होने वाले भूस्खलन, हिमस्खलन आदि को सम्मिलित किया जाता है।

2. पृथ्व्येत्तर प्राकृतिक प्रकोप/आपदाएँ : वायुमण्डलीय दशाओं द्वारा जन्म लेती हैं।

पार्थिक प्राकृतिक प्रकोप

अधिकांशतः प्राकृतिक आपदाओं की उत्पत्ति महाद्वीपीय एवं महासागरीय प्लेटों के संचलन से होती है और इन प्लेटों का संचलन पृथ्वी के आन्तरिक भाग में तापीय दशाओं के कारण उत्पन्न संवहनीय तरंगों के कारण होता है।

इन आपदाओं में भूकम्प तथा ज्वालामुखी सर्वाधिक विनाशकारी होते हैं। अतः इन आपदाओं के बारे में विस्तृत रूप से जानना भी आवश्यक है।

भूकम्प

भूकम्प का आगमन पृथ्वी के आन्तरिक भाग में तापीय दशाओं में परिवर्तन एवं विवर्तनिक घटनाओं के कारण होता है। भूकम्प की तीव्रता तथा परिणाम का मापन रिक्टर मापक के आधार पर किया जाता है। भूकम्प की उत्पत्ति केन्द्र की भूकम्प मूल कहते हैं। भूकम्प मूल इस तरह सदा धरातलीय सतह के नीचे रहता है। धरातलीय सतह के जिस भाग पर सर्वप्रथम भूकम्पी तरंगों को अंकित किया जाता है, अधिकेन्द्र कहा जाता है।

भूकम्पों की तीव्रता तथा उसके आपदापन्न प्रभावों का निर्धारण भूकम्पनीय तीव्रता के आधार पर नहीं किया जाता है बल्कि किसी क्षेत्र विशेष में धन-जन की क्षति की मात्रा के आधार पर किया जाता है। कोई भूकम्पनीय आपदा उस समय अधिक होती है जब किसी घने आबादी क्षेत्र में भूकम्प आता है।

कभी-कभी साधारण भूकम्प भी आपदापन्न प्रकोप बन जाता है। जब उसके प्रभाव द्वारा भूस्खलन, बाढ़, आग, सुनामी तरंगों की उत्पत्ति होती है तो ये घटनाएं अपार हानि का कारण बन जाती हैं।

ज्वालामुखी

ज्वालामुखी भी प्राकृतिक आपदाओं में महत्वपूर्ण है परन्तु ज्वालामुखी भूकम्प प्रकोप के विपरीत आपदा भी होता है और मानव समाज के वरदान भी क्योंकि एक तरफ तो ज्वालामुखी के अचानक प्रचण्ड उद्गार तथा उससे निकलने वाला तृप्त लावा मानव बस्तियों, कृषि क्षेत्र, मानव सम्पत्ति आदि नष्ट हो जाती हैं तो दूसरी ओर ज्वालामुखी लावा के कारण उर्वरक मिट्टियों का निर्माण होता है। प्लेट विवर्तनिक सिद्धान्त के आधार पर ज्वालामुखी क्रिया एवं ज्वालामुखी उद्गार को स्पष्ट समझा जा सकता है।

ज्वालामुखी उद्गार प्लेटों के किनारों से पूर्णतया सम्बन्धित है। प्लेटों की सीमाओं, किनारों के प्रकार ज्वालामुखी-उद्गार की प्रकृति तथा तीव्रता को प्रभावित करते हैं।

ज्वालामुखी उद्भेदन से मानव समाज की भारी धन-जन की हानि होती है। विस्फोटक उद्गार, तप्त लावा के प्रवाह, विखंडित पदार्थों के नीचे गिरने, अग्निकाण्ड, विषाक्त गैसों की उत्पत्ति द्वारा मानवकृत संरचनाओं जैसे मकानों, कारखानों, रेलों, सड़कों, हवाई अड्डों, बाँधों, जलाशयों, वनों, मानव सम्पत्ति जन्तुओं तथा मानव जीवन की अपार क्षति होती है।

ज्वालामुखी के समय निकलने वाला तप्त एवं तरल लावे की अपार राशि तीव्र गति से धरातलीय सतह पर प्रवाहित होने से मानवकृत रचनाएँ लावा के नीचे दबकर नष्ट हो जाती हैं।

कभी-कभी ज्वालामुखियों का उद्गार इतना अचानक एवं प्रचण्ड होता है कि लोगों को अन्यत्र सुरक्षित स्थान पर जाने का समय ही नहीं मिल पाता। ज्वालामुखी के उद्गार के पहले तथा बाद में उत्पन्न भूकम्पों द्वारा जनित सुनामि के कारण तटवर्ती भागों में जान-माल की अपार क्षति होती है।

ज्वालामुखी उद्गार का पर्यावरणीय प्रभाव

ज्वालामुखी उद्गार तथा उससे सम्बन्धित क्रियाओं के कुछ ऐसे परिणाम होते हैं जिनसे कई प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं।

1. जोकुलहलुपस का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया के दौरान तापमान में वृद्धि के कारण हिम चोटियों के नीचे हिम के पिघलने के कारण विशाल जलराशि की स्थिति को श्रवानससीसंनचले कहते हैं। कभी-कभी हिम सतह के नीचे हिम द्रवित जल के आयतन में इतनी वृद्धि हो जाती है तथा उसका दबाव इतना अधिक हो जाता है कि ऊपर स्थित हिम की चादर टूटती है और तेजी से ऊपर उछलता हुआ बाहर निकलता है जिसकी गति 4.00,000 घन मी. प्रति सेकण्ड होती है, जिससे अचानक पर्यावरणीय संकट पैदा हो जाता है।

2. ज्वालामुखी धूल तथा जलवायु परिवर्तन: ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलने वाली धूल तथा राख की विशाल मात्रा के वायुमण्डल में पहुँचने पर मौसम तथा जलवायु में प्रादेशिक तथा विश्वस्तर पर परिवर्तन की सम्भावनाएँ बढ़ जाती हैं। सन 1950 के बाद से उत्तरी गोलार्द्ध में घटित ज्वालामुखी-क्रिया में वृद्धि के कारण हुआ।

3. ज्वालामुखी उद्गार तथा पारिस्थितिकीय परिवर्तन: वैज्ञानिकों का मानना है कि ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाले धूल एवं राख के धरातल पर पुनः वापस आने से कुछ जातियाँ का सामूहिक विलोप हो जाता है। इस परिकल्पना के आधार पर कई वैज्ञानिकों का मत है कि आज से 60 मिलियन वर्ष पूर्व डायनासोर का सामूहिक विलय उस समय हुई अत्यधिक ज्वालामुखी क्रिया के कारण हुआ था। इसके अतिरिक्त विशाल लावा- राशि के धरातलीय सतह पर फैलने के कारण वनस्पतियाँ तथा जीव-जन्तु नष्ट हो जाते हैं। जिस कारण पारिस्थितिकीय असन्तुलन उत्पन्न हो जाता है।

2. वायुमण्डलीय या बहिर्जति प्राकृतिक आपदा -वायुमण्डलीय आपदाएँ तथा जलवायु की चरम घटनाओं से सम्बन्धित होती है। इन पर्यावरणीय प्राकृतिक प्रकोपों की उत्पत्ति वायुमण्डलीय प्रक्रमों द्वारा होती है। इन प्रक्रमों को दो भागों में बाँटा जा सकता है।

1. असामान्य तथा आकस्मिक (घटनाएँ) आपदाएँ इसके अन्तर्गत उष्ण कटिबन्धीय तूफान एवं चक्रवात (टाइफून, हरिफेन, टारनेड...) एवं प्रचण्ड वायुमण्डलीय बिजली व अग्निकाण्ड शामिल हैं।

1. उष्ण कटिबन्धीय चक्रवात: उष्ण कटिबन्धीय चक्रवात सर्वाधिक शक्तिशाली विध्वंसक तथा प्राणघातक वायुमण्डलीय चक्रवात होते हैं। इनका औसत व्यास 650 किमी. तक होता है। उष्ण कटिबन्धीय चक्रवात अपने उच्च वायु वेग 180 से 400 किमी. प्रति घंटा, उच्च ज्वारीय तरंग, उच्च जल वर्षा की तीव्रता 2000 मिलीमीटर प्रकृति की अत्यधिक न्यून वायु दाब तथा कई दिन तक स्थायी रहने के कारण प्रचण्ड आपदापन्न प्राकृतिक प्रकोप बन जाते हैं। उष्ण कटिबन्धीय चक्रवातों की तूफानी जाति वाली हवाओं, मूसलाधार वर्षा तथा सागरीय जल के तटीय स्थलीय भाग पर अतिक्रमण आदि का सफल संचयी प्रभाव इतना अधिक हो जाता है किये चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में महाप्रलय उपस्थित कर देते हैं।

चक्रवातीय प्रकोप से भारत के पूर्वी तथा बांग्लादेश के दक्षिण तटीय भाग अक्सर प्रभावित होते हैं। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले चक्रवात भारत के पूर्वी तटीय भागों को प्रायः दुष्प्रभावित करते हैं। इस भाग में प्रायः 12 से 13 महाविनाशकारी चक्रवात प्रतिवर्ष आते रहते हैं। 1970 से अब तक लाखों लोगों की मृत्यु हो गई है, मकान नष्ट हो गये तथा हजारों हेक्टेयर भूमि बर्बाद हो गयी। मिट्टी के ऊपर नमक की मोटी परत के जमाव के कारण अधिकांश तटीय भाग बंजर हो गया।

2. हरिकेन: हरिकेन प्रायः संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी तटवर्ती भागों को प्रभावित करते हैं। हरिकेन से सबसे पीड़ित क्षेत्र लूसियाना, टैक्सास, अलबामा तथा फ्लोरिडा आदि हैं। उष्ण कटिबन्धीय चक्रवातों की आवृत्ति के दृष्टिकोण से संयुक्त राज्य अमेरिका के लूसियाना प्रान्त में स्थित मिसिसिपी डेल्टा भारत एवं बांग्लादेश के गंगा डेल्टा के समान ही है परन्तु हरिकेन से होने वाली अपार जन-धन की हानि कम होती है क्योंकि विकसित देश होने के कारण तकनीकी में भी उन्नत है और चक्रवातों के आगमन की अग्रिम सूचना समय पर दे दी जाती है और लोग भारी आपदा सामना करने के लिए सावधान हो जाते हैं।

3. ट्रेसी चक्रवात: ट्रेसी चक्रवात।

4. टारनैडो: मुख्य रूप से दक्षिणी एवं पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका को प्रभावित करते हैं। स्थानीय प्रचण्ड तथा विनाशकारी तूफानों में टारनैडो सबसे छोटे होते हैं। परन्तु मानव जीवन एवं सम्पत्ति की दृष्टि से सर्वाधिक घातक तथा खतरनाक होते हैं।

सामान्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में टारनैडो द्वारा प्रतिवर्ष 100 मिलियन डालर मूल्य की सम्पत्ति तथा 450 व्यक्तियों की मृत्यु होती है। टारनैडो का सर्वाधिक घातक भाग उसके साथ चलने वाले टारनैडो प्रक्षेपास्त्र , टारनैडो की गति के कारण पेड़ उखड़ जाते हैं तथा भवनों की लोहे तथा चादरों की बनी छतें उखड़ जाती हैं। ये वस्तुएँ टारनैडो के साथ उसकी प्रचण्ड गति के कारण हवा के साथ तीव्र गति से उड़ती हुई चलती है (इन्हें टारनैडो मिसाइल कहते हैं) और मानव जीवन को अपार क्षति पहुँचाती है।

स्थानीय प्रचण्ड विनाशकारी तूफानों में तडितझंझा को भी सम्मिलित किया जाता है।

संचयी वायुमण्डलीय प्रकोप

लम्बे समय तक बनी रहने वाली मौसम की घटनाओं के प्रभावों के संचयन के कारण उत्पन्न होने वाले प्रकोपों को संचयी वायुमण्डलीय प्रकोप कहते हैं। जब अति गर्म एवं अति शुष्क दशाएँ लगातार कई सप्ताह तक कायम रहती हैं तो ताप लहर के रूप में पर्यावरणीय प्रकोप उत्पन्न हो जाता है जिसका मनुष्यों, वनस्पतियों तथा जन्तुओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उत्तरी भारत के मैदानी भागों में मई तथा जून के महीनों में लू (स्वव) इसका प्रमुख उदाहरण है।

इसी प्रकार कई सप्ताह तक अति शीत दशा के कारण प्रचण्ड हिमपात होने लगता है तथा शीत लहर के रूप में आपदापन्न/संकटापन्न स्थिति उत्पन्न हो जाती है। संचयी वायुमण्डलीय प्रकोपों में बाढ़ तथा सूखा, तापलहर तथा हिमपात एवं शीत लहर को सम्मिलित किया जाता है।

1. बाढ़ प्रकोप: बाढ़ का सामान्य अर्थ होता है विस्तृत स्थलीय भाग का लगातार कई दिनों तक जलमग्न रहना। वास्तव में बाढ़ प्राकृतिक पर्यावरण का एक गुण है तथा अपवाह बेसिन के जलीय चक्र का एक संघटक है।

बाढ़ एक प्राकृतिक घटना व अति जल वर्षा का परिणाम है। यह मात्र उस समय आपदा बन जाती है जब इसके द्वारा अपार धन-जन की हानि होती है। मानवीय क्रियाकलापों द्वारा बाढ़ के परिणाम आवृत्ति तथा विस्तार में वृद्धि हो जाती है। अतः बाढ़ प्रकोप प्राकृतिक एवं मानव जनित दोनों हैं।

अधिकतर बाढ़ का सम्बन्ध विस्तृत जलोद मैदानों में प्रवाहित होने वाली जलोद नदियों से होता है। विश्व के समस्त भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग 35 प्रतिशत क्षेत्र पर बाढ़ मैदान (थसवक चस्पंदे) का विस्तार है जिसमें विश्व की लगभग 16.5 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है।

भारत में विध्वंशक बाढ़ एवं उनसे उत्पन्न प्राकृतिक पर्यावरण को क्षति तथा धन-जन की हानि पहुँचाने वाली प्रमुख नदियाँ गंगा, तथा उसकी सहायक यमुना, रामगंगा, घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी, दामोदर आदि उत्तर भारत में हैं। उत्तर पूर्वी भारत में ब्रह्मपुत्र तथा दक्षिण भारत में कृष्णा, गोदावरी, महानदी, नर्मदा, तापी आदि नदियों के डेल्टाई भाग हैं।

संयुक्त राज्य अमेरिका में मिसिसिपी, मिसौरी चीन में यांगसिटी तथा यलो नदी, बर्मा में इरावदी, पाकिस्तान में सिंध, नाइजीरिया में नाइजर, इटली में पो, ईराक में दजला, फरात आदि नदियाँ अपने अपवाह बेसिन में विध्वंशक बाढ़ का कारण बन जाती हैं।

बाढ़ के कारण:

यद्यपि नदियों की बाढ़ प्राकृतिक एवं मानव जनित दोनों कारकों का प्रतिफल है अतः जलोद नदियों की बाढ़ों के वास्तविक कारण अत्यन्त जटिल हो जाते हैं। इन कारणों में प्राकृतिक एवं मानवजनित के सापेक्षिक महत्व में स्थानीय विभिन्नताएँ पायी जाती हैं।

नदियों में प्राकृतिक बाढ़ के कारण प्रमुख कारण-

1. लम्बी अवधि तक उच्च तीव्रता वाली जल वर्षा। घनघोर वर्षा।
 2. नदियों के विसर्पित (घुमावदार) मार्ग।
 3. विस्तृत बाढ़-मैदान।
 4. नदियों की जलधारा की प्रवणता में अचानक परिवर्तन।
 5. भूस्खलन तथा ज्वालामुखी-उद्गार नदियों के स्वाभाविक प्रवाह में अवरोध।
 6. नदियों की घाटियों तथा जलधाराओं की विशेषताएँ।
1. निर्माण कार्य, नगरीकरण।
 2. नदियों के जलमार्ग में परिवर्तन।
 3. नदियों पर बाँधों, पुलों एवं भण्डारों का निर्माण।
 4. कृषि कार्य, वन विनाश, भूमि उपयोग में परिवर्तन आदि प्रमुख कारण हैं।

उपरोक्त सभी कारणों का नदियों की बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण योगदान रहता है।

सूखा प्रकोप

सूखे का अविभाज्य जल के अभाव में संचयी प्रभावों से होता है। सूखा अत्यधिक घातक प्राकृतिक प्रकोप है। सूखे के कारण कृषि तथा प्राकृतिक वनस्पति की भारी मात्रा में क्षति होती है तथा अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार उस दशा को सूखा कहते हैं जबकि किसी भी क्षेत्र में सामान्य वर्षा से वास्तविक वर्षा 75 प्रतिशत से कम होती है।

सूखे को दो वर्गों में विभक्त किया गया है-

1. प्रचण्ड सूखा : जबकि वर्षा का अभाव सामान्य वर्षा के 50 प्रतिशत से अधिक होता है।
2. सामान्य सूखा: जबकि वर्षा का अभाव सामान्य वर्षा से 50 से 25 प्रतिशत के बीच रहता है।

सूखे का प्रभाव

सूखे का जीवमण्डल पारिस्थितिक तंत्र के सभी जीवन रूपों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जीव जन्तु तथा पौधे सभी प्रत्यक्ष रूप से जल पर निर्भर करते हैं।

वास्तव में दीर्घकालिक सूखे का पारिस्थितिकीरण आर्थिक जनांकीय तथा राजनैतिक पक्षों पर प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त पौधों तथा जन्तुओं की महत्वपूर्ण जातियाँ समाप्त हो जाती हैं क्योंकि वे कठोर सूखे को बर्दास्त नहीं कर पाती हैं। कुछ जन्तु अन्य स्थानों को प्रवजन कर लेते हैं। जिससे उनके स्थान विशेष में कमी हो जाती है। सूखे के कारण आहार की कमी हो जाने के कारण जानवर भुखमरी के कारण मर जाते हैं।

सूखा ग्रसित मुख्य क्षेत्र:

1. राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र एवं आन्ध्र प्रदेश आदि हैं। प्रचण्ड सूखे के कारण काफी संख्या में लोग अपने पशुओं के साथ पलायन कर जाते हैं।

2. उत्तर अफ्रीका में उत्तर में सहारा के गर्म एवं शुष्क रोगिस्तानी भाग एवं दक्षिण में सवाना प्रदेश के बीच पश्चिम से पूर्ण फैले विस्तृत क्षेत्र को सहेल प्रदेश कहते हैं। यह प्रदेश प्रायः सूखे की चपेट में आता रहता है। जिस कारण वनस्पतियों, जन्तुओं एवं मानव समुदाय की अपार क्षति उठानी पड़ती है। इस क्षेत्र के अन्तर्गत मरिटेनियर, सेनेगल, माली, अपर वोल्टा, नाइजर, नाइजीरिया, चाड, यूगाण्डा तथा इथियोपियर देशों के भागों को सम्मिलित किया जाता है। इथियोपियों में सूखे के कारण आज तक लाखों लोग कुपोषण तथा रोगों से मृत्यु की भेंट चढ़ गए हैं।

3. आस्ट्रेलिया में सूखा आम घटना है। सूखे की घटना बार-बार घटती है। उसका प्रभाव विस्तृत क्षेत्रों पर पड़ता है। 1895 से 1902 तक आस्ट्रेलिया के प्रचण्ड सूखे की स्थिति का आविर्भाव हुआ है। जिसमें 106 मिलियन मवेशी खत्म हो गए। सूखे के कारण कृषि के क्षेत्र में भारी कमी हो गयी है।

4. ग्रेट ब्रिटेन में सूखे के कारण 1975 से 1976 तक घरेलू एवं औद्योगिक उपयोग के लिए आवश्यक जल की आपूर्ति के लिए घोर संकट उत्पन्न हो गया। घर-कृषि उत्पादन में काफी कमी हो गयी।

भारत के कृषि मंत्रालय ने जलवर्षा के वितरण, सूखे की घटना की आवृत्ति तथा सिंचाई के प्रतिशत के आधार पर तथा सिंचाई आयोग ने सिंचाई तथा जलवर्षा के आधार पर देश में सूखा प्रभावित क्षेत्रों का निर्धारण किया है।

सिंचाई आयोग के अनुसार वे क्षेत्र सूखाग्रस्त क्षेत्र होते हैं जहां पर औसत वार्षिक वर्षा 1000 मिलीमीटर से कम होती है। देश के 20 प्रतिशत तथा उससे अधिक भाग में औसत वार्षिक जल वर्षा का 75 प्रतिशत से कम जल वर्षा प्राप्त होती है तथा कृषिगत क्षेत्र के 20 प्रतिशत से कम भाग पर सिंचाई होती है।

उपरोक्त भौतिक कारणों जिनके द्वारा धरातल पर प्रायः आपदाएं उत्पन्न होती हैं इनके साथ ही वैज्ञानिकों की अवधारणा है कि पृथ्वी के विगत इतिहास में पृथ्वी तथा बाहरी वस्तुओं जैसे- एस्टेरायड, मेट्रोइट्स तथा कामेट से टक्कर के कारण उत्पन्न प्रलयकारी घटना को ग्रहेतर या पृथ्व्येतर प्रकोप या विनाश कहते हैं।

इन टकरावों से अपार धूल-राशि का उद्गार, महासागरों में ज्वारीय तरंगों का जनन, हरिकेन की उत्पत्ति, भूतल पर गर्तों एवं क्रेटर का निर्माण, सागर तल में ज्वालामुखी क्रिया तथा स्थालाकृतियों में परिवर्तन हो जाता है।

7.2.2 मानवजनित आपदाओं के प्रकार

मानवजनित आपदा पर्यावरणीय प्रकोप को तीन प्रमुख वर्गों में विभाजित किया जाता है-

1. मानव जनित भौतिक प्रकोप यथा भूकम्प, भूस्खलन, तीव्र मृदा अपरदन।
2. मानव जनित रासायनिक प्रकोप। जैसे- जहरीले रसायनों का विमोचन तथा जमाव नाभिकीय विस्फोट, तेल वाहक लवणों से खनिज तेल का सांगवीय जल में रिसाव आदि।

3. मानव जनित जीवीय प्रकोप। जैसे- मानव जनसंख्या विस्फोट जलीय भागों में पोषक तत्वों की अत्यधिक वृद्धि होने से कुछ पौधों में अपार वृद्धि आदि।

वास्तव में भूकम्प प्राकृतिक घटना है तथा इसकी उत्पत्ति अन्तरतम में उत्पन्न अन्तजति बलों के कारण होती है। किन्तु मानव द्वारा भूमिगत जल, खनिज तेल व अत्यधिक गहराई तक खनिजों के खनन, निर्माण कार्यों जैसे- सड़क, बाँध, जलभण्डार आदि के निर्माण के लिये डायनामाइट द्वारा चट्टानों का उड़ाया जाना नाभिकीय परीक्षण तथा विस्फोट, बड़े-बड़े जल भण्डारों में अपार जलराशि (डैम) के संग्रह आदि के द्वारा भी बड़े परिणाम वाले खतरनाक भूकम्पों की उत्पत्ति होती है।

ग्रीस में मरेथान बाँध के कारण 1929 का भूकम्प, संयुक्त राज्य अमेरिका में हूबर बाँध तथा भारत में महाराष्ट्र प्रान्त के सतारा जिले, जिसमें कोयना बाँध के कारण 1967 का भूकम्प इसके प्रमुख उदाहरण हैं।

इसके अतिरिक्त किसी भी क्षेत्र में जमीन के नीचे जहरीले रसायनिक तत्वों का जमाव उस क्षेत्र के बाद होने वाले मानव अधिकारों के लिए घातक आपदा के रूप में परिलक्षित होता है।

नियाग्रफाल्स नगर के पास लोव नहर के लिए 1892 में खोदी गई खाई के बाद में छोड़ दिया गया। बाद में इस खाई का प्रयोग कारखानों से निकले अपशिष्ट पदार्थों खासकर जहरीले रासायनिक तत्वों के जमाव के लिए किया जाने लगा। 80 से अधिक जहरीले रासायनिकों का जमाव इस खाई में 1953 तक होता रहा। कुछ समय बाद इस स्थान पर नियाग्रफाल्स नगर के उपनगर का विकास किया गया किन्तु 1977 में अत्यधिक जलवृष्टि के कारण इस मानवजनित रासायनिक समय बम में अचानक विस्फोट हो गया जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ा जैसे- महिलाओं में गर्भापात की दर में अचानक वृद्धि हो गयी, रक्त एवं जिगरकी विसंगतियाँ, जन्म विकृति आदि कई प्रकार की शारीरिक विकृति उत्पन्न हो गयी। मनुष्य की असावधानी के कारण तेल वाहक जहाजों से खनिज तेल के अधिक मात्रा में रिसाव के कारण सागरीय जल की सतह पर तेल की पतली परतें बन जाती हैं जो जल की सतह पर तेली से फैलती हैं। इसके कारण प्रभावित सागरीय क्षेत्रों में सागरीय जीव मर जाते हैं।

नाभिकीय संस्थानों में अचानक गड़बड़ी हो जाने से प्राणघातक आपदायें उत्पन्न हो जाती हैं। इस तरहकी दुर्घटनाओं का प्रभावित क्षेत्रों के पेड़-पौधों, जीव-जन्तुओं, मनुष्यों न केवल तात्कालिक दुष्प्रभाव होते हैं बल्कि इनका दुष्परिणाम वर्षों तक बना रहता है। मानव की भावी पीढ़ियाँ रेडियोएक्टिव तत्वों से दुष्प्रभावित होती रहती है।

सोवित रूस में चरनोबिल में स्थित नाभिकीय संयंत्र की 1989 की दुर्घटना तथा त्रासदी मानव जनित भीषण प्रकोप तथा विनाश का उदाहरण है।

भारत में 1984 में भोपाल गैस त्रासदी मनुष्य की लापरवाही के कारण उत्पन्न होने वाले भयंकर प्राणघातक प्रकोप का उदाहरण है।

कभी-कभी लोलुपतावश भी मनुष्य जानबूझकर घातक प्रकोप तथा आपदाएँ उत्पन्न करता है। प्रायः युद्ध के समय ऐसा होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा द्वितीय विश्वयुद्ध के समय (1945) में जापान के दो नगरों, नागासाकी तथा हिरोशिमा पर एटम बम गिराया गया। इन आणविक बमों के विस्फोट द्वारा उत्पन्न घातक संक्रमण के कारण लाखों लोगों की मृत्यु हो गयी और आज भी वहाँ के लोग बर्बरता का खामियाजा, अपंगता या शारीरिक विकृतियों के रूप में भुगत रहे हैं।

इसके अलावा युद्ध के समय जहरीली गैसों तथा संक्रामक रोग फैलाने वाले कीटाणुओं का प्रयोग करता है तथा निर्माण कार्यों तथा भूमि उपयोग में परिवर्तनों द्वारा प्राकृतिक प्रकोपों की गति तेज कर देता है। फलस्वरूप भूस्खलन द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में वन-विनाश, भवनों तथा सड़कों के कारण भूस्खलन की आवृत्ति तथा परिणाम में वृद्धि हो जाती है।

7.3 आपदा प्रबन्धन

अभी तक हमने जाना कि वास्तव में आपदाएँ क्या होती हैं तथा उनसे मानव जीवन किस तरह प्रभावित होता है।

किन्तु अब प्रश्न उठता है कि आपदाएँ को जान लेना या उनका ज्ञान प्राप्त कर लेने मात्र से ही आपदाओं का सामना नहीं किया जा सकता, इसलिए आपदा प्रबन्धन एक मुख्य विषय के रूप में उभरकर सामने आता है।

प्राकृतिक आपदाओं के न्यूनीकरण तथा प्रबन्धन के अन्तर्गत तीन मुख्य पक्षों को सम्मिलित किया जाता है।

1. प्रकोपों के सम्भावित आगमन की भविष्यवाणी करना।
2. प्रकोप से प्रभावित क्षेत्र के लोगों के लिए राहत सामग्री को तुरन्त पहुँचाना।
3. प्राकृतिक प्रकोपों तथा आपदाओं के साथ समायोजन के उपाय करना।

आपदा प्रबन्धन की तैयारी के मुख्य उद्देश्य हैं- आपदा प्रभावित क्षेत्रों में कम से कम समय में प्रभावी तरीके से सहायता पहुँचाना तथा समयबद्ध सुनियोजित तरीकों से त्वरित सक्षम संगठनों के द्वारा आपातकालीन परिस्थितियों में धन-जन की हानि को कम करना होना चाहिए। यद्यपि आपदा प्रबन्धन में दीर्घकालिक व अल्पकालिक प्रयासों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। परन्तु इस दीर्घकालिक व अल्पकालिक प्रयासों को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं।

1. आपदा आने से पूर्व का प्रबन्धन।
2. आपदा आने के बाद का प्रबन्धन।

7.3.1 आपदा आने से पूर्व का प्रबन्धन

आपदा आने से पूर्व के प्रबन्धन में, विभिन्न वैज्ञानिक तकनीकी सहयोग से भविष्यवाणी या चेतावनी का प्रयोग किया जा सकता है। इसके अन्तर्गत रिमोट सेंसिंग जी.आई.एस. तथा वायु आकाश सर्वेक्षणों के द्वारा चक्रवात, बाढ़, सुनामी आदि जैसे प्राकृतिक आपदाओं की सूचना पूर्व में जारी की

जा सकती है। जिससे आपदा आने के पूर्व ही लोगों को सुरक्षित स्थानों में भेजा जा सकता है, जिससे कि जन-धन की हानि को न्यूनतम किया जा सकता है। उक्त तकनीकी आधारों पर आपदा प्रभावित क्षेत्रों का पूर्व में मूल्यांकन करते हुए समस्याग्रस्त क्षेत्रों का मानचित्र तैयार किया जा सकता है। जिससे कि आपदा ग्रस्त क्षेत्रों में आम जनता को प्रकोपों के प्रति जागरूक करते हुए समय पर सूचना प्रदान की जा सकती है। इसके अतिरिक्त आपदा आने के पूर्व के सम्भावित खतरों से बचने के लिए संरचनात्मक एवं निर्माण कार्य किया जा सकता है।

यथा बाढ़ सम्भावित क्षेत्रों का आकलन करते हुए पूर्व में ही सुरक्षात्मक दिवालों का निर्माण करना, नदी के जलागम क्षेत्रों में वृहद वृक्षारोपण करना, बाढ़ के समय अपनाये जाने वाले सुरक्षा उपकरण आदि के बारे में लोगों को प्रेरित करना। इसी प्रकार सुनामी, चक्रवातों के प्रभावित क्षेत्रों के मानचित्र तैयार किये जा सकते हैं। 1. साथ ही साथ रिमोट सैसिंग तथा जी.आई.एस. तकनीकी द्वारा प्राप्त सूचनाओं को चेतावनी प्रणाली के रूप में विकसित किया जाना। तकनीकी प्रणालियों की सहायता से अमेरिका जैसे विकसित देशों में चक्रवातों की उत्पत्ति तथा उनके गमन पथ की लगातार सूचना के आधार पर अग्रिम चेतावनी दी जाती है। जिससे समय रहते लोगों को सुरक्षित स्थानों में भेजा जाता है। जिसके द्वारा जनहानि को न्यूनतम स्तर पर लाया जा सकता है। इस प्रकार का उदाहरण जापान जैसे भूकम्प प्रभावी देश में किया जाता है। जहां भूकम्परोधी भवनों का निर्माण तथा लोगों को जागरूक करके जन-धन की हानि कम की गई है।

आपदा न्यूनीकरण के विभिन्न कार्यक्रमों को दीर्घकालीन स्तरों पर तैयार किया जा सकता है, जिसमें प्रकोपों से सम्बन्धित शिक्षा का प्रचार-प्रसार किया जा सकता है। इन कार्यक्रमों में वैज्ञानिकों, अभियन्ताओं, नीतिनिर्धारकों, प्रशासकों तथा आम जनता को सम्मिलित करते हुए एक ठोस आपदा प्रबन्धन की नीति तैयार की जा सकती है। 1. मजबूत सूचना तंत्र का विकास। 2. वैज्ञानिक उपकरणों का आधिकारिक प्रयोग। 3. आपदाग्रस्त क्षेत्रों को वैज्ञानिक आधार पर चिन्हित करना। 4. उसी के अनुरूप वैज्ञानिक तकनीकी के इस्तेमाल हेतु प्रेरित करना। 5. लोगों को आपदा के समय अपनाये जाने वाले सुरक्षा उपकरणों से शिक्षित करना। 6. ऐसे संगठनों को तैयार करना जो कि स्थानीय, सांस्कृतिक, भौगोलिक परिस्थितियों से अवगत हों। 7. राहत सामग्रियों यथा भोजन, टैंट, चिकित्सा, वैज्ञानिक उपकरणों का यथोचित स्थान पर भंडारण। 8. वैकल्पिक यातायात व सूचना तंत्र की स्थापना करना। 9. वैज्ञानिक अध्ययनों, शोध के पश्चात विकास परियोजनाओं को लागू करना। 10. सशक्त नीतियां बनाना तथा उनका क्रियान्वयन दृढ़ता से लागू करना। 11. स्थानीय लोगों को जागरूक करना तथा उनसे सहयोग प्राप्त करके आपदा प्रबन्धन की योजनाओं में उनकी अधिकाधि सहभागिता करना।

7.3.2 आपदा आने के बाद का प्रबन्धन

यद्यपि वर्तमान समय में तकनीकी सहायता के द्वारा कई प्रकार की प्राकृतिक घटनाओं का पूर्वानुमान व मूल्यांकन किया जाता है। परन्तु कुछ प्राकृतिक घटनाएँ बिना किसी चेतावनी के एकाएक घटित हो जाती हैं, जिनके लिए हमें आपदा प्रबन्धन की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए हमें ऐसी कार्ययोजना तथा संगठन की आवश्यकता होती है, जो कि समस्त विभागों के बीच आपसी तालमेल व समन्वय के साथ आपदाग्रस्त क्षेत्रों में त्वरित सहायता पहुँचाने का कार्य सुचारु रूप से कर सके। इस संगठनों के पास उस क्षेत्र की समस्त भौगोलिक जानकारियाँ उपलब्ध होनी चाहिए ताकि आपदा के समय उस क्षेत्र पर तत्काल पहुँचा जा सके एवं लोगों को समय पर राहत सामग्री उपलब्ध करवायी जा सके। 1. आपदा आने के बाद के प्रबन्धन में तत्काल आपदाग्रस्त क्षेत्रों में पहुँचना। 2. राहतकर्मियों के पास आपदा के निबटारे हेतु आवश्यक उपकरणों का होना। 3. राहत सामग्रियों की उचित वितरण की व्यवस्था। 4. चिकित्सा तथा निवास की उचित व्यवस्था। 5. स्थानीय लोगों से सहायता प्राप्त करना। 6. समस्त सरकारी व गैर सरकारी संगठनों के बीच उचित समन्वय व सहयोग होना। 7. मरे हुए जानवरों व शवों का निष्पादन ताकि कोई महामारी-रोग न फैलने पाए। 8. यातायात व सूचना तंत्र को पुनर्बहाल करना। 9. आपदाग्रस्त क्षेत्र के पुनर्वास व पुनर्निर्माण की योजना बनाना।

7.4 आपदा प्रबन्धन से सम्बन्धित कार्यकलाप

1. विभिन्न इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों एवं तकनीकी के आधार पर प्रभावित क्षेत्रों का पूर्व मूल्यांकन एवं वृहद मानचित्रों का तैयार किया जाना।
2. उक्त क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों को सम्बन्धित आपदाओं के सम्बन्ध में सूचना के विभिन्न माध्यमों के द्वारा लोगों को सम्बन्धित खतरों से बचने के लिए शिक्षित करना।
3. विभिन्न संचार माध्यमों व वैज्ञानिक उपकरणों के द्वारा पूर्व चेतावनी प्रणाली की स्थापना करना।
4. प्रभावित क्षेत्रों का आकलन करते हुए पूर्व में सुरक्षात्मक एवं संरचनात्मक निर्माण कार्यों का किया जाना।
5. स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करना। दक्ष व कुशल राहतकर्मियों के दल का गठन जिनको कि इस प्राकृतिक व मानवजनित आपदा के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी हो तथा उस क्षेत्र की भौगोलिक व सांस्कृतिक जानकारियाँ का गठन किया जाना चाहिए।
6. आपदाग्रस्त क्षेत्रों में आपतकालीन राहत सामग्री को पहुँचाना।
7. विभिन्न सरकारी व अर्धसरकारी विभागों के बीच समन्वय के साथ काम करना।

8.केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा स्पष्ट नीतियों का निर्धारण करना।

9.विभिन्न प्रकार की आपदाओं हेतु उसी के अनुरूप संगठनों का निर्माण किया जाना। जैसे कि प्राकृतिक आपदा एवं मानवजनित आपदाओं के प्रबन्धन हेतु अलग-अलग संगठनों को पूर्व में तैयार करना।

10.राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय एवं स्थानीय स्तर पर आपदा प्रबन्धन पर चर्चा करना, लोगों को शिक्षित करना, जिसके लिए सरकारी व गैर सरकारी व वैज्ञानिक संगठनों द्वारा एकत्रित सूचनाओं के अनुरूप एक नीति तैयार करना।

7.5 विश्व स्तर पर आपदा प्रबन्धन के कार्यक्रम

प्रकोपों तथा आपदाओं के शोध से सम्बन्धित तथा प्रकोपों से उत्पन्न प्रभावों को कम करने के लिए चलाये जाने वाले कार्यक्रम उल्लेखनीय हैं।

SCOPE (Scientific Communicate on Problem of Environment) नामक समिति का गठन 1969 में ICSU (Inter National Council of Scientific Union) द्वारा पर्यावरण पर मनुष्य के तथा मनुष्य पर पर्यावरण के प्रभावों से सम्बन्धित जानकारी में वृद्धि करना तथा सरकारी व गैर सरकारी संगठनों को पर्यावरणीय समस्याओं से सम्बन्धित वैज्ञानिक सूचनाएँ व सुझाव देने हेतु स्थापना की गई।

इसी प्रकार IGBP (Inter National Geosphere Biosphere Programme ICSU) द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर भौतिक पर्यावरण के स्थल मण्डलीय, स्थानीय एवं वायुमण्डलीय संघटकों के अध्ययन हेतु 1988 में एक अन्तर्राष्ट्रीय शोध कार्यक्रम का अभियान शुरू किया गया।

यूनाइटेड नेशन डिजास्टर रिलिफ ऑफिस को सन 1971 में आपदा के समय तुरन्त सहायता पहुँचाने के लिए स्थापित किया गया था। खासकर अन्तर्राष्ट्रीय रेडक्रास और रेड क्रिसैन्ट आन्दोलनों के द्वारा तुरन्त आपदा ग्रस्त क्षेत्र में गैर सरकारी व सरकारी रूप से सहायता पहुँचाने के लिए स्थापित किया गया। इसके द्वारा आपदा सम्भावित क्षेत्र के लिए पहले से प्लान या योजना बना ली जाती है। मुख्यतः विकसित देशों के लिए जहाँ पर आधुनिक तकनीकी का विकास हुआ हो।

यूनाइटेड नेशन डिजास्टर रिलिफ औरगनाइजेशन का मुख्य उद्देश्य पूरे विश्व में कम से कम खर्च में आपदा से बचाने में अपना पूर्ण सहयोग व सहायता देना है। यद्यपि विश्वस्तर पर प्राकृतिक व मानवीय आपदाओं के प्रबन्धन हेतु विभिन्न कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं परन्तु इस प्रकार के कार्यक्रमों के साथ ही स्थानीय रूप से भौगोलिक आधारों पर कार्यक्रमों/योजनाओं का निर्माण किया जाना चाहिए वना

स्थानीय आधारों पर प्राकृतिक आपदाओं के समय पर कई प्रकार की समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं, जिससे तात्कालिक सहायता के स्थान पर प्राप्त राहत सामग्रियों के रख-रखाव की समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं जिसका स्पष्ट उदाहरण 1985 के मैक्सिको शहर के विध्वंशकारी भूकम्प के समय राहत कार्यों में समस्या उत्पन्न हो गयी थी। क्योंकि विभिन्न देशों से मैक्सिको शहर के लिए भेजी गयी राहत सामग्रियों व राहत कार्य करने वाली संस्थाएँ तथा देशों के पूर्वानुमान पर आधारित थे न कि मैक्सिको शहर की वास्तविक माँगों के आधार पर। जिससे की कुछ ही दिनों में इतनी अधिक राहत सामग्री (खाद्य, टैन्ट, दवाएँ आदि) पहुँच गये कि उनके रखरखाव व वितरण की समस्या उत्पन्न हो गयी। इसी प्रकार विभिन्न देशों से गये राहतकर्मियों जिनमें डाक्टर, नर्सों तथा बचावकर्मी आदि को स्थानीय भाषा व भौगोलिक क्षेत्र का ज्ञान न होने के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचने व स्थानीय लोगों की भाषा से अनभिज्ञ होने के कारण भाषा की समस्याएँ उत्पन्न हो गयी। जिसके कारण स्थानीय अधिकारियों को एक ओर राहत सामग्री के रखरखाव व दूसरी ओर भाषा की समस्याओं का सामना करना पड़ा।

अतः इस प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए एक सुनिश्चित राहत कार्य की आवश्यकता होती है ताकि उपलब्ध राहत सामग्रियों का अधिकाधिक उपयोग किया जा सके।

प्राकृतिक व मानवजनित आपदाओं के लिए जहाँ एक ओर कई प्रकार की राहत सामग्रियों की आवश्यकता होती है वहीं दूसरी ओर कई प्रकार की राहत सामग्रियों के भण्डारण व उचित वितरण की व्यवस्था की जानी आवश्यक है। इसलिए अत्यन्त आवश्यक है कि स्थानीय आधारों पर राहतकर्मियों को तैयार किया जाय जो कि उस क्षेत्र की भौगोलिक व सांस्कृतिक जानकारियाँ रखते हों तथा स्थानीय आपदाग्रस्त लोगों को अधिकाधिक सहायता कम से कम समय पर पहुँचा सकें। इस प्रकार राहतकर्मियों के संगठनों में स्थानीय स्तर पर उस क्षेत्र के निवासी उस क्षेत्र में कार्यरत ग्राम पंचायतें, ग्रामों में उपलब्ध डाक्टर, शिक्षक, इंजीनियरों, रिटायर्ड सैनिक व पुलिस कर्मियों को सम्मिलित किया जाना आवश्यक है। वहीं राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न सरकारी-गैर सरकारी संगठनों से आपसी तालमेल व समन्वय का होना आवश्यक है जो कि विभिन्न वैज्ञानिक सूचनाओं, राहत उपकरणों, संचार उपकरणों से भलीभाँति परिचित हो।

भारत जैसे विकासशील देश में आने वाली प्राकृतिक आपदाओं (भूस्खलन, बाढ़, तूफान, सूखा) तथा मानवजनित आपदाओं (सड़क, रेल, वायु दुर्घटनाओं, रासायनिक गैसों के रिसाव से उत्पन्न आपदाएँ आदि) से उत्पन्न समस्याओं के प्रबन्धन विकसित देशों की तुलना में भिन्न हैं क्योंकि भारत की भौगोलिक व सांस्कृतिक परिस्थितियाँ भिन्न हैं। क्योंकि देश विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के अन्तर्गत आता है।

एक अनुमान के अनुसार आज भी भारत में 57 प्रतिशत भूमि भूकम्प जनित आपदाओं, 68 प्रतिशत भूमि सूखा जनित आपदाओं, 12 प्रतिशत भूमि बाढ़ ग्रस्त आपदाओं, 8 प्रतिशत क्षेत्र चक्रवाती तूफानों से ग्रसित क्षेत्रों में आता है। साथ ही भारत के कई शहर या क्षेत्र औद्योगिकरण के कारण रासायनिक व औद्योगिक आपदाओं तथा मानव जनित आपदाओं में सम्मिलित हैं।

यद्यपि भारत में विभिन्न प्राकृतिक व मानव जनित आपदाओं के प्रबन्धन में कई महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं जिसका उत्तम उदाहरण कृषि क्षेत्र में परिलक्षित होता है। जहाँ आजादी से पूर्व भारत में सूखा पड़ना एक विकराल प्राकृतिक आपदा के रूप में जानी जाती थी। 1769-1770 के बीच बंगाल में सूखे के समय अत्यधिक जनसंख्या सूखे के कारण मर गयी थी। इसी प्रकार आजादी के बाद भी सूखा कृषि क्षेत्र की एक गम्भीर समस्या थी जिसमें हजारों लोग भूख के कारण काल के ग्रास बन जाते थे। (क्तवनहीज चतवदम ।तमं चतवहतंउउम) सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के द्वारा सूखाग्रस्त क्षेत्रों का न्यूनीकरण किया गया। साथ ही 1960 के दशक में कृषि क्षेत्र में स्वगमित विकास हेतु चलायी गयी योजनाओं में हरित क्रान्ति प्रमुख थी। जिससे न केवल कृषि के लिए संरचनात्मक विधाओं का विकास किया गया वहीं दूसरी ओर खाद्य सामग्री के भण्डारण का वितरण की उचित व्यवस्था के कारण सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं में कमी के साथ भुखमरी से होने वाली जन हानि को न्यूनतम किया जा सका।

इसी प्रकार तटीय चक्रवातों के समय मानवजनित उपग्रहों के माध्यम से पूर्व चेतावनी का दिया जाना सम्मिलित है। भारत में एक ओर आपदाओं के प्रबन्धन में वैज्ञानिक उपकरणों की सहायता ली जाती है परन्तु स्थानीय स्तर पर आज भी प्रबन्धन में अनेक समस्याएँ हैं जैसे कि लोगों को इन आपदाओं के प्रति जागरूक करना, जापान जैसे भूकम्प प्रभावित क्षेत्र में लोगों की सहायता से इससे होने वाले नुकसान को न्यूनतम किया जा जाता है। वहाँ घरों को भूकम्परोधी बनाना, भूकम्प के समय लोगों द्वारा अपनाये जाने वाले तरीकों से धन-जन की हानि को कम किया जा सकता है परन्तु भारत में आज भी भूकम्प प्रभावित क्षेत्रों से इन बातों की अवहेलना की जाती है। जिसके परिणामस्वरूप भूकम्प के समय मकानों के गिरने से अत्यधिक धन-जन की हानि होती है। इसी प्रकार का उदाहरण हाल में देश के पूर्वीतटीय भागों में आई सुनामी के कहर से स्पष्ट है। वहाँ कोई पूर्व चेतावनी प्रणाली न होने तथा लोगों को सुनामी के बारे में जानकारी न होने के कारण अपार धन-जन की हानि हो गयी। इसी प्रकार का उदाहरण भोपाल गैस त्रासदी भी है।

भारत में प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा प्रतिवर्ष हजारों लोगों की मृत्यु हो जाती है (लगभग 3600 लोग), करोड़ों हैक्टेयर कृषि भूमि (1.42 मिलियन हैक्टेयर) लगभग 2-26 मिलियन घर व सामान समाप्त हो जाता है।

ए. पटवर्धन के द्वारा भारत में आपदा प्रबन्धन के संदर्भ में किये गये अध्ययन के आधार पर सबसे अधिक हानि तूफानों, बाढ़, भूकम्प व अत्यधिक तापमान द्वारा होती है।

आपदा प्रबन्धन के लिए भारत सरकार के महत्वपूर्ण केन्द्रीय मंत्रालय व विभाग इस प्रकार हैं।

आपदाएँ	केन्द्रीय मंत्रालय
1. प्राकृतिक आपदाएँ	1. कृषि
2. हवाई आपदाएँ	2. Civil Aviation
3. रेलवे दुर्घटनाएँ	3. रेलवे मंत्रालय
4. रासायनिक दुर्घटनाएँ	4. पर्यावरण मंत्रालय
5. शारीरिक आपदाएँ	5. स्वास्थ्य एवं पर्यावरण मंत्रालय
6. नागरिक दुर्घटनाएँ (युद्ध, महामारी, नैक्सलाइट हमले, आतंकवादी दुर्घटनाएँ)	6. गृह मंत्रालय
7. नाभिकीय दुर्घटनाएँ	7. परमाणु ऊर्जा मंत्रालय)

आदि समस्त संस्थान भारत में निरन्तर आपदाओं के न्यूनीकरण व प्रबन्धन के लिए कार्यरत हैं।

अभ्यास प्रश्न

A. निम्न प्रश्नों के उत्तर उनके संभावित विकल्पों से दीजिये।

1. प्राकृतिक जनित आपदा है-
क. भूस्खलन ख. बम विस्फोट ग. रासायनिक गैसों का उत्सर्जन घ. उपरोक्त सभी
2. भूकम्प से क्षति-
क. प्राकृतिक आपदा ख. मानव जनित आपदा ग. दोनों नहीं घ. कोई नहीं
3. चैरनेबल परमाणु रिएक्टर दुर्घटना
क. वायुमण्डलीय आपदा ख. जैविक आपदा ग. नाभिकीय आपदा घ. कोई नहीं
4. मानव जनित आपदा
क. भूकम्प ख. ज्वालामुखी ग. सुनामी घ. रेल दुर्घटना

B. निम्न प्रश्नों के आगे सत्य/असत्य लिखिये।

1. टैरनेडो अधिकांशतः यूरोप के मध्य भाग में आते हैं। सत्य/असत्य
2. सुनामी समुद्र में भूकम्प के फलस्वरूप उठी विध्वंशक तरंगों को हते हैं। सत्य/असत्य
3. ऊष्ण कटिबन्धीय चक्रवातों का असर भारत, बांग्लादेश आदि देशों में सर्वाधिक धन-जन की हानि करता है। सत्य/असत्य
4. ज्वालामुखी उद्वेगन से निकलने वाली राश से भी अपार धन-जन की हानि होती है। सत्य/असत्य

7.7 सारांश

इस इकाई के अध्ययन से आपको यह स्पष्ट हो गया है कि प्राकृतिक व मानवजनित आकस्मिक व विध्वंशकारी घटनाएँ जिनके द्वारा अपार धन-जन की हानि होती है, को आपदा कहते हैं। आपदाओं को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है।

1. प्राकृतिक आपदाएँ- जिसमें (भूकम्प, ज्वालामुखी, भूस्खलन, बाढ़, सूखा, चक्रवात) आदि सम्मिलित हैं, प्राकृतिक शक्तियों का हाथ होता है, जिसके बारे में वैज्ञानिक रूप से आज भी हमारे पास पूर्वानुमान के बहुत कम साधन हैं। यह कब? कहाँ ? कैसे? आएगा, इसका पूर्वानुमान लगाना अभी भी अपनी प्राथमिक अवस्था में है। यद्यपि विकसित देशों में वैज्ञानिक उपकरणों व तकनीकी के सहारे इन आपदाओं से होने वाले धन-जन की क्षति को कम किया जा सकता है किन्तु विकासशील या अल्पविकसित देशों में वैज्ञानिक संसाधनों का अभाव होने के कारण ये प्राकृतिक आपदाएँ अपार धन-जन की हानि पहुँचाती हैं। इनके अतिरिक्त मानव जनित आपदाएँ हैं जिनमें रासायनिक, जैविक, नाभीकीय, युद्ध, आतंकी घटनाओं आदि को सम्मिलित किया जा सकता है।

मानव जनित आपदाओं के प्रबन्धन में सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक पहलुओं का भौगोलिक परिस्थितियों से उचित सामंजस्य बनाकर इन आपदाओं से होने वाले दुष्परिणामों को कम किया जा सकता है तथा उचित प्रबन्धन के लिए आपदाग्रस्त क्षेत्रों का वैज्ञानिक शोध के द्वारा विस्तृत अध्ययन, वैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग पूर्व चेतावनी प्रणाली का विकास व कुशल व शिक्षित राहत कर्मियों के संगठनों को तैयार करना, तुरन्त राहत व चिकित्सा सामग्रियों को पहुँचाना स्थानीय लोगों को उपरोक्त प्रकार प्राकृतिक व मानवजनित आपदाओं के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी देना, सुरक्षा सम्बन्धी उपयों की जानकारी देना, विभिन्न प्रकार की आपदाओं के लिए राष्ट्रीय स्तर पर ठोस कार्य योजना बनाना तथा उनको दृढ़ता से लागू करना तथा स्थानीय, राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर पर आपदा से पूर्व व बाद के प्रबन्धन के लिए दीर्घकालिक व अल्पकालिक नीतियाँ बनाना आदि आपदा प्रबन्ध के मुख्य कार्य हैं।

7.8 शब्दावली

आपदा : प्राकृतिक व मानव जनित घटनाओं से होने वाली धन-जन की हानि।

प्रबन्धन : किसी भी समस्या से निजात पाने के लिये कई सम्भावित विकल्पों से एक विकल्प चुनना।

पार्थिव : पृथ्वी से ऊपर।

प्लेट विवर्तनिक : ऐसा सिद्धान्त जो पृथ्वी के बाहरी भाग को विभिन्न प्लेटों में बाँटने में उसके द्वारा महाद्वीप के निर्माण, ज्वालामुखी व भूकम्प आदि की व्याख्या करता है।

टैरनेडो : कम दाब वाले क्षेत्रों में हवाओं या गोलाकार घूमते हुए उत्पन्न हिंसक तूफानों को टैरनेडो कहते हैं।

एस्टोराइड : मंगल व बृहस्पति ग्रहों के बीच घूमते हुए उल्का पिण्ड।

मैट्रोइट्स : जब ब्रह्माण्ड में घूमते उल्का पिण्ड पृथ्वी के वातावरण में भी नष्ट नहीं होते बल्कि पृथ्वी से टकराते हैं।

भूस्खलन : चट्टानों का पानी आदि के कारण तेजी से नीचे गिरना, जो कि वर्षाकाल में घटित होता है।

हिमस्खलन : पर्वतीय क्षेत्रों के बड़े हिम या बर्फ के क्षेत्र में अपने ढाल पर गिरना। जिसके कारण अपार धन-जन की हानि होती है।

रिचर्डर स्केल : भू-वैज्ञानिक चार्ल्स एफ. रिचर्डर द्वारा 1935 में भूकम्प से निकली ऊर्जा के मापन की इकाई।

7.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

11.6 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

A. (1) क (2) क (3) ग (4) घ

B. (1) असत्य (2) सत्य (3) सत्य (4) सत्य

7.10 संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. Patwardhan A., 2007: Disaster management in India paper IIT Bombay, pp. 1-15

2. सिंह सविन्द्र, 1991: पर्यावरण भूगोल 'प्रयाग पुस्तक भवन', इलाहाबाद, पेज 1-516

7.11 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

1. in Aerospace surncy and natural disaster pvdnctin, ITC journal, 1989.

2. O. Riordan T, 1971: Perspectives on Resource Management, Pion Londa.

3. Hashizume. M, 1989 : The present state of Natural hazard identification sna international cooperation

7.12 निबंधात्मक प्रश्न

1. आपदा प्रबन्धन किसे कहते हैं? इसकी विस्तृत व्याख्या कीजिये।

2. प्राकृतिक आपदाएँ किसे कहते हैं, उनसे होने वाले प्रतिकूल प्रभावों का वर्णन कीजिये।

3. मानव जनित आपदा का क्या तात्पर्य है। किन-किन कारणों से होती है तथा इसके रोकथाम के उपायों की चर्चा कीजिये।

इकाई-8 राज्य लोक सेवा आयोग

इकाई की संरचना

- 8.0 प्रस्तावना
- 8.1 उद्देश्य
- 8.2 सिविल सेवा का अर्थ
- 8.3 लोक सेवा आयोग का महत्व
- 8.4 राज्य स्तर पर सिविल सेवा के कारक
 - 8.4.1 अखिल भारतीय सेवाएं
 - 8.4.2 राज्य सेवाएं
- 8.5 राज्य सिविल सेवाओं का वर्गीकरण
 - 8.5.1 राजपत्रित एवं अराजपत्रित वर्गीकरण
- 8.6 राज्य सिविल सेवाओं की भर्ती
- 8.7 आयोग के सम्बन्ध में संविधानिक प्रावधान
- 8.8 उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग
- 8.9 आयोग के कार्य
- 8.10 आयोग की स्वतंत्रता
- 8.11 सारांश
- 8.12 शब्दावली
- 8.13 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 8.14 संदर्भ ग्रन्थ सूची
- 8.15 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री
- 8.16 निबंधात्मक प्रश्न

8.0 प्रस्तावना

राज्य लोक सेवा का अभिप्राय उन सेवाओं या पदों से है जिनकी भर्ती व सेवा की शर्तें राज्य विधान सभा के अधिनियम के द्वारा या जब तक ऐसी विधि पारित न हो, राज्यपाल द्वारा निर्मित नियमों के अनुसार नियमित की जाती है (अनुच्छेद-309)।

राज्य सरकारें अपने-अपने राज्यों में लोक सेवकों की भर्ती लोक सेवा आयोग द्वारा करती है। संविधान के अनुच्छेद 315 के अन्तर्गत राज्य में लोक सेवा आयोग की स्थापना करने की व्यवस्था है।

इस इकाई में सिविल सेवाओं की प्रकृति का वर्णन किया गया है। सेवाओं का वर्गीकरण और भर्ती के अनेक पहलुओं की विवेचना की गयी है।

8.1 उद्देश्य

इस इकाई में हम लोक सेवा आयोग के बारे में अध्ययन करेंगे और इससे आप जान पायेंगे कि-

1. राज्य स्तर पर सिविल सेवकों के कारकों तथा राज्य सेवाओं के मानदंड तथा वर्गीकरण को समझेंगे।
2. उत्तराखण्ड के लोक सेवा आयोग के गठन के बारे में जान पायेंगे।
3. राज्य सेवाओं की भर्ती प्रणाली को समझेंगे।
4. आयोग की भूमिका तथा इसके महत्व को समझ पायेंगे।

8.2 सिविल सेवा का अर्थ

राज्य सेवाओं का अर्थ राज्य स्तर की सिविल सेवाओं से है। सिविल सेवा सरकार द्वारा सेवा में नियुक्त असैनिक कर्मचारियों को कहते हैं। सिविल सेवा एक कैरियर सेवा है। अर्ध सरकारी निकायों के कर्मचारी तथा अधिकारी सिविल सेवा का अंग नहीं होते। सिविल सेवा का एक आवश्यक अंग या उपादान योग्यता प्रणाली की अवधारणा है। योग्यता प्रणाली का अर्थ है सिविल सेवा के पदों के लिये खुली प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा जाँची गयी योग्यता के आधार पर चयन। राज्य लोक सेवा में सत्ता -ग्रामीण व नगरीय सेवाएं सम्मिलित नहीं है। राज्य शासन इस प्रकार राज्य तथा अधीनस्थ सेवाओं के प्रथम नियुक्ति, नियुक्ति प्रणाली, संख्या और पदस्वरूप तथा सेवा शर्तों के सम्बन्ध में नियम निर्माण की शक्ति का उपयोग करते हैं। इन सेवाओं से सम्बन्धित मामलों में यह अंतिम सत्ता है, राज्य के बाहर किसी भी अन्य सत्ता के समक्ष कोई अपील या प्रतिनिधित्व नहीं किया जा सकता है। संक्षेप में राज्य सेवाएं उन सेवाओं को मिला कर बनती हैं, जिन्हें राज्य शासन समय-समय पर अधिकृत गजट में अधिसूचित करता है। एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा योग्यता के प्रमाणित प्रतियोगिता के आधार पर लोक सेवकों का चयन किया जाता है। राज्य स्तर पर भर्ती करने वाली एजेंसी को राज्य लोक सेवा आयोग कहते हैं।

8.3 लोक सेवा आयोग का महत्व

यह सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सिविल सेवा के लिये भर्ती किसी भी पक्षपात के बिना हो। इसी से योग्यता प्रणाली में विश्वास उत्पन्न हो सकता है। भर्ती में निष्ठा तथा निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिये बहुत से उपाय योग्यता प्रणाली के प्रादुर्भाव के बाद विकसित किये गये हैं। कार्यपालक शाखा को सिविल सेवा के लिये भर्ती करने की शक्ति से वंचित रखा गया है और इस उद्देश्य के लिये एक अलग एजेंसी की स्थापना की गयी है। यह विभाग से अलग संस्था है अर्थात् एक आयोग है। जो सरकार की आम मशीनरी से बाहर रह कर कार्य करती है। इस संस्था को संवैधानिक हैसियत प्रदान की गयी है। ये ध्यान देने की बात है कि आयोग केवल भर्ती करने वाली एजेंसी हैं यह नियुक्ति करने की एजेंसी नहीं है। नियुक्ति करने का अधिकार सरकार का है। आयोग एक सलाहकारी संस्था है। इसके निर्णय मानने के लिये सरकार बाध्य नहीं है।

संवैधानिक स्तर पर भी आयोग को महत्व दिया गया है। इसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि आयोग बिना भय या पक्षपात के कार्य करें। यह तब सम्भव होगा जबकि इसका गठन, भूमिका तथा प्रत्यायोजन इसके सदस्यों के विशेषाधिकार, सदस्यों की नियुक्ति तथा पद से हटाने का तरीका आदि का वर्णन संविधान में दिया जाये। क्योंकि ऐसा करने से सरकार की कार्यपालक शाखा को इन मामलों में स्वविवेक व स्वेच्छा का प्रयोग करने का कोई अधिकार नहीं होगा तथा आयोग इससे

प्रभावित हुए बिना कार्य कर सकता है। इस प्रकार संविधानिक स्तर प्रदान करने का अर्थ इसकी सत्ता तथा स्वतंत्रता पर किसी संभावित अतिक्रमण के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करना है।

8.4 राज्य स्तर पर सिविल सेवा के कारक

यहाँ यह जानना अति आवश्यक है कि राज्य स्तर पर एक के स्थान पर दो भिन्न-भिन्न सेवाएं काम करती हैं। इनमें से एक राज्य स्तर पर विविध क्षेत्रों की गतिविधियों को चलाने के लिये, सिविल सेवा के सम्बद्ध राज्य सरकार द्वारा भर्ती की गयी सेवाएं हैं। इन्हें राज्य सिविल सेवाएं या केवल राज्य सेवाएं कहा जाता है। राज्य में कार्यरत दूसरी सिविल सेवाएं हैं- अखिल भारतीय सेवाएं।

8.4.1 अखिल भारतीय सेवाएं

अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की भर्ती केन्द्र सरकार द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाती है। भर्ती के पश्चात प्रत्येक अधिकारी को एक निश्चित राज्य वर्ग(काडर) दिया जाता है। उस प्रदत्त राज्य से ही वह सम्बद्ध अधिकारी केन्द्र सरकार में आता है। जिस व्यवस्था के तहत यह स्थान परिवर्तित होता है। उसे सावधिक प्रणाली कहते हैं। अधिकारी का राज्य तथा केन्द्र के बीच तबादला उसकी सेवा के पहले बीस वर्षों के दौरान होता है। अखिल भारतीय सेवाओं पर केन्द्र तथा सम्बद्ध राज्य का संयुक्त नियंत्रण होता है। अखिल भारतीय सेवाएं जिला, राज्य तथा उसके उपर उच्च पदों के लिये कार्मिक प्रदान करती है। इस प्रकार जिलाधिकारी, क्षेत्रीय आयुक्त, राजस्व बोर्ड के सदस्य, सरकार के सचिव, मुख्य सचिव व पुलिस विभाग के पुलिस अधीक्षक और उसके उपर के सभी पद अखिल भारतीय सेवाओं से भरे जाते हैं।

8.4.2 राज्य सेवाएं

राज्य में लोक सेवकों की भर्ती राज्य सरकार द्वारा अपने लोक सेवा आयोग या अन्य एजेंसी के माध्यम से की जाती है। इन सेवाओं के सदस्य मुख्यतः राज्यों में सेवा के लिये होते हैं। केवल कुछ अवसरों पर ही कुछ राज्य सेवाओं के कुछ सदस्य केन्द्र या किसी संस्था के द्वारा बुलाये जाते हैं। तकनीकी तथा गैर-तकनीकी विभिन्न क्षेत्रों में सरकारी कार्य की आवश्यकताओं के अनुरूप गठित सेवाएं राज्यों के पास हैं। राज्य की निम्नलिखित सेवाएं हो सकती है-

प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा, न्यायिक सेवा, वन सेवा, कृषि सेवा, शिक्षा सेवा, स्वास्थ्य सेवा, मत्स्य सेवा, इंजिनियरिंग सेवा, लेखा सेवा, बिक्री कर सेवा, मद्य निषेध एवं उत्पाद सेवा, सहकारी सेवा।

8.5 राज्य सिविल सेवाओं का वर्गीकरण

राज्य सेवाओं के वर्गीकरण के लिये दोहरी प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। प्रथम प्रणाली में सेवाएं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ श्रेणी में वर्गीकृत की जाती हैं। इस वर्गीकरण का आधार है- स्वीकार्य वेतनमान, निष्पादित कार्य के दायित्व की मात्रा व अपेक्षित तदनुसूची योग्यताएं। सभी राज्य सेवाओं का गठन विभागवार किया जाता है। दूसरी प्रणाली के अन्तर्गत सेवाओं तथा पदों का वर्गीकरण राजपत्रित व अराजपत्रित के बीच किया जाता है।

प्रथम प्रणाली के आधार पर वर्गीकरण- प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी की सेवाओं में राज्य सेवाओं का अधिकारी वर्ग आता है। जबकि तृतीय व चतुर्थ श्रेणी में क्रमशः लिपिक तथा शारीरिक कार्य करने वाले कर्मचारी शामिल हैं। प्रथम श्रेणी की सेवाओं में सामान्यतः समयबद्ध वेतनमान वाले पद तथा सामान्य समयबद्ध वेतनमान से अधिक वेतन वाले कुछ पद शामिल होते हैं। साधारणतया प्रत्येक विभागीय सेवा में प्रथम श्रेणी संवर्ग होता है। द्वितीय श्रेणी सेवाओं से पदोन्नति द्वारा तथा राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा सीधे भर्ती द्वारा होती है। सामान्यतः यह लिखित तथा व्यक्तित्व परीक्षण द्वारा होती है।

द्वितीय श्रेणी की सेवाएं- द्वितीय श्रेणी की सेवाएं अधीनस्थ सिविल सेवाएं होती हैं। जैसे - अधीनस्थ पुलिस सेवा आदि। द्वितीय श्रेणी की सेवाएं प्रथम श्रेणी की सेवाओं की तुलना में स्तर तथा उत्तरदायित्व की दृष्टि से नीचे होती हैं। फिर भी ये इतनी महत्वपूर्ण हैं कि इनकी नियुक्ति का अधिकार राज्य सरकार के हाथों में होना आवश्यक है। द्वितीय श्रेणी सेवाओं में सबसे महत्वपूर्ण अधीनस्थ सिविल सेवा है। यहाँ तक कि कुछ राज्यों में इस सेवा के लिये अन्य द्वितीय श्रेणी की सेवाओं की अपेक्षा उँचे वेतनमान निर्धारित किये गये हैं।

तृतीय श्रेणी की सेवाएं-तृतीय श्रेणी की सेवाओं को दो भागों में बाँटा गया है-

अ- अधीनस्थ कार्यपालक, उदाहरण के लिये-नायब तहसीलदार, पुलिस सब इंस्पेक्टर, उप शिक्षा निरीक्षक आदि।

ब- लिपिकीय सेवाएं। इन पदों के लिये भर्ती आंशिक रूप से लोक सेवा आयोग द्वारा तथा आंशिक रूप से विभागीय या जिला अध्यक्षों के स्तर पर की जाती है।

8.5.1 राजपत्रित एवं अराजपत्रित वर्गीकरण

राज्य सेवाओं के वर्गीकरण की दूसरी प्रणाली उन्हें राजपत्रित तथा अराजपत्रित श्रेणी में रखती है। एक राजपत्रित सरकारी कर्मचारी वो होता है जिसकी नियुक्ति, तबादला, पदोन्नति, सेवा निवृत्ति

आदि की घोषणा राज्यपाल के आदेश द्वारा जारी की गयी अधिसूचना के रूप में सरकारी राजपत्र में की जाती है। राजपत्रित अधिकारी एक कार्यालय का प्रभारी होता है। राजपत्रित पदों में अखिल भारतीय सेवाएं तथा प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी की राज्य सेवाएं शामिल होती हैं। अराजपत्रित पदों में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी की सेवाएं होती हैं।

8.6 राज्य सिविल सेवाओं की भर्ती

भर्ती की तीन प्रथक किन्तु अंतःसंबद्ध प्रक्रियाएं शामिल हैं-

1. पदों के लिये आवेदन करने वाले योग्य उम्मीदवारों को आकर्षित करना।
2. खुली प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर, कार्य के लिये उम्मीदवारों का चयन।
3. चयन किये गये उम्मीदवारों को उचित स्थान पर नियुक्त करना, जिसमें सम्बद्ध लोगों को अधिकृत अधिकारी द्वारा नियुक्ति पत्र जारी करना।

पहली दो प्रक्रियाएं एक स्वतंत्र भर्ती करने वाली एजेंसी द्वारा की जाती है। राज्यों में यह कार्य सिविल सेवा आयोग द्वारा किये जाते हैं। तीसरी प्रक्रिया राज्य सरकार का दायित्व है। इसलिये यह याद रखना अति आवश्यक है कि लोक सेवा आयोग केवल भर्ती करने वाली सलाहकारी एजेंसी है, नियुक्त करने का अधिकार सरकार के पास है।

भर्ती की विशेषताएं- राज्य सिविल सेवा के लिये भर्ती की आयु न्यूनतम 21 वर्ष से अधिकतम 35 वर्ष निर्धारित की गयी है। अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़ी जाति को संवैधानिक आधार पर आयुसीमा में छूट दी जाती है। भर्ती लोक सेवा आयोग की खुली प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर की जाती है। इससे उच्च पदों पर राज्य सेवकों की भर्ती पदोन्नति द्वारा की जाती है। भरे जाने वाले रिक्त पदों को हर वर्ष विज्ञापित किया जाता है तथा सारे देश से उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। न्यूनतम योग्यता किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधी है। चयन के लिये प्रतियोगिता परीक्षा के तीन चरण हैं। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा व साक्षात्कार। लिखित परीक्षा के कुछ निश्चित अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को व्यक्तित्व परीक्षण के लिये बुलाया जाता है। जो लगभग आधे घण्टे की अवधि वाला साक्षात्कार होता है। सफल उम्मीदवार की सूची योग्यतानुसार तैयार कर सरकार के पास आवश्यक कार्यवाही अर्थात् नियुक्ति पत्र जारी करने के लिये भेज दी जाती है। नियुक्त करने का अधिकार केवल सरकार को होता है।

8.7 आयोग के सम्बन्ध में संविधानिक प्रावधान

राज्य लोक सेवा से सम्बन्धित संविधान में निम्न प्रावधानों दिये गये हैं-

1.संविधान के अनुच्छेद 315 में लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान है। इसके अनुसार संघ तथा प्रत्येक राज्य के लिये एक लोक सेवा आयोग होगा।

2.अनुच्छेद 316 ऐसे आयोगों के गठन का निर्धारण करता है। यह अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति के तरीके तथा उनके पद की शर्तों का भी वर्णन करता है। इसके अन्तर्गत अध्यक्ष व सदस्यों के कार्यकाल का वर्णन भी किया गया है। अनुच्छेद 317 उन कारणों व प्रक्रियाओं का उल्लेख करता है जिसके द्वारा इस कार्यकाल से पहले सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं।

3.आयोग की स्वतंत्रता को देखते हुए अनुच्छेद 318, 319 तथा 322 में ऐसे उपायों का उल्लेख है जिनसे आयोग की सुरक्षा तथा मजबूती हो सके।

4.आयोग के कार्यों एवं दायित्वों के क्षेत्र तथा भर्ती करने वाली एजेंसी में उनकी भूमिका का दायरा क्या हो इन प्रश्नों का उत्तर अनुच्छेद 320, 321 व 323 में दिया गया है।

5.अनुच्छेद 323 में यह व्यवस्था है कि आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट पेश करेगा, जिनमें अन्य बातों के साथ सरकार द्वारा सलाह को स्वीकृति दिये जाने वाले मामलों का उल्लेख किया जायेगा तथा सलाह न मानने के कारण का भी उल्लेख किया जायेगा। इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि इन रिपोर्टों को उपयुक्त विधान मंडलों के समक्ष पेश किया जायेगा।

आयोग का गठन- राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं है। संविधान में कहा गया है कि इसका निर्णय राज्यपाल द्वारा किया जायेगा। आयोग के कम से कम आधे सदस्य वे होंगे जिन्हें केन्द्र या राज्य सरकार के अधीन कार्य करने का कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो। सदस्यों का कार्यकाल 06 वर्ष या 60 वर्ष तक की आयु तक होता है। नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। परन्तु यह बात ध्यान में रखें की है कि सदस्यों को केवल राष्ट्रपति द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है न कि राज्यपाल द्वारा। सदस्यों की सेवा शर्तें राज्यपाल द्वारा निर्धारित होती हैं परन्तु महत्वपूर्ण बात ये है कि संविधान में यह व्यवस्था है कि ये उनके अहित में नहीं बदली जा सकती। इन सब में वह सुरक्षा निहित है जिनसे आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है।

8.8 उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के द्वारा उत्तराखण्ड राज्य दिनांक 9 नवम्बर 2000 को भारतीय गणतंत्र का 27वाँ राज्य बना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के गठन के साथ ही उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 247/एक-कार्मिक-2001 दिनांक 14मार्च 2001 द्वारा जनपद हरिद्वार में उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। आयोग के

प्रथम अध्यक्ष श्री एन.पी.नवानी, सेवानिवृत्त आई.ए.एस की नियुक्ति के साथ ही आयोग 15 मई 2001 को अस्तित्व में आया। शासनादेश संख्या 1455/कार्मिक-2/2001 दिनांक 29 अगस्त 2001 द्वारा आयोग के संरचनात्मक ढाँचे का गठन हुआ। आयोग के मा. अध्यक्ष व मा. सदस्यों के पदों सहित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के 73 पदों की स्वीकृति शासन द्वारा प्रदान की गयी। वर्तमान में मा. अध्यक्ष, मा. सदस्य (04 पद) परीक्षा नियंत्रक, संयुक्त सचिव(विधि)-01पद, संयुक्त सचिव प्रशासन एक पद सहित अधिकारियों/ कर्मचारियों तथा चतुर्थ श्रेणी के कुल 143 पद स्वीकृत हैं। उत्तराखण्ड में लोक सेवा आयोग के गठन के बाद से आज तक के आयोग के अध्यक्षों, सदस्यों, सचिवों, परीक्षा नियंत्रकों व उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के अनुभागों तथा अनुभाग के कार्यों को हम निम्न सारणी में देख सकते हैं-

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के विभिन्न अनुभाग

क्रम. सं. विभिन्न अनुभाग का नाम अनुभाग के कार्य

1. सेवा विभाग-1 अभ्यर्थियों का चयन केवल साक्षात्कार के आधार पर करना(सीधी भर्ती)
2. सेवा विभाग-2 अभ्यर्थियों का चयन केवल साक्षात्कार के आधार पर करना(सीधी भर्ती)
3. परीक्षा विभाग-1 प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा व साक्षात्कार को आयोजित करवाना(पी.सी.एस.)
4. परीक्षा विभाग-2 अभ्यर्थियों का चयन केवल साक्षात्कार के आधार पर करना(सीधी भर्ती)(पी.सी.एस.जे.)
5. गोपनीय विभाग अंतिम परीक्षा का परीक्षाफल तैयार करना
6. अतिगोपनीय विभाग-1 परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम व प्रश्न पत्र तैयार करना
7. अतिगोपनीय विभाग-2 स्क्रीनिंग परीक्षा का परीक्षाफल तैयार करना
8. स्थापना(एसटैब्लिसमेंट) विभाग विभाग को स्थापित करने संबंधी कार्य करना
9. लेखा विभाग आयोग से संबंधित बजट व लेखा-जोखा बनाना
10. डाक और डिस्पैच विभाग विभाग से संबंधित डाकों को प्राप्त करना व प्रेषण करना
11. वैधता प्रकोष्ठ माननीय हाईकोर्ट व सुप्रीमकोर्ट के केसों पर कार्य
12. स्टेशनरी और रिकार्ड विभाग लोक सेवा आयोग की स्टेशनरी और रिकार्ड का ब्यौरा रखना
13. कम्प्यूटर/आई.टी. विभाग स्क्रीनिंग परीक्षा व प्रारंभिक परीक्षा के काम करना
14. व्यवस्था विभाग आयोग परिसर व भागीरथ परिसर का निरीक्षण व व्यवस्थित रखना
15. पुस्तकालय किताबों, मैगज़ीन का संकलन करना व व्यवस्थित रखना

8.9 आयोग के कार्य

भर्ती करने वाली एजेंसी के रूप में राज्य लोक सेवा आयोग का मुख्य कार्य सिविल सेवाओं की नियुक्ति के लिये परीक्षाओं का आयोजन करना। परन्तु इसके अलावा कुछ और कर्तव्य होते हैं जिन्हें लोक सेवा आयोग द्वारा पूरा किया जाना होता है। जैसे-

1. राज्य सरकार को ऐसे विषय में सलाह देना जो राज्यपाल द्वारा इसके पास भेजा गया हो।
2. ऐसे अतिरिक्त कार्य सम्पन्न कराना जो विधान मण्डल के एक्ट द्वारा प्रदान किये गये हों। इसका संबंध राज्य सिविल सेवा या स्थानीय प्राधिकरण की सेवाओं या अन्य निगमित सेवाओं से हो सकता है।
3. कार्य की वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को पेश करना।

इसके अलावा संविधान में यह भी व्यवस्था है कि निम्न मामलों में आयोग से विचार-विमर्श लिया जायेगा।

अ- सिविल सेवाओं व सार्वजनिक या सिविल पदों की भर्ती के तरीकों से सम्बन्धित सभी मामलों।
 ब- सिविल सेवाओं तथा पदों की नियुक्ति के लिये एक सेवा से दूसरी सेवा में तबादला तथा पदोन्नति करने के लिये तथा ऐसी नियुक्तियां/पदोन्नतियों तथा तबादलों के लिये उम्मीदवारों की उपयुक्तता के संदर्भ में अपनाये जाने वाले सिद्धान्त।

स- राज्य सिविल सेवा में कार्यरत किसी व्यक्ति को प्रभावित करने वाली अनुशासनात्मक कार्यवाही।

द- राज्य सिविल सेवा में कार्यरत या सेवानिवृत्त व्यक्ति या उसकी ओर से कोई व्यक्ति यदि यह माँग या दावा करे कि उसे उस व्यय की पूरी राशि का भुगतान राज्य की संचित निधि से किया जाये जो उसने अपने विरुद्ध दायर मुकदमें में कानूनी कार्यवाही करने में खर्च की क्योंकि वह मुकदमा उसके द्वारा सम्पादित कार्यों के विरुद्ध किया गया था तो इस पर भी लोक सेवा आयोग की सलाह की जायेगी।

य- राज्य सरकार के अधीन सेवा के दौरान लगी क्षति के संवर्धन में पेंशन दिये जाने के दावे।

इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि यद्यपि लोक सेवा आयोग एक भर्ती एजेंसी के रूप में कार्य करता है। परन्तु यह कुछ अर्ध विधायी तथा अर्ध न्यायिक कार्य भी सम्पन्न करता है।

8.10 आयोग की स्वतंत्रता

एक महत्वपूर्ण बिन्दु यह भी है कि आयोग को स्वतंत्र रूप से कार्य करने का प्रावधान संविधान में दिया गया है। संविधानिक प्रावधानों के अनुसार-

1. सत्ता के सम्भावित दुरुपयोग को रोकने के लिये भर्ती तथा पद से हटाने की शक्ति दो अलग-अलग अधिकारियों को सौंपी गयी है। अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है परन्तु उसे पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है।
2. संविधान में उल्लिखित कारणों तथा प्रक्रिया द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है।

3. सदस्य का वेतन तथा उसकी सेवा शर्तें उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके अहित में नहीं बदली जा सकती।
4. आयोग के सभी खर्च राज्य की संचित निधि से होते हैं।
5. आयोग के सदस्य तथा अध्यक्षों के ऊपर सरकार के अधीन भविष्य में पद ग्रहण करने के संबंध के कुछ प्रतिबंध लगाये गये हैं। सेवा निवृत्ति के पश्चात वे केन्द्र या राज्य आयोग से बाहर सरकारी पद ग्रहण नहीं कर सकते।

अभ्यास प्रश्न

1. राज्य में लोक सेवा आयोग की स्थापना करने की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है?
2. राज्य स्तर पर भर्ती करने वाली सबसे बड़ी एजेंसी को क्या कहते हैं?
3. आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है?
4. उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया?
5. उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन हैं?

8.11 सारांश

राज्य स्तर पर अनेक प्रकार के नियमितता तथा विकास संबंधी कार्यों के संपादन ने यह आवश्यक बना दिया है कि एक बड़ी तथा सुगठित सिविल सेवा उनके द्वारा बनायी जाये। जो योग्यता प्रणाली पर आधारित हों। सरकार की ये सेवाएं कैरियर सेवाएं हैं जिनकी भर्ती एक खुली प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा की जाती है। खुली प्रतियोगिता परीक्षाओं की अवधारणा का जन्म उन्नीसवीं सदी के दौरान हुआ। इन सेवाओं को बनाते समय इस बात पर विचार किया गया कि सिविल सेवाओं की भर्ती, वेतन, पदोन्नति तथा स्थानान्तरण तकनीकी एवं व्यवसायिक कारणों पर आधारित हो न कि राजनीतिक विचारों पर। राज्य लोक सेवा आयोग को राजनीतिक हस्तक्षेप से दूर रखा गया। आयोग सरकारी व्यवस्था को निरंतरता प्रदान करते हैं। यही कारण है कि आयोग निष्पक्ष हो कर सिविल सेवकों को चुनता है और सरकार को नियुक्ति हेतु भेज देता है। लोक सेवा आयोग किसी भी राज्य के लिये नियुक्ति की सबसे महत्वपूर्ण एजेंसी है।

8.12 शब्दावली

प्रत्यायोजन - कार्यों और शक्तियों को अधीनस्थ को अपनी सुविधा के अनुसार सौपना

अतिक्रमण - नियम या कानून का उल्लंघन

नियन्त्रक - शासकीय अधिकारी

8.13 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. अनुच्छेद 315, 2. लोक सेवा आयोग 3. 06, 4. 14 मार्च 2001, 5. श्री एन.पी.नवानी

8.14 संदर्भ ग्रन्थ

डी.डी. बसु	- भारत का संविधान
सुभाष कश्यप	- हमारी संसद
सुभाष कश्यप	- हमारा संविधान

8.15 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

अवस्थी व अवस्थी	- भारतीय प्रशासन
शर्मा एवं सडाना	- लोक प्रशासन सिद्धान्त व व्यवहार
डॉ सविता मोहन व हरीश यादव	- उत्तरांचल समग्र अध्ययन

8.16 निबंधात्मक प्रश्न

1. उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की विस्तृत जानकारी दें?
2. राज्य स्तर की सेवाओं के वर्गीकरण का आधार क्या है?
3. आयोग का गठन कैसे होता है तथा वह कार्य कैसे करता है?
4. आयोग के संबंध में संविधानिक प्रावधानों पर एक संक्षिप्त लेख लिखिये?

इकाई-9 भर्ती, प्रशिक्षण(ए.टी.आई. के संदर्भ में), पदोन्नति

इकाई की रूपरेखा

9.0 प्रस्तावना

9.1 उद्देश्य

9.2 भर्ती

9.2.1 भर्ती के अनिवार्य तत्व

9.2.2 भर्ती की रीतियाँ

9.2.3 प्रत्यक्ष भर्ती बनाम पदोन्नति द्वारा भर्ती

9.2.4 चयन तथा प्रमाणीकरण

9.2.5 भारत की लोक सेवाओं में भर्ती

9.3 प्रशिक्षण

9.3.1 प्रशिक्षण के उद्देश्य

9.4 उत्तराखण्ड का प्रशिक्षण संस्थान- उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी का इतिहास

9.4.1 उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी द्वारा आयोजित प्रशिक्षण की रूपरेखा

9.4.2 अकादमी के प्रमुख प्रशिक्षण कार्यक्रम

9.5 पदोन्नति

9.5.1 भारतीय लोक सेवा में पदोन्नति की नीतियों का इतिहास

9.5.2 पदोन्नति के सिद्धान्त

9.6 सारांश

9.7 शब्दावली

9.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

9.9 संदर्भ ग्रन्थ सूची

9.10 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

9.11 निबंधात्मक प्रश्न

9.0 प्रस्तावना

भर्ती, प्रशिक्षण व पदोन्नति कार्मिक प्रशासन के महत्वपूर्ण तत्वों में एक हैं। कार्मिक प्रबन्ध या कार्मिक प्रशासन या मानवीय संसाधन प्रबन्ध किसी भी संगठन के कार्यकर्ताओं के प्रबन्ध को कहते हैं। कार्मिक प्रबन्ध की परिभाषा करते हुए एम.जे. जूशियन ने कहा कि- यह प्रबन्ध का वह क्षेत्र है जो कर्मचारियों की भर्ती, विकास तथा उपयोग करने के कार्यों के नियोजन, संगठन, निर्देशन तथा नियंत्रण से सम्बन्धित है।

कार्मिक प्रबन्ध को सुचारू रूप से संचालित करने के लिये योग्य कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। योग्य कर्मचारी किसी भी संगठन की रीढ़ होते हैं।

पदोन्नति का अर्थ पद और स्तर में वृद्धि से है। पद और स्तर में वृद्धि के साथ पारिश्रमिक में भी वृद्धि होती है। इन सभी विषयों पर हम इस इकाई में अध्ययन करेंगे।

9.1 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन से हम जानेंगे कि-

1. कार्मिक प्रशासन किसे कहते हैं।
2. भर्ती क्या है तथा भर्ती की रीतियाँ क्या हैं।
3. भर्ती के गुण क्या हैं।
4. प्रशिक्षण किसे कहते हैं।
5. उत्तराखण्ड के प्रशिक्षण केन्द्र ए.टी.आई. व उसकी प्रशिक्षण की प्रणाली
6. पदोन्नति किसे कहते हैं। पदोन्नति के सिद्धान्त क्या हैं।

9.2 भर्ती

सामान्य अर्थों में भर्ती शब्द को नियुक्ति का समानार्थक माना जाता है परन्तु यह सही नहीं है। प्रशासन की तकनीकी शब्दावली में भर्ती का अर्थ किसी पद के लिये समुचित तथा उपयुक्त प्रकार के उम्मीदवारों को आकर्षित करना है। भर्ती और चयन की प्रक्रिया ही शक्तिशाली लोक सेवा की कुंजी है। जैसा कि स्टाल का कथन है कि- यह सम्पूर्ण लोक कर्मचारियों के ढाँचे की आधारशिला है।

9.2.1 भर्ती के अनिवार्य तत्व

1. भर्ती प्रक्रिया मानव शक्ति योजना के साथ जुड़ी हुई और समन्वित होनी चाहिये।
2. भर्ती प्रक्रिया को समूचे कार्मिक कार्यों का अभिन्न अंग समझा जाना चाहिये।
3. भर्ती प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिये जो भर्ती योजनाओं को बनाते और लागू करते समय कार्मिक भागीदारी को प्रोत्साहन दे।
4. भर्ती प्रक्रिया ध्यानपूर्वक नियोजित, संगठित, निर्देशित और नियंत्रित होनी चाहिये।
5. लोगों के विश्वास को बनाने के लिए भर्ती प्रक्रिया में उचित और निष्पक्ष मापदण्ड होना चाहिये।
6. भर्ती प्रक्रिया में ऐसी कार्यविधियों और तरीकों का प्रयोग होना चाहिये जिससे आवेदन पत्रों को शीघ्रता से निपटाया जा सके।
7. भर्ती करने वाली एजेन्सी को समूची प्रक्रिया में सकारात्मक रुचि लेनी चाहिये।

9.2.2 भर्ती की रीतियाँ

भर्ती की सबसे अधिक प्रचलित रीति यह है कि समाचार-पत्रों में रिक्त स्थान शीर्षक से विज्ञापन अथवा राजपत्रों में विज्ञप्तियाँ प्रकाशित कराई जाये। इस पद्धति के विषय में प्रायः यह कहा जाता है कि भले ही यह पद्धति अधिक संख्या में आवेदन-पत्रों को आकर्षित करने में सफल हो जाये, तथापि यह आवश्यक नहीं है कि इस पद्धति के द्वारा उपयुक्त प्रकार के उम्मीदवार आकर्षित हो सकेंगे। उसके लिये यह आवश्यक है कि भर्ती करने वाले अधिकारी अधिक सक्रियतापूर्वक कार्य करें। सही प्रकार के उम्मीदवारों को आकर्षित करने की चेष्टा को सचेष्ट भर्ती कहते हैं तथा बिना प्रयास के की जाने वाली भर्ती को सामान्य भर्ती अथवा निष्क्रिय भर्ती कहलाती है। सचेष्ट भर्ती के विविध साधन हैं जैसे पोस्टर, परिचय-पत्र, समाचार-पत्र अथवा पत्र-पत्रिकाओं में सचित्र विज्ञापन एवं सिनेमा द्वारा विज्ञापन। ये पद्धतियाँ तब प्रयोग में लायी जाती हैं जब बड़े पैमाने पर भर्ती करनी हो, जैसे युद्धकाल में प्रतिरक्षा-सेनाओं के लिए। भर्ती की दूसरी पद्धति यह है कि सीधे उन्हीं स्रोतों को

खटखटाया जाये जहाँ से उम्मीदवार उपलब्ध हो सके। उच्च पदों की भर्ती के लिये प्रायः विशेष योग्यता अथवा अनुभव की आवश्यकता होती है। अतः उनके मामले में भर्ती करने वाले अधिकारी सम्बन्धित क्षेत्र में ऐसे लोगों के साथ सीधा सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं जो अपनी कुशलता के लिये प्रसिद्ध हो तथा उनके साथ शर्तों के बारे में चर्चा कर सकते हैं। शर्तें तय हो जाने के बाद उनसे औपचारिक रूप में आवेदन-पत्र माँगे जा सकते हैं।

9.2.3 प्रत्यक्ष भर्ती बनाम पदोन्नति द्वारा भर्ती

उच्चतर पदों की भर्ती करने के लिए यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि वे पद उन समस्त उम्मीदवारों के लिये खुले रखे जाये जो उनके लिये आवेदन करना चाहते हैं अथवा उन व्यक्तियों तक ही सीमित रखे जाये जो पहले से ही सेवा कर रहे हैं। यदि पहला मार्ग अपनाया जाता है तो उसे प्रत्यक्ष भर्ती की रीति कहा जायेगा और दूसरे मार्ग को पदोन्नति द्वारा भर्ती की रीति। यह स्पष्ट है कि निम्नतम पदों पर भर्ती प्रत्यक्ष रीति से ही किया जाना चाहिये क्योंकि उसके नीचे कोई ऐसा कार्मिक स्तर नहीं होता जिससे पदोन्नति करके भर्ती की जा सके। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि सचिवों एवं विभागाध्यक्षों जैसे उच्चतम पदों अथवा जिलाधीश जैसे महत्वपूर्ण पदों के लिये बाहर से नये और अनुभवहीन व्यक्तियों का भर्ती किया जाना ठीक नहीं होगा, भले ही वे कितने भी योग्य क्यों न हो।

अ-प्रत्यक्ष भर्ती के गुण

प्रत्यक्ष भर्ती का पहला गुण यह है कि यह लोकतंत्र के इस सिद्धान्त के अनुरूप है कि समस्त योग्य व्यक्तियों का सेवापद प्राप्त करने का समान अवसर होना चाहिये। दूसरा प्रत्यक्ष भर्ती के द्वारा अधिक विस्तृत स्रोतों तक पहुँचा जा सकता है जिसके परिणामस्वरूप अधिक योग्य और प्रतिभाशाली लोगों तक पहुँचा जा सकता है। तीसरा प्रत्यक्ष भर्ती के परिणामस्वरूप सेवाओं में नया रक्त निरन्तर प्रवेश कर सकता है तथा सेवाओं पर पुराने एवं रुढ़िवादी लोगों को आधिपत्य जमाने से रोकती है। साथ ही निम्नतर पदों का अनुभव उच्चतर पदों के लिये लाभदायक होने की अपेक्षा हानिकारक अधिक सिद्ध होता है। प्रत्यक्ष भर्ती के अभाव में पदोन्नति के द्वारा उच्चतर पद जीवन में बहुत देर से प्राप्त होता है। पाँचवा प्रत्यक्ष भर्ती के अभाव में वे युवा व्यक्ति जो विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर आते हैं, शासकीय सेवाओं के प्रति तनिक भी आकर्षित नहीं होते हैं। परिणामस्वरूप शासकीय सेवाओं को हीन व्यक्तियों से ही संतोष करना पड़ेगा।

ब-प्रत्यक्ष भर्ती के दोष

प्रत्यक्ष भर्ती प्रणाली का पहला दोष यह है कि इसके द्वारा सेवाओं में ऐसे लोग प्रवेश पा जाते हैं जिन्हें पिछला कोई शासकीय अनुभव नहीं होता, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें किसी भी महत्वपूर्ण पद के दायित्व सौंपने से पहले दीर्घकाल तक प्रशिक्षण देना पड़ता है। दूसरे प्रत्यक्ष भर्ती के कारण

निम्नतर श्रेणियों में अच्छा काम करने का उत्साह कम हो जाता है क्योंकि उस श्रेणी के कर्मचारी यह सोचने लगते हैं कि चाहे उनका काम कितना भी अच्छा क्यों न हो, उन्हें उच्चतर पद प्राप्त करने का अवसर नहीं मिलेगा। तीसरे, प्रत्यक्ष भर्ती प्रणाली में एक दोष यह भी है कम आयु के लोग अधिक आयु और अधिक अनुभव के लोगों के ऊपर नियुक्त कर दिये जाते हैं जिससे उनके भीतर असंतोष उत्पन्न होता है और उनकी कार्य क्षमता घट जाती है।

9.2.4 चयन तथा प्रमाणीकरण

उम्मीदवारों के चयन के लिये किये जाने वाले परीक्षण दो प्रकार के होते हैं- प्रतियोगिता परीक्षण और प्रतियोगितारहित परीक्षण। प्रतियोगिता परीक्षण का आयोजन दोहरा होता है पहला तो यह पता लगाना कि कौन उम्मीदवार ऐसे हैं जिनमें न्यूनतम निर्धारित योग्यता है, दूसरा यह पता लगाना कि योग्यता की दृष्टि से उनकी तुलनात्मक स्थिति क्या है। योग्यता परीक्षण के लिए यह आवश्यक है कि प्रतियोगिता परीक्षणों का दोहरा मानदण्ड अपनाया जाये। लोकसेवाओं के लिये केवल उन लोगों का चयन नहीं किया जाना चाहिये जो न्यूनतम योग्यता की शर्तों को पूरा करते हैं वरन् उनमें श्रेष्ठतम का चयन होना चाहिये। उम्मीदवारों की तुलनात्मक योग्यता और उपयुक्तता की जाँच करने के लिये चार प्रकार के परीक्षण प्रचलित हैं- लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा (साक्षात्कार), कार्यकुशलता का प्रत्यक्ष प्रदर्शन तथा शिक्षा एवं अनुभव के मूल्यांकन द्वारा तुलनात्मक चयन। इनके अतिरिक्त अनेक प्रकार के बौद्धिक तथा मनोवैज्ञानिक परीक्षण भी होते हैं।

9.2.5 भारत की लोक सेवाओं में भर्ती

भारत में वरिष्ठ लोक सेवाओं के शाही आयोग ने जिसे “ली आयोग” भी कहते हैं, 1924 में यह मत व्यक्त किया था कि “ जो कुछ प्रजातांत्रिक संस्थाएं विद्यमान हैं उनके अनुभव से यह सिद्ध हुआ है कि यदि दक्ष लोक सेवा की व्यवस्था की जाती है तो यह आवश्यक है कि जहाँ तक सम्भव हो राजनीतिक तथा व्यक्तिगत प्रभावों से उसकी रक्षा हो और उसे स्थायित्व तथा सुरक्षा प्रदान की जाये। जो निष्पक्ष तथा कुशल साधनों से उसके सफलतापूर्वक कार्य करने के लिये आवश्यक होते हैं तथा जिन साधनों द्वारा सरकारें चाहे वो किसी भी प्रकार की हों, अपनी नीतियों को लागू कर सकें। “ आज प्रत्येक प्रजातांत्रिक देश ने लूट-प्रणाली से बचने के लिये लोक सेवाओं की भर्ती का कार्य एक स्वतंत्र निकाय बना कर लोक सेवा आयोग को सौंपा है। भारत में 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की गयी थी यद्यपि यह आयोग 1926 में स्थापित किया गया। 1935 के भारत शासन अधिनियम ने केवल संघ लोकसेवा आयोग की ही व्यवस्था नहीं की बल्कि प्रांतों के लिये लोक सेवा आयोग की भी व्यवस्था की। स्वतंत्र भारत के संविधान के अनुच्छेद 115 में यह व्यवस्था ज्यों की त्यों बनी हुई है।

भारत की लोक सेवाओं का वर्गीकरण ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी में किया गया है। ग्रुप ए में कई एक संगठित सेवायें सम्मिलित की गयी हैं जैसे भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय लेखा परीक्षण, तथा लेखाकरण सेवा आदि। अखिल भारतीय सेवाओं तथा ग्रुप ए व ग्रुप बी की कुछ सेवाओं में भर्ती सिविल सर्विसेज़ परीक्षा द्वारा की जाती है। कुछ केन्द्रीय सेवाओं जैसे भारतीय आर्थिक या सांख्यिक सेवा, कनिष्ठ वेतनक्रमों के अतिरिक्त विशिष्ट उच्चतर वेतनक्रमों में पार्श्व भर्ती की भी व्यवस्था है। केन्द्रीय सेवाओं के आधीन ग्रुप सी सेवाओं और पदों जैसे क्लर्क, स्टैनोग्राफर, एकाउंटेन्ट आदि की भर्ती के लिये स्टाफ चयन आयोग (एस.एस.सी.) की स्थापना की गयी है जो इस उद्देश्य से परीक्षाओं का प्रबन्ध करता है।

9.3 प्रशिक्षण

लोक सेवकों का शिक्षण तथा प्रशिक्षण लोक सेवा की कुशलता के लिये नितान्त आवश्यक है। भर्ती की नीति के कारण भी प्रशिक्षण का महत्व बढ़ता जा रहा है। भर्ती की नीति में सामान्य योग्यताओं को प्राथमिकता दी जाती है और शासन के प्रसार के साथ ही इसके कार्य अत्यन्त प्राविधिक, विशिष्ट तथा जटिल होते जा रहे हैं। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य यह है कि सरकारी कृत्यों के लिये लोक कर्मचारी को भली प्रकार से तैयार किया जाये।

लोक प्रशासन के क्षेत्र में प्रशिक्षण का अर्थ वह प्रत्यक्ष प्रयत्न है जिसके द्वारा कर्मचारी अपने कौशल, अपनी क्षमता एवं अपनी प्रतिभा को बढ़ाता है। व्यापक अर्थ में प्रशिक्षण का तात्पर्य एक विशेष ऐसा शिक्षण समझा जाता है जिसके द्वारा इष्ट कौशल की लगातार वृद्धि होती रहती है। प्रशिक्षण शिक्षा से भिन्न होता है, प्रशिक्षण का क्षेत्र और उद्देश्य संकुचित होते हैं। प्रशिक्षण में व्यक्ति की प्रवृत्ति एवं उच्च विचार को विशेष मोड़ दिया जाता है। लोक प्रशासन के प्रसंग में प्रशिक्षण और शिक्षा के बीच जो व्यवहारिक भेद किया जाता है वह यह है कि प्रशिक्षण किसी विशेष व्यवसाय के क्षेत्र में विशेष कौशल बढ़ाता है, परन्तु शिक्षा बुद्धि और मन का विस्तार करती है। शिक्षा सर्वतोन्मुखी और सैद्धान्तिक होती है तो प्रशिक्षण अपेक्षाकृत व्यवहारिक और विशेष-धन्धी।

9.3.1 प्रशिक्षण के उद्देश्य

किसी भी संगठन की सफलता का प्रमुख कारण है- सौंपे गये विशेष कार्य को पूरा करने में व्यक्ति की प्राविधिक कुशलता तथा किसी निकाय के सदस्यों के सामूहिक उत्साह एवं दृष्टिकोण से प्राप्त कुछ अस्पष्ट सी कुशलता। प्रशिक्षण इन दोनों तत्वों को ध्यान में रख कर दिया जाता है। प्रशिक्षण के प्रमुख उद्देश्यों को हम निम्न रूप से देख सकते हैं-

एक- प्रशिक्षण का प्रयत्न ऐसे लोक सेवकों का निर्माण करना होना चाहिए जो कार्य में निश्चित ही सुस्पष्टता ला सकें।

दो- लोक सेवकों को उन कार्यों के अनुकूल बनाना जिनके पालन का दायित्व उनको सौंपा गया है। लोक सेवा के लिये यह आवश्यक है कि वह नवीन आवश्यकताओं के अनुसार अपने दृष्टिकोण व तरीके में परिवर्तन लायें।

तीन- आवश्यकता इस बात की भी है कि नौकरशाही की मशीन के चक्कर में पड़कर लोक सेवकों का कहीं यंत्रीकरण न हो जाये।

चार- जहाँ तक व्यावसायिक प्रशिक्षण का सम्बन्ध है, केवल उसी कृत्य का प्रशिक्षण देना पर्याप्त नहीं है, जो उसके समक्ष हैं एवं उसे तत्काल करने हैं। प्रशिक्षण केवल इसलिये नहीं होना चाहिए कि कोई व्यक्ति अपने विद्यमान कार्य को अधिक कुशलता के साथ कर सके, बल्कि उसका उद्देश्य उसे उन दायित्वों के योग्य बनाना होना चाहिए और उसकी उच्च कार्यक्षमता का विकास किया जाना चाहिए।

पाँच- मानव समस्या को ध्यान में रखते हुए तथा प्रशिक्षण योजनाओं को सफल बनाने के उद्देश्य से कर्मचारी वर्ग के मनोबल पर समुचित ध्यान देना चाहिए।

9.4 उत्तराखण्ड का प्रशिक्षण संस्थान- उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी का इतिहास

उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी परिसर का बहुत रोचक एवं गौरवपूर्ण इतिहास है, सन1951 में "अधिकारी प्रशिक्षण स्कूल" के नाम से इलाहाबाद में स्थापित इस संस्थान को जब सन1971 में नैनीताल के शान्त एवं सुरम्य वातावरण में लाने का निर्णय लिया गया तब आर्डवैल (उच्चरथ नगर-भूपही ज्वूद) कैम्प परिसर को इस संस्थान की स्थापना के लिए चुना गया आर्डवैल कैम्प में निर्मित बैरेक्स द्वितीय विश्वयुद्ध के समय रॉयल एयरफोर्स के अधिकारियों के अस्थायी आवास के लिए आर्डवैल बैरेक्स में अमेरिकन अधिकारी भी रहते थे। आर्डवैल कोठी जो कि आज निदेशक आवास है, स्वतंत्रता से पूर्व कुमाऊँ कमिश्नर का आवास हुआ करती थी। एवर्सल हाउस जर्जों का अतिथि गृह एवं मुख्य सचिव आवास है, जो पण्डित गोविन्द बल्लभ पन्त द्वारा 1957 में ले लिया गया था, तब उसमें श्री हाफिज मोहम्मद इब्राहिम वित्त मंत्री, संयुक्त प्रान्त रहते थे बाद में इसे शासकीय कार्यों के लिए ले लिया गया आर्डवैल प्रांगण में बैरेक्स और क्वार्टरों के साथ एक हॉल का निर्माण किया गया था जो अंग्रेज फौजियों को अंग्रेजी चलचित्र दिखाने के लिये काम में आता था, साथ ही आवश्यकता पडने पर डोरमेटरी के रूप में भी इसका प्रयोग होता था। दिनांक 15 मई 1947 से दिनांक 6 जून, 1947 तक संयुक्त प्रान्त लेजिस्लेटिव असेम्बली की 16 बैठकें आर्डवैल हॉल में आयोजित हुई थी। उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी परिसर में स्थित आर्डवैल हॉल स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व आयोजित संयुक्त प्रान्त लेजिस्लेटिव असेम्बली बैठकों के पदाधिकारी के रूप में अध्यक्ष

माननीय पुरुषोत्तम दास टण्डन, उपाध्यक्ष श्री नफीसुल हसन, सचिव श्री कैलाश चन्द्र भटनागर इत्यादि कई अत्यन्त महत्वपूर्ण व्यक्तियों द्वारा भाग लिया गया था।

विगत कुछ दशकों में किये गये नीतिगत परिवर्तनों, विशेषकर अर्थव्यवस्था के उदारीकरण, लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण, संचार साधनों व सूचना तकनीकी क्षेत्र में हुई क्रान्ति इत्यादि ने शासन एवं इसके विभिन्न अभिकरणों की भूमिका के व्यापक रूप में प्रभावित किया है। निःसन्देह अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर घटित घटनाओं का भी राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक हितों तथा नीतियों पर दूरगामी प्रभाव पड़ा है। इन परिवर्तनों एवं प्रभावों के परिणामस्वरूप शासन तंत्र से जनअपेक्षाओं में वृद्धि हुई है, शासन तंत्र से इन बदलती हुई परिस्थितियों, विशेषकर बढ़ती हुई जन अपेक्षाओं के सम्बन्ध में अधिक संवेदनशील एवं उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार करने की आवश्यकता अनुभव की जा रही है अतः यह आवश्यक हो जाता है कि शासन तंत्र अर्थात् विभिन्न विभागों और इनमें सेवारत कार्मिकों को विभिन्न परिवर्तनों से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों एवं समस्याओं के समाधान करने एवं नये लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सक्षम बनाने हेतु, उनके ज्ञान व कौशल में निरन्तर अभिवृद्धि हेतु प्रयास किये जाय। यह एक अविवादास्पद तथ्य है कि प्रशिक्षण सेवारत कार्मिकों को कार्य निष्पादन हेतु कुशल, प्रभावी एवं समक्ष बनाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। यह भी दृष्टिगोचर हुआ कि प्रभावी रूप से संचरित एवं संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा संगठन एवं सेवारत कार्मिकों के मनोबल को ऊँचा उठाने एवं उनके दृष्टिकोण में अपेक्षित परिवर्तन में सहायक होता है, अतः जन-सामान्य की अपेक्षाओं की पूर्ति हेतु शासन के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में प्रशिक्षण एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है क्योंकि प्रदेश का समग्र विकास सेवारत कार्मिकों की कार्य कुशलता, कार्यदक्षता व योग्यता एवं शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप विकास एवं कल्याण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कर जन अपेक्षाओं के अनुरूप उनके कार्य व्यवहार पर प्रायः निर्भर करता है।

प्रदेश शासन को मानव संसाधन विकास व प्रशिक्षण सम्बन्धी विषय पर नीतिगत परामर्श देने, राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर प्रशिक्षण सम्बन्धी प्रयासों को सुदृढ करने एवं राज्य के अधिकारियों के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करने के उद्देश्य के साथ उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल को स्थापित व विकसित किया गया। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि विगत वर्षों की उपलब्धियों के परिणामस्वरूप इस अकादमी ने प्रदेश व सम्पूर्ण देश में क्षमता विकास के एक अग्रणी संस्था के रूप में प्रतिष्ठा अर्जित की है। उत्तराखण्ड में, उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल को एक शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान के रूप में मान्यता प्रदान की गयी है। तदुसार अकादमी, शासन तंत्र एवं अकादमी के उद्देश्यों के अनुरूप विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं सम्बन्धित गतिविधियों का आयोजन प्रतिवर्ष सफलतापूर्वक करती आ रही है।

अकादमी की स्थापना वर्ष 1951 में भारतीय प्रशासनिक सेवा (उत्तर-प्रदेश संवर्ग) तथा राज्य सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिये इलाहाबाद में “ अधिकारी प्रशिक्षण स्कूल (ओ.टी.एस.) के रूप में की गयी। वर्ष 1958 में इस स्कूल के प्रादेशिक न्यायिक सेवा के अधिकारियों के लिये भी व्यावसायिक प्रशिक्षण आरंभ किया गया। वर्ष 1961 तक स्कूल में प्रान्तीय सिविल सेवा अधिकारियों के लिये नियमित रूप से प्रशिक्षणों का आयोजन किया गया। परन्तु वित्तीय कठिनाइयों के कारण वर्ष 1961 में स्कूल की गतिविधियाँ तात्कालिक रूप से स्थगित कर दी गयी।

वर्ष 1971 में पुनः अधिकारी प्रशिक्षण स्कूल को नैनीताल के वर्तमान परिसर में स्थापित कर दिया गया। नैनीताल में आयुक्त स्तर के अधिकारी को इस स्कूल का पूर्णकालिक प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया। वर्ष 1974 में स्कूल के नाम को परिवर्तित कर ‘प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थान’ कर दिया गया। वर्ष 1976 से संस्थान के विभिन्न पदों के पदनाम भी बदल दिये गये। संस्थान में अब निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप-निदेशक तथा सहायक निदेशक नियुक्त किये गये। प्रशिक्षण के बदलते स्वरूप एवं संस्थान की बढ़ती हुई गतिविधियों को देखते हुए, वर्ष 1988 में इसे प्रदेश का शीर्षस्थ प्रशिक्षण संस्थान घोषित किया गया तथा संस्थान की बढ़ती गतिविधियों एवं बदलते लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए इसका नाम परिवर्तित करते हुए इसे उत्तर प्रदेश प्रशासन अकादमी कर दिया गया।

9.4.1 उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी द्वारा आयोजित प्रशिक्षण की रूपरेखा

9 नवम्बर 2000 को उत्तराखण्ड के रूप में नये राज्य का गठन हुआ। राज्य गठन के पश्चात यह उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी के रूप में स्थापित हो गया। अब यह उत्तराखण्ड राज्य की शीर्षस्थ प्रशिक्षण संस्था के रूप में अपने दायित्वों को पूर्ण कर रही है। वर्तमान में अकादमी द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के अधिकारियों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। अकादमी वर्तमान में सम्मिलित राज्य सेवा के अधिकारियों हेतु आधारभूत/सेवा प्रवेश प्रशिक्षण कोर्सों के अतिरिक्त प्रादेशिक सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा), भारतीय प्रशासनिक सेवा (उत्तराखण्ड संवर्ग), भारतीय वन सेवा (उत्तराखण्ड संवर्ग) के अधिकारियों के लिये व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी आयोजन कर रही है। इसके अतिरिक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, तथा भारत सरकार व प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के लिये सेवाकालीन तथा विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।

उत्तराखण्ड राज्य द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित सभी अधिकारियों के लिये तीन सप्ताह का सेवा प्रवेश प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया गया है। सेवा प्रवेश प्रशिक्षण का उद्देश्य नवसृजित उत्तराखण्ड राज्य की चुनौतियों तथा अवसरों के बारे में नव-नियुक्त अधिकारियों

को अद्यतन सूचना से अवगत कराना तथा उनमें प्रबन्धकीय कौशल का विकास करना है। जिससे वे अपने-अपने क्षेत्रों में गुणात्मक सेवाएँ प्रदान कर सकें, तथा उनमें उत्तराखण्ड राज्य की सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में उचित समझ विकसित हो सके। अकादमी द्वारा राज्य के अधिकारियों के क्षमता विकास हेतु अनेकों प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है जिससे वह सुयोग्य, व्यावसायिक एवं प्रतिबद्धतापूर्ण लोक सेवक के रूप में राज्य के विकास में सहयोग दे सकें। अकादमी द्वारा कई ऐसे विभागों के लिए भी क्षमता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं, जिनके पास संस्थागत प्रशिक्षण आयोजित करने की सुविधाएँ नहीं है या प्रशिक्षण नहीं है या प्रशिक्षकों की संख्या बहुत अधिक होने के कारण सीमित संसाधनों से प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं।

अकादमी द्वारा प्रशिक्षण प्रभाग, कार्मिक एवं प्रशिक्षण कौशल विकसित करने में सहायक कार्यक्रम जैसे डायरेक्ट ट्रेनिंग (डीओटी), इवैल्यूएशन ऑफ ट्रेनिंग (ईओटी) एवं ट्रेनिंग टैक्नीक्स इत्यादि कार्यक्रमों का आयोजन प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है। अकादमी को ओवरसीज डेवलपमेन्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रिटिश सरकार तथा प्रशिक्षण प्रभाग, कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के सौजन्य से भारत में चलाई जा रही 'प्रशिक्षक विकास योजना के अन्तर्गत देश के पाँच प्रमुख क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों में से एक प्रमुख केन्द्र के रूप में मान्यता प्रदान की गयी है। इसके अन्तर्गत अकादमी देश व प्रदेश के विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यरत प्रशिक्षण संकाय को प्रत्यक्ष प्रशिक्षण की कला, प्रशिक्षण डिजाइन, प्रशिक्षण आवश्यकता विश्लेषण, प्रशिक्षण प्रबन्धन जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करती है।

उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के क्रियान्वयन की दशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। आन्तरिक स्तर पर विभागीय मैनुअल, कर्मचारियों के दायित्व का विवरण विस्तृत रूप से प्रकाशित किया जाता है, साथ ही अपर निदेशक को लोक सूचना अधिकारी तथा निदेशक को अपीलीय अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया गया है। अकादमी में सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन हेतु एक - एक अलग प्रकोष्ठ उप निदेशक के अधीन गठित किया गया है। प्रशासन में सुधार हेतु सूचना तक पहुँच को एक मुख्य क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है। सूचना तक पहुँच को एक मुख्य विकासात्मक मुद्दे के रूप में मान्यता दी गयी है क्योंकि कि यह प्रशासन को अधिक उत्तरदायी तथा सहभागी बनाने के साथ शक्ति के निरंकुश प्रयोग पर रोक लगाकर अधिक पारदर्शिता को सुनिश्चित करता है। सूचना का अधिकार जनता को उनके अधिकारों की अनुभूति कराता है। अकादमी में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आलावा यू0एन0डी0पी0 के सहयोग से सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत विस्तृत कार्ययोजना तैयार की गई है।

आपदा प्रबन्ध प्रकोष्ठ का गठन कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश प्रशासन अकादमी, नैनीताल में राज्य स्तर की इकाई के रूप में वर्ष 1995 में किया गया था, 9 नवम्बर, 2000 को उत्तराखण्ड के रूप में नए राज्य का गठन हुआ। राज्य के अधिकतर क्षेत्र भूकम्पीय जोन में होने के कारण से शासन स्तर से आपदा प्रबन्ध एवं न्यूनीकरण केन्द्र की स्थापना की गई थी। इसलिए यह केन्द्र भी देहरादून में आपदा प्रबन्ध एवं न्यूनीकरण केन्द्र में ही सम्मिलित कर लिया गया था, परन्तु उद्देश्यों में अन्तर होने की वजह से जुलाई 2006 में आपदा प्रबन्ध प्रकोष्ठ पुनः उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में स्थापित किया गया। आपदा प्रबन्ध प्रकोष्ठ का कार्य मुख्यतः दैवी आपदाओं के सम्बन्ध में सूचनाओं का संकलन, डॉक्युमेंटेशन, आपदा प्रबन्ध के सम्बन्ध में एक्शन प्लान का निर्धारण, पूर्व तैयारी, जागरूकता तथा प्रशिक्षण, कन्सलटेन्सी, शोध तथा क्षमता विकास इत्यादि के कार्य संचालित होते हैं।

9.4.2 अकादमी के प्रमुख प्रशिक्षण कार्यक्रम

अकादमी के अन्तर्गत संचालित किये जाने वाले कार्यक्रमों में सम्मिलित राज्य सेवा के अधिकारियों के आधारभूत, राज्य संवर्ग के आई.ए.एस., आई.एफ.एस. और पी.सी.एस. अधिकारियों के व्यवसायिक तथा पदोन्नत उप-जिलाधिकारियों के कार्यकारी विकास तथा राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों के सेवा कालीन प्रशिक्षण सम्मिलित हैं। साथ ही प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत अधिकारियों के ज्ञान व क्षमता के विकास हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम भी समय-समय पर आयोजित किये जाते हैं। अकादमी द्वारा आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों को निम्न रूप से देखा जा सकता है।

1. व्यवसायिक प्रशिक्षण कोर्स:

अखिल भारतीय सेवा के प्रशिक्षार्थी हेतु आयोजित किये जाने वाले व्यवसायिक प्रशिक्षण कोर्स का मुख्य लक्ष्य प्रशिक्षार्थी अधिकारियों को संबंधित कार्यक्षेत्रों की समस्याओं के समाधान के लिए उनकी क्षमता एवं आत्मविश्वास में वृद्धि करना है। प्रादेशिक सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) एवं प्रादेशिक वित्त सेवा के अधिकारियों हेतु निम्नांकित व्यवसायिक प्रशिक्षण कोर्सों का आयोजन किया गया।

छठवाँ आई.ए.एस. व्यवसायिक कोर्स की अवधि 5 सप्ताह की रही जिसमें दो आई.ए.एस. अधिकारियों ने प्रतिभाग किया। दूसरा व्यवसायिक कोर्स प्रादेशिक वित्त सेवा के अधिकारियों का हुआ, जो कि 12 सप्ताह चला जिसमें 9 अधिकारियों ने भाग लिया। तीसरा व्यवसायिक कोर्स प्रादेशिक सिविल सेवा कार्यकारी सेवा के अधिकारियों का हुआ, जो कि 12 सप्ताह चला, जिसमें 13 अधिकारियों ने प्रतिभाग किया।

2. आधारभूत प्रशिक्षण कोर्स:

आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य प्रशिक्षार्थी अधिकारियों को प्रदेश तथा संबंधित कार्यक्षेत्रों की समस्याओं के लिए उनके आत्मविश्वास में वृद्धि करना होता है। प्रादेशिक सिविल सेवा 2004 बैच के अधिकारियों हेतु छठवाँ आधारभूत कार्यक्रम बारह सप्ताह चला और इसमें 39 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

3. सेवा प्रवेश प्रशिक्षण कोर्स:

उत्तराखण्ड शासन द्वारा दिनांक 17 जनवरी, 2003 को प्रेषित पत्र (संख्या:1833 एक-1-2003) द्वारा राज्य के समस्त विभागों एवं अकादमी, नैनीताल को यह सूचित किया गया था कि उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग से चयनित समस्त अभ्यर्थियों को (राज्य स्तरीय सेवा से भिन्न) कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व अनिवार्य रूप से आधारभूत/सेवा प्रवेश प्रशिक्षण कोर्स अकादमी नैनीताल में प्राप्त करना होगा, जिससे कि नवचयनित अधिकारियों को उनकी सेवाओं से संबंधित कर्तव्यों एवं दायित्वों से परिचित कराया जा सके।

उत्तराखण्ड शासन द्वारा नवचयनित अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से दिया गया उपरोक्त आदेश/पहल इसलिए भी महत्त्वपूर्ण है कि नये राज्य उत्तराखण्ड के नवम्बर, 2000 में सृजित होने के पश्चात इस नवसृजित राज्य में नियुक्त लोक सेवकों से जन अपेक्षाओं के संदर्भ में अधिक संवेदनशील एवं उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार की अपेक्षा की जा रही है।

उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल द्वारा 2009-2010 में उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित अधिकारियों हेतु, संदर्भित वर्ष में निम्नलिखित सेवा प्रवेश प्रशिक्षण कोर्स को आयोजित किया गया:

व्यापार कर अधिकारी श्रेणी-2 के अधिकारियों हेतु बीसवाँ सेवा प्रवेश प्रशिक्षण तीन सप्ताह चला, जिसमें 51 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

4. राष्ट्रीय बैनर डिवीजन

राष्ट्रीय बैनर डिवीजन के अन्तर्गत अकादमी द्वारा विभिन्न अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन भारत सरकार के सहयोग से किया जाता है। राष्ट्रीय बैनर डिवीजन के अन्तर्गत अकादमी द्वारा विभिन्न अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के लिए निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गए:-

1. कम्युनिटी पार्टीसिपेशन एण्ड मोबिलाइज़ेशन, आई.ए.एस. अधिकारियों का प्रशिक्षण एक सप्ताह चला जिसमें 17 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

2. ग्यारहवाँ आई.पी.एस.-वर्तीकल इन्टरैक्शन कोर्स छः दिन चला जिसमें 23 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

कुल प्रतिभागियों की संख्या का योग 40

कार्यक्रमों की कुल संख्या का योग 02

5. प्रादेशिक बैनर डिवीजन

भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के प्रशिक्षण प्रभाग की सहायता से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए चिन्हित आवश्यकता आधारित विभिन्न विषयों पर आयोजित किए जाने वाले एक सप्ताह एवं तीन दिवसीय कार्यक्रम के आयोजन का दायित्व इस डिवीजन को सौंपा गया है। राज्य के अधिकारियों के लिए निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए जिसमें:-

प्रतिभागियों की संख्या का योग 769

कार्यक्रमों की कुल संख्या का योग 41

अतिरिक्त कार्यक्रम:-

प्रतिभागियों की संख्या का योग 97

कार्यक्रमों की कुल संख्या का योग 5

6. सूचना का अधिकार अधिनियम:-

उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के क्रियान्वयन की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किये जा रहे हैं। आन्तरिक स्तर पर विभागीय मैनुअल, कर्मचारियों के दायित्व का विवरण विस्तृत रूप से प्रकाशित किया गया है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम:

सूचना का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के संदर्भ में उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल द्वारा वर्ष 2009-10 में कार्यक्रम आयोजित किये गये जिसमें

प्रतिभागियों की संख्या का योग 412

कार्यक्रमों की कुल संख्या का योग 08

7. आपदा प्रबन्ध प्रकोष्ठ -

9 नवम्बर, 2000 को उत्तराखण्ड के रूप में नये राज्य का गठन हुआ। राज्य के अधिकतर क्षेत्र भूकम्पीय जोन होने की वजह से शासन स्तर से आपदा प्रबन्ध एवं न्यूनीकरण केन्द्र की स्थापना की गयी थी इसलिए यह केन्द्र भी देहरादून में आपदा प्रबन्ध एवं न्यूनीकरण केन्द्र में ही सम्मिलित कर लिया गया। उद्देश्यों में अन्तर होने की वजह से अप्रैल, 2006 में अकादमी की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग में निर्णय लिया गया कि इसे पुनः अकादमी में स्थापित किया जाये।

प्रतिभागियों की संख्या का योग 194

कार्यक्रमों की कुल संख्या का योग 09

9.5 पदोन्नति

पदोन्नति का शब्दकोष में अर्थ है -पद, स्तर, सम्मान में वृद्धि करना; आगे बढ़ाना। वस्तुतः पदोन्नति से अर्थ पद और स्तर में वृद्धि से है। लोक सेवा व्यावसायिक सेवा है। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति सरकारी नौकरी करता है वह जीविकोपार्जन के रूप में स्वीकार करता है और सम्पूर्ण जीवन उसमें व्यतीत करता है। अर्थात् समय के साथ-साथ संगठन और वरिष्ठता क्रम में सार्वजनिक कर्मचारी अपने कार्य के आधार पर आगे बढ़ता रहता है। अतः पदोन्नति लोक सेवा का एक अभिन्न अंग है।

9.5.1 भारतीय लोक सेवा में पदोन्नति की नीतियों का इतिहास

1669 में ईष्ट इण्डिया कम्पनी के द्वारा अपने कर्मचारियों के संबंध में वरिष्ठता का नियम लागू किया गया था, और इसी के साथ भारत में लोक सेवाओं का सूत्रपात हुआ। 1771 में कम्पनी ने व्यापारिक दायित्व के साथ-साथ प्रशासकीय दायित्व भी वहन किया और वरिष्ठता के सिद्धान्त का संशोधन करते हुए योग्यता को मान्यता दी। इस संबंध में निदेशक मण्डल ने आदेश दिया कि 'हमारी यह इच्छा है कि हमारे कर्मचारी उच्च पदों पर सेवा में प्राथमिकता क्रम अर्थात् वरिष्ठता के आधार पदोन्नत किये जाये लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि केवल वरिष्ठता के आधार पर ही ऐसे पद पाने के अधिकारी हो अपितु उन्हें निभ्रान्त रूप से सच्चरित्र और पर्याप्त योग्यता -सम्पन्न होना चाहिये'। 1947 में भारत के स्वतंत्र होने पर पदोन्नति की समस्या पर विशेष ध्यान दिया गया। प्रथम लोक सभा की अनुमान समिति ने प्रशासकीय, वित्तीय और अन्य सुधारों की जाँच के दौरान पदोन्नति की

रीतियों का विरोध करते हुए निम्नलिखित रीति का सुझाव दिया था, जो सभी आधुनिक देशों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में मान्य है -

1. पदोन्नति का आधार योग्यता होना चाहिये, न कि सेवारत व्यक्तियों की वरीयता।
2. कर्मचारियों की पदोन्नति के संबंध में केवल उन्हीं व्यक्तियों को अधिकार देना चाहिये, जिन्होंने कुछ समय तक उनके कार्य और आचरण की जाँच की हो।
3. कम से कम एक त्रिस्तरीय कमेटी की सिफारिश के आधार पर ही, जिसका एक सदस्य उस व्यक्ति के कार्य से सुपरिचित हो, पदोन्नति की जानी चाहिये और ऐसे मामले में, जहाँ किसी वरिष्ठ अधिकारी के हित की उपेक्षा की गयी हो, समिति को लिखित रूप में वरिष्ठता की उपेक्षा करने के कारणों पर प्रकाश डालना चाहिये।
4. किसी कर्मचारी को पदोन्नत किये जाने के अवसर पर उसके गोपनीय प्रतिवेदन की जाँच की जानी चाहिये और यह देखा जाना चाहिये कि उसे गलतियों के संबंध में कितनी बार चेतावनी दी गयी, और इन चेतावनियों के बावजूद यदि उसके आचरण में कोई सुधार नहीं हुआ तो क्या उसे पुनः चेतावनी दी गयी?
5. यदि किसी व्यक्ति या कर्मचारी को यह चेतावनी नहीं दी गयी है तो इसका यह अर्थ नहीं लगाना चाहिये कि उसके संबंध में दिये गये प्रतिवेदन इतने अच्छे हैं कि उसे पदोन्नत कर देना चाहिये।

9.5.2 पदोन्नति के सिद्धान्त

पदोन्नति निम्नलिखित किसी एक सिद्धान्त पर आधारित होता है -

1. वरिष्ठता
2. योग्यता
3. वरिष्ठता तथा उपयुक्तता (या उपयुक्तता के अधीन वरिष्ठता)

लोक सेवा में पदोन्नति वरिष्ठता और/या योग्यता पर आधारित होती है। ऐसे पदों पर जिनके संबंध में चयन नहीं किया जाता तथा तृतीय श्रेणी के पदों पर उपयुक्त होने पर वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति की व्यवस्था है। जिन पदों के लिए प्रत्याशियों का चुनाव किया जाता है, विशेषकर प्रथम और द्वितीय श्रेणी में पदोन्नति योग्यता के आधार की जाती है। जिन पदाधिकारियों की पदोन्नति पर विचार किया जाना है उनकी संख्या सीमित होती है, और पदोन्नत किये जाने वाले पदों की संख्या

के तीन गुने से पाँच गुने तक के अधिकारियों के कामों को वरिष्ठता क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। परम्परा के अनुसार पदोन्नति निम्न स्तर के पदों पर वरिष्ठता के आधार पर, मध्य स्तर के पदों पर वरिष्ठता सहित योग्यता के आधार पर, और उच्चस्तरीय पदों पर योग्यता के आधार पर की जाती है।

अभ्यास प्रश्न -

1. भारत शासन अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गयी?
2. लोक सेवाओं का वर्गीकरण कितने गुणों में किया गया है?
3. उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुयी?
4. सर्वप्रथम उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी का क्या नाम था?
5. प्रादेशिक न्यायिक सेवा के अधिकारियों के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण अकादमी ने किस वर्ष शुरु किया?
6. सूचना का अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन कब हुआ?
7. आपदा प्रबन्ध प्रकोष्ठ का गठन अकादमी में कब किया गया?
8. पदोन्नति के तीन सिद्धान्त कौन कौन से है?

9.6 सारांश

इस इकाई के अध्ययन के अध्ययन से हमें यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि प्रशासकीय संरचना में भर्ती और चयन, प्रशिक्षण व पदोन्नति की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जहाँ भर्ती व चयन द्वारा लोक सेवाओं का स्तर व योग्यता निश्चित होती है वहीं प्रशिक्षण लोक सेवकों को उनके कार्यों के लिये दक्ष व व्यावहारिक बनाने में सहायक होता है। लोक सेवकों और कर्मचारियों की सेवा को देखते हुए उनकी कार्य प्रणाली व दक्षता के आधार पर उन्हें पदोन्नत किया जाता है जिससे उनके मनोबल में वृद्धि होती है और उनकी कार्यप्रणाली में तीव्रता आती है। भर्ती, प्रशिक्षण व पदोन्नति कर्मचारियों के केवल दक्षता व मनोबल ही नहीं बढ़ाते वरन उन्हें व्यवहार कुशल, मृदुभाषी व सहयोगी बनाते हैं। सारांशतः कहा जा सकता है कि भर्ती, प्रशिक्षण व पदोन्नति सम्पूर्ण लोक कर्मचारियों के ढाँचें की आधारशिला है।

9.7 शब्दावली

समानार्थक - समान अर्थ वाले

सचेष्ट - ऊर्जावान

विज्ञप्ति - प्रेस नोट

पारदर्शिता - स्पष्ट

प्रतिबद्ध – सम्बद्ध

9.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. 1919, 2. 3, 3. 1951, 4. अधिकारी प्रशिक्षण स्कूल, 5. 1958, 6. 2005, 7. 1995, 8. वरिष्ठता, योग्यता, वरिष्ठता तथा उपयुक्तता।

9.9 संदर्भ ग्रन्थ

1. डी.डी.बसु - भारत का संविधान
2. टी.सी.भट्ट - उत्तराखण्ड, राज्य आन्दोलन का नवीन इतिहास
3. वार्षिक प्रतिवेदन - उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल (2008-09, 2009-10)
4. प्रशिक्षण नीति - उत्तर प्रदेश राज्य प्रशिक्षण नीति 1999, कार्मिक विभाग, लखनऊ

9.10 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

1. अवस्थी व माहेश्वरी - लोक प्रशासन
2. शर्मा व सडाना - लोक प्रशासन: सिद्धान्त व व्यवहार
3. डॉ. एस.सी.सिंघल - समकालीन राजनीतिक मुद्दे

9.11 निबंधात्मक प्रश्न

1. भर्ती की परिभाषा देते हुए उसके अनिवार्य तत्वों को बताइये?
2. प्रत्यक्ष भर्ती बनाम पदोन्नति द्वारा भर्ती के गुण दोष लिखिये?
3. प्रशिक्षण किसे कहते हैं तथा प्रशिक्षण के उद्देश्यों पर प्रकाश डालिये?
4. उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी के इतिहास पर एक लेख लिखिये?
5. उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी के द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की रूपरेखा पर निबन्ध लिखिये?

इकाई-10 सांस्कृतिक एवं भाषा विकास

इकाई की संरचना

10.0 प्रस्तावना

10.1 उद्देश्य

10.2 उत्तराखण्ड की भाषा और साहित्य

10.2.1 पहाड़ी हिन्दी

10.2.2 कुमाऊँनी भाषा का विकास

10.3 लोक साहित्य

10.4 उत्तराखण्ड राज्य की सांस्कृतिक गतिविधियाँ

10.4.1 राज्य साहित्य एवं कला परिषद

10.5 क्षेत्रीय पुरातत्व इकाई

10.6 राज्य अभिलेखागार

10.6.1 राज्य अभिलेखागार के मुख्य कार्य

10.6.2 संरक्षित अभिलेख

10.7 संस्कृति भवन व संस्कृति संरक्षण का विभागीय प्रयास

10.8 सारांश

10.9 शब्दावली

10.10 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

10.11 संदर्भ ग्रन्थ सूची

10.12 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

10.13 निबंधात्मक प्रश्न

10.0 प्रस्तावना

अब हम इकाई-२३ में राज्य की भाषा व संस्कृति के विकास पर चर्चा करेंगे। किसी भी राज्य की पहचान वहाँ की भाषा व संस्कृति से लगायी जा सकती है। उदाहरण के लिये हम पंजाब राज्य को लें तो वहाँ की संस्कृति व भाषा हमें वहाँ की सांस्कृतिक विरासत का परिचय स्वतः दे देती है। ऐसे ही समस्त राज्यों की भाषा व संस्कृति वहाँ की कार्यशैली को बताती हैं। ठीक इसी तर्ज पर उत्तराखण्ड की संस्कृति भी राज्य की अपनी अनूठी संस्कृति का परिचय देती है। राज्य की भाषा व संस्कृति को लेकर उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा भी अनेकों प्रयास किये जा रहे हैं।

राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक, ऐतिहासिक विरासत का संरक्षण, संवर्द्धन एवं विकास तथा उनको प्रोत्साहित करने के लिये राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड संस्कृति, साहित्य एवं कला परिषद बनायी गयी है। इस परिषद के माध्यम से संस्कृति के सभी पहलुओं के विकास के लिये इस क्षेत्र के अनुभवी विशेषज्ञों के सहयोग से कार्य किया जा रहा है। राज्य की सभी सरकारें इस प्रयास में रहीं हैं कि अनादिकाल से विख्यात इस क्षेत्र की संस्कृति, कला एवं साहित्य को संजोकर रखा जाये। साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिये इसका समुचित अभिलेखीकरण भी किया जाये।

10.1 उद्देश्य

इस इकाई में हम राज्य की भाषा व संस्कृति की विस्तृत जानकारी का अध्ययन करेंगे। इस इकाई से हम जान पायेंगे कि-

- १ उत्तराखण्ड में भाषा का क्या इतिहास रहा है।
- २ उत्तराखण्ड का लोक साहित्य व उसके महत्व के बारे में।
- ३ संस्कृति विभाग व उसकी समितियां।
- ४ कला परिषदें, अभिलेखागार व संग्राहलयों के बारे में।

10.2 उत्तराखण्ड की भाषा और साहित्य

उत्तराखण्ड की भाषा हिन्दी, संस्कृत, पालि-अपभ्रंश की उत्तराधिकारिणी है। समय-समय पर विविध सांस्कृतिक, धार्मिक, साहित्यिक, राजनीतिक परिस्थितियों ने हिन्दी को एक विशाल भू-प्रदेश में फैलने का अवसर प्रदान किया। डॉ. ग्रियसन के अनुसार, ' हिन्दी भाषा का क्षेत्र पश्चिम में अम्बाला (पंजाब) से लेकर, पूर्व में बनारस, उत्तर में नैनीताल की तलहटी से लेकर दक्षिण में कालाघाट तक विस्तृत है।

10.2.1 पहाड़ी हिन्दी

हिन्दी में प्रायः किसी देश विशेष, स्थान विशेष अथवा प्रान्त विशेष के निवासियों के लिए तथा भाषा या बोली के साथ उसका संबंध सूचित करने के लिए संबंधित देश अथवा प्रान्त अथवा बोली के साथ 'ई' प्रत्यय जोड़ देने की परम्परा चली आ रही है, जैसे कश्मीरी, पंजाबी, बंगाली। पहाड़ शब्द पर 'ई' प्रत्यय जोड़कर पहाड़ी शब्द बना है जो निवासी व भाषा अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। कश्मीर की दक्षिण-पूर्व, सीमा पर भद्रवाह से नेपाल के पूर्वी भाग तक बोली जाने वाली भारतीय आर्य भाषा परिवार से संबंधित प्रायः सभी बोलियाँ पहाड़ी उपभाषा के अन्तर्गत आ जाती है।

पहाड़ी हिन्दी में तीन बोलियों को सम्मिलित किया गया है-

1. पूर्वी पहाड़ी
2. मध्य पहाड़ी
3. पश्चिमी पहाड़ी

पूर्वी पहाड़ी की मुख्य भाषा नेपाली है। इसे गोरखाली नाम से भी जाना जाता है। यह नेपाल की राजभाषा है। इसकी लिपि देवनागरी है।

मध्य पहाड़ी हिन्दी की दो प्रमुख बोलियाँ हैं- कुमाऊँनी और गढ़वाली। सामान्यतः पहाड़ी हिन्दी से अभिप्रायः उस उपवर्ग से लिया जाता है जिसे डॉ. ग्रियसन ने मध्य पहाड़ी नाम दिया है। मध्य पहाड़ी की बोलियाँ कुमाऊँनी और गढ़वाली क्रमशः कुमाऊँनी और गढ़वाली में बोली जाती है। यह भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है।

10 कुमाऊँ की बोली ' कुमाऊँनी' नाम से जानी जाती है। कुमाऊँ शब्द का संबंध कूमांचल या कूर्मांचल से है। कुमाऊँनी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। कुमाऊँनी के प्राचीन नमूने शक सम्वत् 1266 अर्थात् चौदहवीं शती के पूर्वार्द्ध से मिलते हैं, शिलालेखों और ताम्रपत्रों में उपलब्ध प्राचीन कुमाऊँनी के नमूनों में संस्कृत शब्दों के प्रयोग की प्रवृत्ति लक्षित होती है। कुमाऊँनी भाषा की विकास यात्रा को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है।

1. आदिकाल (14वीं सदी से 1800 ई.)
2. मध्यकाल (1800वीं सदी से 1900 ई.)
3. आधुनिक काल (1900वीं सदी से वर्तमान तक)

आदिकाल- आदिकाल की कुमाऊँनी बोली में संस्कृत शब्दों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग होता था। परन्तु 18वीं सदी तक आते आते संस्कृत निष्ठा के स्थान पर तद्भव शब्दों की ओर झुकाव बढ़ा और कहीं कहीं अरबी फारसी के शब्द भी प्रयुक्त होने लगे।

मध्यकाल- इस काल में गुमानि पन्त जैसे प्रतिष्ठित कवि कुमाऊँनी में काव्य की रचना करने लगे थे। सन 1815 में कुमाऊँ को अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया और इसी बोली को पत्राचार की हेतु अपनाया।

आधुनिक काल- बीसवीं सदी की कुमाऊँनी पहले की कुमाऊँनी से एकदम अलग हो गई। 'अल्मोड़ा अखबार' अंचल आदि समाचार पत्रों के प्रकाशन में इसके विकास में महत्वपूर्ण सहयोग दिया। हिन्दी की एक उपबोली होने के कारण इसके लिखित स्वरूप एवं बोलचाल में हिन्दी का बहुत प्रभाव पड़ा है। अब तो यह सरल से सरलतम हो गयी है।

गढ़वाली- ग्रियसन ने भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण करते हुए पहाड़ी समुदाय में केन्द्रीय उपभाषा के अन्तर्गत कुमाऊँनी के साथ गढ़वाली बोली को भी लिया है। गढ़वाली बोली की उत्पत्ति के विषय में भाषा शस्त्रियों के विचारों में मतभेद है। डा. भोलाशंकर व्यास, डा. धीरेन्द्र वर्मा गढ़वाली की मूल उत्पत्ति शुद्ध शौरसेनी से मानते हैं, परन्तु डा. सुनीति कुमार चटर्जी का मत पहाड़ी भाषाओं के संबंध में एकदम भिन्न है। वे इनकी उत्पत्ति 'दश' या 'खश' से मानते हैं। वास्तव में उनकी इस स्थापना का आधार मात्र यही है कि खश भी गढ़वाल के निवासी थे। और 'खश' दरद वंशीय माने गये हैं। किन्तु यदि गढ़वाली भाषा और दरद भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो दोनों में काफी अन्तर मिलेगा। मैक्समूलर ने अपनी पुस्तक 'साइन्स ऑफ लैंग्वेज' में गढ़वाली को प्राकृतिक भाषा का एक रूप माना है। बालकृष्ण शास्त्री ने अपनी 'बनक वंश' पुस्तक में यह उल्लेख किया है कि गढ़वाल में संस्कृत बहुत दिनों तक रही। हरिराम धस्माना ने यह उल्लेख किया कि आर्य गढ़वाल और वैदिक संस्कृत के शब्दों की सूची दी है जिसमें दिखाया गया है कि गढ़वाली में कई शब्दों का प्रयोग वैदिक रूप में ही होता है।

10.3 लोक साहित्य

कुमाऊँनी

राज्य के उत्तर-पश्चिमी तथा दक्षिणी भागों को छोड़कर सम्पूर्ण क्षेत्र में कुमाऊँनी भाषा बोली जाती है। विभिन्न क्षेत्रों में इसकी उपबोलियाँ अभिव्यक्ति का माध्यम है, जिसमें शौका, थारु, राजी तथा बोक्साड़ी प्रमुख हैं। कुमाऊँनी भाषा का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। डा. ग्रियसन ने कुमाऊँनी भाषा की प्रकृति का अध्ययन कर इसकी विशेषताओं का उल्लेख किया है। भाषाविदों ने दरद-पहाड़ी को कुमाऊँनी भाषा का मूल श्रोत माना है। ध्वनि, रूप-रचना तथा वाक्य विन्यास की दृष्टि से कुमाऊँनी शौरसेनी अपभ्रंश के निकट है। इस कारण इसका संबंध संस्कृत से निर्धारित होता है। कुमाऊँनी भाषा क्षेत्रीय आधार पर खड़ी बोली हिन्दी से अत्याधिक प्रभावित है। श्री देव सिंह पोखरिया तथा मथुरा दत्त मठपाल ने कुमाऊँनी भाषा के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी है। मथुरा दत्त मठपाल ने कुमाऊँनी भाषा में 'दुदबोली' नामक पत्रिका का सम्पादन कर इसके विकास में अपना योगदान दिया। कुमाऊँनी बोली को ध्वनि तथा उच्चारण के आधार पर चार भागों में विभाजित किया जाता है। ये हैं- कुमय्यां, सौयोली, सीराली तथा असकोटी।

गढ़वाली :

मानव और साहित्य दोनों का प्राचीनकाल से अटूट संबंध रहा है। साहित्य को समाज का दर्पण कहा गया है। गढ़वाल का लोक साहित्य अपनी गौरवमयी परम्पराओं को अक्षुण्ण रखते हुए जीवन्त है। काव्य के विविध अंगों, रस, छन्द, अलंकार, भाव माधुर्य आदि से गढ़वाली लोक साहित्य पूर्ण है। यह लोक जीवन के विविध रूपों को दर्शाता है। गढ़वाल के वैभवशाली अतीत की परछाइयाँ हमें लोक साहित्य में देखने को मिलती है।

वर्तमान में लिखित साहित्य को ही साहित्य मानने की परम्परा है, किन्तु लोक साहित्य को भी साहित्य की श्रेणी में लेना चाहिये क्योंकि यह जनसामान्य से जुड़ा है और साहित्य के वास्तविक उद्देश्य का दायित्व निर्वाह करता है। वास्तव में लोक साहित्य जितना जन मानस को प्रभावित करता है उतना लिखित साहित्य नहीं। गढ़वाली भाषा में लिखित साहित्य का आरम्भ सन 1750 के लगभग माना जाता है। गढ़वाली के आरंभिक कवियों में हरिकृष्ण दोगादत्त, रुड़ौला, हर्षपुरी और लीलानन्द कोटनाला के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। सन 1905 में 'गढ़वाली' पत्र के प्रकाशन से लोगों का ध्यान गढ़वाली भाषा की ओर विशेष रूप से आकर्षित हुआ।

10.4 उत्तराखण्ड राज्य की सांस्कृतिक गतिविधियाँ

राज्य की सांस्कृतिक विरासत तथा परम्पराओं को विकसित करने के लिए सरकार सतत् प्रयासरत है। उत्तराखण्ड भारतीय संस्कृति का प्रतीक केन्द्र है। यहाँ की समृद्ध परम्परा देश को ही नहीं बल्कि विदेशों में बसे भारतीयों को भी गौरवान्वित करती है। संस्कृति विभाग का उद्देश्य राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का रखरखाव व संवर्द्धन है। संस्कृति विभाग द्वारा कला एवं संस्कृति को मनोरंजन की चितपरिचित सीमाओं से उपर ले जा कर सुविचारित कल्पनाओं के आधार पर सकारात्मक दिशा के लिये प्रयास किये जाते हैं। उत्तराखण्ड सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, संवर्द्धन एवं विकास इस दृष्टि से और भी महत्वपूर्ण है कि प्रदेश की अपनी इन्ही विरासतों से राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग पहचान बना सके। राज्य में साहित्य, संस्कृति व भाषा, संगीत, लोकगीतों के संरक्षण के लिये कई समितियों का गठन किया गया है।

1. राज्य साहित्य एवं कला परिषद
2. साहित्य, संस्कृति एवं कला समितियाँ

10.4.1 राज्य साहित्य एवं कला परिषद

राज्य में साहित्य, कला व सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण एवं सुनियोजित विकास की दृष्टि से मार्ग निर्देश गठित किये जाने के उद्देश्य से राज्य साहित्य व कला परिषद का गठन किया गया है। इसका कार्यालय देहरादून में है।

इस परिषद के उद्देश्य निम्न हैं -

- 1.राज्य में साहित्य एवं कला विशेष रूप से प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, संवर्द्धन तथा सुनियोजित विकास हेतु राज्य सरकार को परामर्श देना।
- 2.राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत सांस्कृतिक व साहित्यिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना ।
- 3.राज्य में साहित्य, कला व भाषा के विकास हेतु राज्य व राज्य के बाहर इन क्षेत्रों से जुड़े विद्वानों से प्रभावी समन्वय तथा सहयोग प्राप्त करना।
- 4.हिन्दी व स्थानीय भाषा व बोलियों का विकास करना।
- 5.संगीत, नृत्य, नाटक, ललित कला, सृजनात्मक साहित्य (स्थानीय भाषाओं/बोलियों के साहित्य) का प्रकाशन करना व इसे जनसुलभ बनाने हेतु प्रयास करना।
- 6.राज्य में साहित्य व सांस्कृतिक गतिविधियों से जुड़ी पात्र स्वायत्तशासी संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- 7.सांस्कृतिक गतिविधियों एवं राज्य की सांस्कृतिक विरासत के सुनियोजित विकास तथा संरक्षण के उद्देश्य से राज्य सरकार, केन्द्र सरकार तथा अन्य सभी से वित्त निवेश प्राप्त करना। इस हेतु यथा आवश्यकता परिषद द्वारा राज्य सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत करना।
- 8.साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं कला से सम्बन्धित बैठकों, प्रदर्शनियों तथा कार्यशालाओं का आयोजन करना।
- 9.लोक कला, भाषा विकास, कला को अन्य व्यावसायिक गतिविधियों से उत्तराखण्ड के स्थानीय कलाकारों व रचनाकारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु प्रयास करना।

10.4.2 साहित्य, संस्कृति व कला समितियां-संस्कृति, साहित्य एवं कला से सम्बन्धित विभिन्न विधाओं के लिये महत्त्वपूर्ण सुझाव देने के लिये उत्तराखण्ड साहित्य एवं कला परिषद की तीन समितियों का गठन किया गया है।

इन समितियों के कार्य निम्न हैं -

- 1.इन समितियों द्वारा अपने क्षेत्र की विभिन्न विधाओं के सुनिश्चित एवं समग्र विकास के लिए तात्कालिक एवं दूरगामी रणनीति तैयार की जाती है।
- 2.इन समितियों द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में क्रियान्वित कराये जाने वाली योजनाओं के प्रस्ताव भी तैयार किए जाते हैं। साथ ही यह भी मार्गदर्शन दिया जाता है कि संबंधित योजना पर कितना व्यय भार आएगा व किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है।

3. इसके अतिरिक्त संस्कृति विभाग के सामान्य कार्य-कलापों एवं अवस्थापना सुविधाओं को और अधिक उपयोगी बनाये जाने हेतु इन समितियों द्वारा सुझाव दिए जाते हैं।

4. विभिन्न योजनाओं में शासन से प्राप्त होने वाले धन के अतिरिक्त धनराशि के अन्य सम्भावित क्षेत्रों के संबंध में भी इन समितियों द्वारा मार्गदर्शन किया जाता है।

1. अभिलेख परामर्शदात्री समिति-

प्राचीन ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक दस्तावेजों एवं पाण्डुलिपियों को संरक्षित रखने तथा उसके अनुसंधान को दिशा देने के उद्देश्य से अभिलेख परामर्शदात्री समिति का गठन किया गया है।

कार्य:

1. उत्तराखण्ड राजकीय अभिलेखागार के सुधार रूप में संचालन हेतु राज्य सरकार को समय-समय पर परामर्श देना।

2. प्राचीन हस्तलिखित ऐतिहासिक ग्रंथों एवं अभिलेखों की उत्तराखण्ड राज्य में खोज व अनुसंधान करना।

3. ऐसे महत्वपूर्ण ग्रंथों एवं अभिलेखों की प्रति प्राप्त करना जिन्हें लोग राजकीय अभिलेखागार को नहीं देना चाहते।

4. प्राप्त हस्तलिखित ग्रंथों एवं अभिलेखों व वैज्ञानिक संरक्षण एवं इनको शोध कार्य हेतु उपलब्ध कराना तथा उसकी प्राप्ति सूची, कैलेण्डर, कैटलॉग, आदि प्रकाशित करना।

5. राज्य की जनता को अभिलेखों के महत्व के प्रति जागरूक दायित्व बोध कराने का प्रयास करना।

6. व्यक्तिगत अधिकार में रखे अभिलेखों एवं गन्थों के वैज्ञानिक विधि से संरक्षण के लिए परामर्श देना।

उक्त परामर्शदात्री समिति ऐसे सदस्यों को भी समय-समय पर मनोनीत कर सकती है, जिनकी सलाह की उन्हें आवश्यकता हो।

2. क्षेत्रीय अभिलेख सर्वेक्षण समिति-

इस समिति का कर्तव्य है कि हस्तलिखित ग्रंथों विशेषकर ऐतिहासिक एवं अभिलिखित तथा किसी महान व्यक्ति द्वारा लिखित ग्रन्थ या पत्र का सर्वेक्षण एवं उन्हें प्राप्त करने का प्रयास करना।

3. क्रय समिति-

विभिन्न प्रकार के हस्तलिखित ग्रन्थ, अभिलेख, माइक्रोफिल्म की प्रति या नोट आदि जो समिति को दान स्वरूप या क्रय के रूप में प्राप्त होने पर, वह सरकार की सम्पत्ति होती है और राज्य अभिलेखागार में संरक्षित होती है। उत्तराखण्ड राज्य अभिलेखागार द्वारा प्रदेश में अभिलेखों एवं

हस्तलिखित ग्रन्थों का सर्वेक्षण किया जाता है। क्रय समिति इन हस्तलिपियों तथा दस्तावेजों के क्रय की निगरानी करती है।

गोविन्द बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय-

अल्मोड़ा स्थित इस संग्रहालय का प्रमुख उद्देश्य प्राचीन धरोहरों को सुरक्षित व संरक्षित रखना तथा इसका प्रदर्शन करना है। राजवंशों व शासकों के ऐतिहासिक पुरावशेष इस क्षेत्र में यहाँ वहाँ विखरे पड़े हैं। इस क्षेत्र में विखरी अपार सांस्कृतिक संपदा के संग्रह अनुरक्षण, अभिलेखीकरण, प्रदर्शन एवं उन पर शोध करने के उद्देश्य से 1979 में उत्तराखण्ड की प्रसिद्ध ऐतिहासिक व सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में संग्रहालय की स्थापना की गयी थी। इस संग्रहालय में उत्तराखण्ड तथा उससे जुड़े विभिन्न क्षेत्रों की लगभग 3000 से अधिक महत्वपूर्ण कलाकृतियों का संग्रह है। आरक्षित संग्रह के अतिरिक्त संग्रहालय की पाँच वीथिकाओं को सुरुचिपूर्ण एवं वैज्ञानिक तरीके से प्रदर्शित किया गया है।

10.5 क्षेत्रीय पुरातत्व इकाई

राज्य में मानव सम्यता का विकास पाषाण काल से ही पल्लवित हुआ है। इससे सम्बन्धित राज्य के पर्वतीय दुर्गम अंचल में यहाँ की प्राचीन संस्कृति के रूप में चित्रित शैलाश्रय, ताम्रमानवाकृतियां, प्राचीन मंदिर, मस्जिद, चर्च, बावड़ी जल धारा, कोट, किले, धर्मशालाएं, शुद्ध एवं मिश्रित धातुओं के बने सिक्के आदि बहुलता से यत्र तत्र मिलते हैं। क्षेत्रीय पुरातत्व इकाई द्वारा पुरा सम्पदाओं का सर्वेक्षण तथा अनुसंधान निरंतर किया जाता है। गढ़वाल मण्डल के अर्न्तगत अवस्थित पुरातात्विक स्मारकों की बहुलता को देखते हुए वर्ष 1984 में तत्काली शासन द्वारा गढ़वाल मण्डल के लिये एक प्रथक पुरातत्व इकाई की स्थापना की गयी।

कुमाऊँ में पुरातत्व इकाई अल्मोड़ा कार्यालय में 1976 से है।

क्षेत्रीय पुरातत्व इकाई के निम्न उद्देश्य हैं।

1. पुरा सम्पदा का सर्वेक्षण
2. पुरा स्थलों का उत्खनन
3. पुरासम्पदा का संरक्षण तथा अनुरक्षण
4. पुरातत्व एवं पुरास्थलों के प्रति लोकरूचि जगाने हेतु जागरूकता अभियान चलाना।
5. पुरातत्व विषयक प्रकाशन एवं वार्षिक समीक्षात्मक रिपोर्ट का प्रकाशन करना।

10.6 राज्य अभिलेखागार

वर्ष 1958 तक अभिलेखागार, शिक्षा विभाग उत्तर-प्रदेश के अधीन रहा। तदोपरान्त प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1975 में इसे इण्डोलॉजी और संस्कृति विभाग के अधीन स्थापित कर दिया गया। वर्ष 1973 में लखनऊ के आधुनिक अभिलेखागार में स्थानान्तरित कर दिया गया। अभिलेखागार के वृहद कार्यक्षेत्र को देखते हुए इसकी इकाईयां इलाहाबाद, वाराणसी, देहरादून तथा नैनीताल में स्थापित कर दी गयीं। क्षेत्रीय अभिलेखागार, देहरादून की सन 1980 में स्थापना, राज्य की पर्वतीय विकास योजना के अन्तर्गत की गयी।

10.6.1 राज्य अभिलेखागार के मुख्य कार्य

राज्य अभिलेखागार के प्रमुख कार्य निम्न हैं -

1. उत्तराखण्ड के सभी सरकारी कार्यालयों तथा विभागों के अभिलेखों का निरीक्षण, सूचीकरण एवं अभिलेखों का अभिलेखागार में स्थानान्तरण करना।
2. सभी कार्यालयों तथा विभागों, स्वायत्तशासी संस्थाओं एवं व्यक्तिगत अधिकार में रखे गये अभिलेखों को वैज्ञानिक संरक्षण करने एवं सुव्यवस्थित रखने सम्बन्धित परामर्श देना।
3. शोध छात्रों एवं जनसामान्य के उपयोग के लिये अभिलेखागार में उपलब्ध ऐतिहासिक अभिलेखों का चयन कर उनकी सूची बनाकर प्रकाशित करना।
4. अभिलेखों को जिला, विभाग एवं क्षेत्र के अनुसार सुव्यवस्थित ढंग से रखते हुए अभिलेखागार में संरक्षित करना।
5. शोध छात्र व जनसामान्य को शोध अभिलेख तथा पत्रिकाएं उपलब्ध कराना। शोध छात्रों को आवश्यकता अनुसार अभिलेखों की छायाप्रति उपलब्ध कराना।
6. जनसामान्य को अभिलेखों के महत्व के प्रति जागरूक करने हेतु समय-समय पर अभिलेख प्रदर्शनियों का आयोजन कराना है। साथ ही उत्तराखण्ड के विद्यार्थियों में स्थानीय सामाजिक, आर्थिक व सामयिक विषयों के प्रति रूचि बढ़ाने के उद्देश्य से सामान्य ज्ञान प्रतियोगिताओं का भी आयोजन करना।
7. विभिन्न स्रोतों से प्राप्त अभिलेखों की वैज्ञानिक विधियों द्वारा मरम्मत करके इन्हें स्थाई रूप में संरक्षित करना।
8. राज्यकर्मियों को अभिलेखीय संरक्षण सम्बन्धी प्रशिक्षण प्रदान करना। मौखिक अभिलेखों का संरक्षण करना।
9. स्थानान्तरित अभिलेखों का संरक्षण।
10. व्यक्तिगत अभिलेखों को दान स्वरूप प्राप्त करना।

10.6.2 संरक्षित अभिलेख

राज्य अभिलेखागार उत्तराखण्ड में वर्ष 1816 से वर्ष 1957 तक के देहरादून के प्री-म्यूटिनी, पोस्ट-म्यूटिनी, स्वतंत्रता संग्राम से सम्बन्धित अभिलेख कलेक्ट्रेट टिहरी गढ़वाल के वर्ष 1939-49 तक के अभिलेख संरक्षित किये गये हैं। क्षेत्रीय अभिलेखागार कार्यालय में संरक्षित अभिलेख आयुक्त कुमाऊँ मण्डल नैनीताल से स्थानान्तरित वर्ष 1880-1921 तक के पोस्ट-म्यूटिनी रिकार्ड, वर्ष 1805-1944 तक राजस्व नक्शे एवं जिलाधिकारी कार्यालय, नैनीताल से स्थानान्तरित वर्ष 1928-1941 तक की फाइलें व 1880 से 1948 तक के पोस्ट म्यूटिनी अभिलेख संरक्षित किये गये हैं। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत रूप से दान स्वरूप प्राप्त अभिलेखों में प्राचीन डायरियां, पत्र, साहित्यिक लेख जो वर्ष 1896 से 1980 तक के हैं। साथ ही राष्ट्रपिता माहात्मा गाँधी, पं. गोविन्द बल्लभ पंत, सरलाबेन, श्री बनारसी दास चतुर्वेदी, श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्री रवीन्द्र नाथ टैगोर आदि महत्वपूर्ण व्यक्तियों के हस्तलिखित विभिन्न अभिलेख भी यहाँ संरक्षित हैं।

10.7 संस्कृति भवन व संस्कृति संरक्षण का विभागीय प्रयास

संस्कृति विभाग, उत्तराखण्ड का एक मात्र प्रेक्षागृह मण्डल मुख्यालय, पौड़ी में स्थित है। यह एक बहुउद्देश्यीय प्रेक्षागृह है। जिसमें 44 सीटों की आधुनिकतम कार्यशाला है। इसका उपयोग वर्तमान समय में क्षेत्रीय पुरातत्व इकाई, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी द्वारा भातखण्डे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय की कक्षाओं के संचालन हेतु किया जा रहा है। इस प्रेक्षागृह का उपयोग हर सरकारी व गैर सरकारी बैठकों के लिये किया जाता है। संस्कृति विभाग उत्तराखण्ड, हर वर्ष बद्री-केदार उत्सव का आयोजन करता है। इस बद्री केदार उत्सव जहाँ एक ओर राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों द्वारा प्रतिभाग किया जाता है, वहीं दूसरी ओर उत्तराखण्ड की परम्परागत समृद्ध संस्कृति पर आधारित कार्यक्रमों का भी प्रदेश के उत्कृष्ट कलाकारों द्वारा प्रदर्शन किया जाता है।

संस्कृति विभाग, उत्तराखण्ड भारतीय संस्कृति के विविध आयामों के संरक्षण व संवर्द्धन में संलग्न है। क्योंकि हमारी वर्तमान पीढ़ी आधुनिकता के आकाश को छूते हुए भी अपनी परम्पराओं की भूमि को न छोड़ें, इसके लिये आवश्यक है कि संस्कृति का समय-समय पर सिंचन हों। इसी का प्रयास बद्री-केदार महोत्सव के द्वारा किया जा रहा है।

अभ्यास प्रश्न-1. पहाड़ी हिन्दी में कितनी बोलियाँ सम्मिलित हैं?

2. मध्य पहाड़ी हिन्दी की प्रमुख बोलियाँ कौन-कौन सी हैं ?
3. मैक्समूलर की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है ?
4. गढ़वाली भाषा साहित्य का आरंभ कब से माना जाता है?
5. राज्य में साहित्य, संस्कृति, भाषा, संगीत व लोकगीतों के संरक्षण के लिये कितनी समितियों का गठन किया गया है?
6. गोविन्द बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय कहाँ स्थित है ?

10.8 सारांश

भाषा किसी भी समाज की पहचान होती है। भाषा का वृहद रूप वहाँ की भाषायी संस्कृति को जन्म देती है। एक ही क्षेत्र में कई तरह से भाषा को बोला जाता है। भाषा की क्षेत्रीय पहचान बोलियों के रूप में हमारे सामने आती हैं। किसी भी समाज में बोली जाने वाली बोली उस समाज की संस्कृति से परिचय कराती हैं। उत्तराखण्ड राज्य में हिन्दी के साथ-साथ कई अन्य भाषायें व बोलियाँ प्रचलित हैं, जो हमारी सामाजिक व सांस्कृतिक धरोहर हैं। जिस तरह राज्य में भौगोलिक विभिन्नताएं हैं, ठीक उसी तरह भाषा और बोलियों को लेकर भी अनेकों विभिन्नताएं हैं। राज्य के दोनों छोरों पर अपनी सुन्दर व अनूठी बोली की पहचान लिये जनजातियां हैं, तो दूसरी तरफ मध्य में कुमाऊँनी, गढ़वाली, पंजाबी, पूर्वी व अन्य बोलियों के साथ कई जातियाँ इस अनूठी सांस्कृतिक धरा पर अपने रंग बिखेरती हैं। वहीं विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक धरोहरें राज्य को पर्यटकों के लिये और आकर्षण पैदा करती हैं। देश के विभिन्न प्रान्तों में आयोजित होने वाले उत्सवों एवं मेलों के माध्यम से भी प्रदेश की समृद्ध संस्कृति को प्रचारित करने का कार्य सरकारों द्वारा किया जाता रहा है। जिससे उत्तराखण्ड की संस्कृति की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर राज्य बनने के बाद नये रूप में उभरी है।

10.9 शब्दावली

संरक्षण- रक्षा, बचाव, निगरानी

प्रेक्षागृह- ऐसा स्थान जहाँ कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करता है। ये स्थान बैठकों व अन्य कार्यों में भी काम आता है।

स्वायत्तशासी- अपने अधिकार में रहने वाला शासन। जिस पर सरकार या किसी वाह्य शक्ति का कोई अधिकार नहीं होता।

संवर्द्धन- किसी वस्तु, सामग्री को सुरक्षित रखना। बढ़ाना या पालना।

म्यूटिनी- विद्रोह, क्रान्ति या गदर।

10.10 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1.तीन 2.कुमाऊँनी और गढ़वाली' 3.साइन्स ऑफ लैंग्वेज

4.1750 के लगभग 5.तीन 6.अल्मोड़ा

10.11 संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. भवानी दत्त उप्रेती - कुमाऊँनी भाषा का अध्ययन
2. चन्द्र सिंह चौहान तथा भट्ट - मल्ल तथा मध्यकालीन उत्तराखण्ड
3. बट्टी दत्त पाण्डे - कुमाऊँ का इतिहास
4. सुन्दर लाल बहुगुणा - उत्तराखण्ड में एक सौ बीस दिन

10.12 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

1. सविता मोहन व हरीश यादव - उत्तरांचल समग्र अध्ययन
2. विद्या दत्त बलूनी - उत्तराखण्ड एक सम्पूर्ण अध्ययन
3. उत्तराखण्ड शासन - संतुलित समयबद्ध समग्र विकास, पाँचवीं वर्षगाँठ
4. पहाड़ - संपादक, शेखर पाठक

10.13 निबंधात्मक प्रश्न

- 1 -राज्य अभिलेखागार के प्रमुख कार्यों को समझाते हुए संरक्षित अभिलेख के बारे में जानकारी दीजिए?
- 2-साहित्य, संस्कृति व कला समितियां क्या हैं? इनके प्रमुख कार्य कौन-कौन से हैं?
- 3-राज्य साहित्य व कला परिषद के प्रमुख कार्यों को बताइये?
- 4-उत्तराखण्ड के लोक साहित्य पर एक निबन्ध लिखिये?
- 5-उत्तराखण्ड की भाषा व साहित्य पर प्रकाश डालिये?

इकाई- 11 पंचायतीराज, तिहत्तरवां(73वां) संविधान संशोधन अधिनियम

इकाई की रूपरेखा

- 11.1 प्रस्तावना
- 11.2 उद्देश्य
- 11.3 स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत में पंचायती राज
 - 11.3.1 पंचायतों के विकास के लिए गठित समितियां
 - 11.3.2 बलवंत राय मेहता समिति
 - 11.3.3 अशोक मेहता समिति
 - 11.3.4 जी.वी.के. समिति
 - 11.3.5 डा. एल. एम. सिंघवी समिति
 - 11.3.6 सरकारिया आयोग और पी0 के0 थुंगर समिति
- 11.4 73वें संविधान संशोधन की सोच
 - 11.4.1 73वां संविधान अधिनियम
 - 11.4.2 73वें संविधान संशोधन की मुख्य विशेषताएं
- 11.5 स्थानीय स्वशासन व पंचायतें
- 11.6 सारांश
- 11.7 शब्दावली
- 11.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 11.9 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
- 11.10 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री
- 11.11 निबन्धात्मक प्रश्न

11.1 प्रस्तावना

स्वतन्त्रता पूर्व पंचायतों की मजबूती व सुदृढ़िकरण हेतु विशेष प्रयास नहीं हुए इसके विपरीत पंचायती राज व्यवस्था लड़खड़ाती रही। मध्य काल में मुस्लिम राजाओं का शासन भारत के विभिन्न हिस्सों में फैल गया। यद्यपि स्थानीय शासन की संस्थाओं की मजबूती के लिए विशेष प्रयास नहीं किये गये परन्तु मुस्लिम शासन ने अपने हितों में पंचायतों का काफी उपयोग किया। जिसके फलस्वरूप पंचायतों के मूल स्वरूप को धक्का लगा और वे केन्द्र के हाथों की कठपुतली बन गई। सम्राट अकबर के समय स्थानीय स्वशासन को पुनः मान्यता मिली। उस काल में स्थानीय स्वशासन की इकाइयां कार्यशील बनीं। स्थानीय स्तर पर शासन के सारे कार्य पंचायतों ही करती थीं और शासन उनके महत्व को पूर्णतः स्वीकार करता था। लेकिन मुस्लिम काल के इतिहास को अगर समग्र रूप में देखा जाए तो इस काल में स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं को मजबूती नहीं मिल सकी।

ब्रिटिश काल के दौरान भी प्राचीन पंचायत व्यवस्था लड़खड़ाती रही। अंग्रेजों शासन काल में सत्ता का केन्द्रीकरण हो गया और दिल्ली सरकार पूरे भारत पर शासन करने लगी। केन्द्रीकरण की नीति के तहत अंग्रेज तो पूरी सत्ता अपने कब्जे में करके एक-क्षत्र राज चाहते थे। भारत की विकेन्द्रीकरण की व्यवस्था उन्हें अपने मनसूबों को पूरा करने में एक रुकावट लगी। इसलिये अंग्रेजों ने हमारी सदियों से चली आ रही स्थानीय स्वशासन की परम्परा व स्थानीय समुदाय की ताकत का तहस-नहस कर शासन की अपनी व्यवस्था लागू की। जिसमें छोट-छोटे सूबे तथा स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं कमजोर बना दी गई या पूरी तरह समाप्त कर दी गई। धीरे धीरे सब कुछ अंग्रेजी सरकार के अधीन होता गया। सरकार की व्यवस्था मजबूत होती गई और समाज कमजोर होता गया। परिणाम यह हुआ कि यहां प्रशासन का परम्परागत रूप करीब-करीब समाप्त प्राय हो गया और पंचायतों का महत्व काफी घट गया। अंग्रेजी राज की बढ़ती ताकत व प्रभाव से आम आदमी दबाव में था। समाज में असंतोष बढ़ने लगा, जिसके कारण 1909 में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक विकेन्द्रीकरण कमीशन की नियुक्ति की गई। 1919 में “मांटेस्क्यू चेम्सफोर्स सुधार” के तहत एक अधिनियम पारित करके पंचायतों को फिर से स्थापित करने का काम प्रांतीय शासन पर छोड़ दिया। अंग्रेजों की नियत तब उजागर हुई जब एक तरफ पंचायतों को फिर से स्थापित करने की बात कही और दूसरी तरफ गाँव वालों से नमक तक बनाने का अधिकार छुड़ा लिया। इसी क्रम में 1935 में लार्ड वैलिंग्टन के समय भी पंचायतों के विकास की ओर थोड़ा बहुत ध्यान दिया गया लेकिन कुल मिलाकर ब्रिटिशकाल में पंचायतों को फलने-फूलने के अवसर कम ही मिले।

हम नब्बे के दशक में भारत सरकार द्वारा पंचायतों को नया स्वरूप देने के उद्देश्य से भारतीय संविधान में किये गये 73वें संशोधन अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे। प्राचीन समय में भी देश के गांवों का पूरा कामकाज पंचायतों ही चलाती थी। लोग इस संस्था को गहरी आस्था व सम्मान की की दृष्टि

से देखते थे, इसलिये इसका निर्णय भी सब को मान्य होता था। इसी धारणा को ध्यान में रख कर व सामान्य व्यक्ति की शासन में भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए पंचायतों को संवैधानिक स्थान देने की आवश्यकता हुई। जिसके लिए संविधान का 73वाँ संविधान संशोधन किया गया। जिसका विस्तृत अध्ययन आप इस अध्याय में करेंगे।

11.2 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के उपरान्त आप-

1. स्थानीय स्वशासन के बारे में जान पायेंगे।
2. स्थानीय स्वशासन को वैधानिक रूप देने के लिए संविधान में 73वाँ संविधान संशोधन के विषय में जान पायेंगे।
3. 73वें संविधान संशोधन के पिछे सोच के कारणों ज्ञान होगा।
4. संविधान में मौजूद मुख्य बिन्दुओं की जानकारी मिलेगी।

11.3 स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत में पंचायती राज

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात पंचायतों के पूर्ण विकास के लिये प्रयत्न शुरू हुए। राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी स्वराज और स्वावलम्बन के लिये पंचायती राज के प्रबलतम समर्थक थे। गाँधी जी ने कहा था- "सच्चा स्वराज सिर्फ चंद लोगों के हाथ में सत्ता आ जाने से नहीं बल्कि इसके लिये सभी हाथों में क्षमता आने से आयेगा। केन्द्र में बैठे बीस व्यक्ति सच्चे लोकतन्त्र को नहीं चला सकते। इसको चलाने के लिये निचले स्तर पर प्रत्येक गांव के लोगों को शामिल करना पड़ेगा।" गाँधी जी की ही पहल पर संविधान में अनुच्छेद-40 शामिल किया गया। जिसमें यह कहा गया कि राज्य ग्राम पंचायतों को सुदृढ़ करने हेतु कदम उठायेगा तथा पंचायतों को प्रशासन की इकाई के रूप में कार्य करने के लिये आवश्यक अधिकार प्रदान करेगा। यह अनुच्छेद राज्य का नीति निर्देशक सिद्धान्त बना दिया गया। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिये विभिन्न कमीशन नियुक्त किये गये, जिन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को पुर्नजीवित करने में महत्वपूर्ण कार्य किया।

भारत में सन 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम स्थापित किये गये। किन्तु प्रारम्भ में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को कोई महत्वपूर्ण सफलता नहीं मिल सकी, इसका मुख्य कारण जनता का इसमें कोई सहयोग व रुचि नहीं थी। सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को सरकारी कामों के रूप में देख गया और गाँववासी अपने उत्थान के लिए स्वयं प्रयत्न करने के स्थान पर सरकार पर निर्भर रहने लगी। इस कार्यक्रम के सूत्रधार यह आशा करते थे कि जनता इसमें आगे आये और दूसरी ओर उनका विश्वास था कि सरकारी कार्यवाही से ही यह कार्यक्रम सफल हो सकता है। कार्यक्रम जनता ने चलाना था, लेकिन वे बनाये उपर से जाते थे। जिस कारण इन कार्यक्रमों में लोक कल्याण के कार्य तो हुए लेकिन लोगों की भागीदारी इनमें नगण्य थी। ये कार्यक्रम लोगों के कार्यक्रम होने के बजाय

सरकार के कार्यक्रम बनकर रह गये। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के असफल होने के कारणों का अध्ययन करने के लिए एक कमेटी गठित की गयी, जिसका नाम बलवन्त राय मेहता समिति था।

अभ्यास प्रश्न-1

1. 1919 के किस सुधार के तहत एक अधिनियम पारित करके पंचायतो को फिर से स्थापित करने का काम प्रांतीय शासन पर छोड़ दिया।
2. पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए संविधान में.....संविधान संशोधन किया गया।
3. भारत में किस सनमें सामुदायिक विकास कार्यक्रम स्थापित किये गये।

क. 1950 ख. 1952 ग. 1954 घ. 1956

11.3.1 पंचायतों के विकास के लिए गठित समितियां

पंचायती राज के विकास के लिए समय-समय पर अनेक समितियां गठित की गयी।

11.3.2 बलवंत राय मेहता समिति

1957 में सरकार ने पंचायतों के विकास पर सुझाव देने के लिए श्री बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की इस रिपोर्ट में यह सिफारिश की गयी कि सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए पंचायती राज संस्थाओं की तुरन्त स्थापना की जानी चाहिए। इसे लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण का नाम दिया गया। मेहता कमेटी के अपनी निम्नलिखित सिफारिशें रखी।

1. ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खण्ड(ब्लाक) स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। अर्थात् पंचायतों की त्रिस्तरीय संरचना बनायी जाये।
2. पंचायती राज में लोगों को सत्ता का हस्तान्तरण किया जाना चाहिए।
3. पंचायती राज संस्थाएं जनता के द्वारा निर्वाचित होनी चाहिए और सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अधिकारी उनके अधीन होने चाहिए।
4. साधन जुटाने व जन सहयोग के लिए इन संस्थाओं को पर्याप्त अधिकार दिये जाने चाहिए।
5. सभी विकास संबंधी कार्यक्रम व योजनाएं इन संगठनों के द्वारा लागू किये जाने चाहिए।
6. इन संगठनों को उचित वित्तीय साधन सुलभ करवाये जाने चाहिए।

राजस्थान वह पहला राज्य है जहां पंचायती राज की स्थापना की गयी। 1958 में सर्वप्रथम पंडित जवाहर लाल नेहरू ने 2 अक्टूबर को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का दीपक प्रज्वलित किया और धीरे धीरे गांवों में पंचायती राज का विकास शुरू हुआ। सत्ता के विकेन्द्रीकरण की दिशा में यह पहला कदम था। 1959 में आन्ध्र प्रदेश में भी पंचायती राज लागू किया गया। 1959 से 1964 तक के समय में विभिन्न राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं को लागू किया गया और इन संस्थाओं ने कार्य प्रारम्भ किया। लेकिन इस राज से ग्रामीण तबके के लोगों का नेतृत्व उभरने लगा जो कुछ स्वार्थी लोगों की आँखों में खटकने लगा, क्योंकि वे शक्ति व अधिकारों

को अपने तक ही सीमित रखना चाहते थे। फलस्वरूप पंचायती राज को तोड़ने की कोशिशें भी शुरू हो गयीं। कई राज्यों में वर्षों तक पंचायतों में चुनाव ही नहीं कराये गये। 1969 से 1983 तक का समय पंचायती राज व्यवस्था के ह्रास का समय था। लम्बे समय तक पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव नहीं करवाये गये और ये संस्थाएं निष्क्रिय हो गयीं।

11.3.3 अशोक मेहता समिति

जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद पंचायतों को मजबूत करने के उद्देश्य से 12 दिसम्बर 1977 को पंचायती राज संस्थाओं में आवश्यक परिवर्तन सुझाने के लिए में श्री “अशोक मेहता” की अध्यक्षता में 13 सदस्यों की कमिटी गठित की गई। समिति ने पंचायती राज संस्थाओं में आई गिरावट के लिए कई कारणों को जिम्मेदार बताया। इसमें प्रमुख था कि पंचायती राज संस्थाओं को ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों से बिल्कुल अलग रखा गया है। अशोक मेहता समिति ने महसूस किया कि पंचायती राज संस्थाओं की अपनी कमियां स्थानीय स्वशासन को मजबूती नहीं प्रदान कर पा रही हैं। इस समिति द्वारा पंचायतों को सुदृढ़ बनाने के लिए निम्न सुझाव दिये गये-

1. समिति ने दो स्तरों वाले ढाँचे- जिला परिषद को मजबूत बनाने और ग्राम पंचायत की जगह मण्डल पंचायत की सिफारिश की। अर्थात् पंचायती राज संस्थाओं के दो स्तर हों, जिला परिषद व मंडल परिषद।
2. जिले को तथा जिला परिषद को समस्त विकास कार्यों का केन्द्र बनाया जाए। जिला परिषद ही आर्थिक नियोजन करें और जिले में विकास कार्यों में सामन्जस्य स्थापित करें और मंडल पंचायतों को निर्देशन दें।
3. पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन में जिला परिषद को मुख्य स्तर बनाने और राजनैतिक दलों की सक्रिय भागीदारी पर बल दिया।
4. पंचायतों के सदस्यों के नियमित चुनाव की सिफारिश की। राज्य सरकारों को पंचायती चुनाव स्थगित न करने व चुनावों का संचालन मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा किये जाने का सुझाव दिया।
5. कमिटी ने यह सुझाव भी दिया कि पंचायती राज संस्थाओं को मजबूती प्रदान करने के लिये संवैधानिक प्रावधान बहुत ही आवश्यक है।
6. पंचायती राज संस्थाएं समिति प्रणाली के आधार पर अपने कार्यों का सम्पादन करें।
7. राज्य सरकारों को पंचायती राज संस्थाओं के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए।
8. देश के कई राज्यों ने इन सिफारिशों को नहीं माना, अतः तीन स्तरों वाले ढाँचे को ही लागू रखा गया।

इस प्रकार अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था में सुधार लाने के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण सिफारिशें की, किन्तु ग्राम पंचायतों को समाप्त करने की उनकी सिफारिश पर विवाद पैदा हो गया। ग्राम पंचायतों की समाप्ति का मतलब था, ग्राम विकास की मूल भावना को ही समाप्त कर

देना। समिति के सदस्य सिद्धराज ढंडा ने इस विषय पर लिखा कि “मुझे जिला परिषदों और मंडल पंचायतों से कोई आपत्ति नहीं है किन्तु समिति ने ग्राम सभा की कोई चर्चा नहीं की, जबकि पंचायती राज संस्थाओं की आधारभूत इकाई तो ग्राम सभा को ही बनाया जा सकता था।”

11.3.4 जी.वी.के. समिति

पंचायतों के सुदृढीकरण की प्रक्रिया में सन 1985 में जी.वी.के. राव समिति गठित की गई। समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को अधिक अधिकार देकर उन्हें सक्रिय बनाने पर बल दिया। साथ ही यह सुझाव भी दिया कि योजना निर्माण व संचालित करने के लिये जिला मुख्य इकाई होना चाहिये। समिति ने पंचायतों के नियमित चुनाव की भी सिफारिश की।

11.3.5 डा. एल. एम. सिंघवी समिति

1986 में डा. एल.एम. सिंघवी समिति का गठन किया गया। सिंघवी समिति ने ‘गांव पंचायत’ (ग्राम-सभा) की सिफारिश करते हुये संविधान में ही नया अध्याय जोड़ने की बात कही जिससे पंचायतों की अवहेलना ना हो सके। इन्होंने ने गांव के समूह बना कर न्याय पंचायतों के गठन की भी सिफारिश की।

11.3.6 सरकारिया आयोग और पी0 के0 थुंगर समिति

1988 में सरकारिया आयोग बैठाया गया जो मुख्य रूप से केन्द्र व राज्यों के संबंधों से जुड़ा था। इस आयोग ने भी नियमित चुनावों और ग्राम पंचायतों को वित्तीय व प्रशासनिक शक्तियां देने की सिफारिश की। 1988 के अंत में ही पी0 के0 थुंगर की अध्यक्षता में संसदीय परामर्श समिति की उपसमिति गठित की गयी। इस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की।

भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी की सरकार ने गांवों में पंचायतों के विकास की ओर अत्यधिक प्रयास करने शुरू किये। श्री राजीव गांधी का विचार था कि जब तक गांव के लोगों को विकास प्रक्रिया में भागीदार नहीं बनाया जाता, तब तक ग्रामीण विकास का लाभ ग्रामीण जनता को नहीं मिल सकता। पंचायती राज के द्वारा वे गांव वालों के, खासकर अनुसूचित जाति, जनजाति तथा महिलाओं की सामाजिक व आर्थिक स्थिति में बदलाव लाना चाहते थे। उन्होंने इस दिशा में कारगर कदम उठाते हुये 64वां संविधान विधेयक संसद में प्रस्तुत किया। लोकसभा ने 10 अगस्त 1988 को इस विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी। मगर राज्य सभा में सिर्फ पांच मतों की कमी रह जाने से यह पारित न हो सका। फिर 1991 में तत्कालीन सरकार ने 73वां संविधान संशोधन विधेयक को संसद में पेश किया। लोक सभा ने 2 दिसम्बर 1992 को इसे सर्व सम्मति से पारित कर दिया। राज्य सभा ने अगले ही दिन इसे अपनी मंजूरी दे दी। उस समय 20 राज्यों की विधान सभाएं कार्यरत थीं। 20 राज्यों की विधान सभाओं में से 17 राज्यों की विधान सभाओं ने संविधान संशोधन विधेयक को

पारित कर दिया। 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने भी इस विधेयक को मंजूरी दे दी। तत्पश्चात 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल से लागू हो गया।

11.4 73वें संविधान संशोधन की सोच

पंचायतों को मजबूत, अधिकार सम्पन्न व स्थानीय स्वशासन की इकाई के रूप में स्थापित करने हेतु संविधान में 73वां संशोधन अधिनियम एक क्रान्तिकारी कदम है। 73वें संविधान संशोधन के पीछे निम्न सोच है-

1. निर्णय को विकेन्द्रीकृत करना तथा स्थानीय स्तर पर संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू करना।
2. स्थानीय स्तर पर पंचायत के माध्यम से निर्णय प्रक्रिया, विकास कार्यो व शासन में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना।
3. ग्राम विकास प्रक्रिया के नियोजन, क्रियान्वयन तथा निगरानी में गांव के लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करना व उन्हें अपनी जिम्मेदारी का अहसास कराना।
4. लम्बे समय से हासिये पर रहने वाले तबकों जैसे महिला, दलित एवं पिछड़ों को ग्राम विकास व निर्णय प्रक्रिया में शामिल करके उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ना।
5. स्थानीय स्तर पर लोगों की सहभागिता बढ़ाना व लोगों को अधिकार देना।

11.4.1 73वां संविधान अधिनियम

स्वतन्त्रता पश्चात देश को सुचारू रूप से चलाने के लिये हमारे नीति निर्माताओं द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। इस संविधान में नियमों के अनुरूप व एक नियत प्रक्रिया के अधीन जब भी कुछ परिवर्तन किया जाता है या उसमें कुछ नया जोड़ा जाता है अथवा हटाया जाता है तो यह संविधान संशोधन अधिनियम कहलाता है। भारत में सदियों से चली आ रही पंचायत व्यवस्था जो कई कारणों से काफी समय से मृतप्रायः हो रही थी, को पुर्नजीवित करने के लिये संविधान में संशोधन किये गये। ये संशोधन तिहत्तरवां व चौहत्तरवां संशोधन अधिनियम कहलाये। तिहत्तरवें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई। इसी प्रकार चौहत्तरवें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के नगरीय क्षेत्रों में नगरीय स्वशासन की स्थापना की गई। इन अधिनियमों के अनुसार भारत के प्रत्येक राज्य में नयी पंचायती राज व्यवस्था को आवश्यक रूप से लागू करने के नियम बनाये गये। इस नये पंचायत राज अधिनियम से त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने व स्थानीय स्तर पर उसे मजबूत बनाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। इस अधिनियम में जहां स्थानीय स्वशासन को प्रमुखता दी गई है व सक्रिय किये जाने के निर्देश हैं, वहीं दूसरी ओर सरकारों को विकेन्द्रीकरण हेतु बाध्य करने के साथ-साथ वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये वित्त आयोग का भी प्रावधान किया गया है।

73वां संविधान संशोधन अधिनियम अर्थात् “नया पंचायती राज अधिनियम” प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र को जनता तक पहुँचाने का एक उपकरण है। गांधी जी के स्वराज के स्वप्न को साकार करने की पहल है। पंचायती राज स्थानीय जनता का, जनता के लिये, जनता के द्वारा शासन है।

73वें संविधान संशोधन अधिनियम की मुख्य बातें

लोकतंत्र को मजबूत करने के लिये नई पंचायत राज व्यवस्था एक प्रशंसनीय पहल है। गांधी जी का कहना था कि “देश में सच्चा लोकतंत्र तभी स्थापित होगा जब भारत के लाखों गांवों को अपनी व्यवस्था स्वयं चलाने का अधिकार प्राप्त होगा। गांव के लिये नियोजन, प्राथमिकता चयन लोग स्वयं करेंगे। ग्रामीण अपने गांव विकास सम्बन्धी सभी निर्णय स्वयं लेंगे। ग्रामविकास कार्यक्रम पूर्णतया लोगों के होंगे और सरकार उनमें अपनी भागीदारी देगी।” गांधी जी के इस कथन को महत्व देते हुये तथा उनके ग्राम-स्वराज के स्वप्न को साकार करने के लिये भारतीय सरकार ने पंचायतों को बहुत से अधिकार दिये हैं। तिहत्तरवें संविधान अधिनियम में निम्न बातों को शामिल किया गया है -

1. 73वें संविधान संशोधन के अन्तर्गत पंचायतों को पहली बार संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। अर्थात् पंचायती राज संस्थाएं अब संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाएं हैं।
2. नये पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम सभा को संवैधानिक स्तर पर मान्यता मिली है। साथ ही इसे पंचायत व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना दिया गया है।
3. यह तीन स्तरों - ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत पर चलने वाली व्यवस्था है।
4. एक से ज्यादा गांवों के समूहों से बनी ग्राम पंचायत का नाम सबसे अधिक आबादी वाले गांव के नाम पर होगा।
5. इस अधिनियम के अनुसार महिलाओं के लिये त्रिस्तरीय पंचायतों में एक तिहाई सीटों पर आरक्षण दिया गया है।
6. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये भी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया गया है। आरक्षित वर्ग के अलावा सामान्य सीट से भी ये लोग चुनाव लड़ सकते हैं।
7. पंचायतों का कार्यकाल पांच वर्ष तय किया गया है तथा कार्यकाल पूरा होने से पहले चुनाव कराया जाना अनिवार्य किया गया है।
8. पंचायत 6 माह से अधिक समय के लिये भंग नहीं रहेगी तथा कोई भी पद 6 माह से अधिक खाली नहीं रहेगा।
9. इस संशोधन के अन्तर्गत पंचायतें अपने क्षेत्र के अर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण की योजनायें स्वयं बनायेंगी और उन्हें लागू करेंगी। सरकारी कार्यों की निगरानी अथवा सत्यापन करने का भी अधिकार उन्हें दिया गया है।

10.73वें संशोधन के अन्तर्गत पंचायतों को ग्राम सभा के सहयोग से विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत लाभार्थी के चयन का भी अधिकार दिया गया है।

11. हर राज्य में वित्त आयोग का गठन होता है। यह आयोग हर पांच साल बाद पंचायतों के लिये सुनिश्चित आर्थिक सिद्धान्तों के आधार पर वित्त का निर्धारण करेगा।

12. उक्त संशोधन के अन्तर्गत ग्राम प्रधानों का चयन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा तथा क्षेत्र पंचायत प्रमुख व जिला पंचायत अध्यक्षों का चयन निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाना तय है।

13. पंचायत में जबाबदेही सुनिश्चित करने के लिये छः समितियों (नियोजन एवं विकास समिति, शिक्षा समिति तथा निर्माण कार्य समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, प्रशासनिक समिति, जल प्रबन्धन समिति) की स्थापना की गयी है। इन्हीं समितियों के माध्यम से कार्यक्रम नियोजन एवं क्रियान्वयन किया जायेगा।

14. हर राज्य में एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है। यह आयोग निर्वाचन प्रक्रिया, निर्वाचन कार्य, उसका निरीक्षण तथा उस पर नियन्त्रण भी रखेगा।

अतः संविधान के 73वें संशोधन ने नयी पंचायत व्यवस्था के अन्तर्गत न केवल पंचायतों को केन्द्र एवं राज्य सरकार के समान एक संवैधानिक दर्जा दिया है अपितु समाज के कमजोर व शोषित वर्ग को विकास की मुख्य धारा से जुड़ने का भी अवसर दिया है।

20.4.2 73वें संविधान संशोधन की मुख्य विशेषताएं

73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है, जिसमें पंचायतों से संबंधित व्यवस्था का पूर्ण विधान किया गया है। इसकी निम्न लिखित विशेषताएं हैं---

- 1- संविधान में “ग्राम सभा” को पंचायतीराज की आधारभूत इकाई के रूप में स्थान मिला है।
- 2- पंचायतों की त्रिस्तरीय व्यवस्था की गयी है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, क्षेत्र स्तर पर (ब्लाक स्तर) क्षेत्र पंचायत व जिला स्तर पर जिला पंचायत की व्यवस्था की गयी है।
- 3- प्रत्येक स्तर पर पंचायत के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा की जाने की व्यवस्था है। लेकिन क्षेत्र व जिला स्तर पर अध्यक्षों के चुनाव चुने हुए सदस्यों में से, सदस्यों द्वारा किये जाने की व्यवस्था है।
- 4- 73वें संविधान संशोधन में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या में उसके प्रतिशत के अनुपात से सीटों के आरक्षण की व्यवस्था है। महिलाओं के लिए कुल सीटों का एक तिहाई भाग प्रत्येक स्तर पर आरक्षित किया गया है। अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में ही आरक्षण की व्यवस्था है। प्रत्येक स्तर पर अध्यक्षों के कुल पदों का एक-तिहाई भाग महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है।
- 5- अधिनियम में पंचायतों का कार्यकाल (पाँच वर्ष) निश्चित किया गया है। यदि कार्यकाल से पहले ही पंचायत भंग हो जाय तो 6 माह के भीतर चुनाव कराने की व्यवस्था है।

6- अधिनियम के द्वारा पंचायतों से संबंधित सभी चुनावों के संचालन के लिए राज्य चुनाव आयोग को उत्तरदायी बनाया गया है।

7- अधिनियम के द्वारा प्रत्येक राज्य में राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है, ताकि पंचायतों के पास पर्याप्त साधन उपलब्ध हो। जिससे विभिन्न विकास कार्य किये जा सकें।

11.5 स्थानीय स्वशासन व पंचायतें

स्थानीय स्वशासन को स्थापित करने में पंचायतों की अहम भूमिका है। पंचायतें हमारी संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त संस्थायें हैं और प्रशासन से भी उनका सीधा जुड़ाव है। भारत में प्राचीन काल से ही स्थानीय स्तर पर शासन का संचालन पंचायत ही करती आयी हैं। स्थानीय स्तर पर स्वशासन के स्वप्न को साकार करने का माध्यम पंचायतें ही हैं। चूंकि पंचायतें स्थानीय लोगों के द्वारा गठित होती हैं, और इन्हें संवैधानिक मान्यता भी प्राप्त है, अतः पंचायतें स्थानीय स्वशासन को स्थापित करने का एक अच्छा तरीका है। ये संवैधानिक संस्थाएं ही आर्थिक विकास व सामाजिक न्याय की योजनाएं ग्रामसभा के साथ मिलकर बनायेंगी व उसे लागू करेंगी। गांव के लिये कौन सी योजना बननी है, कैसे क्रियान्वित करनी है, क्रियान्वयन के दौरान कौन निगरानी करेगा, ये सभी कार्य पंचायतें गांव के लोगों (ग्रामसभा सदस्यों) की सक्रिय भागीदारी से करेंगी। इससे निर्णय स्तर पर आम जनसमुदाय की भागीदारी सुनिश्चित होगी।

स्थानीय स्वशासन तभी मजबूत हो सकता है जब पंचायतें मजबूत होंगी और पंचायतें तभी मजबूत होंगी जब लोग मिलजुलकर इसके कार्यों में अपनी भागीदारी देंगे और अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे। लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिये पंचायतों के कार्यों में पारदर्शिता होना जरूरी है। पहले भी लोग स्वयं अपने संसाधनों का, अपने ग्राम विकास का प्रबन्धन करते थे। इसमें कोई शक नहीं कि वह प्रबन्धन आज से कहीं बेहतर भी होता था। हमारी परम्परागत रूप से चली आ रही स्थानीय स्वशासन की सोच बीते समय के साथ कमजोर हुई है। नई पंचायत व्यवस्था के माध्यम से इस परम्परा को पुनः जीवित होने का मौका मिला है। अतः ग्रामीणों को चाहिये कि पंचायत और स्थानीय स्वशासन की मूल अवधारणा को समझने की चेष्टा करें ताकि ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक बन सकें।

गांवों का विकास तभी सम्भव है जब सम्पूर्ण ग्रामवासियों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जायेगा। जब तक गांव के सामाजिक तथा आर्थिक विकास के निर्णयों में गांव के पहले तथा अन्तिम व्यक्ति की बराबर की भागीदारी नहीं होगी तब तक हम ग्राम स्वराज की कल्पना नहीं कर सकते हैं। जनसामान्य की अपनी सरकार तभी मजबूत बनेगी जब लोग ग्रामसभा और ग्रामपंचायत में अपनी भागीदारी के महत्व को समझेंगे।

अभ्यास प्रश्न-2

1. बलवंत राय समिति का गठन किया गया।

- क .1952 ख .1955 ग .1957 घ .1960
2. पंचायतों के विकास के लिए गठित किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात - कही।
 3. राजस्थान वह पहला राज्य है जहां पंचायती राज की स्थापना की गयी। सत्यअसत्य/
 4.ने 2 अक्टूबर को राजस्थान के जिले में
ज का शुभारम्भ किया।पंचायती रा
 5. किस समिति ने पंचायतों की दो स्तरीय व्यवस्था की सिफारिश की थी?
 6. जी राव समिति कब गठित .के.वी.की गई?
क .1985 ख .1988 ग .1990 घइनमें से कोई नहीं .
 7. किस समिति ने गांव के समूह बना कर न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी?
कपी .राव समिति ग .के.वी.जी .बलवंत राय समिति ख .0 के0 थुंगर घसिंघवी .एम .एल .डा .
समिति

11.6 सारांश

वैदिक काल से चली आ रही पंचायत व्यवस्था देश में लगभग मृतप्राय हो चुकी थी, जिसे गांधी जी, बलवन्त राय मेहता समिति, अशोक मेहता रिपोर्ट, जी. के. राव. समिति, एल.एम.सिंघवी रिपोर्ट के प्रयासों ने नवजीवन दिया। जिसके फलस्वरूप 73वां संविधान संशोधन विधेयक संयुक्त संसदीय समिति की जांच के बाद पारित हुआ। 73वें संविधान संशोधन से गांधी जी के ग्राम स्वराज के स्वप्न को एक नई दिशा मिली है। गांधी जी हमेशा से गांव की आत्मनिर्भरता पर जोर देते रहे। गांव के लोग अपने संसाधनों पर निर्भर रह कर स्वयं अपना विकास करें, यही ग्राम स्वराज की सोच थी। 73वें संविधान संशोधन के पीछे मूलधारणा भी यही थी कि स्थानीय स्तर पर विकास की प्रक्रिया में जनसमुदाय की निर्णय स्तर पर भागीदारी हो। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम वास्तव में एक मील का पत्थर है जिसके द्वारा आम जन को सुशासन में भागीदारी करने का सुनहरा मौका प्राप्त हुआ है।

11.7 शब्दावली

सुदृढ़िकरण- सुधार और मजबूत करने की प्रक्रिया

प्रबलतम- मजबूत

स्वावलम्बन- आत्मनिर्भरता

नगण्य- नहीं के बराबर (अनुपस्थित)

हस्तांतरण- एक स्थान से दुसरे स्थान

त्रिस्तरीय - तीन स्तर पर (गाम पंचायत, क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत)

11.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

अभ्यास प्रश्न-1

1. मांटेस्क्यू चेम्सफोर्स सुधार
2. 73वां संविधान संशोधन
3. ख

अभ्यास प्रश्न-2

1. ग
2. बलवंत राय मेहता समिति
3. सत्य
4. पंडित जवाहर लाल नेहरू, नागौर जिला

5. अशोक मेहता समिति
6. क
7. घ

11.9 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. 73वां संविधान संशोधन अधिनियम
2. पंचायत सन्दर्भ सामाग्री, हिमालयन एक्शन रिसर्च सेन्टर

11.10 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

1. भारत में पंचायती राज- के. के. शर्मा
2. रोल ऑफ पंचायत इन वैलफेयर स्टेट- अब्राहम मैथ्यू
3. भारत में स्थानीय शासन- एस0 आर0 माहेश्वरी
4. पंचायती राज में प्रमाण पत्र- डॉ0 घनश्याम जोशी एवं डॉ0 छाया कुंवर(उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी नैनीताल)
5. भारतीय प्रशासन- अवस्थी एवं अवस्थी

11.11 निबन्धात्मक प्रश्न

1. 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है, इस अधिनियम में मौजूद मुख्य बातों को स्पष्ट करें?
2. 73वें संविधान संशोधन की मुख्य बातों की विस्तार से चर्चा कीजिए

इकाई 112 नगरीय स्थानीय सरकार चौहतरवा (74वाँ) संवैधानिक संशोधन

इकाई की रूपरेखा

- 12.1 प्रस्तावना
- 12.2 उद्देश्य
- 12.3 चौहतरवें (74वें) संविधान संशोधन का उद्देश्य
 - 12.3.1 संविधान संशोधन की आवश्यकता
 - 12.3.2 चौहतरवें (74वें) संविधान संशोधन के पीछे सोच
 - 12.3.3 नगर निकायों का गठन एवं संरचना
 - 12.3.4 नगर निकायों का कार्यकाल
 - 12.3.5 नगर पालिका की बैठकें व उनकी कार्यवाहियाँ
 - 12.3.6 नगरीय निकायों में वित्तीय प्रबंधन
 - 12.3.7 नगर निकायों में बजट की आवश्यकता व महत्ता
 - 12.3.8 नगरीय निकायों में लगाये जाने वाले कर
 - 12.3.9 मूल्यांकन, छूट एवं वसूली
 - 12.3.10 नगर-निकायों में वार्ड कमेटियाँ
 - 12.3.11 नगर-निकायों से संबंधित विषय
 - 12.3.12 नगर-निकायों के कार्य एवं शक्तियाँ
- 12.4 सांराश
- 12.5 शब्दावली
- 12.6 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 12.7 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
- 12.8 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री
- 12.9 निबन्धात्मक प्रश्न

12.1 प्रस्तावना

सत्ता विकेन्द्रीकरण की दिशा में संविधान का 73वां और 74वां संविधान संशोधन एक महत्वपूर्ण और निर्णायक कदम हैं। 74वां संविधान संशोधन नगर निकायों में सत्ता विकेन्द्रीकरण का एक मजबूत आधार है। अतः इस अध्याय का उद्देश्य 74वें संविधान संशोधन की आवश्यकता और 74वें संविधान संशोधन में मौजूद उपबंधों और नियमों को स्पष्ट करना है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है। इस लोक तंत्र का सबसे रोचक महत्वपूर्ण पक्ष है सत्ता व शक्तियों का विकेन्द्रीकरण। अर्थात् केन्द्र स्तर से लेकर स्थानीय स्तर पर गांव इकाई तक सत्ता व शक्ति का बंटवारा ही विकेन्द्रीकरण कहलाता है। विकेन्द्रीकरण की व्यवस्था किसी न किसी रूप में प्राचीन काल से ही भारत में विद्यमान थी। राजा/महाराजाओं के समय भी सभा, परिषद, समितियां सूबे आदि के माध्यम से शासन चलाया जाता था। लोगों को उनकी जरूरतें पूरी करने के लिए निर्णयों में हमेशा महत्वपूर्ण सहभागी माना जाता था। लेकिन जैसे-जैसे समय व्यतीत होता गया, लोगों को शासन व लोक विकास में भागीदारी से अलग कर दिया गया तथा उनके अपने हित व विकास के लिए बनाई जाने वाले कार्यक्रम व नीतियों पर केन्द्र सरकार या राज्य सरकार का नियंत्रण होता गया।

परन्तु यह प्रक्रिया जनता की जरूरतों को पूरी नहीं कर पाती थी, विकास गतिविधियों को चलाने में लोगों की सहभागिता को प्रोत्साहित नहीं करती थी एवं लोगों को भी यह नहीं लगता था कि लागू की जा रही योजना अथवा कार्यक्रम उनका अपना है। इसलिए यह महसूस किया गया कि लोगों को कार्य योजनायें स्वयं बनानी चाहिए, क्योंकि उन्हें अपनी आवश्यकताओं का पता होता है कि किस प्रकार वे अपने जीवन स्तर में सुधार ला सकते हैं एवं वे अपने विकास में सहभागी बन सकते हैं। अतः यह महसूस किया गया कि लोगों के लिए योजना बनाने की प्रक्रिया अनिवार्य रूप से नीचे से उपर की ओर होनी चाहिये क्योंकि लोगों को अपनी जरूरतों की पहचान होती है जिससे वे योजनाओं के वरीयता क्रमों को निर्धारित करते हुए योजना बना सकते हैं। कार्यक्रम क्रियान्वित करने वाले कार्मिक जनता/समुदाय की योजनाओं को समेकित कर सकते हैं। शासन के सबसे छोटे स्तर से लोगों की सहभागिता व शासन में सीधी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए संविधान का 73वां व 74वां संविधान संशोधन एक प्रमुख कदम है।

12.2 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के उपरान्त आप-

1. चौहत्तरवें संविधान संशोधन के अर्न्तगत नगर निकायों के विषय में दी गयी धाराओं के विषय में जान पायेंगे।
2. नगर निकायों के वित्तीय प्रबन्ध, गठन, कार्यकाल, उसकी बैठक और कार्यवाहियों को स्पष्ट करना।
3. नगर निकायों से संबंधित विषय, उनके कार्य एवं शक्तियों के विषय में जान पायेंगे।

12.3 चौहतरवें (74वें) संविधान संशोधन का उद्देश्य

1. देश में नगर संस्थाओं जैसे नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद तथा नगर पंचायतों के अधिकारों में एकरूपता रहे।
2. नागरिक कार्यकलापों में जन प्रतिनिधियों का पूर्ण योगदान तथा राजनैतिक प्रक्रिया में निर्णय लेने का अधिकार रहे।
3. नियमित समयान्तराल में प्रादेशिक निर्वाचन आयोग के अधीन चुनाव हो सके व कोई भी निर्वाचित नगर प्रशासन छः माह से अधिक समयावधि तक भंग न रहे, जिससे कि विकास में जन प्रतिनिधियों का नीति निर्माण, नियोजन तथा क्रियान्वयन में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके।
4. समाज की कमजोर वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिये (संविधान संशोधन अधिनियम में प्राविधानित/निर्दिष्ट) प्रतिशतता के आधार पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति व महिलाओं को तथा राज्य (प्रादेशिक) विधान मण्डल के प्राविधानों के अन्तर्गत पिछड़े वर्गों को नगर प्रशासन में आरक्षण मिलें।
5. प्रत्येक प्रदेश में स्थानीय नगर निकायों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये एक राज्य (प्रादेशिक) वित्त आयोग का गठन हो जो राज्य सरकार व स्थानीय नगर निकायों के बीच वित्त हस्तान्तरण के सिद्धान्तों को परिभाषित करें। जिससे कि स्थानीय निकायों का वित्तीय आधार मजबूत बने।
6. सभी स्तरों पर पूर्ण पारदर्शिता रहे।

12.3.1 संविधान संशोधन की आवश्यकता

पूर्व की नगरीय स्थानीय स्वशासन व्यवस्था लोकतन्त्र की मंशा के अनुरूप नहीं थी। सबसे पहली कमी इसमें यह थी कि इसका वित्तीय आधार कमजोर था। वित्तीय संसाधनों की कमी होने के कारण नगर निकायों के कार्य संचालन पर राज्य सरकार का ज्यादा से ज्यादा नियंत्रण था। जिसके कारण धीरे-धीरे नगर निकायों के द्वारा किये जाने वाले अपेक्षित कार्यों/या उन्हें सौंपे गये कार्यों में कमी होनी लगी। नगर निकायों के प्रतिनिधियों की बरखास्ती या नगर निकायों का कार्यकाल समाप्त होने पर भी समय पर चुनाव नहीं हो रहे थे। इन निकायों में कमजोर व उपेक्षित वर्गों (महिला, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति) का प्रतिनिधित्व न के बराबर था। अतः इन कमियों को देखते हुए संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम में स्थानीय नगर निकायों की संरचना, गठन, शक्तियों, और कार्यों में अनेक परिवर्तन का प्राविधान किया गया।

12.3.2 चौहतरवें (74वें) संविधान संशोधन के पीछे सोच

1. संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम द्वारा नगर-प्रशासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है।

2. इस संशोधन के अन्तर्गत नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद एवं नगर पंचायतों के अधिकारों में एक रूपता प्रदान की गई है

3. नगर विकास व नागरिक कार्यकलापों में आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया तक नगर व शहरों में रहने वाली आम जनता की पहुंच बढ़ाई गई है।

4. समाज कमजोर वर्गों जैसे महिलाओं अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़े वर्गों का प्रतिशतता के आधार पर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर उन्हें भी विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया गया है।

5. 74वें संशोधन के माध्यम से नगरों व कस्बों में स्थानीय स्वशासन को मजबूत बनाने के प्रयास किये गये हैं।

6. इस संविधान की मुख्य भावना लोकतांत्रिक प्रक्रिया की सुरक्षा, निर्णय में अधिक पारदर्शिता व लोगों की आवाज पहुंचाना सुनिश्चित करना है।

12.3.3 नगर निकायों का गठन एवं संरचना

1. अधिक आबादी वाले/महानगरीय क्षेत्रों में - नगर निगम का गठन होगा (एक लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले नगर)

2. छोटे नगरीय क्षेत्रों में- नगरपालिका परिषद का गठन होगा (50 हजार से एक लाख तक जनसंख्या वाले नगर)

3. संक्रमणशील क्षेत्रों में, नगर पंचायत का गठन होगा। (50 हजार तक जनसंख्या वाले नगर)

नगर निगम, नगर पालिका परिषद व नगर पंचायत स्तर पर जनता द्वारा एक अध्यक्ष निर्वाचित किया जायेगा

नगरीय क्षेत्र के प्रत्येक वार्ड से प्रत्यक्ष रूप से सदस्य निर्वाचित किये जायेंगे जिनकी संख्या वार्डों की संख्या के आधार पर राज्य सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार होगी।

पदेन सदस्य के रूप में नगर निकायों में लोकसभा एवं राज्य विधान सभा के ऐसे सदस्य शामिल किये जायेंगे, जो नगरीय निकाय क्षेत्र (पूर्णतः या भागतः) के निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

पदेन सदस्य के रूप में राज्य सभा व राज्य विधान परिषद के ऐसे सदस्य जो नगरीय निकाय क्षेत्र के अन्दर निर्वाचकों के रूप में पंजीकृत हैं।

नगरपालिका प्रशासन में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले निर्दिष्ट/नामित सदस्य स्थानीय निकायों में शामिल किये जायेंगे।

संविधान के अनुच्छेद 243-एस. के प्रस्तर (5) के अधीन स्थापित समितियों के अध्यक्ष यदि कोई हो।

12.3.4 नगर निकायों का कार्यकाल

नगर निगम, नगर पालिका, एवं नगर पंचायतों का कार्यकाल पहली बैठक के दिन से पांच वर्ष तक रहेगा। अगर किसी कारणवश 74वें संविधान संशोधन के नियमों के अनुरूप नगर निकाय अपनी जिम्मेदारियों व उत्तरदायित्वों को पूरा नहीं करते या उनमें अनियमितता पायी जाती है तो पांच वर्ष पूर्व भी राज्य सरकार इन्हें भंग या बर्खास्त कर सकती है। बर्खास्त/भंग करने के 6 माह के अन्दर अनिवार्य रूप से चुनाव करवाकर नया बोर्ड गठित किया जाना आवश्यक है। नगर निकायों को भंग करने से पूर्व सुनवाई का एक न्यायोचित अवसर दिया जायेगा।

12.3.5 नगर पालिका की बैठकें व उनकी कार्यवाहियाँ

कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा निश्चित दिन तथा नियत समय पर एक माह में कम से कम एक बैठक आयोजित की जाएगी। अध्यक्ष के निर्देश पर अन्य बैठकें भी कार्यपालक अधिकारी द्वारा बुलायी जा सकती हैं। यदि नगर निकाय के पास कार्यपालक पदाधिकारी नहीं है तो अध्यक्ष बैठक आयोजित करेगा। आवश्यकता पड़ने पर किसी भी दिन या समय पर नोटिस देने के बाद अध्यक्ष द्वारा आपातकालीन बैठक बुलायी जा सकती है। आपातकालीन बैठकों के अतिरिक्त अन्य बैठकों हेतु नोटिस को कम से कम 3 दिन पूर्व सभी सदस्यों को भेजा जाना अनिवार्य होगा। नोटिस की अवधि 3 दिन से अधिक भी हो सकती है। आपातकालीन बैठकों के मामले में यह अवधि कम से कम 24 घंटे की होनी चाहिए। बैठक हेतु प्रत्येक सूचना में बैठक की तिथि, समय तथा स्थान का उल्लेख आवश्यक है। बैठक की गणपूर्ति कुल सदस्यों के एक तिहाई सदस्यों की उपस्थिति मानी जायेगी। गणपूर्ति के अभाव में बैठक स्थगित कर दी जायेगी तथा तय की गई तिथि को बैठक आयोजित की जाएगी। जिसकी सूचना आयोजन के कम से कम तीन दिन पूर्व दी जाएगी। बैठक की कार्यवाही को कार्यवाही पुस्तिका में अंकित किया जाएगा जिस पर अध्यक्ष का हस्ताक्षर होगा कार्यवाही की प्रतियों को राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा निर्देशित अधिकारी को तुरन्त भेज दी जाएगी। पारिस्थितियों की अनुकूलता के आधार पर अधिशासी अधिकारी अथवा सचिव द्वारा बैठक से पूर्व सभी सदस्यों को बैठक से सम्बन्धित अभिलेख, पत्राचार जो उस बैठक में विचार किये जायेंगे, दिखाये जायेंगे जब तक कि अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष द्वारा अन्यथा निर्देशित किया गया हो।

अभ्यास प्रश्न-1

1. संविधान का 74वां संविधान संशोधन.....से संबंधित है।
2. एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में नगर निगम गठित होंगे। सही/गलत
3. पचास हजार से एक लाख तक की जनसंख्या वाले क्षेत्रों में गठित होंगे।
क. नगर निगम ख. नगर पालिकाएं ग. नगर पंचायतें घ. इनमें से कोई नहीं
4. पचास हजार तक की जनसंख्या वाले क्षेत्रों में नगर पंचायतों का गठन होगा। सही/गलत

5. नगर निकायों का कार्यकाल होता है।

क. 4 साल ख. 5 साल ग. 8 साल घ. 10 साल

12.3.6 नगरीय निकायों में वित्तीय प्रबंधन

74वें संविधान संशोधन के उपरान्त अब नगर निकायों के आय के निम्नलिखित स्रोत हैं।

1. राज्य वित्त आयोग के द्वारा निर्धारित धनराशि।

2. नगर निकायों द्वारा वसूले गये करों से प्राप्त धनराशि।

3. राष्ट्रीय वित्त आयोग के द्वारा निर्धारित धनराशि।

राज्य सरकार द्वारा नगरीय निकायों में समय-समय पर अनुदान देने की प्रथा को समाप्त कर राज्य सरकार द्वारा प्राप्त कुल करों में नगरीय स्थानीय निकायों के अंश का निर्धारण किया गया।

स्थानीय निकायों को दी जाने वाली राशि के वितरण का आधार 80 प्रतिशत जनसंख्या एवं 20 प्रतिशत क्षेत्र के आधार पर निर्धारित किया गया है।

इसके अतिरिक्त प्रत्येक केन्द्रीय वित्त आयोग प्रतिवर्ष शहरी स्थानीय निकायों के लिए धन आवंटित करता है।

आयोग के निर्देशानुसार केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा दी गई राशि का उपयोग वेतन, मजदूरी में नहीं किया जाएगा बल्कि यह सामान्य सुविधाएं जैसे जल निकासी, कूड़ा निकासी, शौचालयों की सफाई, मार्ग-प्रकाश इत्यादि में ही इसका उपयोग किया जाएगा।

74वें संविधान संशोधन अधिनियम में 12वीं अनुसूची के अन्तर्गत जो 18 कार्य/दायित्व शहरी स्थानीय निकायों को दिये गये हैं राज्य सरकार को उन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नगर निकायों आवश्यक राशि दी जायेगी।

नगरपालिका के आय का एक मुख्य स्रोत इसके द्वारा लगाये गये विभिन्न कर एवं शुल्क भी हैं।

12.3.7 नगर निकायों में बजट की आवश्यकता व महत्ता

वित्तीय प्रबंधन के लिए आय-व्ययक अनुमान/आगणन अर्थात् बजट तैयार करना अत्यन्त आवश्यक है। बजट आय तथा व्यय का एक अनुमान है जो कि अपने संसाधनों के उपयोग के लिए एक प्रकार से मार्ग दर्शक, नीतियों के निर्धारण, व्यय संबंधी निर्णय लेने के लिए मार्ग दर्शक, वित्तीय नियोजन का एक यंत्र तथा संप्रेषण का एक माध्यम है। बजट वित्तीय प्रबंधक का एक महत्वपूर्ण अवयव है, इसे मात्र औपचारिकता के रूप में नहीं लेना चाहिए।

नगर निकायों में बजट एक विधिक आवश्यकता है, क्योंकि जब तक वित्तीय वर्ष का बजट बोर्ड द्वारा पारित नहीं किया जाता है, तब तक कोई खर्चा नहीं किया जा सकता है। बजट तैयार कर लेने से लक्ष्यों व उद्देश्यों के निर्धारण तथा नीतिगत निर्णय लेने में सहायता मिलती है। बजट के द्वारा वास्तविकता आधारित कार्य नियोजन आसानी से किया जा सकता है अर्थात् योजनाओं व कार्यक्रम की प्राथमिकतायें निर्धारित करने में सहायता मिलती है। इससे कार्य कलापों पर वित्तीय नियन्त्रण रखा जा सकता है और धन का अपव्यय भी रोका जा सकता है। अगर नगर निकाय आय-व्यय का

विधिवत व उचित दस्तावेजीकरण करते हैं व उसको आधार मानकर अपना बजट बनाते हैं तो अंशदान, अनुदान, सहायता प्राप्त करने में सहायता मिलती है।

बजट आवश्यकता आधारित होना चाहिए व इस हेतु “जीरो बेस बजटिंग” (शून्य आधारित बजट) प्रक्रिया को अपनाना चाहिए न कि पिछले आय व्ययक अनुमान पर कुछ प्रतिशत बढ़ोतरी या घटोतरी करें। अगले वित्तीय वर्ष का बजट वर्तमान वित्तीय वर्ष के अन्तिम माह अर्थात् मार्च की 15 तारीख तक बोर्ड द्वारा विचारोपरान्त पारित कर लिया जाना चाहिए। अतः बजट तैयार करने की प्रक्रिया प्रत्येक दशा में अंतिम तिमाही के पूर्वार्द्ध में ही पूर्ण कर ली जानी चाहिए व इस पर बोर्ड बैठक में विस्तृत चर्चा करनी चाहिए जिससे कि नीतिगत निर्णय, प्राथमिकता निर्धारण तथा जनता के हित में उचित वित्तीय निर्णय लिये जा सकें। चूंकि बोर्ड सभासदों से ही बना है, अतः बजट के माध्यम से सभासदों के बहुमत निर्णय से नीतियों व रणनीतियों का निर्धारण होता है।

12.3.8 नगरीय निकायों में लगाये जाने वाले कर

1. भवनों या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर।
2. नगर पालिका की सीमा के अन्तर्गत व्यापार पर कर जिन्हें नगर पालिका की सेवाओं से विशेष लाभ मिलता है।
3. व्यापार, पेशों तथा व्यवसायों पर कर जिसमें सभी रोजगार जिनके लिये वेतन या शुल्क मिलता है वह सम्मिलित हैं।
4. मनोरंजन कर।
5. नगरपालिका के अंदर भाड़े पर चलने वाली गाड़ियों या उसमें रखी गई गाड़ियों पर कर।
6. नगरपालिका के अन्दर रखे कुत्तों पर कर।
7. नगर पालिका के अन्दर रखे सवारी, चालन या बोझे के पशुओं पर कर।
8. व्यक्तियों पर सम्पत्तियों या परिस्थितियों के आधार पर कर।
9. भवनों या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर जल कर।
10. भवन के वार्षिक मूल्य पर उर्तक मूल्य पर उत्प्रवाह कर।
11. सफाई कर।
12. शोचालयों, मूत्रालयों तथा गड्ढों से उत्प्रवाह तथा प्रदूषित जल के एकत्रीकरण, हटाने तथा खात्मा करने के लिए कर।

13.नगर पालिका की सीमा के अन्तर्गत स्थित सम्पत्ति के हस्तांतरण पर कर।

14.संविधान के अन्तर्गत कोई अन्य कर जो राज्य विधायिका द्वारा राज्य में लागू किया जा सके।

कर का प्रावधान- 3 व 8 के कर एक साथ नहीं लगाए जा सकते हैं। 10 व 12 के कर एक साथ नहीं लगाए जा सकते हैं। 13 के अन्तर्गत नगर पालिका के अन्तर्गत अचल सम्पत्ति के हस्तांतरण पर कर नहीं लगाया जा सकता है। (यदि वह सम्पत्ति नजूल की हो) 5 का कर मोटर गाड़ी, पर नहीं लगाया जा सकता है।

12.3.9 मूल्यांकन, छूट एवं वसूली

भवन या भूमि दोनों पर कर लगाने के लिए नगर निकाय एक मूल्यांकन सूची तैयार कर एक सार्वजनिक स्थल पर प्रदर्शित कर सकते हैं ताकि जिन लोगों को आपत्ति हो वह एक महीने के अन्दर दाखिला कर सकें। जब आपत्तियों का निवारण हो जाता है तब मूल्यांकन सूची को प्रमाणित किया जाता है। प्रमाणित मूल्यांकन सूची नगर निकाय कार्यालय में जमा कर दी जाती है तथा उसे जनता द्वारा निरीक्षण के लिये खुला घोषित कर दिया जाता है। सामान्यतः नई मूल्यांकन सूची पाँच वर्ष में एक बार तैयार की जाती है। नगर निकाय किसी समय मूल्यांकन सूची को बदल सकते हैं या उसमें संशोधन कर सकते हैं। यदि कोई भवन या भूमि वर्ष में 90 या अधिक दिनों तक लगातार खाली रहती है तो नगर पालिका उस अवधि में कर छूट देती है। उस भवन या भूमि के पुनः कब्जे के लिए उस सम्पत्ति के मालिक को 15 दिनों के अंदर नगरपालिका को सूचना देनी होती है। अगर कोई ऐसा नहीं करता तो वह दंड का भागी होता है। दण्ड की राशि वास्तविक कर की दुगुनी राशि से दस गुना राशि से भी अधिक हो सकती है।

नगर पालिका करों से संबंधित अपीलें नगर पालिका कार्यालय में दायर की जा सकती है। साथ ही साथ इसकी एक प्रति जिलाधिकारी के यहाँ भी जाती है। सामान्यतः किसी भी अवधि के लिए देय कर या शुल्क का भुगतान उसकी अवधि के शुरू होने से पूर्व करना होता है। जब व्यक्ति कर का भुगतान समय पर नहीं करता तो उसके विरुद्ध नगरपालिका द्वारा वारंट जारी हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के अहाते से सम्पत्ति को जब्त कर उसे नीलामी द्वारा बेचा जा सकता तथा बकायों की वसूली की जा सकती है। जब कोई व्यक्ति किसी कर का बकायेदार हो तो नगरपालिका कलेक्टर से प्रार्थना कर सकती है कि वह ऐसे धन को भू-राजस्व की भाँति वसूल करें, जिसमें कार्यवाही का खर्च शामिल नहीं होगा। कलेक्टर जब बकाया धन से संतुष्ट हो जाता है तो उसे वसूल करने की कार्यवाही करता है।

12.3.10 नगर-निकायों में वार्ड कमेटियाँ

स्थानीय लोग स्थानीय विकास में भागीदारी निभा सकें इसलिए संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम के अन्तर्गत स्थानीय नगरीय सरकार के लिए शक्तियों एवं सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया गया है। संशोधन के माध्यम से विकेन्द्रीकरण के द्वारा ऐसे संस्थागत ढांचे का निर्माण करने का प्रयास

क्रिया गया जिससे सभी स्तर के लोग स्थानीय विकास में भागीदारी निभा सकें। नगरीय निकायों के इस ढांचे को हम स्थानीय स्वशासन की दो स्तरों पर की गई व्यवस्था के रूप में जानते हैं।

पहला स्तर नगर निकाय स्तर पर चयनित सरकार है जिसमें स्थानीय लोग प्रतिनिधि के रूप में चुनकर आते हैं जो स्थानीय समस्याओं की बेहतर समझ के साथ स्थानीय विकास के लिए प्रयास करते हैं। दूसरे स्तर पर वार्ड कमेटियों के गठन का प्रावधान है जिससे कि वार्ड के स्तर पर भी लोग विकास के लिए नियोजन से लेकर निर्णय लेने की प्रक्रिया एवं विकास कार्यों के क्रियान्वयन में अपनी भागीदारी निभा सकें।

74वें संविधान संशोधन की धारा 243(1) के अनुसार यह व्यवस्था केवल उन शहरों में लागू होती है जिनकी जनसंख्या तीन लाख या उससे अधिक हो। जिन शहरों की जनसंख्या तीन लाख है या उससे कम है, वहाँ पर राज्य सरकार अन्य समितियों को गठित करने को स्वतंत्र है। वार्ड कमिटी पाँच या उनसे अधिक वार्डों से मिलकर बनती है, जिसमें एक अध्यक्ष तथा जितने भी वार्ड उस कमिटी में हैं, के चयनित प्रतिनिधि/सदस्य उसके होते हैं।

नगरीय स्थानीय स्वशासन के तीन व्यक्ति जो इससे संबंधी मुद्दों/समस्याओं के बारे में विशेष ज्ञान रखते हों उसके वार्ड के नामित सदस्य होते हैं। उन्हीं में से किसी एक व्यक्ति का चुनाव एक वर्ष के लिए अध्यक्ष के पद के लिए होता है। जो यदि चाहे तो दुबारा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ सकता है।

वार्ड कमिटी का कार्यकाल उक्त नगर निकाय की अवधि के साथ समाप्त होता है।

संविधान के 74वें संशोधन के अनुसार वार्ड कमेटियों का व्यावहारिक रूप में वह स्वरूप नहीं बन पा रहा है जिसकी कल्पना की गई थी। एक सशक्त वार्ड कमिटी की भूमिकाओं में वार्ड/वार्डों की समस्याओं की पहचान कर उनकी प्राथमिकताएं तय करना, नगर निकायों के द्वारा कराये जा रहे कार्यों का निरीक्षण, नियोजन एवं विकासात्मक गतिविधियों का संचालन, वार्षिक आम सभा का आयोजन, म्यूनिसिपल वार्ड की जवाबदेही एवं इनके कार्यों में पारदर्शिता इत्यादि हो सकती है।

12.3.11 नगर-निकायों से संबंधित विषय

12वीं अनुसूची (अनुच्छेद, 243-ब)

नगर निकायों के कृत्यों से सम्बन्धित विषयों का उल्लेख संविधान की 12वीं अनुसूची में किया गया है जो निम्नवत है-

1. नगर के नियोजन सहित शहरी नियोजन।
2. भू-उपयोग का विनियम और भवन-निर्माण
3. आर्थिक व सामाजिक उन्नयन को ध्येय से नियोजन।
4. सड़क एवं पुल।

5. घरेलू उपयोग व औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए जलापूर्ति।
6. जन स्वास्थ्य, स्वच्छता, जल-प्रबन्धन एवं कूड़ा-कचरा निस्तारण।
7. अग्निशमन सेवाएं।
8. परिस्थितिकीय एवं पर्यावरण संरक्षण के ध्येय से शहरी वनीकरण।
9. शारिरिक व मानसिक विकलांगों सहित समाज के कमजोर वर्गों का हित संरक्षण।
10. मलिन बस्ती सुधार एवं उन्नयन।
11. शहरी गरीबी निवारण।
12. नागरिक जन-सुविधाओं जैसे पार्क, उद्यान, और क्रीडा मैदानों की व्यवस्था करना।
13. सांस्कृतिक, शैक्षणिक व सौंदर्यपूर्ण विकास।
14. शव-गृह, कब्रिस्तान और विद्युत शव-दाह-गृह।
15. पशुओं के लिए पीने के पानी के तालाब और पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम।
16. जन्म-मृत्यु के आंकड़ों सहित महत्वपूर्ण सांख्यिकी की सूचना।
17. गलियों, पार्किंग स्थल और स्टापों के पथ-प्रकाश(लाईट) की सुविधाओं की व्यवस्था और जल-प्रबन्धन।
18. पशु वधशालाओं और चर्मशोधनालाओं का विनियमन; ।

12.3.12 नगर-निकायों के कार्य एवं शक्तियाँ

प्रत्येक नगर निकाय का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने क्षेत्र के भीतर निम्नलिखित व्यवस्था करे-

1. सार्वजनिक सड़कों और स्थानों पर पीने का पानी।
2. सार्वजनिक सड़कों और स्थानों पर रोशनी।
3. नगरपालिका की सीमा का सर्वेक्षण करना और सीमा चिन्ह लगाना।
4. सार्वजनिक सड़कों, स्थानों और नालियों की सफाई करना, हानिकारक वनस्पति को हटाना।
5. संतापकारी, खतरनाक या आपत्तिजनक, व्यापार, आजीविका या प्रथा का विनियमन करना।
6. आवारा व खतरनाक पशुओं को परिरुद्ध करना, हटाना या नष्ट करना।
7. लोक सुरक्षा, स्वास्थ्य या सुविधा के आधार पर सड़कों या सार्वजनिक स्थानों में अवांछनीय और अवरोध प्रक्षेप हटाना।
8. खतरनाक भवनों या स्थानों को सुरक्षित बनाना या हटाना।
9. मृतकों के निस्तारण के लिये स्थान अर्जित, अनुरक्षित, परिवर्तित और विनियमित करना।
10. सार्वजनिक सड़कों, पुलियों, बाजारों व वधशालाओं, शोचालयों, संड़ासों, मुत्रालयों, नालियों, जलोत्सारण, निर्माणकार्यों तथा सीवर व्यवस्था सम्बन्धी निर्माण कार्यों का निर्माण, परिवर्तन और अनुरक्षण करना।
11. घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए जलापूर्ति उपलब्ध करना।
12. सड़क के किनारे तथा सार्वजनिक स्थानों में वृक्ष लगाना और उनका अनुरक्षण करना।
13. ऐसे स्थानों में, जहां वर्तमान जल सम्भरण के अप्र्याप्त या अस्वास्थ्यप्रद होने से वहां के निवासियों के स्वास्थ्य को संकट हो, शुद्ध और स्वास्थ्यप्रद जल के पर्याप्त सम्भरण की व्यवस्था

करना, मनुष्यों के उपयोग के लिए प्रयुक्त होने वाले जल को प्रदूषित होने से बचाना और प्रदूषित जल के ऐसे उपयोग को रोकना।

14. जल सम्भरण हेतु सार्वजनिक कुंओं को ठीक हालत में रखना उनके जल को प्रदूषित होने से बचाना तथा उसे मनुष्यों के उपयोग योग्य बनाये रखना।

15. जन्म और मृत्यु का पंजीकरण सुनिश्चित करना।

16. सार्वजनिक टीका लगाने की प्रणाली की स्थापना तथा उसका अनुरक्षण।

17. सार्वजनिक चिकित्सालयों और औषधालयों की स्थापना तथा उनका अनुरक्षण या उनकी सहायता करना और सार्वजनिक चिकित्सा सम्बन्धी सहायता की व्यवस्था करना।

18. प्रसूति केन्द्रों, शिशु कल्याण, और जन्म नियंत्रण क्लीनिकों की स्थापना, अनुरक्षण और सहायता करना और जनसंख्या नियन्त्रण, परिवार कल्याण और छोटे परिवार के मानकों को प्रोत्साहित करना।

19. पशु चिकित्सालयों का अनुरक्षण करना या अनुरक्षण हेतु उन्हें सहायता देना।

20. प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना और उनका अनुरक्षण करना।

21. आग बुझाने में सहायता देना और आग लगने पर जीवन तथा सम्पत्ति की रक्षा करना।

22. नगरपालिका में निहित या उसके प्रबंधन में सौंपी गई सम्पत्ति की सुरक्षा करना, उसका अनुरक्षण तथा विकास करना।

23. शासकीय पत्रों पर तत्काल ध्यान देना और ऐसे विवरण और रिपोर्ट तैयार करना जिन्हें राज्य सरकार नगर पालिका से प्रस्तुत करने की अपेक्षा करे।

24. विधि द्वारा उस पर अधिरोपित किसी बाध्यता की पूर्ति करना।

25. चर्म-शोधनशालाओं को निनियमित करना।

26. पार्किंग स्थल, बस स्टाप और जन सुविधाओं का निर्माण और अनुरक्षण करना।

27. नगरीय वानिकी और परिस्थितिकी पहलुओं की अभिवृद्धि और पर्यावरण का संरक्षण करना।

28. समाज के दुर्बल वर्गों के जिनके अन्तर्गत विकलांग और मानसिक रूप से मन्द व्यक्ति हैं हितों का संरक्षण करना।

29. सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सौन्दर्यपरक पहलुओं की अभिवृद्धि करना।

30. कांजी हाउस का निर्माण और अनुरक्षण करना और पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण करना।

31. मलिन बस्ती सुधार और उन्नयन।

32. नगरीय निर्धनता कम करना व नगरीय सुख-सुविधाओं, जैसे पार्क, उद्यान और खेल के मैदानों की व्यवस्था करना।

स्वैच्छिक कार्य

उपरोक्त बाध्यकारी कर्तव्यों के अतिरिक्त संविधान में कुछ ऐसे कर्तव्यों का भी उल्लेख है जो बाध्यकारी न होकर स्व-विवेकानुसार की श्रेणी में निम्नवत हैं-

1. उन क्षेत्रों में, जिनमें चाहे पहले निर्माण किया गया हो या नहीं, नवीन सार्वजनिक सड़कों का विन्यास और इस प्रयोजन के लिए भूमि अर्जित करना।

2. मास्टर-प्लान तैयार करना और उसे निष्पादित करना।

3. पुस्तकालय, संग्रहालय, वाचनालय, रेडियो संग्राहों केन्द्रों, कुष्ठाश्रम, अनाथालय, शिशु सदन और महिला उद्धार गृह, पागलखाना हाल, कार्यालय, धर्मशाला, विश्राम-गृह, दुग्धशाला, स्नानगार, स्नानघाट, धोबियों के धुलाई-स्थल, पीने के पानी का स्रोत (ड्रिंकिंग फाउन्टेन), तालाब, कुआं, तथा अन्य लोकोपयोगी निर्माण कार्यों का निर्माण, उनकी स्थापना तथा उनका अनुरक्षण में अंशदान देना।
4. प्राथमिक स्कूलों की स्थापना और उनके अनुरक्षण से भिन्न उपायों द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों का प्रसार करना।
5. जनगणना करना और ऐसी सूचना के लिये इनाम देना, जिससे जन्म-मृत्यु के आंकड़ों का सही रजिस्ट्रीकरण सुनिश्चित हो सके।
6. ऐसी सूचना के लिये इनाम देना जिससे इस अधिनियम के आधीन आरोपित कर के अपवर्चन का या नगर निकाय में निहित या उसके प्रबन्ध या नियन्त्रण में सौंपी गई सम्पत्ति को हानि पहुंचाने या उस पर अतिक्रमण करने का पता लगे।
7. स्थानीय विपत्ति पड़ने पर, सहायता कार्यों की स्थापना और उनका अनुरक्षण करके या अन्य प्रकार से सहायता करना।
8. धारा-298 के शीर्षक छः के उपशीर्षक (क) के आधीन उल्लिखित किसी व्यापार या निर्माण के कार्यान्वयन के लिये उपयुक्त स्थान प्राप्त करना या प्राप्त करने में सहायता देना।
9. सीवेज के निस्तारण के लिये फार्म या कारखाना स्थापित करना और उसका अनुरक्षण करना।
10. कूड़ा-करकट की कम्पोस्ट खाद तैयार करने के लिए प्रबन्ध करना।
11. पर्यटक यातायात की अभिवृद्धि करना।
12. मेले और प्रदर्शनियां लगाना।
13. गृह और नगर नियोजन योजनाएं तैयार करना और उनका निष्पादन।
14. व्यापार और उद्योग की अभिवृद्धि के लिये उपाय करना।
15. अपने कर्मचारियों के लिये श्रम कल्याण केन्द्र स्थापित करना और ऐसे कर्मचारियों के किसी ऐसोशियेशन संघ या क्लब की सामान्य उन्नति के लिए अनुदान अथवा ऋण देकर उसके कार्याकलापों में सहायता देना।
16. नगर पालिका संघों को संगठित करना और उन्हें अंशदान देना।
17. धारा-7 में या इस धारा के पूर्वगामी उपबन्धों में निर्दिष्ट उपायों से भिन्न ऐसे उपाय करना, जिनसे लोक सुरक्षा, स्वास्थ्य या सुविधा में अभिवृद्धि होने की सम्भावना हो।
18. भिक्षा-वृत्ति पर नियंत्रण के लिये उपाय करना।
19. कोई ऐसा कार्य करना जिसके सम्बन्ध में व्यय राज्य सरकार द्वारा या नगरपालिका द्वारा विहित प्राधिकारी की स्वीकृति से, नगर पालिका निधि पर समुचित प्रभार घोषित किया जाए।

अभ्यास प्रश्न-2

1. 74वें संविधान संशोधन में 12वीं अनुसूची के अन्तर्गत शहरी स्थानीय निकायों को दिये गये हैं.....
2. नगर निकायों के कार्यों से संबंधित विषयों का वर्णन संविधान की 12वीं अनुसूची में किया गया

है। सही/गलत/

12.4 सांराश

सरकार के 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से पुनः नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को निर्णय लेने के स्तर पर सक्रिय व प्रभावशाली सहभागिता बनाने का प्रयास किया गया है। संविधान का 74वां संशोधन में नगर निकायों - नगर पलिका, नगर निगम और नगर पंचायतों में शहरी लोगों की भागीदारी बढ़ाने में मदद की है। इस संशोधन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब शहरों, नगरों, मोहल्लों की भलाई उनके हित व विकास संबंधी मुद्दों पर निर्णय लेने का अधिकार केवल सरकार के हाथ में नहीं है। अब नगरों व शहर के ऐसे लोग जो शहरी मुद्दों की स्पष्ट सोच रखते हैं व नगरों, कस्बों व उनमें निवास करने वाले लोगों की नागरिक सुविधाओं के प्रति संवेदनशील है, निर्णय लेने की स्थिति में आगे आ गये हैं। महिलाओं व पिछड़े वर्गों के लिए विशेष आरक्षण व्यवस्था ने हमेशा से पीछे रहे व हाशिये पर खड़े लोगों को भी बराबरी पर खड़े होने व निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने का अवसर दिया है। 74वें संशोधन ने सरकार (लोगों का शासन) के माध्यम से आम लोगों की सहभागिता स्थानीय स्वशासन में सुनिश्चित की है। हर प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णयों में स्थानीय लोगों को सम्मिलित करने से निर्णय प्रक्रिया प्रभावी, पारदर्शी व समुदाय के प्रति संवेदनशील हो जाती है।

12.5 शब्दावली

विकेन्द्रीकरण- एक केन्द्र में न रहना, विस्तारित होना

संक्रमणशील- ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में परिवर्तित होने वाले क्षेत्र

गणपूर्ति- किसी भी कार्यवाही की पूर्ति हेतु उपस्थित अनिवार्य सदस्यों की संख्या

कांजी हाऊस- जहाँ आवारा पशुओं को पकड़ कर रखा जाता है

12.6 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

अभ्यास प्रश्न-1

1. नगर निकाय 2. सही 3. ख 4. सही 5. ख

अभ्यास प्रश्न- 2

1. 18 कार्य/उत्तर दायित्व 2. सही

12.7 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. हार्क नगरीय स्वशासन प्रशिक्षण मार्गदर्शिका।

2. चौहत्तरवां संविधान संशोधन अधिनियम।

3. कुछ आम सवाल - नगरीय स्वशासन, यहाँ मिलेंगे उनके जवाब, 2005, संसर्ग पटना एवं प्रिया नई दिल्ली।

12.8 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

1. भारत में पंचायती राज- के. के. शर्मा

2. रोल ऑफ पंचायत इन वैलफेयर स्टेट- अब्राहम मैथ्यू

3. भारत में स्थानीय शासन- एस0 आर0 माहेश्वरी
4. पंचायती राज में प्रमाण पत्र- डॉ0 घनश्याम जोशी एवं डॉ0 छाया कुंवर(उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी नैनीताल)
5. भारतीय प्रशासन- अवस्थी एवं अवस्थी

12.9 निबन्धात्मक प्रश्न

- 1.नगर निकायों के गठन एवं संरचना को स्पष्ट करें।
- 2.नगर पालिका की बैठकें व उनकी कार्यवाहियों को स्पष्ट करें।
- 3.नगर निकायों के वित्तीय प्रबन्ध को विस्तार से बतलाइये।
- 4.नगर निकायों से संबंधित विषय बतलाइये।
- 5.नगर निकायों की कार्य एवं शक्तियां एवं स्वैच्छिक कार्य बताएं